भारतीय प्रेस परिषद्

३१वीं

वार्षिक रिपोर्ट

(1 अप्रैल, 2009-31 मार्च, 2010)

नई दिल्ली

मुद्रक : बंगाल ऑफसेट वर्क्स, ३३5, खजूर रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-११0 005

भारतीय प्रेस परिषद्

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110 003
अध्यक्षः न्यायमूर्ति श्री गनेन्द्र नारायण रॉय

भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क)

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है	समाचारपत्र
श्री विष्णु नागर	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन	संडे, नई दुनिया, नई दिल्ली
श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन	मुजफ्फरनगर बुलेटिन, उत्तर प्रदेश
श्री विजय कुमार चोपड़ा	ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन	फिल्मी दुनिया, दिल्ली
श्री शीतला सिंह	हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	जनमोर्चा, उत्तर प्रदेश
सुश्री सुमन गुप्ता	हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	सरयू तट से, उत्तर प्रदेश

अंग्रेजी समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री योगेश चन्द्र हलन	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन	एशियन डिफैंस न्यूज़, नई दिल्ली

सम्पादकों के अतिरिक्त श्रमजीवी पत्रकार (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट

श्री के. श्रीनिवास रेड्डी	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन	विशाल आन्ध्रा, आन्ध्र प्रदेश
श्री मिहिर गंगोपाध्याय (गाँगुली)	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन	स्वतंत्र पत्रकार, बर्तमान, पश्चिम बंगाल
श्री एम.के. अजीत कुमार	प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन	मातृभूमि, नई दिल्ली
श्री जोगिन्दर चावला	वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन	स्वतंत्र पत्रकार
श्री जी. प्रभाकरण	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन	दि हिन्दू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन
श्री कल्याण बरुआ	प्रेस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन	असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी
श्री एस.एन. सिन्हा	वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन प्रेस एसोसिएशन	स्वतंत्र पत्रकार

बड़े, मध्यम और लघु समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री होरमुसजी नुस्सेवांजी कामा	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी	बाम्बे समाचार, महाराष्ट्र
श्री टी. वेंकटराम रेड्डी	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी	आन्ध्र भूमि, आन्ध्र प्रदेश
श्री अनिल जुगल किशोर अग्रवाल	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी	अमरावती मंडल, महाराष्ट्र

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है	समाचारपत्र
श्री कुंदन रमन लाल व्यास	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी	जन्मभूमि प्रवासी, महाराष्ट्र
श्री रमेश गुप्ता	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी	तेज वीकली, नई दिल्ली
श्री सुशील झलानी	इंडियन फेडरेशन ऑफ स्माल और मीडियम न्यूज़पेपर्स,	अरुण प्रभा, राजस्थान

समाचार-एजेंसियों के प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री वी.एस. चन्द्रशेखर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और भारतीय विधिज्ञ परिषद् में नामित व्यक्ति (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

डॉ. प्रांजय गुहा ठाकुर्ता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
श्री मिलन कुमार डे	भारतीय विधिज्ञ परिषद्
डॉ. ललित मंगोत्रा	विधि साहित्य अकादमी

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सांसद (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री अनंत कुमार	लोक सभा
श्री विलास मुत्तेमवर	लोक सभा
श्री संजय दीना पाटिल	लोक सभा
श्री प्रकाश जावडेकर	राज्य सभा
डॉ. के. केशव राव	राज्य सभा

सचिव : श्रीमती विभा भार्गव

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्राक्कथन

अध्याय I	सामान्य समीक्षा	...	...	1
अध्याय II	प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरे से सम्बन्धित शिकायतों पर निर्णय	...	...	44
अध्याय III	प्रेस के विरूद्ध दाखिल शिकायतों में परिषद् द्वारा दिये गये निर्णय	...	...	52
अध्याय IV	भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा दिनांक 09.06.2009 को स्वीकार की गई बटला हाउस मुठभेड़ में मीडिया द्वारा दी गई रिपोर्ट	...	...	64
अध्याय V	"अमर उजाला, हिंदी दैनिक समाचारपत्र के लखीमपुर, खीरी (उत्तर प्रदेश) के स्टाफ रिपोर्टर/संवाद्दाता श्री सैमुद्दीन नीलू द्वारा श्रीमती एन पद्मजा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के खिलाफ की गई शिकायत" पर - तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा 22.2.2010 को स्वीकृत	...	...	69
अध्याय VI	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों के साथ पुलिस की क्रूरता के आरोपों के बारे में रिपोर्ट - निर्धारण समिति की रिपोर्ट भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा 31.3.2010 को स्वीकृत	...	...	99
अध्याय VII	परिषद् का वित्त वर्ष 2009-2010	...	...	124

संलग्नक :

क	मामलों का विवरण 1 अप्रैल, 2009-31 मार्च, 2010	...	...	146
ख	अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2009	...	...	147
ग	अधिसूचना दिनांक 5 नवम्बर, 2009	...	...	149

घ	निर्णयों का आलेख 2009-2010	...	...	150
ङ	प्रेस की स्वतंत्रता पर धमकी से सम्बद्ध शिकायतों पर निर्णयों की विषयगत सारिणी (2009-2010)	...	...	151
च	प्रेस के विरूद्ध शिकायतों में निर्णयों की विषयगत सारणी (2009-2010)	...	...	157
छ	प्रेस के विरूद्ध की गयी शिकायतों के संबंध में निर्णयों में रिकार्ड किये गये सिद्धांतों की सारणी	...	...	179
ज	प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित किये गये आदेशों की विषयगत सारिणी (2009-10)	...	...	184

प्राक्कथन

प्रेस परिषद् अधिनियम के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रेस परिषद पिछले वित्त वर्ष अप्रैल – मार्च से प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करती आ रही है। वार्षिक रिपोर्ट में मुख्यतः परिषद् की पिछले वर्ष की गतिविधियों का सारांश, देश में प्रेस की स्थिति का विवरण और देश में तथा विश्व में दोनों स्थानों से संबंधित घटनाओं का विवरण, वर्ष के दौरान मीडिया में हुए कुछ प्रमुख विकासों का हवाला और लेखा–परीक्षित लेखाओं का विवरण दिया गया है। कानून की अपेक्षा के अनुसार यह रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है।

वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट में प्रेस से प्राप्त और प्रेस के खिलाफ की गई शिकायतों का विवरण दिया गया है और वर्ष के दौरान न्याय निर्णीत शिकायतों की संख्या, जांच समितियों और परिषद् द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और देश के विभिन्न स्थानों में अन्य समितियों की बैठकों का विवरण दिया गया है। इन बैठकों से परिषद् की शक्तियों और कार्यों के संबंध में लोगों में काफी जागरूकता आई है। इसके परिणामतः न्यायनिर्णय की प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया की बजाय प्रेस परिषद् के फोरम को लोगों द्वारा चुने जाने में काफी वृद्धि आई है। हालांकि इस रिपोर्ट में परिषद् के क्रियाकलापों को दिया गया है लेकिन मैं इस वर्ष लोकसभा/विधान सभा के चुनावों के दौरान पेड न्यूज के आरोपित समाचार प्रकाशित करने की गलत परिपाटी का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। इस प्रवृत्ति से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और पत्रकारिता की छवि के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होने की संभावना है। इस मामले की भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा जांच की जा रही है।

इस प्रकाशन में इस अवधि के दौरान मीडिया से संबंधित मुद्दों के संबंध में परिषद् द्वारा तैयार की गई विभिन्न रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया है। प्रेस परिषदों का विश्व संघ (डब्ल्यूएपीसी) के क्रियाकलापों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद् इस संघ का सदस्य है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अधीन गठित अपीलीय बोर्ड और परिषद् द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों का भी उल्लेख किया गया है। जहां तक संभव हो सका, परिषद् के सभी क्रियाकलापों का इसमें उल्लेख करने का प्रयास किया गया है और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इस रिपोर्ट को यथासंभव संक्षिप्त रखा जाए। परिषद् ने उसे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में भविष्य में व्यापकता लाने का प्रयास किया है। यदि संसद भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में संगत संशोधन करता है, जो इस समय सरकार के सक्रिय

विचाराधीन है, तो इससे प्रेस परिषद् को बल मिलेगा और वह अपने कार्यों का निर्वहन अधिक दक्षता और प्रभावकारिता के साथ कर पाएगा। प्रेस परिषद् समाज के जीवन में एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में उभरने के लिए कृतसंकल्प है।

यह रिपोर्ट इस आशा के साथ पाठकों के हाथों में सौंपी जा रही है कि इसमें उनकी रुचि बढ़ेगी और परिषद् के कार्यों और परिषद् की नैतिकता के बारे में उन्हें अपेक्षित सूचना मिल पाएगी।

जी0एन0 रॉय
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

नई दिल्ली
31.03.2010

अध्याय - I
सामान्य समीक्षा

यह भारतीय मीडिया उद्योग के लिए चुनौतियों से भरा दौर रहा था । प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के शहरों को सेवाएं प्रदान करने वाली समाचार-पत्र कंपनियों के उत्पाद मंदी से उतने प्रभावित नहीं हुए थे जितने कि महानगरीय समाचार-पत्र प्रभावित हुए थे । कुल मिलाकर, यह बहुत मुश्किल स्थिति थी । परंतु यदि मीडिया घराने पीछे मुड़कर देखें, तो यह उतनी बुरी स्थिति नहीं थी जितना अनुमान लगाया गया था ।

न्यूज़ प्रिंट की कीमतों में गिरावट से मंदी का मुकाबला करने में प्रिंट मीडिया कंपनियों को मदद मिलती है । डी.ए.वी.पी. की दर में वृद्धि करके सरकारी प्रोत्साहन पैकेज से भी समाचार-पत्रों के स्वामियों को राहत मिली है । वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण समाचार-पत्रों को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ी । यद्यपि अधिकांश समाचार-पत्र इस संबंध में सावधानी बरत रहे थे, फिर भी विस्तार जारी रहा है । प्रतिदिन 107 मिलियन समाचार-पत्रों की बिक्री करने के कारण भारत विश्व में समाचार-पत्र का सबसे बड़ा बाजार है । चीन और जापान सहित यहां, विश्व के 60% से अधिक समाचार-पत्रों की बिक्री होती है ।

विश्व स्तर पर वित्तीय मंदी के कारण मीडिया में भी लाभ कम होता रहा । बड़े-बड़े पब्लिकेशन हाउस तेजी से कम होते जा रहे हैं और अपना अस्तित्व बचाने के तरीके ढूंढ़ते रहे । पश्चिमी देशों में यह पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में समाचार-पत्रों का अंत निश्चित है । हालांकि भारत समेत कई एशियाई देशों के समाचार-पत्रों की लंबे समय तक आगे आने की संभावना है । विश्व स्तर पर एक बिलियन लोग प्रतिदिन समाचार-पत्र पढ़ते हैं । डब्ल्यूएएन-आईएफआरए के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2008 में समाचार-पत्र का परिचालन विवस्तर पर 1.3% बढ़ गया और यह पांच वर्षों में लगभग 9% तक बढ़ जाएगा । इन आंकड़े से अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका में समाचार-पत्रों में लगतार हो रही वृद्धि का पता चलता है । प्रौद्योगिकीय में नवाचार से समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के परिचालन में एक बार उछाल आ गया था, अब आवधिक रूप से प्रिंट मीडिया को भारी मात दे रहे हैं । नेटवर्क और केबल न्यूज ने प्रिंट मीडिया को भारी झटका दिया है । पढ़ने वालों की संख्या में गिरावट का कारण, समाचार-पत्रों को पढ़ने में नई पीढ़ी की दिलचस्पी न होना रहा है । अब न्यूज़ पेपर हाऊस अपनी वेब न्यूज के लिए शुल्क लेना आरंभ करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं । ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि समाचार-पत्रों के पाठकों की घटती हुई संख्या से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आनलाइन पहुंच को निःशुल्क बनाने वाले युग का अंत हो सकता है । प्रेस परिषद्, अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए इन और अन्य गतिविधियों पर नजर रखती है ।

संरचना और उद्देश्य

भारतीय प्रेस परिषद् संसद के अधिनियम द्वारा सृजित एक कानूनी अर्ध-न्यायिक निकाय है । इसे ''प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने'' के और ''भारत में समाचार-पत्रों तथा समाचार अभिकरणों के मानकों को बनाए रखने'' तथा उनमें सुधार लाने के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन पहले 1966 में स्थापित किया गया था । 1965 के अधिनियम को 1975 में निरस्त कर दिया गया था और आपातकाल के दौरान प्रेस परिषद् को समाप्त कर दिया गया था । 1965 के अधिनियम की भांति 1978 में लगभग उन्हीं आधारों पर एक नया अधिनियम बनाया गया था और 1979 में इस अधिनियम के तहत प्रेस परिषद् की पुनःस्थापना की गई ।

प्रेस परिषद् का प्रमुख अध्यक्ष होता है, जो परिपाटि के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय का आसीन/सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो । परिषद् में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस के प्रतिनिधि होते हैं । पांच सदस्य संसद के दोनों सदनों से होते हैं, जो पाठकों के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं और तीन सदस्य सांस्कृतिक, साहित्य और विधि के क्षेत्र से होते हैं जिन्हें क्रमशः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; साहित्य अकादमी, और भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामित किया जाता है । अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है । प्रेस परिषद अधिनियम में समाचार-पत्रों या प्रेस के व्यक्तियों की व्यक्तिगत सदस्यता का प्रावधान नहीं है । लेकिन देश के समाचार-पत्रों तक पहुंचने और अपनी न्यायनिर्णायक तथा सलाहकारी भूमिका प्रदान करने के लिए, प्रेस परिषद् उन समाचार-पत्रों/समाचार अभिकरणों/पत्रिकाओं पर वार्षिक शुल्क लगाता है जिनका परिषद् के राजस्व में योगदान होता है ।

1978 के अधिनियम की धारा 13 में किए गए प्रावधान के अनुसार, भारतीय प्रेस परिषद् का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में समाचार-पत्रों तथा समाचार अभिकरणों के मानकों को बनाए रखना तथा उनमें सुधार लाना है । अधिनियम के अनुसार, परिषद् को सलाहकार की भूमिका भी सौंपी गई है । इसके अनुसार, परिषद् स्वप्रेरणा से या अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सरकार द्वारा भेजे गए मामलों का अध्ययन कर सकता है और किसी विधेयक, विधान, विधि या प्रेस से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में अपनी राय व्यक्त कर सकती है तथा सरकार तथा संबद्ध व्यक्तियों को अपनी राय दे सकती है । लोक महत्व के उसकी कानूनी जिम्मेदारियों से संबंधित मामले में परिषद् स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकती है और तत्काल जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन कर सकती है ।

प्रेस परिषद् के उद्देश्यों का विस्तार करते हुए, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके संबंध में प्रेस परिषद् से अपेक्षा की जाती है वह इन्हें करे यथा समाचार-पत्रों और समाचार अभिकरणों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायता करना; उच्च व्यावसायिक मानकों के अनुसार, समाचार-पत्रों, समाचार अभिकरणों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता तैयार करना; समाचार-पत्रों, समाचार अभिकरणों तथा पत्रकारों की ओर से जनता की अभिरूचि के उच्च

मानकों तथा अधिकारों एवं जिम्मेदारियों दोनों की उचित भावना के प्रसार को बनाए रखना; लोकहित तथा महत्व के समाचारों के प्रसार को निर्बाधित करने की संभावना वाले किसी विकास की समीक्षा करना; समाचार-पत्रों के उत्पादन या प्रकाशन में या समाचार अभिकरणों में लगे सभी वर्गों के लोगों में उचित कार्यात्मक संबंध का संर्वधन करना, और समाचार-पत्रों के स्वामित्व के संकेंद्रण या उसके अन्य पहलुओं, जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो, जैसे विकासों से स्वयं को जोड़ना ।

भारतीय प्रेस परिषद् की अत्यधिक स्वस्थ और अनोखी विशेषतया यह है कि संसद् के अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए कुछ ऐसे निकायों में से यह भी एक निकाय है । विश्व के अधिकांश देशों में ठीक ऐसी ही संस्थाएं या ऐसे निकाय, स्वैच्छिक संस्थाएं हैं अथवा भारतीय प्रेस परिषद् के पश्चात् अस्तित्व में आई हैं । इस तथ्य के बावजूद कि उसकी निधियों का एक बड़ा भाग सरकार का सहायता अनुदान है फिर भी इसे सरकारी नियंत्रण से अपने कानूनी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता प्राप्त है ।

परिषद् का कार्यकरण

1 अप्रैल, 2009 - 31 मार्च, 2010

भारतीय प्रेस परिषद् का पुनगर्ठन

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् परिषद् के पुनर्गठन का प्रावधान है । परिषद् का दसवां तीन वर्षीय कार्यकाल 6 जनवरी, 2011 को समाप्त होना है।

परिषद् को ग्यारहवें कार्यकाल के लिए पुनर्गठित करने की प्रक्रिया की शुरुआत 22 फरवरी, 2010 को आयोजित परिषद् की बैठक में की गई है । इसके पश्चात् प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों/ समाचार अभिकरणों के वर्गों के संगमों से दावों को आमंत्रित करते हुए मार्च, 2010 के अंतिम सप्ताह में प्रेस सूचना जारी कर दी गई थी । सूचना के उत्तर में प्राप्त दावों की संवीक्षा करने के प्रयोजनों के लिए परिषद् की एक उपसमिति का गठन किया गया है ।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें

परिषद् प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) में यथा उप वर्णित अपनी कानूनी बाध्यताओं का पालन करती है, जो निम्नलिखित का कथन करता है :-

''इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए, परिषद् अपने ही सदस्यों में से साधारण या विशेष प्रयोजनों के लिए ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित प्रत्येक समिति ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाएं ।''

इस उपबंध के अनुसरण में, परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्वों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए, सौंपे गए कार्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सामान्य और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपने सदस्यों में से ही समितियों का गठन करती है । सामान्यतः सभी समितियां अर्थात् स्थायी समिति और तदर्थ समितियों की अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की जाती है । परिषद् की समितियों पर, विशेष रूप से दो जांच समितियों पर भारी मात्रा में कार्य का बोझ होता है । समीक्षाधीन वर्ष में समितियों की जांच समितियों की संरचना इस प्रकार है

जांच समिति (I)

श्री विष्णु नागर

श्री के. श्रीनिवास रेड्डी

श्री जी. प्रभाकरन

श्री टी. वेंकटरमन रेड्डी

श्री रमेश गुप्ता

श्री मिलन कुमार डे, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री विलास मुत्तेमवर, संसद सदस्य

सुश्री सुमन गुप्ता

श्री एम. के. अजीत कुमार

श्री एस. एन. सिन्हा

श्री कुंदन रमन लाल व्यास

श्री सुशील झलानी

डॉ. सेबेस्टियन पॉल, संसद सदस्य (18 मई, 2009 को लोकसभा के विघटन पर जांच समिति/परिषद् के सदस्य नहीं रहे)

श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी, संसद सदस्य (18 मई, 2009 को लोकसभा के विघटन पर जांच समिति/परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे)

श्री अनंत कुमार, संसद सदस्य

डॉ. के. केशव राव, संसद सदस्य

जांच समिति (II)

श्री उत्तम चंद्र शर्मा

श्री शीतल सिंह

श्री मिहिर गंगोपाध्याय (गांगुली)

श्री कल्यान बरुआ

श्री अनिल जुगल किशोर अग्रवाल

डॉ. ललित मंगोत्रा

श्री विजय कुमार चोपड़ा

श्री योगेश चंद्र हलन

श्री जोगिन्दर चावला

श्री होरमुसजी नुस्सेवांजी कामा

श्री वी. एस. चंद्रशेखर

श्री परांजय गुहा ठाकुरता

श्री एम. ए. खाराबेला स्वेन, संसद सदस्य, (18 मई, 2009 को लोकसभा के विघटन पर जांच समिति/परिषद् का सदस्य नहीं रहे)

श्री यशवंत सिन्हा , संसद सदस्य (18 मई, 2009 को लोकसभा के विघटन पर जांच समिति/परिषद् का सदस्य नहीं रहे)

श्री संजय दीना पाटिल, संसद सदस्य

श्री प्रकाश जावेडकर, संसद सदस्य

दो जांच समितियां, जिनकी अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, परिषद् द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच करके परिषद् के कार्य के बोझ में काफी सहयोग देती है । इन समितियों के समक्ष ऐसी जांच में, जो जनता के सामने है प्रकट है, पक्षकार अपने सुसंगत साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से अपने आधार को साबित करने के तथा अपनी दलीलों के समर्थन में अनुरोध करने के हकदार होते हैं । उनका प्रतिनिधित्व वकीलों द्वारा भी किया जा सकता है । जांच के समाप्त हो जाने पर, समिति शिकायत में अंतर्विष्ट अभिकथनों पर उसके कारणों सहित अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट तैयार करती है और अंतिम निर्णय के लिए परिषद्

को मामले के अभिलेख प्रस्तुत करती है । वित्तीय वर्ष के दौरान, दो जांच समितियों ने 10 बैठकें की थी और आस्थगित मामलों सहित कुल 223 विषयों की सुनवाई की थी और अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए 196 मामलों में अपनी सिफारिशें परिषद् को प्रस्तुत की थी । इसके अतिरिक्त प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14(1) के परंतुक के अधीन 481 मामलों में अपना निर्णय दिया था ।

पूर्ण परिषद् ने प्रेस स्वतंत्रता और उसके मानकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चार बैठकें की थीं । परिषद् के कार्य की मात्रा कई गुणा बढ़ गई है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिन महत्वपूर्ण उप समितियों ने कार्य किया है, वे इस प्रकार हैं -

1. सुश्री एन. पदमजा तत्कालीन प्रवर पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर, खीरी के विरुद्ध श्री समयुद्दीन नीलू, संवाददाता, अमर उजाला, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) की शिकायत पर गठित तथ्यान्वेषी समिति ।

2. श्री कृष्ण कुमार दूबे, मशीन मैन के उत्पीड़न के बारे में पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध श्री रितु कृष्णा श्रीवास्तव, संपादक तमसा संकेत, हिंदी साप्ताहिक, अम्बेडकर नगर की शिकायत पर गठित की गई उप-समिति ।

3. समाचारों को एकत्र करने के लिए लघु और मध्यम समाचार-पत्रों द्वारा झेली गई धमकियों/ समस्याओं के मुद्दों और परिषद् द्वारा विरचित मॉडल प्रत्यायन-विज्ञापन नियमों के न अपनाए जाने के कारण उनके स्थायित्व को प्रभावी करने वाले मुद्दों की समीक्षा करने के लिए गठित की गई उप-समिति ।

   इन उप-समिति के सदस्य श्री वी. के. चोपड़ा ने अपने दिनांक 12.02.2009 द्वारा मॉडल आदर्श नव-मीडिया प्रत्यायन नियमों के लिए मापदंड परिभाषित किए हैं । उन्होंने वास्तविक लघु और मध्यम समाचार-पत्रों की संरक्षा और संवर्द्धन के लिए उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता पर जोर देते हुए नौ-सूत्री सिफारिशों का भी प्रस्ताव किया था ।

4. 15वीं लोकसभा निर्वाचन, 2009 के दौरान मीडिया में उछाले जा रहे धन शक्ति की रिपोर्टों पर आधारित 'पेड न्यूज की प्रवृत्ति' के अभिकथनों का अध्ययन करने के लिए उप-समिति गठित की गई थी ।

5. उस्मानियां विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2010 को प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों पर कथित पुलिस क्रूरता के बारे में तथ्यों का जायजा लेने के लिए गठित मूल्यांकन समिति ।

परिषद् के समक्ष शिकायतें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् में कुल 950 शिकायतें प्रस्तुत की गई थीं । इनमें से 180 शिकायतें प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए सरकार के प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस द्वारा की गई थीं और 170 शिकायतें पत्रकारिता आचारों के उल्लंघन के लिए प्रेस के विरुद्ध निदेशित की गई थीं । गत वर्ष से लंबित 904 मामलों के साथ-साथ परिषद् द्वारा निपटान के लिए कुल 1854 मामले थे । इनमें से, अध्यक्ष की मध्यस्थता द्वारा समझौता के कारण अध्यक्ष द्वारा या तो न्याय-निर्णयन के माध्यम से या तत्काल निपटान के माध्यम से या जांच करने के लिए पर्याप्त कारणों के अभाव या उनके न चलाए जाने के कारण; वापस लेने या मामलों के न्यायाधीन हो जाने के कारण वर्ष के दौरान 681 मामले निपटाये गए थे । इन 681 मामलों में से 4 मामले न्याय-निर्णय के लिए सीधे ही परिषद् के समक्ष रखे गए थे । कुल 1173 मामलों पर वर्ष के अंत में कार्यवाही की जा रही थी । शिकायतों की प्राप्ति और निपटान का एक विस्तृत विवरण अनुबंध-क पर प्रस्तुत है ।

राय

अपनी सलाहकारी हैसियत से परिषद् ने सरकार और अन्य प्राधिकारियों को बहुत से मुद्दों पर अपने विचार उपलब्ध कराए हैं । कुछ महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार हैं :-

1. आतंकवाद से मुकाबला - 8वीं रिपोर्ट - दूसरा एआरसी पर टीका-टिप्पणियां/की गई कार्यवाही टिप्पण की मांग करने वाली सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 24.03.2009 के पत्र - के बारे ।

2. मीडिया कंपनियों द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) प्राइवेट संधियां से निर्देश - के बारे ।

3. प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग और संविधान के अनुच्छेद (2) के अधीन उसे निबाधित करने की आवश्यकता के बारे में याचिका ।

4. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन, 2007 - मीडिया के प्रभाव पर सिफारिश के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई - के बारे में ।

5. सांप्रदायिक दंगों पर जांच आयोगों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अखंडता परिषद् के कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से निर्देश ।

6. लिब्राह्म अध्योध्या जांच आयोग की रिपोर्ट - उस पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन सूचना और प्रसारण मंत्रालय से निर्देश ।

7. परफेती वेन मेली इंडिया प्रा. लि. द्वारा फाइल की गई अपील सं. 698/03 में केरल उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग वझुथाकौड, तिरुअनंतपुरम का निर्णय ।

प्रेस परिषद् द्वारा निम्नलिखित मामलों में मीडिया व्यक्तियों के विरुद्ध उल्लंघन की घटनाओं और प्रेस स्वतंत्रता के लिए धमकियों की घटनाओं का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई थी :

1. समाचार संपादक, दिनामालार की गिफ्तारी

परिषद् ने 9 अक्तूबर, 2009 को दिनामालार में अभिकथित रूप से मान-हानि कारक समाचार रिपोर्टों के आधार पर श्री बी. लैनिन, समाचार संपादक दिनामालार, तमिलनाडु की गिरफ्तारी पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया था । यह रिपोर्ट किया गया है कि दिनामालार ने वेश्यावृत्ति अड्डे को चलाने के अभियोग पर अभिनेता की गिरफ्तारी के पश्चात् फिल्म स्टार पर एक रिपोर्ट भी कार्यान्वित की थी ।

परिषद् ने घटना की ओर माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु का ध्यान आकर्षित किया । संपादक दिनामालार, मुख्य सचिव, तमिनाडु सरकार, सचिव गृह (पुलिस) तमिलनाडु सरकारी विभाग से भी टिप्पणियां मांगी गई है । माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु ने परिषद् को इस विषय पर रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराते समय मीडिया व्यक्तियों को पूर्ण संरक्षण और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया । मामले पर कार्रवाइ की जा रही है ।

2. कर्नाटक से प्रकाशित समाचार-पत्र कन्नड़ प्रभा और जय किरण कन्नड़ दैनिक समाचार-पत्र के कार्यालयों पर हमला ।

परिषद् ने कुछ प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में कतिपय नई रिपोर्ट के आधार पर 'कन्नड़ प्रभा' और 'जय किरण' समाचार-पत्रों के कार्यालयों पर हमले का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जिसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि उक्त कन्नड़ दैनिक समाचार ने एक ऐसा अनुचित प्रकाशन किया था जो मुस्लिम महिला द्वारा पहनने वाली 'बुरका' पर बंगलादेशी लेखक तस्लीमा नसरीन द्वारा निबंध का अनुवाद था ।

रिपोर्ट के अनुसार, लेखक ने 'बुरका' पर पैगम्बर मुहम्मद के विचारों पर टिप्पणी की है । उक्त लेख ने हसैन पर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के गृह निवास, शिमोगा पर हमले को भड़काया था और जिसका परिणाम मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध और उसके पश्चात् दंगे भी थे, जिससे दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ।

तथापि, उन्हीं समाचार रिपोर्टों में भी यह भी सूचित किया गया था कि सुश्री तस्लीमा नसरीन ने अफसोस किया है कि उसने किसी कन्नड़ दैनिक समाचार के लिए कोई लेख कभी नहीं लिखा था और ये टिप्पणियां उसके चरित्र और लेखों को धूमिल करने के लिए ही थीं ।

परिषद् ने पत्र दिनांक 9.3.2010 द्वारा राज्य सरकार और समाचार-पत्र से रिपोर्ट मांगी है । मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

परिषद् द्वारा अंगीकृत रिपोर्टें

परिषद् उन अध्ययनों और महत्वपूर्ण मामलों पर रिपोर्टों के साथ आई है जिनका संबंध प्रेस की स्वतंत्रता के परिरक्षण और उसके मानकों के अनुरक्षण से है । ये रिपोर्टें निम्नलिखित हैं :

1. 9 जून, 2009 को भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अंगीकृत बटला हाऊस मुठभेड़ के मीडिया कवरेज पर रिपोर्ट ।

2. दिनांक 20 फरवरी, 2010 को परिषद् द्वारा अंगीकृत सुश्री एन. पदमजा तत्कालीन प्रवर पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर, खीरी के विरुद्ध श्री समयुद्दीन नीलू, संवाददाता, अमर उजाला, लखीमपुर खीरी स्थित स्टाफ संवाद्दाता की शिकायत पर तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट ।

3. दिनांक 31.03.2010 को भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अंगीकृत उस्मानियां विश्वविद्यालय, हैदराबाद में प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों पर पुलिस क्रूरता के अभियोगों पर मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट ।

सेमिनार और कार्यशालाएं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने विभिन्न सेमिनारों/सम्मलनों/अधिवेषणों के माध्यम से मीडिया विषयों पर वाद-विवाद को प्रोत्साहन दिया है ।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह, 2009

इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह **''भारतीय मीडिया का बदलता हुआ स्वरूप''** पर केंद्रित था । विषय राष्ट्रीय विषय होने के कारण, इस वर्ष हैदराबाद में मनाया गया था और समारोह का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री डॉ. के. रोसय्या द्वारा किया गया था । इस अवसर को सुशोभित करने के लिए, इस विषय पर मूल्यवान वस्तु वाला स्मृति चिह्न माननीय सूचना, जनसंपर्क और पयर्टन मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, डॉ. जे. गीता रेड्डी, जो इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थे, द्वारा जारी किया गया था । राज्यों ने इस दिवस को इस विषय से संबंधित विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श करके भी मनाया और समाचार-पत्रों ने अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के प्रति दिवस को भी समर्पित किया ।

विश्व प्रेस निकायों के साथ विचार-विमर्श

परिषद् प्रेस की स्वतंत्रता के परिरक्षण और उसके मानकों के संवर्द्धन तथा विश्वव्यापी नैतिकता के लिए सक्रिय प्रोत्साहन हेतु विश्व के विभिन्न भागों में प्रेस/मीडिया परिषद्ों तथा सदृश निकायों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करती है । इन प्रयासों के भाग के रूप में परिषद् के अध्यक्ष ने साधारण निकाय बैठक और प्रेस परिषद्ों के विश्व संगम की कार्यकारी बैठक, में भाग लिया, जो प्रेस परिषद्ों और टर्की में इस्ताम्बुल में 9 जुलाई, 2009 को स्वतंत्र भाषण और उत्तरदायी प्रेस की स्वतंत्रता के हेतुक पर जोड़ देने के लिए प्रतिबद्ध विश्व के विभिन्न भागों में सदृश निकाय का परिपूर्ण संगठन है, जिसमें उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किया गया था । यह दूसरा अवसर है जब इस प्रतिष्ठित निकाय की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है । पूर्व में श्री न्यायमूर्ति पी. बी. सावन्त, भूतपूर्व अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद्, ने 1997-2001 के बीच उसके अध्यक्ष के रूप में निकाय की अध्यक्षता की थी । श्री न्यायमूर्ति जी.एन. रॉय को भी ग्रीक प्रेस में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था । ग्रीक के पत्रकार संघ के साथ चली लंबी और फलदायक बातचीत से भारतीय प्रेस परिषद् और संबंधित देशों के मीडिया परिदृश्य के अतिरिक्त पत्रकार संघ के कार्यकरण को समझने में सहायता मिली थी ।

माननीय अध्यक्ष ने अपनी हैसियत से डब्ल्यूएपीसी के अध्यक्ष के रूप में भी 26-28 मार्च, 2010 को उत्तरी साइप्रेस के तुर्की गणराज्य में उत्तरी साइप्रेस प्रेस परिषद् द्वारा आयोजित डब्ल्यूएपीसी बैठक में भाग लिया था ।

पत्रकारिता संबंधी आचरण के मापदंडों को अद्यतन करना

प्रिंट मीडिया द्वारा पालन किए जाने के लिए ''पत्रकारिता आचरण के मापदंडों'' के वर्ष 2005 के संस्करण को अद्यतन कर दिया गया है और अगला संस्करण अर्थात् वर्ष 2010 का संस्करण मुद्रित किया जा रहा है और शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा ।

वेबसाइट को अद्यतन किया जाना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् की वेबसाइट को निम्नलिखित सामग्री के साथ अद्यतन किया गया था :

1. परिषद् के अपलोड किए गए प्रकाशन अर्थात् (त्रैमासिक समीक्षा), पी.सी.आई. समीक्षा, प्रेस परिषद् समीक्षा, 2008-09 के लिए परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी और अंग्रेजी) न्यायनिर्णयन 2008-09 का सार-संग्रह हिंदी और अंग्रेजी, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2009 के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका, पत्रकारिता संबंधी आचरण, 2010 ।

2. इस अवधि के दौरान जारी गई प्रेस विज्ञप्ति ।

3. सूचना पुस्तिका 1.0 के लिए सांचे को अद्यतन किया जाना ।

इसके अतिरिक्त बेवसाइट में इस अवधि के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए भाषण को भी सम्मिलित किया गया था । इसके अतिरिक्त आम जनता के फायदे के लिए परिषद् से संबंधित जानकारी को भी अपलोड किया गया था ।

प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8(ग) भारतीय प्रेस परिषद् को धारा 6 के अधीन घोषणा के गैर-अधिप्रमाणन के मजिस्ट्रेट संबंधी आदेशों और उक्त अधिनियम की धारा 8(ख) के अधीन उसके पश्चात्वर्ती रद्दकरण पर अपीली अधिकारिता को सौंपती है । बोर्ड अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्देशित किए जाने वाले किसी अन्य सदस्य से मिलकर बनेगा । वर्ष के दौरान श्री रमेश गुप्ता ने बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया था ।

समीक्षाणीन अधीन अवधि के प्रारंभ में 12 अपीलें बोर्ड के समक्ष लंबित थीं और 9 और अपीलें की गई थीं । बोर्ड ने वर्ष के दौरान दो बैठकें की थीं । इन 21 अपीलों में से 10 अपीलों का निपटान किया गया था । 11 अपीलें, अपील बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए लंबित हैं ।

सदस्यता में परिवर्तन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार ने अपने दिनांक 9.10.2009 की राजपत्र अधिसूचना (अनुबंध-ख) के जरिए तीन लोकसभा संसद सदस्यों अर्थात् श्री अनंत कुमार, विलासमुत्तेम्बर और संजय दिना पाटिल के नामांकन को, डॉ. सेबेस्टियन पॉल श्री भरत सिंह माधव सिंह सोलंकी और श्री एम.ए. खराबेला स्वेन, जो 14वीं लोकसभा के विघटन पर परिषद् के सदस्य नहीं रह गए थे, की रिक्तियों के स्थान पर, परिषद् के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया था ।

श्री प्रकाश जावेडकर, संसद सदस्य, राज्यसभा का नामांकन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 15.11.2009 को राजपत्र अधिसूचना (उपबंध-ग) द्वारा श्री यशवंत सिन्हा, जो 15वीं लोकसभा के निर्वाचन पर परिषद् के सदस्य नहीं रह गए है, की रिक्ति के स्थान पर परिषद् के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था ।

हिंदी दिवस, 2009

हिंदी में परिषद् की गृह पत्रिका अर्थात् ''प्रेस परिषद् समीक्षा'' को वर्ष 2008-09 के लिए गृह पत्रिका श्रेणी में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा द्वितीय पुरस्कार के लिए चयनित

किया गया था और भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा ''हिंदी दिवस'' पर पुरस्कृत किया गया । (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पहले ही वर्ष 2007-08 के लिए ''सर्वश्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार योजना'' श्रेणी के अंतर्गत 'प्रेस परिषद् समीक्षा' के लिए द्वितीय पुरस्कार घोषित किया जा चुका है । (iii) क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय ने भी वर्ष 2008-09 के लिए हिंदी में भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली को उसके उत्कृष्ट कार्य संपादन के लिए द्वितीय पुरस्कार के लिए चयन किया है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा से संबंधित त्रैमासिक कार्यशाला इसके कर्मचारियों के फायदे के लिए आयोजित की गई थी ।

हिंदी के प्रयोग पर बल देने के लिए, दिनांक 14.09.2009 से 28.09.2009 तक परिषद् के सचिवालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया था । इस अवसर पर ''हिंदी हम सब की'' विषय पर 16.09.2009 को वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई । परिषद् के कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार और कार्यालय व्यवसाय और पद्धति में हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने में उनकी भागीदारी/योगदान के लिए हिंदी प्रशिक्षण भी दिया गया था।

सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

भारतीय प्रेस परिषद् का सचिव कार्यालय का मुख्य सतर्कता अधिकार होता है । उप-सचिव और अनुभाग अधिकारी (प्रशा.) से मिलकर बना परिषद् का सतर्कता तंत्र परिषद् के सचिव और अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है । इस संत्र ने सचिवालय में भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए/उनका मुकाबला करने के लिए नियमित औचक निरीक्षण किए थे।

शिकायत समाधान तंत्र

शिकायत समाधान तंत्र के आंतरिक और बाह्यीय स्तर पर कार्यरत है जिसमें भारतीय प्रेस परिषद् के सचिव शिकायत निदेशक हैं । ऐसी साधारण व्यथित जनता जो अपनी व्यवथाओं के संबंध में शिकायत निदेशक से मिलने के लिए इच्छुक होते हैं, कार्यालय में 4.00 और 5.00 बजे अपराह्न के बीच किसी को मिल सकता है । स्टाफ संबंधी शिकायतों पर परिषद् का 'स्टाफ शिकायत अधिकारी', जो उप-सचिव हैं, द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

नागरिक चार्टर

संगठन के सभी आवयक ब्योरों वाला परिषद् का नागरिक चार्टर परिषद् के पुस्तकालय में पुस्तिका के रूप में उपलब्ध है और उसे परिषद् की शासकीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारत की संसद के पुस्तकालय में भी चार्टर उपलब्ध कराया गया है । परिषद् द्वारा समय पर पुनरीक्षण/ आंतरिक तथा वाह्य मूल्यांकन किया जाता है ताकि नागरिकों/ग्राहकों में संतुष्टि के स्तर का फीड बैक लिया जा सके ।

श्रद्धांजलि

परिषद् ने न्यायमूर्ति ए.एन. सेन, भूतपूर्व अध्यक्ष के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया । उनका 3 जनवरी, 2010 को स्वर्गवास हो गया था । वे भारतीय न्यायिक प्रणाली के एक पथ प्रदर्शक थे और जिन्होंने दुर्गामी महत्व के अनेक निर्णय लिए थे । प्रेस परिषद् के अध्यक्ष पद पर नामित किए जाने पर उन्होंने ही शिकायतकर्ताओं के द्वार पर न्याय प्रदान करके परिषद् के कार्यो के बारे में जागरूकता पैदा की थी । इससे अपनी व्यवस्थाओं के समाधान के लिए न्यायालय के स्थान पर त्वरित और सस्ते न्याय के लिए परिषद् में आने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई । भारतीय प्रेस परिषद् के इतिहास में उनका वह ऐतिहासिक निर्णय अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने जांच समिति को बंद कमरे में होने वाली कार्यवाही को प्रेस और जनता के सामने करने का निर्णय लिया था । उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए परिषद् ने दिवंगत आत्मा की याद में प्रस्ताव पारित किया ।

परिषद् ने अपने तीन सदस्यों अर्थात् (i) श्री जमुना दास अख्तर, (1988-1991) जिनका निधन 1 सितंबर, 2009 को हुआ था (ii) श्री नरेश चंद्र राजखोवा (1998-1991) जिनका निधन 23 नवंबर, 2009 को हुआ था और (iii) श्री रामू पाटिल, (1985-1988 और 1991-1994) जिनका निधन 25 जनवरी, 2010 को हुआ था के निधन पर भी शोक व्यक्त किया।

उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिषद् ने प्रेस परिषद् को उनके बहुमूल्य योगदान तथा राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित और निःस्वार्थ सेवा का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव पारित किया ।

परिषद् ने हिंदी दैनिक समाचार जनसत्ता के संस्थापक संपादक श्री प्रभाष जोशी के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया । वे अनुभवी मीडियाकर्मी थे । उनका 5 नवंबर, 2009 को स्वर्गवास हो गया था । दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित करते हुए परिषद् ने 2 मिनट का मौन धारण किया और अपने लेखों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति उनकी निःस्वार्थ सेवा का उल्लेख करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया ।

मामले, जिन पर परिषद् द्वारा विचार किया गया

श्री कुंदन रमणलाल वैश्य, मुंबई बनाम नीतिन बी. शाह, थाणे के बीच मान-हानि के मामले में अपराधिक अपील सं. 14/2004 पर दिनांक 15.11.2008 का न्यायनिर्णय

परिषद ने प्रकाशन के लिए सामग्री के चयन में संपादक से भिन्न किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्व पर सेशन न्यायालय के न्यायनिर्णय को नोट किया और यह याद किया कि वर्ष 1994 में देश के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष संपादक के विरुद्ध प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 7 के अधीन उसके दायित्व को नियत करते हुए दायर किए जा

रहे मुकदमों और प्रत्येक ऐसे स्थान पर उनकी उपस्थिति से संबंधित विषयों पर विचार किया था । परिषद् ने यह महसूस किया कि कई बार दबाव के रूप में मुकदमे दायर किए गए थे, अतः ऐसे मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 में सशोधन करके कार्रवाई की जा सकती है । परिषद् के इस प्रस्ताव पर केंद्रीय सरकार का समर्थन नहीं मिला । चिंता का दूसरा मुद्दा प्रकाशन के संबंध में संपादक से भिन्न अन्य व्यक्तियों का दायित्व था ।

परिषद् ने इस मुद्दे पर श्री आर.के. वैश्य, मुंबई बनाम श्री नीतिन बी. शाहा के बीच मान-हानि मामले में आपराधिक अपील सं. 14/2004 के अपर सत्र न्यायाधीश कल्याण के न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2008 को दिए गए निर्णय का उल्लेख किया और यह अभिनिर्धारित किया कि श्री के.आर. व्यास, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 7 की भावना के अनुसार, दिनांक 8.4.2000 के समाचार के चयन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार नहीं था, इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

राज्यों में प्रेस परिषद् की शाखाओं की स्थापना - प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए परिषद् के सुझाव, चेन्नै

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों में प्रेस परिषद् की शाखाओं की स्थापना करने के प्रस्ताव के संबंध में श्री के. नगाईभुगन, समन्वयक प्रेस स्वतंत्रता संरक्षण केंद्र, चेन्नै के दिनांक 21.08.2008 के अभ्यावेदन पर परिषद् की टिप्पणियां मांगी हैं ।

परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव को एकदम नामंजूर करते हुए, 20-21 मार्च, 1991* के हुई बैठक में लिए गए पूर्व निर्णय को याद किया, जिसमें निम्नलिखित आधारों पर समाचार-पत्रों की संख्या में त्वरित वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान करने के लिए राज्यस्तरीय प्रेस परिषद् की स्थापना का सुझाव दिया गया था ।

''समाचार-पत्र, पुस्तिकाएं और मुद्रणालय, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 39 में समाविष्ट विषय हैं (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III) । प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 एक ऐसा कानून है, जो संविधान के अनुच्छेद 246(2) के साथ पठित इस प्रविष्टि के संदर्भ में संसद को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, बनाया गया है । यह प्रेस परिषद् नामक संस्थान को राष्ट्रीय स्तर और संपूर्ण भारत में क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और अधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि परिषद् के निर्णय अंतिम होंगे और किसी न्यायालय में उन पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा । संविधान के अनुच्छेद 254 में यह सिद्धांत दिया गया है कि यदि संसद समवर्ती सूची के मामले से संबंधित किसी विधि को अधिनियमित करती है तो राज्य विधानमंडल का वह क्षेत्राधिकार निष्प्रभावी हो जाएगा, जो केंद्रीय विधि से असंगत या उसके प्रतिकूल हो ।

---

* परिषद् की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट (1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1991 तक) पृष्ठ 25-26.

यदि राज्य स्तरीय प्रेस परिषदें विभिन्न राज्यों में स्थापित की जाती है तो सांविधिक और वित्तीय प्रभावों के अलावा वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जहां एक समान प्रश्न या सिद्धांत या तथ्य से संबंधित शिकायतों पर विभिन्न परिषदों द्वारा टकराव पैदा करने वाले निर्णय दिए जाएं । इसका परिणाम भ्रम और सम्भ्रम होगा जिससे प्रेस परिषद् नामक संस्था की बदनामी और उपहासजनक स्थिति हो जाएगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कारण बताया गया कि ''समाचार-पत्रों की संख्या में त्वरित वृद्धि हुई है और केवल उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक और मासिक समाचार-पत्र/पत्रिकाएं हैं'' और ''भारतीय प्रेस परिषद् के समक्ष शिकायतों की संख्या बहुत अधिक है तथा उनके न्याय-निर्णय में विलंब स्वाभाविक है ।'' यह सच है कि परिषद् के समक्ष आने वाली शिकायतों की संख्या वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ रही है । कई मामलों में विलंब हो जाता है क्योंकि शिकायतकर्ता शिकायतें करने के लिए उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं । शिकायतकर्ता को पत्र और अनुस्मारक निष्कर्ष से यह अनुरोध करते हुए भेजने होते हैं कि वे कार्रवाई किए जाने से पूर्व प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन करे । प्रायः शिकायतकर्ता स्वयं ही प्रक्रिया का अनुपालन करने में विलंब करते हैं । विलंब के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि शिकायतकर्ता और/या प्रतिवादी प्रेस परिषद् की जांच समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुसूचित मामलों के स्थगन के लिए अनुरोध करते हैं । फिर भी बड़ी संख्या में निर्णय शीघ्र और युक्तियुक्त समय के भीतर दिए जाते हैं । निर्णय देने में परिषद् द्वारा लिया गया समय न्यायालय द्वारा लिए गए समय से बहुत कम होता है । किसी भी स्थिति में भारतीय प्रेस परिषद् की स्टाफ संख्या और अन्य संस्थानों में बढ़ते हुए कार्य के बोझ का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए वृद्धि की जा सकती है । उत्तर प्रदेश सरकार या उस मामले के लिए, अन्य राज्य सरकारों को भारतीय प्रेस परिषद् को उपयुक्त मामलों में शिकायतों की किसी भी संख्या में भेजने में संकोच नहीं करना चाहिए । यदि वे परिषद् से प्राप्त सूचनाओं का शीघ्रता से उत्तर नहीं देते हैं तो उन्हें पूरा विश्वास होना चाहिए कि परिषद् समय की युक्तियुक्त अवधि के भीतर उन शिकायतों में अधिनिर्णय देगी । परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि पहले लिए गए निर्णय से विचलन के लिए कोई नये आधार नहीं दिए गए हैं ।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 16 का संशोधन

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में संशोधन के मामले पर समय-समय पर हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विचार किया गया । इस मुद्दे की पृष्ठभूमि, परिषद् की पूर्व रिपोर्टों में देखी जा सकती है ।

परिषद् ने यह नोट किया है कि कानूनी दायित्वों के निर्वहन में और स्वतंत्रता और स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने परिषद् को अपनी निधि से अपना कार्य करने का प्रावधान किया है । इसमें प्रिंट मीडिया पर लगाई जाने वाली फीस और केंद्रीय सरकार से प्राप्त

अनुदान शामिल है । परिषद् ने यह महसूस किया है कि जब वह अपने कार्यों के एक एजेंसी पर कानूनी फीस लगाती है तो दूसरी एजेंसी अर्थात् केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्राधिकारियों को प्रदान की गई सेवा पर कोई फीस नहीं लगाई जाती है ।

यह भी नोट किया गया है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने सभी स्वायत्त कानूनी निकायों को सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम करने के लिए राजस्वों के वैकल्पिक साधनों को प्राप्त करने की सलाह दी है । आगे यह भी नोट किया गया है कि प्रेस परिषद् के अंतरराष्ट्रीय मंच पर सामान्यतः स्वैच्छिक प्रेस परिषदों के हितों का यह समर्थन करते हुए पक्ष लिया है और उसे अग्रसर किया है कि निधियों के लिए सरकार की दया पर निर्भर कोई संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं होगा । तथापि, ऐसी निकायों को वित्तपोषित करने वाले समाचार-पत्रों के साथ कार्य करने वाले दबाव समूह को देखते हुए, प्रेस परिषद् ने देश से प्रकाशित सभी समाचार-पत्रों पर अनिवार्य अधिकारिता को प्रवृत्त करने के लिए कानूनी प्राधिकार के साथ स्व-विनियामक निकाय के भारतीय मॉडल की सफलता पर जोर दिया था।

परिषद् ने, सही तरीके से अपने राजस्व को एकत्र करने और अपनी स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 16 में निम्नलिखित प्रस्तावित परिवर्धनों के संबंध में निर्णय किया है :

प्रस्तावित परिवर्धन	**औचित्य**
16(3) इसके अतिरिक्त परिषद् केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों पर भी फीस लगा सकेगी, जो पूर्ववर्ती वर्ष में प्रिंट मीडिया को जारी किए गए विज्ञापन के लिए बजटीय आवंटन के एक प्रतिशत की दर पर होगी ।	भारतीय प्रेस परिषद् अपने कानूनी दायित्वों के निर्वहन में प्रिंट मीडिया और सरकार के प्राधिकारियों के संबंध में अपनी अधिनिर्णय और राय देती है । परिषद् की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने परिषद् के लिए यह प्रावधान किया था कि वह अपनी निधियों से कार्य करे । प्रिंट मीडिया पर लगाई गई फीस और केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल है ।
(4) ऐसी सभी फीस केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के सूचना निदेशालय द्वारा परिषद् को अदा की जाएगी, जो वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किए गए लेखाओं में परिलक्षित विज्ञापन बजट पर आधारित होगी और इसकी अदायगी छह माह के भीतर की जाएगी ।	यह महसूस किया गया है कि जब परिषद् अपने किसी दायित्व के लिए एक एजेंसी पर कानूनी फीस लेती है तो दूसरी एजेंसी से अर्थात् केंद्रीय/राज्य सरकारों के प्राधिकारियों पर किसी भी रीति में नहीं किया जाए । परिषद् ने यह नोट किया है कि कानूनी दायित्वों के निर्वहन में और स्वतंत्रता और

	स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने परिषद् को अपनी निधि से अपना कार्य करने का प्रावधान किया है । इसमें प्रिंट मीडिया पर लगाई जाने वाली फीस और केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल है । परिषद् ने यह महसूस किया है कि जब वह अपने कार्यों के एक एजेंसी पर कानूनी फीस लगाती है तो दूसरी एजेंसी अर्थात् केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्राधिकारियों को प्रदान की गई सेवा पर कोई फीस नहीं लगाई जाती है । यह भी नोट किया गया है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने सभी स्वायत्त कानूनी निकायों को सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम करने के लिए राजस्वों के वैकल्पिक साधनों को प्राप्त करने की सलाह दी है । आगे यह भी नोट किया गया है कि प्रेस परिषद् के अंतरराष्ट्रीय मंच पर सामान्यतः स्वैच्छिक प्रेस परिषदों के हितों का यह समर्थन करते हुए पक्ष लिया है और उसे अग्रसर किया है कि निधियों के लिए सरकार की दया पर निर्भर कोई संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं होगा । भारतीय प्रेस परिषद् ने अपने स्वतंत्र स्वायत्त कार्यों का उल्लेख करते हुए इस कथन का विरोध किया है । लेकिन यदि प्रेस परिषद् अपने क्षेत्राधिकार के अधीन रहते हुए इन दोनों एजेंसियों पर समान रूप से शुल्क लगाती है तो ऐसा प्रस्ताव यह सुनिश्चित करेगा कि परिषद् केवल राजस्व के अपने स्रोतों में ही वृद्धि नहीं करेगी अपितु अंतरराष्ट्रीय स्वविनियामक निकायों को भी यह संदेश देगी कि प्रेस में स्व-विनियमों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वायत्त प्राधिकार वाली कानूनी स्थिति के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बैठाना संभव होगा ।

निर्वाचनों का प्रेस कवरेज : पेड न्यूज की प्रवृत्ति

प्रेस परिषद् ने दिनांक 9.6.2009 को हुई अपनी बैठक में उम्मीदवारों से संबंधित कवरेज के लिए इस वर्ष अप्रैल/मई में आयोजित लोकसभा के चुनावों के दौरान मीडिया द्वारा लिए गए/प्राप्त किए गए तथाकथित अदायगी के संदर्भ में उसको भेजे गए विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार किया था । ये अभ्यावेदन स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी, कुलदीप नैय्यर, बी.जी. वर्गिस, अजित भटाचार्जी और श्री अचुतानंद मिश्रा, तत्कालीन उप-कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पत्रकार समूह से प्राप्त हुए थे । परिषद् ने पेड न्यूज की इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो प्रेस के दायित्वों पर और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करके भारतीय लोकतंत्र के लिए दोहरा जोखिम पैदा कर सकती है ।

सदस्यों ने विस्तार से मामले पर बहस की और यह नोट किया कि जन-उपयोगिता सेवा के रूप में प्रेस, सूचना के अपने अधिकार का प्रयोग करती है क्योंकि जनता को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है । इस प्रकार प्रेस लोक विश्वास का आधार है इसलिए उसे समाचारों में सही और सच्ची जानकारी देनी चाहिए । यह उन लेखों और संपादकीय के माध्यम से दी गई राय से भिन्न थी, जिसका लेखक ने स्पष्ट रूप से दावा किया था और अपनी स्वयं की राय के रूप में प्रस्तुत किया था । इस प्रकार जनता के सूचना के अधिकार की संरक्षा करना अंतत आवश्यक है ताकि चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों को चुनते समय भ्रमित न हो ।

परिषद् ने यह महसूस किया है कि संसद द्वारा परिषद् को दिए गए आदेश के अनुसरण में इस कानूनी प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह मीडिया में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए अध्ययन और बहसों के माध्यम से सभी अपनी आयामों में विषय की समीक्षा करे और अगली निर्वाचन प्रक्रिया से पहले एहतियाती उपायों के लिए उचित सिफारिशें करें । इस मुद्दे पर चर्चा पत्र तैयार करने का निर्णय करते हुए श्री परांजय गुहा ठाकुरता और श्रीनिवाश रेड्डी वाली उप समिति मुद्दे पर विचार करने के लिए और भारत के निर्वाचन आयोग सहित स्टेकहोल्डरों से साक्ष्य/कथन एकत्रित करने के लिए स्थापित की गई थी ।

इस मामले पर परिषद् द्वारा अपनी 31 मार्च, 2010 की हुई बैठक में और चर्चा की गई थी । परिषद् ने यह निर्णय लिया था कि सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, सारांश पुनः तैयार किया जाए और इस बीच अध्यक्ष महोदय ने इस मुद्दे पर कुछ और महत्वपूर्ण संसद सदस्यों से चर्चा करें ।

मणिपुर में पत्रकारों पर हमला

श्री कल्याण बरूआ, सदस्य ने परिषद् का ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मणिपुर में मीडियाकर्मियों पर बढ़ते हुए हमलों की ओर दिलाया । उन्होंने जोर देकर कहा कि जब मीडिया

को उग्रवादियों से उनकी दिक्कतों को प्रकाशित करने के लिए धमकियां मिली वहीं वे ऐसे कवरेज के लिए प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का सामना भी करते हैं । जब परिषद् ने पूर्वोत्तर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे पर चिंता अभिव्यक्त की तो माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों को यह जानकारी दी कि जब कभी ऐसी कोई घटना ध्यान में आती है, तो प्रेस परिषद् (जांच की प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 13 के अधीन उसका स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेता है । उसने इस मुद्दे पर मार्ग-दर्शी सिद्धांत भी तय किए हैं । परिषद् ने यह निर्णय किया है कि मणिपुर राज्य में उग्रवादियों/आतंकवादियों के हैंड आउट के कवरेज पर मार्ग-दर्शी सिद्धांत मीडिया को पुनः जारी किए जाएं ।

श्री वाई.सी. हलन, सदस्य ने मीडिया व्यक्तियों पर हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और यह इच्छा व्यक्त की, कि गत 10 वर्षों के दौरान पत्रकारों/मीडिया व्यक्तियों पर हमले के संबंध में एक अध्ययन किया जाए ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके । अध्यक्ष ने श्री हलन से अनुरोध किया कि वे अध्ययन करने के लिए मार्ग-दर्शी सिद्धांत सुझाएं । इस मामले पर परिषद् द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सूचना और सिनेमा मंत्रालय सिमकॉन XXVII का 27वां सम्मेलन

भारतीय प्रेस परिषद् की सचिव ने नई दिल्ली में 5 सितंबर, 2009 को हुए 27वें सिमकॉन सम्मेलन में परिषद् का प्रतिनिधित्व किया । माननीय अध्यक्ष का भाषण पढ़ा गया था जिसमें भारत की मीडिया परिदृश्य की गई और उसकी अधिकारिता के अधीन इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को लाकर तथा मीडिया शक्ति आदि के मानकीकरण के लिए उपाय करके परिषद् की सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

गुजरात राज्य विधानसभा उप-निर्वाचन, 2009 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए (i) दिव्या भास्कर और (ii) टाइम्स ऑफ इंडिया के विरुद्ध उप-निर्वाचन अधिकारी गुजरात राज्य की शिकायतें

परिषद् ने गुजरात राज्य विधानसभा उप-निर्वाचन, 2009 के दौरान विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन करके दिव्या भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया के विरुद्ध उप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुजरात राज्य की दिनांक 28.08.2009 की शिकायत पर विचार किया । आदर्श आचार संहिता क्या न करें (i) के बारे में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 7.01.2007 को दिए गए अनुदेशों के अनुसार, इस संबंध में दिए गए निदेश इस प्रकार हैं :

"सत्तारूढ़ दल/सरकार की उपलब्धियों के बारे में जारी किए जाने वाले किसी और सभी विज्ञापन पर सरकारी खजाने से खर्च न किया जाए ।"

परिषद् ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पालन के लिए प्रेस को निम्नलिखित मार्ग-दर्शी सिद्धांत भी तय किए थे :

"सत्तारूढ़ दल/ सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खजाने से खर्च पर जारी किए जाने वाले किसी विज्ञापन को प्रेस स्वीकार नहीं करेगी और उसे प्रकाशित नहीं करेगी ।"

परिषद् के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा किए जाने पर परिषद् ने यह देखा है कि वर्तमान मामले में निर्वाचन संबंधी सूची कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों तक सीमित थीं । अतः यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी थी कि विज्ञापन उन निर्वाचन क्षेत्रों में जारी नहीं किए गए थे जहां चुनाव हो रहे थे हालांकि अन्यथा वहां जारी किए जा सकते थे । अतः यह राय दी कि प्रेस से तथा प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक सावधानी से संवीक्षा करे । लेकिन यह महसूस किया गया है कि इस मामले में लागू मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के अधीन समाचार-पत्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी ।

सिविल रिट सं. 6592/2007- ऑल इंडिया स्मॉल एंड मिडियम न्यूजपेपर्स (एआईएसएमएनएफ) फेडरेशन दिल्ली बनाम भारतीय प्रेस परिषद् और अन्य

परिषद् के काउंसेल ने निवेदन किया कि वर्तमान रिट याचिका इस आधार पर निष्प्रभावी हो गई थी कि राजपत्र में 7 जनवरी, 2008 को प्रकाशित अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई थी जिसे पूर्ण परिषद् ने अधिसूचित किया था । यह भी निवेदन किया जाता है कि माननीय न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका में मांग की गई उसी राहत की मांग करने वाले एक अन्य संगठन अर्थात् भारतीय श्रमजीवी पत्रकार परिसंघ द्वारा 13 फरवरी, 2009 को दायर की गई रिट याचिका का पहले ही निपटान कर दिया था ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद रिट याचिका का निपटान कर दिया ।

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के प्रस्तावित संशोधनों के बारे में श्री उत्तम चंद्र शर्मा, सदस्य भारतीय प्रेस परिषद् से प्राप्त दिनांक 10.3.2010 का पत्र

श्री उत्तम चंद्र शर्मा, सदस्य भारतीय प्रेस परिषद् और प्रधान संपादक मुजफ्फरनगर बुलेटिन, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) ने अपने दिनांक 10.03.2010 के पत्र के साथ आईएनएस के दिनांक 22.02.2010 के पत्र और आरएनआई के दिनांक 18.02.2010 के अर्ध-सरकारी पत्र प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति भेजी है । श्री शर्मा ने निवेदन किया है कि प्रस्तावित संशोधन भारत के संविधान में लोगों को प्रदत्त अधिकार के प्रति गंभीर है । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्रेस की स्वतंत्रता के हित में इस पर तुरंत विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में परिषद् के समक्ष रख दिया जाएगा ।

भारत में प्रेस की स्थिति

देश में मीडिया उद्योग के लिए वर्ष 2009 हंगामेदार रहा । भारतीय अर्थव्यवस्था भी वैश्विक मंदी की मार से न बच सकी । भारत में इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया पर मंदी की आंच झेली है । यद्यपि उद्योग इस दबाव में अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रबंध कर रहा है, लेकिन आगामी वर्षों में तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी । इंडियन इंटरटेनमेंट मीडिया आउटलुक, 2009 पर प्राइस वाटर हाऊस कापर की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009-13 की अवधि के दौरान, भारतीय प्रिंट मीडिया में 5-6% तक की वृद्धि होने की आशा है । प्रिंट मीडिया वृद्धि दर जो वर्ष 2008 में 7.5% तक गिर गई थी, 2009 में 4.1 तक और गिर गई । प्रकाशित होने वाली समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के सापेक्ष हिस्से में बड़ा परिवर्तन की आशा नहीं है और समाचार-पत्र प्रकाशित करने के पक्ष में लगभग 87% पर वैसी ही बने रहने की आशा है।

वर्ष 2009 में समाचार-पत्रों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा इस बात के प्रमाण उनके पाठकगण हैं । 2009 में भारतीय पाठकगण संख्या सर्वेक्षण के अनुसार, आर-2 में सम्मिलित सभी अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के कुल पाठकगणों की संख्या 35.6 करोड़ है, जो गत वर्ष से 4.3% अधिक है । दैनिक जागरण के भारतीय पाठकगण संख्या सर्वेक्षण राउंड-2 के अनुसार हिंदी दैनिक देश का नंबर 1 प्रकाशन रहा जिसके बाद दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक दोनों रहे, दोनों में ही बहुविध संस्करण होते हैं जबकि हिंदुस्तान, हिंदी दैनिक अपने पाठकगणों की संख्या में लगातार बढ़त दर्ज की । टाइम्स आफ इंडिया अंग्रेजी समाचार-पत्र, ने अंग्रेजी समाचार-पत्र सेगमेंट में शीर्ष स्थान रखा है ।

यह तथ्य कि भारत में समाचार-पत्र पढ़ने की आदत गहराई से मन में बैठी हुई है, जो पीढ़ी "x" में अधिक दृश्यमान है, एक कारण ऐसा है जिससे समाचार-पत्र गृहों में वैश्विक आर्थिक मंदी के दबाव बने हुए है । भारत में बढ़ती हुई साक्षरता महत्वपूर्ण तत्व रहा है जिससे देश में समाचार-पत्र के विक्रय की मांग बढ़ गई है ।

मुख्य विकास में, सरकार दिसंबर, 2009 को शहर में आयोजित राज्य सूचना मंत्री सम्मेलन (सिमकॉन) में प्रसारण क्षेत्र विनियामक की स्थापना के संबंध में राजनैतिक स्वीकृति विकसित करने के अपने प्रयास में सफल हुई थी । (i) प्रसारण क्षेत्र में अकीयकरण (ii) अधिक समसामयिक प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की आवश्यकता और (iii) सभी राज्यों में साहित्यिक चोरी को खत्म करना तथा मनोरंजन कर का सुव्यवस्थीकरण, पर आम सहमति भी बनी थी । सरकार ने भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान के परामर्श से मुंबई आंतकवादी हमले और मीडिया में अशिष्टता तथा अश्लीलता के परिणामस्वरूप मीडिया के लिए अंतर्वस्तु संहिता के

अंतिम रूप दिया । सरकार सशक्त निस्पंद समूह की स्थापना को भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो 26/11 मुंबई आंतकवादी हमले जैसे बड़े संकट के दौरान समाचारों की प्रतिपूर्ति लिए एक सूत्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा । सरकार ने फरवरी, 2009 में प्रेरक पैकेज वृद्धि के भाग के रूप में 15% अभिकरण कमीशन की माफी की और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए 10% की वृद्धि घोषणा की थी, जो समाचार-पत्र स्वामियों के लिए शुभ समाचार के रूप में आया ।

प्रधानमंत्री ने यह क्रांतिकारी निर्णय उस समय लिया जब उन्होंने प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 26% से बढ़ाकर 49% करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी । इससे प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वर्तमान प्रतिशत दो गुणा हो जाएगा ।

गत वर्ष, पंद्रहवें आम चुनाव के दौरान, मीडिया के एक वर्ग द्वारा विक्षुब्धकारी प्रवृत्ति अध्याय में आई थी अर्थात् अनुकूल कवरेज के लिए मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों को उम्मीदवारों द्वारा धन का भुगतान या जिसे आम तौर पर "पेड न्यूज" घटना के रूप में जाना जाता है । "पेड न्यूज" की प्रवृत्ति व्यक्तिक पत्रकारों तथा मीडिया कंपनियों के भ्रष्टाचार से परे है । यह व्यापक, ढांचागत और अत्यधिक संगठित बन चुका है और भारत में लोकतंत्र को कमजोर बनाने में लगा हुआ है । भारतीय प्रेस परिषद् ने इस कुप्रथा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और अनुभवी पत्रकारों समेत विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदनों को स्वीकार करते हुए मुद्दे की जांच करने के लिए और उपचारी कार्रवाई का प्रस्ताव करने के लिए उप-समिति का गठन किया है । इस मामले पर परिषद् द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । दूसरी तरफ सरकार "पेड न्यूज" की घटना से निपटने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर विचार करती रही है ।

राज्य सभा ने मतदान के अंतिम दौर के पूरे होने तक सभी एक्जिट पोल के परिणामों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने वाला एक विधेयक 25 नवंबर, 2009 को पारित किया था।

पंजाब सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे । 28 जून, 2009 को लिए गए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक निर्णय ऐसे लेखों और प्रकाशनों से संबंधित था जिससे हिंसा फैल गई थी । मंत्रिमंडल ने ऐसे लेखों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कड़े कानून बनाने का निर्णय लिया था ।

लंदन पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से प्रेरित होकर, दिल्ली पुलिस फरवरी, 2010 में उच्च न्यायालय के समक्ष दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा किए गए दावे के अनुसार, पुलिस-प्रेस बातचीत पर मार्गदर्शी सिद्धांतों की शृंखला के साथ उपस्थित हुई । पुलिस उपायुक्त और उससे ऊपर की पंक्ति के एक वरिष्ठ अधिकारी बड़े-बड़े अपराधों पर सूचना को प्रसारित करने मीडिया के साथ बातचीत करेंगे ।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के तीसरे सत्र को घेरने वाले विवादों को आगे बढ़ाते हुए समाचार संवाददाताओं ने घोषणा की थी कि वे उस सख्त मीडिया नीति के मद्देनजर, घटना

को कवर नहीं करेंगे जिनके साथ इस वर्ष आईपीएल आया है । इस मामले में संभावित संकल्प पारित करने में सरकार ने हस्तक्षेप किया और आईपीएल प्राधिकारियों तथा मीडिया संगठनों के साथ अनेक वार्ताएं करने के पश्चात् समझौता किया गया था ।

समीक्षाधीन इस वर्ष में अनेक उतार-चढ़ाव आए हैं और चौथे स्तंभ में परीक्षण और जीत हुई है । लेकिन यह घोर दुख और वेदना का विषय है कि देश के कुछ भागों में हिंसा की लहर बढ़ती रही है जिसने संवाददाताओं और पत्रकारों सहित निर्दोष नागरिकों को परेशान और शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है ।

विशेषतया पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रेस, विद्रोही समूहों, माओवादी तथा नक्सलियों और संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों/सरकारों से अत्यंत दवाब के धड़ाधड़ लिखती रही है । इन क्षेत्रों में पत्रकारों को अत्यधिक अनुसरक्षित परिवेश में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है । मणिपुर में स्थानी समाचार-पत्र प्रायः उग्रवादी समूहों से धमकी के परिणामस्वरूप प्रकाशन को निलंबित करने का आश्रय लेते हैं ।

अधिकांशतः ऐसे समूह उसी समय बिना किसी संपादन के अपने वक्तव्यों को उनके विरोधी जत्थे के वक्तव्यों को प्रकाशित कराना चाहते हैं । हाल ही में पुलिस प्राधिकारियों ने संघर्ष ग्रस्त बस्तर क्षेत्र में मीडिया पत्रकारों पर उनसे यह कहते हुए नोटिस तामील किए हैं कि वे दांतेवाड़ा में हाल ही की मुठभेड़, जिसमें सीआरपीएफ के काफी संख्या में जवान मारे गए थे, के माओवादी "बयानों" का उल्लेख करने वाली रिपोर्टों के आधार को स्पष्ट करें ।

20 नवंबर, 2009 को मुंबई में विखरोली स्थित आईबीएन लोकमत चैनल पर 25 व्यक्तियों की भीड़ ने हमला कर दिया था जिसमें शिव सेना के 25 व्यक्तियों की जान चली गई थी । चैनल के प्रधान संपादक, निखिल वागले सहित अनेक पत्रकारों पर सचिन तेंदुलकर के विरुद्ध उसकी टिप्पणियों के परिणामस्वरूप सेना प्रमुख बालठाकरे के विरुद्ध तथाकथित रूप से चैनल चलाने के लिए हमला किया गया था । आईबीएन चैनलों के अधिकारियों पर हमला करने के लिए सभी लोगों द्वारा की गई निंदा से विचलित शिवसेना ने यह कहकर कि "मीडिया भगवान नहीं है", अपने कार्यकर्ताओं की कार्रवाई को न्यायौचित ठहराया । पार्टी ने मीडिया को भगवान के साथ खिलवाड़ करने और जानबूझकर अपने परोक्ष उद्देश्यों वाले धूमिल करने वाले अभियान को आरंभ करने का आरोप लगाया था ।

उच्चतम न्यायालय ने 2 अप्रैल, 2009 को कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रति नुकसान के रूप में स्कीन पर धूम्रपान पर रोक लगाने का उल्लेख करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने से इंकार किया ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उनके लंबित मामलों के बारे में ब्रीफ को मीडिया तक पहुंचाने वाले वकीलों की निंदा की है और भारतीय विधिज्ञ परिषद् से उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा है । मीडिया द्वारा उन मामलों के रिपोर्ट किए जाने के लिए

मार्गदर्शी-सिद्धांतों को तैयार करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव किया जाता रहा है, जिनमें छानबीन जारी है या जो मामले न्यायाधीन है । न्यायालय भी विभिन्न मामलों में अभियुक्तों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में रहने के दौरान दिए जाने वाले "इकबाली ब्यान" को जारी करने और उनके प्रकाशन के संबंध में पालन करते हुए पुलिस और मीडिया के लिए नियम बनाना चाहते हैं ।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, श्री के. जी. बालकृष्णन ने मीडिया से कहा कि वह न्यायालय के उन निर्णयों का निर्वचन न करे क्योंकि इसमें तथ्यों को "तोड़मरोड़" करके पेश किया जाता है । उन्होंने "वरिष्ठ संपादकों" से आग्रह किया कि वे हस्तक्षेप करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वे निर्णयों की गलत व्याख्या को प्रकाशित न करें और कहा कि न्यायालय कार्यवाहियों को प्रकाशित करते समय पत्रकारों पर कोई "नैतिक बाध्यता" लगाई जानी चाहिए ।

मीडिया सिंहावलोकन

दि हिंदू के ग्रामीण मामलों के संपादक श्री पी. सांईनाथ, करण थापर और निधि राजदान तथा नीलेश मिश्रा उन 29 पत्रकारों में थे जिन्हें पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका विशिष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था । राजनीतिक स्तंभकार और टिप्पणीकार, नीरज चौधरी को पत्रकारिता में विशिष्टता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था । वाल स्ट्रीट जर्नल एशिया, जो क्षेत्र का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कारबार समाचार-पत्र ने एक्सप्रेस ग्रुप के साथ व्यापक क्रम में भारत में मुद्रण आरंभ किया है । स्थानीय रूप से मुद्रित संस्करण का शुभारंभ विदेशी समाचार-पत्रों की अनुकृति संस्करणों के प्रकाशन में विदेशी निवेश को अनुज्ञात करने वाले भारत सरकार के निर्णय और भारत में दिवाल स्ट्रीट जर्नल एशिया के अनुकृति को प्रकाशित करने के लिए डाव जोनस द्वारा उसके अनुमोदन तथा कंपनी के प्रस्ताव का पालन करता है ।

वरिष्ठ पत्रकार हरीश खरे को प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया है जबकि भूतपूर्व एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रघु मेनन को सूचना और प्रसारण सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है । विख्यात पत्रकार और लेखक सुश्री मृणाल पांडे को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । हिंदुस्तान टाइम्स और इसके सहयोगी प्रकाशन मिंट को समाचार-पत्र और मीडिया प्रकाशन के विश्व के प्रमुख एसोशिएसन आईएफआरए द्वारा दिए गए आठवां एशिया मीडिया पुरस्कार में उत्पादन और फोटोग्राफी श्रेणियों में 6 ट्राफियां मिली ।

इंडियन एक्सप्रेस को पत्रकारिता में विशिष्टता के लिए भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान पुरस्कार, 2008 के मालेगांव और मोडासा विस्फोट में उसके सतत अन्वेषण और हिंदू उग्रवादियों और संगठनों की अभिकथित भूमिका के लिए तथा सुश्री बिदिशा गोशाल को

महाराष्ट्र में ऋण से लदे हुए किसानों की विधवाओं के शोषण पर उसकी रिपोर्टों के लिए प्रदान किया गया था ।

तहलका के पत्रकार शोभा चौधरी और नागालैंड क्षेत्र के मोनालिसा चंगकीजा को वर्ष 2009 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया व्यक्ति के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया था ।

हिंदुस्तान टाइम्स और इसका सहयोगी प्रकाशन मिन्ट क्रमशः वाशिंगटन पोस्ट और दि वाल स्ट्रीट जर्नल के साथ अनन्य अंतर्वस्तु भागीदारी में शामिल हुए । इससे, मिन्ट अब भारत के सात राज्यों में बहुसंस्करण वाला राष्ट्रीय स्तर का समाचार-पत्र बन गया है ।

दि ट्रिब्यून ग्रुप समाचार-पत्रों के प्रधान संपादक, एच के. दुआ ने संसद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की और राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं । नजाम सेठी, फ्राइड डे टाइम्स और डेली टाइम्स, पाकिस्तान के भूतपूर्व मुख्य संपादक नजाम सेठी को, 1 दिसंबर, 2009 को हैदराबाद में आयोजित 62वीं विश्व समाचार कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान वर्ल्ड एसोशिएसन ऑफ न्यूजपेपर एंड न्यूज पब्लिशर्स कांग्रेस के वार्षिक प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया गया था। नई दुनिया के सुप्रसिद्ध पत्रकार और मुख्य संपादक को पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा । यह पुरस्कार ऐसे पत्रकारों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने एकता, शांति और मैत्री में प्रशंसनीय कार्य किया है । दि हिंदू के प्रधान संपादक, एन. राम को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया था ।

फोर्चून इंडिया शीर्षक के अंतर्गत विदेशी पत्रिका फोर्चून के भारतीय संस्करण के प्रकाशन को केंद्रीय सूचना और प्रकाशन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । इससे पूर्व, स्पेक्टर इंडिया और फोर्ब्स इंडिया को भी भारत में प्रकाशन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी ।

भारतीय प्रेस में विश्व मीडिया

संयुक्त राज्य अमेरिका

दि लाओस एंजिलस टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर एक समाचार कहानी के रूप में तैयार किए गए विज्ञापन में धुंआ उगलने वाले समाचार-पत्र तथा पहल की सफाई पेशन करने वाले प्रकाशन की खबरे होती हैं । एन.बी.सी. टेलीविजन सीरीज साउथलैंड के लिए विज्ञापन 10 अप्रैल, 2009 को टाइम्स के एक पृष्ठ पर छापा था । हालांकि इसका लेबल "विज्ञापन" का था, विज्ञापन स्पष्ट जैसी शीर्षक संपूर्णतः समाचार कहानी से मिलता जुलता था । ब्लाग मीडिया मेमो के अनुसार, समाचार-पत्र में 100 कर्मचारियों ने प्रथम पृष्ठ पर झूठा समाचार कहानी विज्ञापन के प्रकाशन का विरोध करने वाली याचिका पर हस्ताक्षर किए थे । "हम, समाचार कक्ष

के पत्रकार कठोरतापूर्वक लाओस एंजिल्स टाइम्स के पहले पृष्ठ पर ध्वनि समाचार के रूप में विज्ञापन को बेचने के इस निर्णय का विरोध करते हैं । मीडिया मीमो आलथिंग्स डीकॉम ने इस प्रकार कहकर याचिका को कोट किया । एनबीसी विज्ञापन कुछ शीघ्र नकदी उपलब्ध कराई हो, परंतु इसने इस संस्था को असंगणनीय क्षति पहुंचाई है, उसने कहा, ए-। पर झूठी खबर छापना हमारी सत्यनिष्ठा और हमारे पत्रकारिक मानकों का उपहास करती है, याचिका में कहा गया था । दि टाइम्स ने कहा कि लगभग 70 पाठकों ने उस विज्ञापन के बारे में शिकायत की थी जो समाचार-पत्र संपादक, श्री रस स्टेंटन के आक्षेपों पर प्रकाशित किया गया था । प्रकाशन, ऐडी हारटेंसटीन ने दि टाइम्स को बताया कि उसमें समाचार कक्ष से विरोधों के वाबजूद भी विज्ञापन को चलाने का निश्चय किया था क्योंकि वह समाचार-पत्र को उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा था । **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, तारीख 12 अप्रैल, 2009)**

दि न्यूयार्क टाइम्स ने यूएस समाचार उद्योग में अत्यंत उत्कृष्ट पुरस्कारों में लघुतर समाचार-पत्रों के क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए अन्वेषणात्मक ब्रीकिंग न्यूज और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग, फीचर फोटोग्राफी और समीक्षा के लिए 21 अप्रैल, 2009 को पुलिटजर पारितोष प्राप्त किए थे । कोलंबिया विश्वविद्यालय ने कहा एक वर्ष में, जिसमें आनलाइन प्रकाशकों के पहली बार पुरस्कार विजेताओं की संख्या को पूरा करने की अनुमति दी गई थी यह दर्शाया है कि पत्रकारिता ने अभी विशाल मूल्य प्रदान किया है भले ही उसे मंदी का मुकाबला क्यों न करना पड़ा हो । प्रकाशित करवाने के लिए केवल आनलाइन आउटलेट पालिटीफैक्ट काम, ऐन्ट पीटर्सबर्ग टाइम्स का एक वर्ग ही था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव अभियान में उम्मीदवारों के प्रख्यानों के उसका तथ्यपरख परियोजना को मान्यता दी गई थी । दि लासवेगास सन ने दि लास वेगास क्षेत्र पर संनिर्माण कर्मकारों में उच्च मृत्यु दर पर रिपोर्ट करने के लिए प्रतिष्ठित लोकसेवा इनाम जीता था जबकि दि लास एंजिल्स टाइम्स ने बढ़ती हुई लागत जंगल में आग की आशंका पर स्पष्टीकारक रिपोर्टिंग के लिए इनाम जीता था । दि न्यूयार्क टाइम्स इनामों में, अभियान ट्रेल पर बराक ओबामा की फोटोग्राफी और उस सेक्स स्कैण्डल का भंडाफोड़, जिसके कारण न्यूयार्क गर्वनर, इलियट स्पिटजर ने त्यागपत्र दिया था, के लिए पुरस्कार शामिल हैं । दि वाशिंगटन पोस्ट के यूजीन राबिन्सन ने बराक ओबामा के चुनाव अभियान पर अपने स्तंभ के लिए टिप्पणी करने पर ईनाम जीता था । कथा साहित्य के लिए इनाम एलीजाबेथ को मिला जिसकी पुस्तक "आलिव किट्टरजी" तटीय मैने पर केंद्रित कहानियों का संग्रह है। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, तारीख 22 अप्रैल, 2009)**

उत्तरी कोरिया ने, जो गत मास नाभिकीय परीक्षण के लिए यूएस के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, 8 जून, 2009 को गंभीर अपराधों के लिए 12 वर्ष तक कड़े श्रम के लिए दो यूएस पत्रकारों को मृत्यु दंड देकर वाशिंगटन के साथ उभरती हुई अनबन का दावा किया था । उत्तरी कोरिया और चीन के बीच सीमा के निकट कहानी पर कार्य कर रही यूएस मीडिया के करेंट आउटलेट टीवी पत्रकार यूनाली और आलोरा लिंग को मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया

था । यूएस के भूतपूर्व उप राष्ट्रपति अलगोरे द्वारा स्थापित कंपनी के लिए कार्य करने वाले इन दो के लिए विचारण 4 जून, 2009 को शुरू हुआ था । हम उत्तरी कोरिया प्राधिकारियों द्वारा दो अमेरिकियों को रिपोर्ट किए गए दंड से गंभीरतया चिंतित हैं और हम उनकी रिहायी कराने के लिए सभी संभव चैनलों के माध्यम से लगे हुए हैं । यह व्हाइट हाउस ने एक ब्यान में कहा था । राज्य विभाग उत्तरी कोरिया से दोनों पत्रकारों को रिहा करने का अनुरोध किया था । **(दि स्टेटसमैन, नई दिल्ली, 9 जून, 2009)**

आबे रोसेन्थल, दि न्यूयार्क टाइम्स प्रसिद्ध कार्यकारी संपादक ने, जिसका निधन 2006 में हो गया था, एक बार कहा था कि वह दि न्यूयार्क टाइम्स (एनवाईटी) बिना जगत की कल्पना ही न कर सकते थे । परंतु अनेक अन्य समाचार-पत्र इर्द-गिर्द नहीं होंगे । समाचार नवाब अति प्रतिक्रिया कर रहे होंगे । यह संभव है कि पश्चिम में अनेक देश जापान की देखा-देखी पूर्वानुमान से पहले ही समाचार-पत्रों के अंत को देख रहे हैं । परंतु भारत सहित एशिया में अनेक देशों में, समाचार-पत्रों के लंबे समय तक पनपने की संभावना है । यूएस में, वित्तीय मंदी प्रिंट मीडिया में गिरावट ला रही है । सबसे अंत में प्रभावित होने वाली मेक्लेशी कंपनी है जो मयामी हैरल्ड और तीन अन्य समाचार-पत्रों की स्वामी है । ईमानदारी की बात यह है कि एनवाईटी बना रहेगा या नहीं और यदि बना रहा तो कौन इसका स्वामी होगा । अंतिम कुछ वर्षों में, एनवाईटी का परिचालन खत्म हो रहा है और विज्ञापन से इसका राजस्व घट रहा है । वाशिंगटन पोस्ट की बेहतर स्थिति नहीं है । इसके पाठकगण और राजस्व भी खत्म होता जा रहा है । दुर्भाग्यवश, यूएसए टुडे में भी तेजी से गिरावट आ रही है । जबकि प्रिंट मीडिया बदलती हुई जरूरतों एवं रूचियों के अनुकूल होने के लिए बदल गया है । यह ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे नई पीढ़ी समाचार-पत्रों को पढ़ने में जरा भी रूचि नहीं रखता है । लेकिन यह उल्लेखनीय है कि वाल स्ट्रीट जर्नल ने परिचालन और राजस्व के निबंधनानुसार दोनों ज्यादा नहीं खोया है । दि फाइनान्सियल टाइम्स भी डटा हुआ, भले ही लाभ की स्थिति में न हो । वर्तमान में, वाल स्ट्रीट जर्नल की भांति, दि इकोनोमिस्ट यूएस में सफल बेंचर रहा है । वह परिचालन में बढ़त बनाए हुए है और विज्ञापनों से इसका राजस्व काफी अच्छा है । जो दुर्दशा प्रिंट मीडिया की रही वही केबल टीवी और वेब चालित उत्पादों की होने वाली है । जब आमोद-प्रमोद बहुत अधिक होता है तब पाठक अपने नए कारनेशनों में भी टाइम्स और न्यूजवीक के बजाए दि इकोनोमिस्ट, फोरम एफेयर्स जैसे जर्नलों की ओर मुड़ने के लिए बाध्य हैं । **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली तारीख 9 जून, 2009)**

अब तक 2009 में मेगजीन बिजनेस बहुत ज्यादा वैसा दिखाई देता जैसा जोन और काटे गोसलिन विवाह-विच्छेद ने सुपर मार्केट को पूरी तरह से औंधा कर दिया है; उसे विजेता को ढूंढने के लिए काफी से तलाश करनी होगी । 2009 के पहले छह मासों के लिए पहले से ही निराशाजनक विज्ञापन के आंकड़ों के साथ पत्रिका प्रकाशकों ने हाल ही में अपने परिचालन आकड़ों में परिवर्तन करते हुए यह दर्शाया है । इस वर्ष के पहले छह मासों में न्यूजस्अंड बिक्री

12.4 प्रतिशत तक पहुंच गई । न्यूजस्टेंड बिक्री को अर्थव्यवस्था के लिए बेलवेथर समझा जाता है या कम से कम इच्छुक उपभोक्ताओं को आवेग क्रय के लिए 5 डालर से अधिक कैसे खर्च पड़ते हैं । शुभ समाचार यह था कि संदत्त अभिदाय वास्तव में थोड़ा सा बढ़ गया था, अर्थात् परिचालन रिपोर्ट की लेखापरीक्षा ब्यूरो के अनुसार, संपूर्ण परिचालन 1.2 प्रतिशत गिर गया था । पाठक सेलिब्रेटी वीकली से कुछ थोड़े से ऊब हुए भी नजर आते थे । ओके-। मैगजीन, इन टच वीकली और स्टार मैगजीन सभी ने अभिदायों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शायी जिसमें न्यूजस्टेट में भारी गिरावट थी । **(एशियन ऐज, नई दिल्ली, तारीख 10 सितंबर, 2009)**

दि वाशिंगटन पोस्ट न्यूयार्क, लास एंजिलस और शिकागो में अपनी राष्ट्रीय ब्यूरों में से तीन ब्यूरो को बंद कर रहा है । पोस्टर ने कहा कि दि वाशिंगटन पोस्ट एक उल्लेखनीय छंटनी में, राजधानी क्षेत्र के बाहर अपनी शेष यूएस ब्यूरो को बंद कर रहा है, **(एशियन ऐज, नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2009)**

गत छह वर्षों तक, वर्केले डेलीप्लेनेट उन पाठकों से निवेदनों का मुक्त चक्रण प्रभाजन प्रकाशित किया है जो शानदार कालेज पार्टियों (सामान्यतः बुरा) इराक में युद्ध तक (यथोक्त) तक प्रत्येक बात पर तीखी प्रतिक्रिया करते हैं । परंतु मार्च से, वह चालू कमेंट्री पर छोटे-छोटे परंतु शोर माचाने वाले ऐसे आलोचकों के समूह द्वारा प्रहार किया जाता रहा है, जो समाचार-पत्र के संपादक, बेके ओ भैली पर बहुत अधिक पत्रों तथा इजरायल के अन्य टिप्पणियों के आलोचनात्मक अंशों का आरोप लगाते हैं । ये आरोप समाचार-पत्र के उन विज्ञापनों तथा वेबसाइट को दूर भगाने के लिए अभियान का आधार है जो प्रबल रूप से सुझाव देते हैं कि प्लेनट और इसके संपादक शामी विरोधी है । ओमैली किसी वैयक्तिक या संपादकीय पूर्वाग्रह तथा शूक का इससु भाव पर इंकार करते हैं कि उसे बर्कले जैसे शहर में इजरायल के बारे में पत्र प्रकाशित नहीं करने चाहिए जिसमें अल्प युहूदी और साधारण लोग हैं और नगर परिषद् जो प्रायः मध्यपूर्वी और अंतरराष्ट्रीय कार्यकलापों के बारे में तर्क प्रस्तुत करती है । वह कहती है कि उसका ऐसे स्वतंत्र भाषण के प्रति वचनबद्धता का उल्लेख करने वाले पत्रों के प्रकाशन को बंद करने का उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है जो उस नगर की विरासत है जहां पर स्वतंत्र भाषण आन्दोलन का 1960 में जन्म हुआ था । **(दि टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली, तारीख 29 नवम्बर, 2009)**

निखिल देवगण दि वाल स्ट्रीट जर्नल के शीर्ष संपादकों में से एक संपादक सीनबीसी का नया प्रबंध संपादक होगा । देवगण, दून स्कूल का एक छात्र असम में पैदा हुआ था और कोलकाता में बड़ा हुआ था, जर्नल का अंतरराष्ट्रीय संपादक और उप प्रबंध संपादक था । वह संपादक बनने से पूर्व वह एक सम्मानित विलयन और अधिग्रहण संवाददाता था । उन्होंने वाशिंगटन में उप ब्यूरो प्रधान के रूप में भी कार्य किया (**दि इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली, तारीख 17 दिसंबर, 2009**)

यूनाइटेड किंगडम

ब्रिटिश मीडिया वाचडाग ने 3 अप्रैल, 2009 को, यह देखने के पश्चात् कि अक्तूबर में दो घटनाओं, जो अब समाप्त हो गई हैं, रसल ब्राण्ड शो द्वारा प्रसारण संहिता भंग की गई थी, दि बीबीसी पर कुल 15,0000 डालर का जुर्माना किया था । "दि बीबीसी जिर्योजीना जो अभिनेता एन्ड्रयू सैच्स की पोत्री के बारे में उनकी सहमति के बिना दोनों कार्यक्रमों में स्पष्ट आंतरिक और गोपनीय सूचना को प्रसारित करता है । यह बताते हुए ओफाम ने कहा कि इससे "न केवल अकारण, और गंभीर रूप से उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है बल्कि अकारण आक्रामक, अपमानजनक और अप्रतिष्ठित भी था ।" ओफाम ने बताया इस संपूर्ण कमजोरी ने बीबीसी की अनुपालन पद्धति की गंभीर असफलता के लिए दृश्यसज्जा तैयार की जिसका परिणाम अपवादिक रूप से आक्रामक, अपमानजनक और अप्रतिष्ठित सामग्री की बारबार किया गया प्रसारण था ।"

दि बीबीसी ने 3 अप्रैल, 2009 को एक वक्तव्य को पढ़कर कहा कि उसने "ओफाम के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है ।" "जैसाकि हमने कहा कि गत अक्तूबर में यह सामग्री कभी भी प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए थी और हम उसके लिए निःसंकोच माफी चाहते हैं ।" **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, तारीख 4 अप्रैल, 2010)**

डेली एक्सप्रेस के संपादक पीटर हिल ने संसद सदस्यों को बताया कि उसने मैडेलाइन मैककैनास के गायब हो जाने की उसकी समाचार-पत्र की गलत रिपोर्टिंग पर त्यागपत्र नहीं दिया था । हिल ने बताया कि उसके समाचार-पत्र मैडे लाइन मैक्कैन कवरेज पर अपना त्यागपत्र निश्चित रूप से नहीं दिया था क्योंकि सभी अन्य मीडिया संगठनों में पुर्तगाली पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए अभिकथन थे कि माता-पिता काटे और गैरी का उसके गायब होने में संदेह था । गत वर्ष मार्च में एक्सप्रेस न्यूज पेपर के स्वामी डेली एक्सप्रेस ने हील्स के पेपर में और उसके सहायक शीर्षक संडे एक्सप्रेस डेली स्टार और डेली स्टार संडे में प्रकाशित मेडेलाइन के गुम हो जाने के बारे में गंभीर रूप से अपमानजनक सौ कहानियों से अधिक के लिए मेकेंस को क्षतिपूरवक 550,000 डालर का भुगतान किया । चार समाचार-पत्रों ने भी प्रथम पृष्ठ पर माफीनामा छापा जबकि एक्सप्रेस न्यूज पेपरों ने लंदन में उच्च न्यायालय स्थित मेकेंस से माफी मांगी । "यदि संपादकों को हर समय त्याग पत्र देना होता तो उनके विरुद्ध अपमानजनक लेख संबंधी कार्रवाई होती, तो कोई संपादक नहीं होता", हिल ने अपमानजनक लेख एकांतता और प्रेस मानकों में समिति की जांच के लिए साक्ष्य देते हुए कहा । गत मास कॉमन्स कल्चर्स सेलेक्ट कमिटी को दिए गए साक्ष्य में गेरी मेकेने ने कहा कि एक्सप्रेस न्यूज पेपर शीर्षक मेडेलाइनस के गुम हो जाने के अपने कवरेज में यूके मीडिया में सबसे बुरे अपराधी रहे थे । तथापि, हिल ने यह स्वीकार करने के लिए इनकार किया कि उसके समाचार-पत्रों की रिपोर्टिंग अन्य शीर्षकों की तुलना में काफी बुरी रही थी । उन्होंने कहा कि मेकेंस ने डेली एक्सप्रेस में 38 शीर्षकों के बारे में शिकायत की थी परंतु उस पेपर में 80 अन्य कहानियां प्रकाशित की

गई थीं जो परिवार के लिए सकारात्मक थी । हिल ने कहा कि उन्होंने मेकेंस को अपमानजनक लेख कार्रवाई में डालने से बचने के लिए विधिक शिकायत का निपटान करने और प्रतिकर का भुगतान करने का समर्थन किया । "उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि हमने श्री और श्रीमती मेकेन का अपमान किया है क्योंकि विधि के अंतर्गत हम स्पष्ट रूप से उनके बारे में सत्य नहीं बता सके"। **(वेबसाइट संस्करण, गार्जियन, तारीख 28 अप्रैल, 2009)**

नौजवान लड़के रूप में युआन ब्लेयर्स के प्रसिद्ध माता-पिता ने उस ब्रिटिश मीडिया की अंतर भेदी निगाह से उसे बचाने का पूरी कोशिश की, जिसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नौजवान परिवार से यह सुनिश्चित करने के प्रयास में समाचार-पत्रों से करारों की एक शृंखला मांगी गई थी, जो अच्छी निगाहों से दूर रखी गई थी । यह एक संधि थी जो बार-बार तब तोड़ी गई थी जब प्रमुख रूप से फ्लिट स्ट्रीट ने किशोर युआन को रात में शराब के नशे का आनंद लेते हुए बताया था, जो तब समाप्त हुआ था जब वह उसे लंदन के लिसिस्टर स्क्वेयर में पुलिस द्वारा उठा लिया गया था । अब वह 25 वर्ष पुराना प्रशिक्षणार्थी बंकार है, टॉनी ब्लेयर्स के सबसे बड़े बेटे ने मामले अपने हाथ में ले लिए हैं । उसने एकांतता के हमले के लिए संडे एक्सप्रेस के विरुद्ध उसके वयैक्तिक जीवन के बारे में प्रमुख डायरी लिखने वाले पेपर के पश्चात् विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है । ब्लेयर की ओर से कार्रवाई करने वाले वकीलों ने 50,000 पॉण्ड तक के नुकसान का दावा करते हुए गत वर्ष उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है । मार्च में प्रकाशित लेख पेपरों की वेबसाइट से हटा दिया हुआ प्रतीत होता है । रिट के अनुसार, ब्लेयर, जिसका प्रतिनिधित्व सोलिस्टर आर्किस कर रहे हैं, "एकांतता के हमले" और "निजी जानकारी" के दुरुपयोग के लिए पेपर पर मानवीय अधिकारों पर यूरोपीयन कन्वेन्शन के अनुच्छेद 8 का उल्लेख करते हुए मुकदमा कर रहा है । "यद्यपि उसके माता-पिता सम्मानित व्यक्ति रहे हैं । उसने न तो कोई सरकारी या लोक पद धारण किया है, और न ही कोई ऐसे कर्तव्य किए हैं ।" टॉनी ब्लेयर के प्रवक्ता ने कहा कि उसे मामले की जानकारी थी परंतु उसने उस पर टिप्पणी नहीं करनीं चाही । एक्सप्रेस न्यूज पेपर ने भी जो दि संडे एक्सप्रेस को प्रकाशित करता है, टिप्पणी करने से इनकार किया । **(वेबसाइट संस्करण गार्जियन तारीख 30 अप्रैल, 2009)**

प्रेस वाचडॉग ने इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कैप्टन जॉन टेरी से दि सन के विरुद्ध एकांतता की शिकायत पेपर में यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् अस्वीकार कर दी है कि उसकी माता और सास शॉप लिफ्टिंग के लिए सावधान रही थीं । टेरी के विवाह का कवरेज, वे अधिकार जिनको उसने नेशनल मैगजीन को बेच दिया था । अपनी माता सू टेरी को चित्रित किया था और सास सू पुले को भी चित्रित किया था और इसका तात्पर्य यह है कि उनके लिए यह संबंध लोक विचारधारा में स्थापित हुआ था, ऐसा प्रेस शिकायत आयोग ने बताया है । टेरी ने अपने सोलिसिटर किंग्सले नेप्ले के माध्यम से शिकायत की थी कि कहानी लगभग पूर्णतया उसके ऊपर ही केंद्रित थी जब वह वास्तविक रूप से कहानी से नहीं जुड़ी हुई थी क्योंकि वह हादसे

में शामिल नहीं थी । पीसीसी ने कहा कि टेरी सुसंगत थी क्योंकि उसकी माता और सास टेस्को इंग्लैंड टीम के कारपोरेट प्रायोजकों में से एक है, से शाफलिफ्टिंग के अभियुक्त थे और मार्कस और स्पेंसर जिन्होंने टीम को सूट प्रदान किए थे । टेरी ने शिकायत की है कि मार्च में दि सन् में तीन कहानियों में उसकी पहचान की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने संपादक की "पद्धति संहिता" के खंड 9 का उल्लंधन किया था, जो अपराध की रिपोर्टिंग को कवर करते हैं । **(वेबसाइट संस्करण गार्जियन तारीख 13 मई, 2009)**

मीडिया मेगनेट रुपर्ट मरडोक, स्टार टी.वी. का स्वामी उस उभरते हुए घोटाले का केंद्र था जो 9 जुलाई, 2009 को रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् उसकी प्रमुख ब्रिटिश टेबलॉयड, दि न्यूज ऑफ दि वर्ल्ड कहानियों को प्रकाशित करवाने के लिए "दांडिक पद्धतियों में शामिल रही थी ।" पुलिस ने दि गार्जियन में पहले पृष्ठ पर सनसनीखेज खबर के दावों में अन्वेषण आरंभ किया था । द न्यूज ऑफ दि वर्ल्ड ने जासूसों को किराये पर लिया था जिन्होंने गोपनीय निजी आंकड़े तक विधि विरुद्ध पहुंच पाने के लिए राजनीतिज्ञों और सेलिब्रिटियों सहित प्रमुख आंकड़ों को "हजारों" मोबाइल फोन संदेशों में हैक किया था । दि संडे टाइम्स का भूतपूर्व संपादक और श्री मोडोक के एक समय निकट सहयोगी रहे । एन्ड्रूनील ने उसे "आधुनिक युग की अति महत्वपूर्ण मीडिया कहानियों में से एक बताया है । जिनको लक्ष्य बनाया गया था उनमें लंदन के मेयर बोरिस जॉन्सन भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री जॉन प्रेसेकॉट और अभिनेता ज्युनेथ पेल्थ्रो सम्मिलित थे । श्री मुरडोक के न्यूज ग्रुप ने, जो द न्यूज आफ दि वर्ल्ड का प्रकाशक है विशेष रूप से उन विधिक मामलों को निपटाने के लिए एक पॉण्ड मिलियन से अधिक का भुगतान किया है जो कहानियों को प्राप्त करने के लिए पत्रकारों की "दांडिक पद्धतियों के प्रयोग में आवृत्त संलिप्तता" के साक्ष्य को उजागर करने की धमी दी थी । तथापि, श्री मोरडोक ने जो दि टाइम्स, दि संडे टाइम्स और दि सन् के स्वामी हैं, यह कहते हुए किसी जानकारी से इनकार किया कि "यदि ऐसा हुआ होता तो मुझे इसके बारे में पता होता"। घोटाले ने न्यूज ऑफ दि वर्ल्ड, एंडी काउल्सन जो अब टोरी लीडर डेविड, संचार निदेशक हैं, के भूतपूर्व संपादक के रूप में राजनीतिक जटिलता अर्जित करने के लिए धमी दी थी । श्री काउल्सन को उसके रिपोटरों में से एक, क्लाइब गुडमैन रिपोटर को 3-3 राजशी कर्मचारियों के मोबाइल फोनों में हैक करने के लिए जेल भेजा गया था, 2007 में न्यूज आफ वर्ल्ड को छोड़ने के लिए विवश किया गया था । **(हिंदू नई दिल्ली, तारीख 10 जुलाई, 2009)**

न्यूज ऑफ दि वर्ल्ड के ब्रिटिश टेबलॉयड के स्वामियों पर गैरकानूनी समाचारों को इक्कठा करने के ऑपरेशन के भाग के रूप में अपने कर्मचारियों द्वारा व्यापक फोन हैकिंग के आरोपों को "पर्दा डालने" के अभियुक्त रहे हैं । अभिकथनों का अन्वेषण करने वाली संसदी समिति के समक्ष ब्यान करते हुए निक डेबिस गार्जियन के पत्रकार ने जिसने कहानी को प्रकाशित किया था अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए । रुपर्ट मरडोक न्यूज इंटरनेशनल, ने समाचार-पत्रों के संवाददाताओं और दि गार्जियन के "चयनात्मक और भ्रामक" होने के आरोपी, जो एनओडब्ल्यू का मालिक है, ने समाचार-पत्र के संवाददाताओं द्वारा विधि

विरुद्ध पद्धतियों के व्यवस्थित उपयोग से इनकार किया है । कंपनी के इनकार करने का जवाब देते हुए श्री डेविस ने संसद सदस्यों को बताया "न्यूज इंटरनेशनल उन प्राइवेट अन्वेषकों के साथ पत्रकारों के संलिप्त होने पर पर्दा डालने में संलिप्त रहा है, जो कानून को तोड़ते हैं ।" गार्जियन संपादक एलन रसब्रिजर ने कहा कि "यह अधिक अभियोजनों के लिए या किसी भी व्यक्ति को त्याग पत्र देने के लिए विवश करने के लिए पुलिस जांच को पुनः शुरू कराने के लिए किसी व्यक्ति को वहिष्कृत करने का अभियान नहीं है । हमने उनमें से किसी की भी मांग नहीं की है । उन्होंने कहा कि मुख्य प्रश्नों में से एक प्रश्न यह था कि प्रेस के स्वविनियम प्रभावी थे । प्रेस शिकायत आयोग के तीम ताउलमीन निदेशक ने कहा कि उसे मिस्टर काउल्सन के भाग पर "गंभीर चूक" के रूप में व्यापक रूप से समझा गया था कि संपादक के रूप में उन्होंने इस बारे में नहीं जाना की क्या हो रहा था । पीसीसी इस बारे में अन्वेषण करेगी कि क्या उसे यह विश्वास करते हुए भ्रमित किया गया था कि फोन हैकिंग की प्रथा व्यापक नहीं थी । जॉन विटिंग डेल, समिति के अध्यक्ष ने कहा कि गार्जियन प्रकटन, में फोन हैकिंग के विस्तार के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं । समाचार-पत्र ने यह अभिकथन किया है कि हजारों सम्मानित व्यक्तियों के मोबाइल फोन एनओडब्ल्यू कर्मचारिवृन्द द्वारा कहानियां प्राप्त करने के लिए किराये पर लिए गए निजी जासूसों द्वारा हैक किए गए थे और कम से कम तीन लोगों को "गला घोंटने वाले खंड" को हस्ताक्षरित करने के लिए उन्हें विवश करने के पश्चात् कम से कम तीन लोगों को हुए नुकसान के लिए एक मिलियन पॉण्ड से अधिक का भुगतान किया । **(हिंदू नई दिल्ली, तारीख 16 जुलाई, 2009)**

तब क्या होता है जब कोई स्थान अपने समाचार-पत्र को खो देता है ? अधिकांश 80 या उससे अधिक स्थानीय समाचार-पत्र जो गत वर्ष के आरंभ से ही ब्रिटेन में बंद हो गए हैं, अपने बाजारों में द्वितीय या तृतीय प्रबलतम प्रकाशन रहे थे । परंतु साप्ताहिक बैड वर्थ इको जिसने 10 जुलाई को अपना अंतिम अंक प्रकाशित किया था । उप नगर के समाचार-पत्रों के प्रति समर्पित समाचार-पत्र ही था । मिडलैंड्स में छोटे-छोटे भूतपूर्व खनन समझौते वेडवर्थ में रेडियो स्टेशन का भी अभाव है । यद्यपि उसे अभी भी उसके बड़े-बड़े पड़ोसियों पर केंद्रित समाचार-पत्रों द्वारा कवर किया जाएगा । अब यह कस्बा खबर रहित है । यह अंत नहीं होगा । कुछ अपवादों के साथ स्थानीय समाचार-पत्र शीघ्रता से घटते जा रहे हैं । ट्रिंटी मीरर ने जो दि इको का मालिक है, इस वर्ष पहले ही बंद हो चुका है । विज्ञापन मंदी ने स्थानीय समाचार-पत्रों पर राष्ट्रीय समाचार-पत्रों या अन्य मीडिया की तुलना में घोर प्रहार किया है । राइटमूव और ऑटोट्रेडर जैसे राष्ट्रीय ब्राण्डों के उभरती हुई पहुंच से यह अभिप्राय है कि स्थानीय समाचार-पत्रों ने संपत्ति और करार विज्ञापन पर अपनी पकड़ खो चुके हैं । अत्यधिक पीड़ादायक जॉब विज्ञापनों का लुप्त हो जाना रहा है । गत कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती लगभग सरकारी वेबसाइटों पर शिफ्ट हो गई है और बाकी का मंदी ने सफाया कर दिया है । जुलाई, 99 में दि इको के संस्करण में जॉब विज्ञापन के 17 पृष्ठ थे । अंतिम अंक में एक पेज का 1/5वां हिस्सा था । **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, तारीख 29 जुलाई, 2009)**

कुछ दिनों के पश्चात् रुपर्ड मडोक ने अपने वेब समाचार की विषय-वस्तु के लिए प्रभार अपने समाचार-पत्र के लिए, निर्बाध ऑनलाइन पहुंच के दौर को समाप्त करने का संकेत देने की शुरूआत के लिए अपने समाचार-पत्र हेतु योजनाओं की घोषणा की थी, अन्य ब्रिटिश समाचार-पत्र घटते हुए पाठकगण और विज्ञापन द्वारा हुए घाटे को पूरा करने के लिए "मडोक मॉडल" का अनुसरण करने पर विचार किए जाने हेतु रिपोर्ट किए गए थे । द फाइनेंशियल टाइम्स जो अपनी कुछ अनन्य ऑन लाइन सेवाओं के लिए पहले ही प्रभार लेता है और लेफ्टविंग इंडिपेंडेंट दोनों को ही जैसा आप दोगे वैसा ही पाओगे स्कीम के वृत्तांत को आरंभ करने की अग्रिम अवस्थाओं में बताया गया था । एफटी के मुख्य कार्यपालक जॉन राइडिंग ने कहा कि प्रति अंश और प्रति समय अवधि की कीमत के लिए महत्वपूर्ण संभाव्यता के बारे में यह दलील देते हुए कहा कि इंटरनेट का संपूर्ण प्वाइंट "नम्य उपभोग" और "पाठक की पसंद" था । श्री मडोक के विनिश्चय के बाद अपनी कंपनी न्यूज कॉर्प जो द टाइम्स, द संडे टाइम्स, द सन् और द न्यूज आफ दि वर्ल्ड की मालिक है, की आमदनियों में एक बड़ी मंदी आई । उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी समाचार-पत्र अंतर्वस्तु के अंकीय परिदान की विक्रय से काफी राजस्व कमायेगी । उनसे इस वर्ष देर से द संडे टाइम्स के साथ एक नयी स्कीम आरंभ करने की आशा है । **(हिंदू नई दिल्ली, तारीख 9 अगस्त, 2009)**

रिचार्ड देसमान्ड एक्सप्रेस न्यूज पेपर छलकपट वाले विज्ञापन लेख में संलिप्त पाया गया है । चूंकि चालबाजी में चित्रों को विज्ञापन कोड से "सआशय" हटाने के उद्देश्य से विज्ञापन वाचडॉग कहा जाता है । विज्ञापन मानक प्राधिकारी ने देसमान्ड नार्दन और शेल ग्रुप की कंपनी के भाग की आलोचना की है जिसके परिणामस्वरूप वाचडॉग का अन्वेषण यह देखने के पश्चात् किया गया कि अनेक अवसरों पर समाचार-पत्र लगभग उसी प्रकार उसी पेज पर कतिपय उत्पादों के बारे में एक समान चित्र प्रस्तुत करते थे जैसे उन्हीं उत्पादों के लिए नियमित विज्ञापन करते हैं । एएसए ने कहा कि लेख "संलग्न विज्ञापनों में चित्रित उत्पादों के सदैव और अद्भूत रूप से अनुकूल थे और उनमें वे दावे अंतर्विष्ट थे जो विज्ञापनों में प्रतिसिद्ध किए गए हैं या जिनके प्रतिसिद्ध किए जाने की संभावना है ।" "हमारा यह सुविचारित मत है कि औसत पाठक ने उत्पाद पर चित्रित होने वाले संपूर्ण पेज को समझ लिया होगा, कोई बात नहीं । पृष्ठों के शीर्ष और अधोभाग की सुभिन्न शैली हैं, अपने निर्णय में एएसए ने कहा। एएसए ने समाचार-पत्र को चुनौती दी कि प्रत्येक मामले में तथाकथित चित्र वास्तव में विज्ञापक-एक्सप्रेस समाचार नहीं - द्वारा नियंत्रित था और उस पेपर ने विज्ञापन लेख के रूप में अंतर्वस्तु को ब्रांडिकृत करके उसे स्पष्ट नहीं किया था । एएसए ने प्रत्येक उत्पाद की प्रभावकारिता को बारे में किए गए विभिन्न दावों को भी चुनौती दी है । द डेली एक्सप्रेस ने यह दावा किया है कि अंशों को "सामान्य पत्रकारिक प्रथा का अनुसरण करके एक साथ रखा गया है जिसमें विज्ञापक को दी गई प्रति का भेजा जाना भी सम्मिलित है । एएसए ने कहा कि विभिन्न तारीखों को उसी प्रकाशन में उसी या वैसे रूप में उपस्थित होने के लिए वास्तविक संपादकीय अंशों के लिए अप्रायिक था । दि एएसए ने डेली एक्सप्रेस को यह सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश दिया है कि

विज्ञापन लेखों को स्पष्ट रूप से लेबलीकृत किया गया था और कहा कि सभी दावे जो उत्पादों के बारे में बनाए गए थे दोबारा नजर नहीं आने चाहिए । **(वेबसाइट एडिशन, द गार्जियन तारीख 12 अगस्त, 2009)**

महानिदेशक मार्कथम्सन ने गार्जियन को बताया कि बीबीसी कार्यपालक निगम के लाभप्रद वाणिज्यिक आर्म, जो व्यापक रिव्यू का कई भाग है । ये भागतः निजीकरण पर विचार कर रहे हैं, विचाराधीन विकल्पों में कारोबार के स्टॉक बाजार का सूचीकरण है जिसमें गत वर्ष लगभग एक बिलियन पॉण्ड का वार्षिक राजस्व मिला था । बीबीसी पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय क्रेताओं को स्ट्रिक्टली कम डांसिंग जैसे लोकप्रिय शो के अधिकारों को बेचती है । "थॉम्सन ने कहा कि एक चीज जो हमें इस अवधि के दौरान नहीं देखनी चाहिए वह यह है कि क्या पूरे विश्व की शतप्रतिशत मलकियत प्रगतिशील होने के लिए आवश्यक है"। यदि बीबीसी भागतः निजीकरण के साथ अग्रसर होने का निश्चय करती है तो निवेशक शेयरों को खरीद सकते हैं जबकि निगम वाणिज्यिक आर्म पर नियंत्रण रखेगी, जो टॉप गियर जैसे लोक प्रिय कार्यक्रमों से मैगजीन प्रकाशित कराते हैं और लाइसेंस वाणिज्यिक जारी करते हैं । यद्यपि बीबीसी पूरे विश्व में संभाव्य संयुक्त बेंचर के बारे में विरोधी चैनल 4 के साथ वार्ता होती रही है, कारोबार के विक्रय पर चर्चा नहीं की गई है । **(द हिंदुस्तान टाइम्स तारीख 15 सितंबर, 2009)**

बीबीसी न्यूज वेबसाइट ने समाचार सुनाने के लिए नवंबर, 2008 मुंबई हमले के अपने कवरेज के लिए ऑनलाइन न्यूज एसोशियन इंटरनेट पुरस्कार जीता है । **(दि स्टेटमेन, नई दिल्ली, तारीख 6 अक्तूबर, 2009)**

दि लंदन इविनिंग स्टेंडर विक्रय के 180 वर्ष से अधिक के पश्चात् मुक्त समाचार-पत्र बन गया है । सांध्यकालीन समाचार-पत्र, लंदन के लोक यातायात उपयोक्ताओं सर्वप्रिय समाचार-पत्र - के परिचालन की 2,50,000 से 6,00,000 लाख तक प्रचालन में वृद्धि होने की आशा है । 12 अक्तूबर, 2009 को समाचार-पत्र ने अपने 50 पेंस कवर कीमत छोड़ दी । दि इविनिंग स्टेंडर, 1827 का है परंतु लंदन बाजार में अनेक निःशुल्क समाचार-पत्रों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहा है । रूस के शक्तिशाली उद्योगपति स्वामी एलेक्जेंडर लेबेदेव यह कहते हैं कि वह मुफ्त सीट बनने के लिए यह पहला क्वालिटी समाचार-पत्र है और कई अनेक व्यक्तियों से इसका अनुसरण करने की आशा करता है **(दि पायनियर, नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2009)**

बहुत से लोगों ने प्रेस शिकायत आयोग को शक्तिहीन बताया है कि वह बिल्कुल ही अपनी ब्रांड : आईपीसीसी का भाग बन गया है । स्टीफन गेटले मृत्यु के बारे में जानमोयर कालम पर आज का विनिर्णय निःसंदेह इसकी समाप्ति के लिए आहवान को तेज कर देगा । फिर भी यह निर्णय, जिसमें पीसीसी यह तर्क देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अरूचि और परेशानी, जो मोयर ने उत्पन्न की थी, से पूर्व आनी चाहिए, शक्तिहीन होने से दूर है । आयोग ने मजोरका में गेटले की अचानक मृत्यु के छह दिन पश्चात् और उसके अंतिम संस्कार से एक

दिन पहले मोयर के अंश को छापने के लिए डेली मेल की निंदा करने के तीन अवसर प्राप्त हुए थे । गेटले के भागीदार एन्ड्रू काउंसेल द्वारा की गई शिकायत में यह दलील दी गई कि मेल ने संपादक पद्धति संहिता के खंड 1 (शुद्धता) खंड 5 (दुःख या सदमे में घुसपैठ) और खंड 12 (भेदभाव) का उल्लंघन किया है । एक विस्तृत न्यायनिर्णय में, पीसीसी की शिकायत है कि उसने इन शिकायतों में से किसी भी शिकायत को मान्य क्यों नहीं ठहराया । शुद्धता के अनुसार, इसका तर्क है कि मोयर का अंश स्पष्टतः उसकी राय के रूप में लिखा गया था और अंश में कोई अशुद्धता गेटले की मृत्यु के होने के समय से अन्य कवरेज से दोहराई गई थी । कुटुम्ब के दुःख में उसके प्रवेश के अनुसार, आयोग ने यह दलील दी कि अन्य प्रेस कवरेज का मात्र खंड जनता के कार्यक्षेत्र में दृढ़ रूप से अंक को पहले ही प्रचलन में ला दिया था । भेदभाव के अनुसार, पीसीसी अपने विश्वास पर अडिग है कि किसी समूह (प्रफुल्लित व्यक्ति) के विरुद्ध भेदभाव किसी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव से भिन्न हैं और जबकि मोयर स्पष्टतः पहले का दोषी है, वह बाद वाले मामले में निर्दोष है । **(वेबसाइट संस्करण, गार्जियन, तारीख 18 फरवरी, 2010)**

स्वतंत्र भाषण वाले अभियानकर्ता अन्यत्र कठोर अपमान लेख विधियों से से दूर हटने वालों के लिए "पत्रकारिता आश्रय" के रूप में द्वीप राष्ट्र का पुनः आविष्कार करने के लिए गत सप्ताह आईलैंड की संसद के समक्ष रखी गई योजना से खुश थे । परंतु विकास के समाचार ने स्थानीय कारक को दबाने की बजाए उसकी अनदेखी की, जिससे आइलैंड के राष्ट्रीय मीडिया में विश्वास व्यापक रूप से खत्म हो गया । बहुत से लोग अलगाववादी राजनीतिक हित के लिए देश के मुख्य समाचार-पत्रों को ऐसा मुखपत्र समझते हैं, जो गत वर्ष की आर्थिक मंदी को रोकने में असफल हुए थे । अवमान का विशिष्ट फोक्स सबसे पुराने स्थापित दैनिक समाचार-पत्र मोरगुनलेडिड पर है । गत वर्ष से हल्के स्पर्श विनियमन और निजीकरण के 13 वर्षों के दौरान इसके मुख्य संपादक डेविड ओडसन है, जो बाद में उस समय सेंट्रल बैंक का प्रभारी भी रहा है, जब मंदी अंतिम रूप से उत्पन्न हुई थी । श्री ओडसन के आगमन के साथ अनुभवी पत्रकारों की भारी छंटनी भी हुई, जबकि आलोचक "मंदी" शब्द के आसपास प्रकाशित कोटेशन चिह्नों के पश्चात् इतिहास को पुनः लिखने के लिए समाचार-पत्र को प्रयोग करने का उस पर आरोप लगाया था । खोजी पत्रकारिता और स्थापना की समीक्षा अभी मरी नहीं हैं । बड़े दो नेशनल डेली से हटकर, हाल ही की अति प्रभावित करने वाली कुछ अनूठी खबर निकतम वस्तु डीवी पर डाउन की गई हैं । ब्लागिंग में बड़ा उछाल भी हुआ है यद्यपि शायद गत वर्ष की "डेगची क्रांति" में निभाई गई सामाजिक नेटवर्किंग स्थलों की भूमिका से उत्पन्न हैरानी नहीं है । **(दि हिंदू, नई दिल्ली, तारीख 22 फरवरी, 2010)**

मिस्र

दो वरिष्ठ मिश्री संपादक सत्तारूढ़ दल का एक सदस्य और यहूदी कार्यकलापों का अन्य विशेषज्ञ को इजराइल के साथ संबंध रखने पर प्रतिबंध का उल्लंघन के लिए देश के पत्रकार

संघ द्वारा दंडित किया गया है । राज्य द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक "डेमोक्रेटिया" के मुख्य संपादक हाले मुस्तफा को देश के इजराइल के राजदूत शालोम कोहेन से भेंट करने के लिए मिस्र के पत्रकार संघ द्वारा भर्त्सना की गई थी । संघ ने "अक्तूबर" पत्रिका के उप संपादक हुसैन सेराग को उसके इजराइल में 25वीं दौरे के लिए तीन मास तक लिखने उसको निलंबित करते हुए दंडित किया था **(दि स्टेटसमैन, नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2010)**

यूएई

यूनाइटेड अरब अमीरात के अति लोकप्रिय समाचार-पत्र ने आबूधाबी में कुछ सत्तारूढ़ कुटुम्ब के घोड़ों को डोप किए जाने का आरोप लगाने वाली कहानी के लिए मुकदमा चलाए जाने के पश्चात् न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में 20 दिन के लिए 6 जुलाई, 2009 को प्रकाशन निलंबित कर दिया था । अरबी भाषा अल टूमारात अलयोर्न के विरुद्ध निलंबन आबूधाबी फेडरल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था जो अमीरात के न्यायालय में अधिकतम है । न्यायालय ने समाचार-पत्र के संपादक और मुख्य कार्यपालक पर 20,000 ड्रिहम्स (5445 डालर) का जुर्माना भी ठोका । सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, समाचार-पत्र को आबूधाबी सत्तारूढ़ परिवार के मुख्य सदस्य और अमीरात का भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री शेख सुल्तान बिना जैयद अल न्याहन के दोनों बेटों के स्वामित्व घोड़ों जोड़ों के बारे में "इरावेतन गलत और झूठी सूचना" प्रकाशित करने के लिए निलंबित कर दिया गया था । 2006 में समाचार में प्रकाशित लेख में यह आरोप लगाया था कि उनके घोड़ों को बेहतरीन करतब दिखाने के लिए दवा खिलाई गई थी । अस्तबल मालिकों ने अपमानजनक लेख तथा मानहानि के लिए समाचार-पत्र के संपादक सैमी अल, रेयामी और मुख्य कार्यपालक अब्दुल्लाह अल सायेफ पर मुकदमा चलाया था । निचले न्यायालय ने निलंबन का आदेश दिया था परंतु समाचार-पत्र में उच्च न्ययालय में अपील की थी । दुबई स्थित अरब मीडिया समूह, समाचार-पत्र के मालिक संक्षिप्त ब्यान में कहा कि यह समूह, यूएई के कानूनों और विनियमों के प्रति बचनबद्ध था और तुरंत तत्काल प्रभाव से न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह से पालन करेगा । **(दि पायनियर, नई दिल्ली, तारीख 7 जुलाई, 2009)**

ईरान

जैसाकि ईरान में अपने राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के परिणामों पर विरोध हुआ है, प्राधिकारियों ने विदेशी मीडिया को गलियों से रिपोर्ट करने के लिए कार्यरत ईरानियों सहित पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा कि वे केवल अपने कार्यालयों से ही टेलीफोन साक्षात्कार करने राज्य टेलीविजन जैसे सरकारी साधनों को मानीटर करने का कार्य कर सकते हैं । नियम अलग-अलग फोटो या गली में किए गए विरोध या रैली की वीडियो भेजने से मीडिया आउटलेटों को रोकते हैं । गत सप्ताह के निर्वाचन को कवर करने के लिए ईरान में मौजूद विदेशी संवाददाताओं ने देश को छोड़ना शुरू कर दिया है । ईरानी पदाधिकारियों ने कहा कि वे उनके वीजाओं को

आगे नहीं बढाएंगे । टिविटर और फेसबुक जैसी वेबसाइट अहमदाईनजाद के विरोधी उन नौजवान, शहरी ईरानियों के लिए केंद्र बिंदु बन गया है । 12 जून, 2009 को जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन मौंसावी को हराया था और जिनकी सरकार का सरकारी मीडिया पर नियंत्रण है **(दि टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली, तारीख 17 जून, 2009)**

ईरानी न्यूज एजेंसी ने 30 अक्तूबर, 2009 को खबर दी है कि सुधार समर्थक संपादक, जिसे जून में ईरान के विवादित निर्वाचन के शीघ्र पश्चात् बंदी बना लिया गया था, एक बिलियन रेल्स (लगभग 1,00,000 डालर) की जमानत पर रिहा कर दिया गया है । लेबर न्यूज एजेंसी आईएलएनए ने कहा कि मोहम्मद क्वचानी मुख्य संपादक समाचार-पत्र 29 अक्तूबर, 2009 को तेहरान की एविन जेल से प्रकाशित हुआ था । एक सुधारक वेबसाइड ताघीर.कॉम ने कहा कि उसने कैद में 131 दिन बिताये थे । सुधारक पुरोहित के समाचार-पत्र एतेमादये मेली और हारे हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मेहदीकारोबी, अगस्त में प्राधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया था । हजारों लोगों को जून में हुए चुनावों के पश्चात् गिरफ्तार कर लिया गया था जिन्होंने बड़ी-बड़ी गलियों में विरोध की चिंगारियां भड़का दी और ईरान राजनीतिक हलचल में डुब गया । अधिकतर कैदियों को रिहा कर दिया गया है परंतु 100 से अधिक वरिष्ठ समाज सुधारकों, कार्यकर्ताओं पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों को विचारण पर रखा गया है जिनपर गलियों में अशांति पैदा करने का आरोप है । विपक्ष ने "विचारण बताओं" के रूप में न्यायालय सेशन की भर्त्सना की है । **(दि हिदुस्तान टाइम्स, तारीख 31 अक्तूबर, 2009)**

पत्रकार गत जून में विवादग्रस्त राष्ट्रपतीय चुनाव के पश्चात् ईरानियन सरकार के प्रहार में मुख्य लक्ष्य बन गए हैं जिनमें से पत्रकारों की सुरक्षा करने की समिति के अनुसार, विश्व में पत्रकारों के शीर्षस्थ जेलर इस समय ईरान का निर्माण कर रहे हैं । गिरफ्तारियों की लहर ने उस समय ईरान में पत्रकारों के माध्यम से शांति फैला दी है जबकि विपक्ष सुधार समर्थक आंकड़ों पर भारी प्रभार के सामने सरकार के विरुद्ध अपनी चुनौतियों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है । "वेलीजादेह, जो अब पेरिस में रहते हैं, ने कहा है कि हमारे पास गुरिल्ला प्रकार के पत्रकार हैं जो मास्क पहनते हैं, उनके कोई नाम नहीं है, छद्म नाम लिखते हैं और ईरान से बाहर न्यूज आउटलेटों को अपने वास्तविक नामों का उल्लेख किए बिना ईमेल भेजते हैं और छद्म नामों सहित वेबलॉग में प्रकाशित करते हैं । **(दि हिदुस्तान टाइम्स, तारीख 12 मार्च, 2010)**

एशिया

प्रतिदिन 107 मिलियन समाचार-पत्रों के विक्रय किए जाने के साथ ही भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार-पत्र बाजार है । चीन और जापान के साथ ही, वह विश्व के समाचार-पत्रों की बिक्री का 60% से अधिक बिक्री करता है । "समाचार-पत्रों की मृत्यु के बारे में अनंत भविष्यवाणियों के बावजूद भी वे वास्तविक रूप से विश्व स्तर पर कम से कम विकसित होते

रहते हैं ।" वर्ल्ड एसोसिएशन आफ न्यूज पेपर एंड न्यूज पब्लिसर (डब्ल्यूएएन-आईएफआर ए) के सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी टाइमोथी वाल्डिंग ने हैदराबाद में चल रही 62वीं वर्ल्ड न्यूज पेपर कांग्रेस में अपने प्रस्तुतिकरण में कहा कि यूएसए कुल समाचार-पत्रों के विक्रय का केवल 14% की विक्री करता है । वैश्विक रूप से 1.9 विलियन लोग प्रतिदिन समाचार-पत्र पढ़ते हैं जो विश्व की जनसंख्या का 34% है जबकि 24% लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं (**दि ट्रिब्यून चंडीगढ़ तारीख 3 दिसंबर, 2009**)

मीडिया व्यक्तियों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे एक संगठन द्वारा 29 दिसंबर, 2009 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में इस वर्ष साउथ एशिया में बारह पत्रकार जिनमें एक भारत का है, मौत के घाट उतार दिए गए थे । अधिकतम सात मौतें पाकिस्तान से रिपोर्ट की गई थी । दो पत्रकार इस साल अफगानिस्तान में मौत के घाट उतार दिए गए थे जबकि नेपाल और श्रीलंका ने जैसा रिपोर्ट में कहा गया है, प्रत्येक में एक-एक पत्रकार के मारे जाने की खबर है । रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिवाणिज्यकरण, एकाधिकारकरण और अत्यधिक राजनीतिक चौधराहट ने विशेषतया भारत और पाकिस्तान में व्यवसायिक और नैतिक सन्नियमों को दरकिनार कर दिया है । प्रदेश के अधिकांश देशों में विनियामक माहौल विशेष रूप से इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए गलत परिभाषित किया गया है **(द एशियान ऐज, नई दिल्ली, तारीख 30 दिसंभर, 2009)**

चीन

चीन मीडिया और मनोरंज कंपनियों को विकसित करने के लिए अगले कुछ वर्षों के दौरान बिलियनों डालर खर्च करने की योजना रखती है कि उसे न्यूज कार्प और टाइम वार्नर विश्व के विशाल समाचार-पत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकने की आशा करता है और वह इन उद्योगों के में से कुछ पर अपने शक्त नियंत्रण को ढीला करने की प्रक्रिया में है । चीन राज्य परिषद् द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित विश्लेषण में कहा है कि महत्वाकांक्षी योजना, मनोरंजन के सृजन पर आक्रमण, बाजार अनुकूलन वाली समाचार और संस्कृति कंपनियों और कम सरकारी समर्थन के साथ, संक्षेप में बुलमबर्ग टाइम वार्नर और वायाकॉम के साथ मिलती-जुलती कंपनियों में अपने उद्योग को समेकित करना चाहेगा । गत सप्ताह अपनी घोषणा में बिजिंग ने कहा है कि राज्य स्वामित्व वाले समूह बाहर वित्तपोषण को अनुज्ञात करने के लिए पुनःसंगठित किए जाएंगे जिससे कि वे "परजीवि के रूप में सरकारी विभागों से संलग्न होने के बजाए स्वयं अपने पर निर्भर हो सकें" । कंपनी देश के भीतर वितरण के लिए मनोरंजन और सांस्कृतिक विषय-वस्तु के व्यापक रेंज को वित्तपोषित करने और उत्पादन करने के लिए और निर्यात के लिए भी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगी । नई सरकारी नीति से लाभान्वित होने के लिए पहली कंपनियों में शंघाई मीडिया ग्रुप देश का सबसे बड़ा राज्य द्वारा संचालित न्यूज और मीडिया संपिंडन होगा । नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के विश्लेषक कहते हैं कि अगस्त में सरकार ने कंपनी को अपनी संक्रियाओं को पुनः संगठित करने का और जनता को स्टॉक जारी करने का

अनुमोदन दे दिया है । चीन के विशाल बाजार तक अधिक पहुंच को तलाशने वाली विदेशी मीडिया कंपनियां हताश हो सकती हैं । "मीडिया पार्टनर्स एशिया, एक हांगकांग स्थित शोध फार्म के निदेशक विवेक काउतो कहते हैं कि "यह अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनियों द्वारा पनधारियों के लिए एक आमंत्रण नहीं है ।" "परंतु यह कुछ और करने के लिए प्राइवेट इक्विटी और विदेशी पूंजी के लिए आमंत्रण हो सकता है । **(दि डैक्कन हेराल्ड, बेंगलोर, तारीख 7 अक्तूबर, 2009)**

नेपाल

एक रिपोर्ट में काठमांडु स्थिति मीडिया वाचडाग फ्रीडम फोरम ने यह आरोप लगाया है कि 2009 में नेपाल में प्रेस पर जानबूझकर हमले और धमकियों की घटनाएं जारी हैं । पूरे देश में नेपाली पत्रकारों और मीडिया घरों ने शारीरिक हमले की 33 घटनाएं, 32 धमकियां, दुर्व्यहार के 21 मामले, हाय हुल्ला के 11 घटनाएं, व्यवधान की 3 घटनाएं और कुछ राजनीतिक दलों तथा अलगाववादी हित समूहों के सहयोगी संगठनों सहित राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं से विस्तृत रूप से कारावास के आठ मामले झेले हैं, ऐसा फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है । फ्रीडम फोरम यह बताता है कि पत्रकारिता में अव्यवस्था व्यवसायिकता की कमी और पत्रकारिता में राजनीतिक हस्तक्षेप का बढ़ना ऐसे कारण रहे हैं, जिससे नेपाल मीडिया में स्वसेंसरशीप बढ़ा है । इसके परिणामतः गहन और खोजी रिपोर्टिंग में कमी है और अधिकतर हमलों के लिए माओवादियों पर आरोप लगाया है **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, तारीख 3 जनवरी, 2010)**

नेपाल में यूएन अधिकार निकाय ने जमीम शाह, मीडिया उद्यम, जिनका अधिकथित रूप से संबंध आईएसआई और अंडर्वर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के साथ था, की हाल ही में हुई हत्या पर समाचार प्रकाशित करने के दौरान पत्रकारों को दी गई धमकी की निन्दा की है । एक मुख्य नेपाली दैनिक दि काठमांडु पोस्ट के संपादक और प्रकाशक को शाह की हत्या के बारे में समाचार प्रकाशित करने के लिए धमकियां मिली थीं । नेपाल में मानवधिकार के उच्चायुक्त के यूएन ऑफिस ने कहा है कि ओएचसीएचआर ने यह नोट किया है कि "ओएचसीएचआर, जामिम शाहा उद्यमी की हत्या पर समाचार रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए नेपाल में मीडिया को धमकी देने संबंधी समाचारों से गंभीर रूप से चिंतित है । "मीडिया के विरुद्ध दुर्भाग्यवश हिंसा नेपाल में ही नहीं है और यह तराई में विशेष रूप से कार्यरत पत्रकारों के विरुद्ध देखी गई है।" **(दि पाइनियर, नई दिल्ली, तारीख 17 फरवरी, 2010)**

पूरे नेपाल में मीडिया एसोसिएशनों और संगठनों ने पिछले एक मास में दो प्रमुख मीडिया सामंत की हत्या सहित मीडिया पर बारंबार हमले के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया है । 13 महत्वपूर्ण नेपाली और अंग्रेजी समाचार-पत्रों के संपादकों ने "अहिंसा कलम को रोक नहीं सकती" नामक शीर्षक के अधीन 3 मार्च, 2010 के अपने प्रकाशनों में मुख्य रूप से किए गए कथनों में हमलों की निन्दा की है । इन हमलों के प्रति सरकार को उसकी असंवेदनशील

निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए उन्होंने, "जैसी भी परिस्थितियां हों" प्रेस की स्वतंत्रता को कभी भी कम नहीं करने की शपथ ली है । रिपब्लिका और दि हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अधिकतर समाचार-पत्रों में भी कामकाज की अवस्था पर संपादकीय लेख थे । 8 मार्च, 2010 को जनकपुर टुडे, नेपाली समाचार-पत्र और रेडिया टूडे, एफएम रेडियो स्टेशन के मालिक अरुण सिंघानी को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने जनकपुर में गोली मार दी थी । **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली तारीख 4 मार्च, 2010)**

मलेशिया

मलेशिया नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट (एनयूजे) ने सरकार से विद्यमान शासकीय गोपनीय अधिनियम (ओएसए) को समाप्त करने का और उसकी जगह सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम लाने का अनुरोध किया है क्योंकि अधिनियम द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के कारण प्रमुख मीडिया को नुकशान उठाना पड़ा है । एनयूजे के अध्यक्ष नोरेला दाऊद ने 4 मई, 2009 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए बयान में कहा है कि शासकीय गोपनीय अधिनियम, मुद्रण प्रेस और प्रकाशन अधिनियम तथा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के परिणामस्वरूप नकारात्मक भावना से प्रमुख मीडिया ने नुकसान उठाया है । दाऊद ने कहा कि सरकार को विश्व सूचना प्रवृत्ति के लिए अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, जो अधिक स्वतंत्र प्रेस और सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और सुशासन की नीति की अपेक्षा करती है, ऐसा स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है । **(दि स्टेट्समेन, नई दिल्ली, तारीख 6 मई, 2009)**

श्रीलंका

यूनेस्को ने मिस्टर लासांथा बिक्रमतुंगे श्रीलंकाई पत्रकार को, जो इस वर्ष की शुरूआत में मारे गए थे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, 2009 प्रदान किया है उन्हें 14 पत्रकारों से मिलकर बनी वर्ल्ड ज्यूरी द्वारा उनका चयन किया गया है । यह 12 वर्षों में दूसरा अवसर रहा जब किसी पत्रकार को मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया है । **(जनसत्ता, नई दिल्ली, तारीख 8 अप्रैल, 2009)**

श्रीलंका के समाचार-पत्र संडे लीडर को, जिसके संपादक की जनवरी में हत्या कर दी गई थी स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के संरक्षण में उनके योगदान के लिए गौरवमेय गार्जियन जर्नलिजम पुरस्कार के लिए चुना गया है । **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, तारीख 23 अप्रैल, 2009)**

एक ऐसे निर्णय में जिसने कार्यकर्ताओं और मीडिया वाचडागों के अधिकारों को ठेस पहुंचाई थी, कोलंबो उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त, 2009 को दिग्गज श्रीलंकाई पत्रकार और स्तंभकार जे.एस. तिसायनागम को देश के कठोरतम आतंक विरोधी विधि के अधीन 20 वर्ष

के कठोर कारावास का दंड दिया है । इस निर्णय ने पूरे विश्व में मीडिया कर्मियों के सबसे बुरे इस भय की पुष्टि की है कि श्रीलंका अन्य संवाददाताओं और संपादकों को, जो सरकार की तपती धरती पर आतंक विरोधी अभियान और स्वतंत्र पत्रकारिता का व्यवसाय का प्रश्न करना चुनते हैं, भयभीत करने के लिए तिसायनागम का उदाहरण देंगे । यूएस राष्ट्रपति बराकर ओबामा ने हाल ही में उन पत्रकारों के "प्रतिकात्मक उदाहरण" के रूप में तिसायनागम का उल्लेख किया है जिन्होंने भय और मनमानी गिरफ्तारी की कीमत चुकाई है । न्यायाधीश दीपाली विजयसुंद्रा द्वारा दिया गया निर्णय मुख्यतया दो लेखों से संबंधित था, जिसमें अभियोजन ने कहा कि उनमें गैर-जातीय समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने की प्रवृत्ति है और अभिरक्षात्मक स्वीकृति पर आधारित एक आरोप की उसने आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए धन उधार लिया था । तिसायनागम ने "नॉर्थ ईस्ट्रन मंथली" में टिप्पणी करके सरकार के रोष के भागी बने कि "उसके अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में असमर्थता के कारण" श्रीलंका के प्रति अंतरराष्ट्रीय क्रोध पैदा कर दिया है । **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, तारीख 1 सितंबर, 2009)**

लंका में मार्क्सवादी पार्टी से संबद्ध साप्ताहिक सिंहला समाचार-पत्र को 31 जनवरी, 2010 को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया था और प्रश्न पूछने के लिए जैसे ही समाप्त हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन में हुए खून-खराबे के कारण देश में मीडिया पर एक बार पुनः दबाव पड़ना शुरू हुआ और उसके संपादक को उठा लिया था । मीडिया पर प्रतिबंध धीरे-धीरे इस वर्ष लिट्टे की हार के पश्चात् कम हो रहे हैं जिसके दौरान सैन्य मुद्दों पर रिपोर्ट के संबंध में अत्यंत नियंत्रण लगा दिया गया था, परंतु उसके पश्चात् मीडिया की लगाम कुछ हद तक ढीली छोड़ दी गई है । परंतु स्थिति पुनः बिगड़ती हुई प्रतीत होती है । उन पत्रकारों को धमकियां देने और भयभीत करने की भी रिपोर्टें हैं, जिन्होंने पराजित विपक्षी उम्मीदवार जर्नल सराथफोनसेका का समर्थन किया था । इस बीच पेरिस स्थित मीडिया अधिकार समूह रिपोर्ट्स विद्आउट बोर्ड ने राष्ट्रपति राजा पासका को निजी रूप से स्वामित्व वाले और विदेशी मीडिया के लिए कार्य कर रहे पत्रकारों की गिरफ्तारी और उन्हें परेशान किए जाने पर रोक लगाने के लिए लिखा है । **(द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ तारीख 1 फरवरी, 2010)**

इस बात पर जोर देते हुए कि देश में मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने की कोई पहल नहीं की गई है, श्रीलंका सरकार ने 17 फरवरी, 2010 को प्रेस से उस रीति में व्यवहार न करने के लिए कहा जो लोकतंत्र के नियमों के लिए हानिकारक होगी । श्रीलंका मीडिया को सरकार द्वारा "अभूतपूर्व" स्वतंत्रता प्रदान की गई है और राष्ट्रपति मोहिंदा राजापाकसा ने यह जोर देकर कहा है कि पत्रकारों के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई किए जाने से पूर्व उसे सूचित किया जाना चाहिए, यह लक्षमण यापा अभेयवदर्धन, मीडिया के गैर मंत्रीमंडलीय मंत्री ने कहा है । उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई अलोकतांत्रिक उपाय नहीं किए हैं जिनसे मीडिया के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगे । विपक्ष समर्थक लंका न्यूज पेपर, चंदना श्रीमलवाते के मुख्य संपादक को न्यायालय द्वारा पुलिस अभिरक्षा से रिहा किए जाने के आदेश के एक दिन बाद मंत्री जी की

टिप्पणी आई है : श्रीमलवते को उस रिर्पोट के संबंध में सीआईडी द्वारा हाल ही में कैद कर लिया गया था, जो उसके समाचार-पत्र में छपी थी (**दि पायेनियर, नई दिल्ली, तारीख 18 फरवरी, 2010**)

पाकिस्तान

दो पाकिस्तान पत्रकार रबनवाज जोया ओर जाबेद कनावल चंदोर पंजाब की पूर्वोत्तर प्रोविंस के ओकारा जिले के पुलिस स्टेशन में 10 नवंबर से बंदी बनाए गए हैं । हालांकि चोरी और कपट का आरोप लगाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, परंतु वास्तव में उन्हें मुंबई के भारतीय शहर में नवंबर, 2008 के आतंकवादी हमले में भाग लेने वाले अजमल कसाब के बारे में आधारभूत सूचना प्राप्त करने में पाकिस्तानी और अंतरराष्ट्रीय न्यूज मीडिया की सहायता करने के लिए गिरफ्तार किया गया था ।

हमलों की तुरंत बाद पाकिस्तानी सरकार ने इस बात से इनकार किया था कि कसाब पाकिस्तानी मूल का है ।

प्रेस स्वतंत्रता संगठन ने यह कहा है कि "उनके विरुद्ध लगाये गए बेतुके आरोप उनकी गिरफ्तारी के लिए वास्तविक उद्देश्य को छिपाने में असफल हैं । हम उन्हें अविलंब रिहा करने और सभी आरोपों से मुक्त करने की मांग करते हैं ।

ऊर्दू भाषा के समाचार-पत्र अकबर अलमसरिक और चंदोर, के संवाददाता जोआ, दुनिया न्यूज टीवी के रिपोर्टर पर, दीपालपुर प्रेस क्लब के बाहर खड़ी कार से धन और मोबाइल फोन चुराने का प्रयास करने का आरोप है, जबकि जोआ इसके अध्यक्ष है और चंदोर महासचिव है । उन पर सरकारी निधि का गवन करने का भी आरोप है ।

लाहौर स्थित पत्रकार ने, जिन्होंने उस पुलिस स्टेशन में उनसे बात की जहां पर उन्हें बुरी अवस्था में रखा जा रहा था, यह कहकर उन्हें कोट किया कि उन्हें "अजमल कसाब के बारे में और ज्यादा जानने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को सहायता करने के लिए और फरीदकोट, दीपालपुर जहां का कसाब है के निकट गांव तक रिपोर्टरों को पहुंचाने में सहायता करने के लिए दंडित किया जा रहा है । (**भारतीय पत्रकार संघ, प्रेस विज्ञप्ति तारीख 13 नवंबर, 2009**)

पूरे विश्व के समाचार संगठनों ने पाकिस्तान सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके देश में कार्यरत विदेशी पत्रकारों की सुरक्षा की जाए । यह बात एक प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र द्वारा यह दावा किए जाने के बाद कही गई है कि एक अमरीकी रिपोर्टर सीआईए तथा इजराइली आसूचना के लिए कार्य कर रहा है । सूचना मंत्री, क्वामर जमान कैरा को संयुक्त पत्र में मीडिया संगठनों के संपादकों और कार्यपालकों ने विदेशी पत्रकारों के बीच डेली रिपोर्टों द्वारा उत्पन्न दयनीय स्थिति पर कड़ी चिंता जताई है । जिन पत्रकारों ने उस पत्र पर

हस्ताक्षर किए है, उनमें सीएनएन, बीबीसी, राइटर एएफपी, एपी, द न्यूयार्क टाइम्स, लावोसएंजल टाइम्स, दि गार्जियन्स, दि इंडिपेंडेंट एकबीसी न्यूज, अलजजीरा इंग्लिस, टाइम एंड वालस्ट्रीट जर्नल के संपादक और कार्यपालक शामिल हैं । एक समाचार-पत्र दि नेशन जिसमें गत कुछ सप्ताहों के दौरान यूएस विरोधी और भारत विरोधी रिपोर्टों की असमर्थित शृंखलाएं है, आमुख पृष्ठ पर इस मास के शुरू में यह दावा किया कि वालस्ट्रीट जर्नल संवाददाता मैथ्यू रोशन बर्क सीआईए के लिए कार्य कर रहा था, इजराइली आसूचना और यूएस सैन्य ठेकेदार ब्लैकवाटर, डैनियल पर्ल भी वालस्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर भी लड़ाकुओं द्वारा उसका अपहरण किए जाने और मारे जाने से पूर्व कुछ वर्ष पहले वैसे ही आलोचना का शिकार बना था । इस पत्र में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में कार्यरत सभी पत्रकारों के लिए यह समय कठिन था और अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों के लिए कार्य करने वाले रिपोर्टरों ने हिंसा और अपहरण सहित ऐसी धमकियों का सामना किया था क्योंकि उन्होंने सही कवरेज प्रदान करने के लिए संघर्ष किया था । (**दि ट्रिब्यून चंडीगढ़, तारीख 23 नवंबर, 2009**)

अफगानिस्तान

19 अगस्त, 2009 को अफगान पत्रकारों ने विदेश मंत्रालय द्वारा निर्वाचन के दिन हमलों या हिंसा के बारे में सूचना को प्रसारित न करने की मांग को अस्वीकार किया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसने समाचारों के कवर करने के अपने सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है । इससे भयभीत होते हुए कि हिंसा से खून-खराबा बढ़ेगा, विदेश मंत्रालय ने यह कहते हुए 18 अगस्त, 2009 को एक बयान जारी किया कि समाचार संगठनों को अफगान लोगों की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव वाले दिन प्रातः 6 और सांय 8 बजे के बीच होने वाली हिंसा की किसी घटना को प्रकाशित करने से बचना चाहिए । अफगानिस्तान के सक्रिय स्थानीय मीडिया - देश में समाचार-पत्रों का मेजबान, रेडियो स्टेशन और टेलीविजन न्यूज आउटलेट - ने प्रेस की उस दमघुटू स्वतंत्रता के रूप में दिए गए बयान की । आशा थी कि 2001 में तालिबान की बेदखली के बाद यह बयान वापस ले लिया जाए । **(दि पायेनियर, नई दिल्ली, तारीख 22 अगस्त, 2009)**

अध्याय - II

प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णय

भारतीय प्रेस परिषद् को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह इस संबंध में होने वाले ऐसे क्रियाकलापों की स्थिति पर नजर रखे जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा हो। इस प्रकार के खतरे कई प्रकार से हैं जो समाज से या राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों या सरकारी प्राधिकारियों या आतंकवादियों और यहां तक कि कभी–कभी प्रेस के आंतरिक लोगों से हैं जिनके कारण संपादकीय प्रबंधन में विवाद पैदा हो जाता है।

हालांकि पिछले वर्ष से इस प्रकार के 210 मामले लंबित पड़े हुए हैं, तथापि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 180 नये मामले दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार कुल 390 मामलों पर विचार किया जाना है। इन मामलों में से 36 मामले न्यायनिर्णय के माध्यम से निपटाए गए हैं। इन 36 मामलों में एक ऐसा मामला भी है जिस पर प्रेस परिषद् ने सीधे ही विचार किया है। 107 ऐसे मामले थे जिन्हें इसलिए खारिज कर दिया गया या निपटाया गया है क्योंकि उनमें जांच के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे या जिनके संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संतोषजनक ढंग से सुधार कर दिया गया है या जो परिषद् के कार्यक्षेत्र में नहीं आते थे या जिन पर न्यायिक कार्रवाई की जा रही है या जिनमें शिकायतकर्ता द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शेष 247 मामले ऐसे हैं जिनपर समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्रवाई पूरी हो जाएगी।

ऐसी शिकायतों के मामले में, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है, वे या तो वास्तविक रूप से या मौखिक रूप से धमकी देने संबंधी थे या संबंधित प्राधिकारियों द्वारा रियायत या विशेष सुविधा देने से इनकार करने से संबंधित थे। ऐसे मामलों का इस अध्याय में विश्लेषण किया गया है। हालांकि विस्तृत न्यायनिर्णय परिषद् की तिमाही पत्रिका, अंग्रेजी में पीसीआई रिव्यू और प्रेस परिषद् समीक्षा हिंदी में और निर्णयों के सार संग्रह 2009–2010 में दिए गए हैं।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

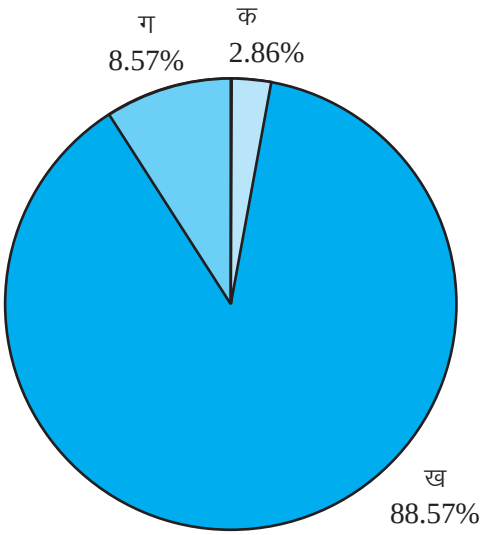

क. अंग्रेजी प्रेस
ख. भारतीय भाषायी प्रेस
ग. पत्रकार संगठन/ समाचार अभिकरण
घ. स्वतः कार्रवाई

प्रतिवादियों की श्रेणियाँ

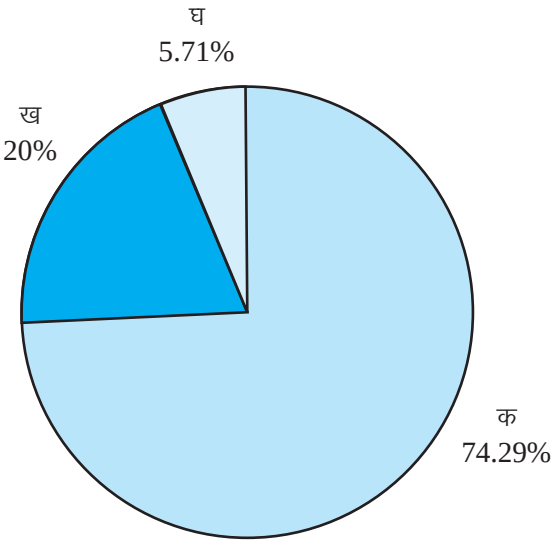

क. पुलिस/सरकारी अधिकारी
ख. सूचना विभाग
ग. संस्थान/निजी कंपनियाँ समाचारपत्र प्रबंधन
घ. गैर सरकारी कर्मी

शिकायतकर्ता प्रकाशनों का राज्यवार विभाजन

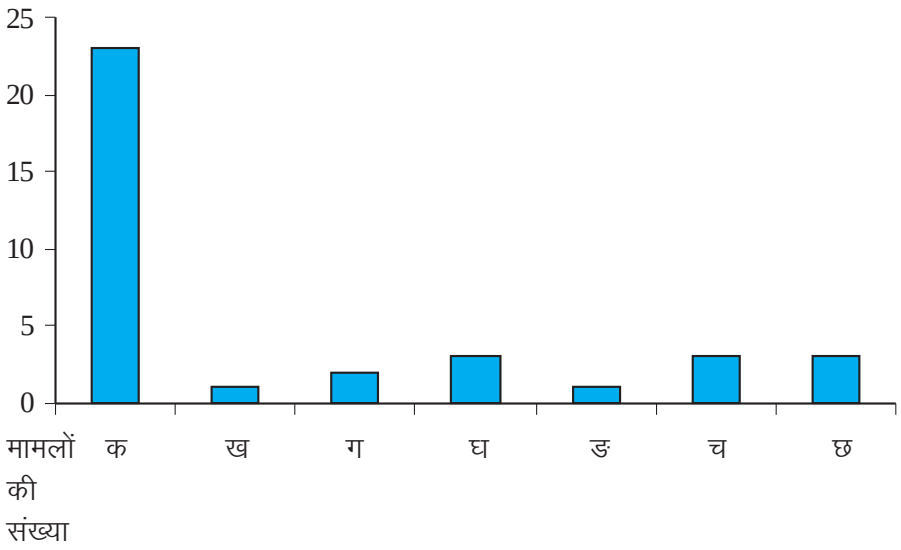

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 36

(एक मामला जिस पर सीधे ही परिषद् ने निर्णय दिया, सहित)

क.	उत्तर प्रदेश	23
ख.	दिल्ली	1
ग.	मध्य प्रदेश	2
घ.	बिहार	3
ङ	असम	1
च.	उत्तराखंड	3
छ.	पंजाब	3

समाचारकर्मियों को परेशान किया जाना

पत्रकारों को परेशान किए जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं विशेषतः ऐसे स्थानों पर हो रही हैं, जहां प्राधिकारियों और आतंकवादियों के बीच टकराव है। प्रेस को इस संबंध में दोनों पक्षों से दबाव झेलना पड़ रहा है। कार्यपालक प्राधिकारियों की वैद्य आलोचना और आतंकवादियों की अनुचित बातों और असामाजिक तत्त्वों के क्रियाकलापों के बारे में पत्रकारों पर अनुचित कार्रवाई की जा रही है, उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, उनकी प्रेस/घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और हत्या जैसे गंभीर मामलों में फंसाया जा रहा है। इस प्रकार प्रेस अपने व्यावसायिक दायित्वों को ईमानदारी से करने के कारण गंभीर परिणाम भुगत रही है। पत्रकारों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन अनुचित रूप से बढ़ता जा रहा है। प्राधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वे पत्रकारों पर उनके वैध दायित्वों के निर्वहन के कारण किए जा रहे हमले या पहुंचाए जा रहे नुकसान को रोके या उन्हें बंद करे।

प्रेस परिषद् ने समीक्षाधीन वर्ष में कुल 22 ऐसे मामलों पर न्यायनिर्णय किया है। इन आरोपों में से तीन मामलों में वे सही पाए गए हैं जबकि केवल छह उनके गुणावगुण के कारण खारिज कर दिए गए हैं। अन्य चार मामलों में परिषद् ने उस स्थिति में जांच स्थगित कर दी है जब संबंधित प्रतिवादी ने समुचित संशोधन करने का आश्वासन दिया है। नौ शिकायतों को शिकायतकर्ता द्वारा आगे कार्रवाई न किए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है या उनके न्यायालय में जाने के कारण खारिज कर दिया गया है या उस स्थिति में खारिज कर दिया गया है जब पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद परिषद् द्वारा उस पर कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया है। निम्नलिखित चार्ट से यह स्थिति और स्पष्ट रूप से समझाई गई हैः

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

मामलों की कुल संख्या : 22

क. अनुमोदित	3
ख. अस्वीकृत	6
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधित	4
घ. अनिष्पादन / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीनता के कारण समाप्त	9

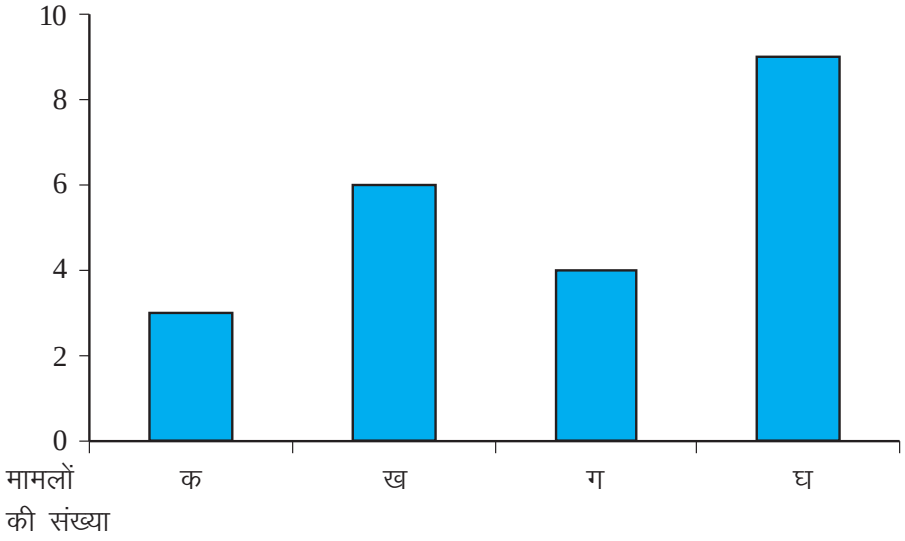

प्रेस को सुविधाएं

प्रत्यायन, सरकारी विज्ञापन आदि जैसी सुविधाएं समाचारपत्रों की रीढ की हड्डी हैं। प्रत्यायन से समाचारों को प्राप्त करने और उन्हें प्रसारित करने में जहां एक ओर सुविधा होती है, वहां सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ आम जनता की भलाई के लिए नीतियों और योजनाओं से संबंधित विज्ञापन से समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता मिलती है। ऐसा न होने पर समाचारपत्र के अस्तित्व के लिए एक बाधा पैदा हो जाती है। परिषद् ने पाया कि कई बार समाचारपत्रों को ये सुविधाएं देने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी अपने पक्ष में समाचार प्रकाशित करने के लिए समाचारपत्रों का दुरुपयोग करते हैं। इसके कारण छोटे और मध्यम श्रेणी के क्षेत्रीय समाचारपत्रों को बहुत नुकसान पहुंचता है।

उपर्युक्त सुविधाओं को वापस लेने या सुविधाएं देने से इनकार करने की बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती हैं लेकिन इन सभी मामलों में न्यायनिर्णय की स्थिति तक नहीं पहुंचा जाता है। इस श्रेणी में आने वाले 13 न्यायनिर्णय के मामलों में से केवल एक को ही सही ठहराया गया है जबकि दो मामलों के गुण–दोष के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है। इनमें से तीन मामलों में परिषद् द्वारा निदेश दिए जाने पर निपटा दिया गया है क्योंकि इनमें आगे कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया या ये मामले न्यायालय में दायर कर दिए गए। सात मामलों में प्राधिकारियों ने शिकायत करने वाले पक्षकारों की शिकायत को दूर कर दिया है। निम्नलिखित चार्ट से यह स्थिति और स्पष्ट हो जाती हैः

प्रेस को सुविधायें

मामलों की कुल संख्या : 13

क. अनुमोदित	1
ख. अस्वीकृत	2
ग. आश्वासन/निपटान/संशोधित	7
घ. अनिष्पादन/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/सारहीनता के कारण समाप्त	3

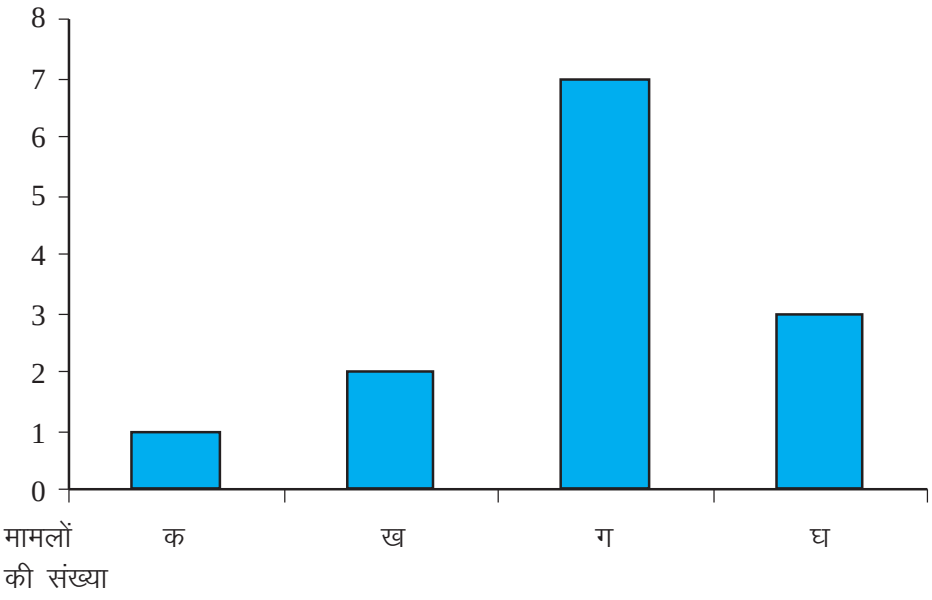

अध्याय - III

प्रेस के खिलाफ दायर शिकायतों में परिषद् द्वारा दिये गए निर्णय

भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना केवल प्रेस की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए ही नहीं की गई है अपितु भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के लिए भी की गई है। भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के लिए परिषद् द्वारा समाचारपत्रों, न्यूज एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है जिसके अनुसार उच्च व्यावसायिक स्तर समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए सुनिश्चित किया जा सके, जनता की रुचि का उच्च स्तर बनाए रखा जा सके और नागरिकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति उन्हें जागरूक बनाया जा सके और पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे सभी लोगों में जिम्मेदारी और जन सेवा की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, समाचारपत्रों के उत्पादन और प्रकाशन में लगे सभी श्रेणियों के लोगों या न्यूज एजेंसियों आदि के बीच उचित व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाया जा सके।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद् को प्रेस के खिलाफ 770 नई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें उन पर पत्रकारिता के मापदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, पिछले वर्ष के इस प्रकार के 694 मामले लंबित हैं। इस प्रकार परिषद् को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेस के खिलाफ दायर सभी 1464 शिकायतों पर विचार करना था। इनमें से 538 मामले न्यायनिर्णय के माध्यम से या प्राथमिक अवस्था में ही निपटा दिए गए हैं। इनके निपटाने का कारण पक्षकारों द्वारा संतोषजनक कारण न बताया जाना या सारगर्भित आरोप का न पाया जाना या शिकायतकर्ताओं द्वारा आगे कार्रवाई न किया जाना या शिकायतकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायत को वापस लिया जाना आदि थे। इनमें 3 ऐसे मामले भी थे जिन पर परिषद् द्वारा सीधे विचार किया गया था। इस प्रकार समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस श्रेणी के 926 मामले लंबित थे। न्यायनिर्णय का विस्तृत विवरण परिषद् द्वारा प्रकाशित की जाने वाली तिमाही गृह पत्रिका "पीसीआई रिव्यू" और "प्रेस परिषद् समीक्षा" में क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में देखा जा सकता है और इन्हें वर्ष 2009–10 के निर्णयों के सार संग्रह में भी देखा जा सकता है।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

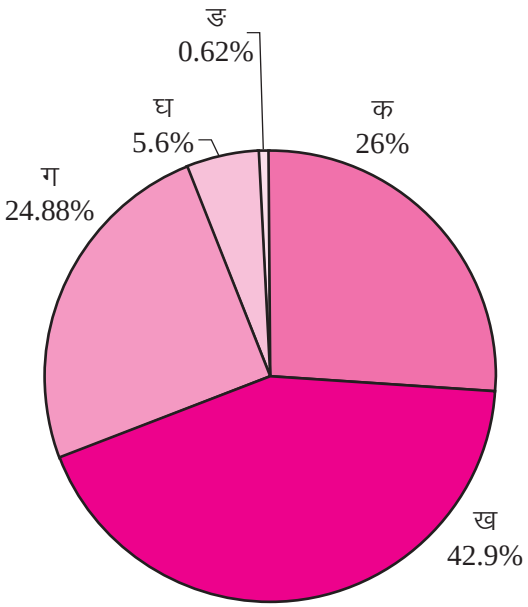

क. सरकारी प्राधिकरण/ सरकारी अधिकारी

ख. गैर सरकारी व्यक्ति

ग. संस्थान/निजी कम्पनियाँ/ समाचार संघ

घ. सार्वजनिक व्यक्ति

ङ. स्वतः कार्रवाई

प्रतिवादियों की श्रेणियाँ

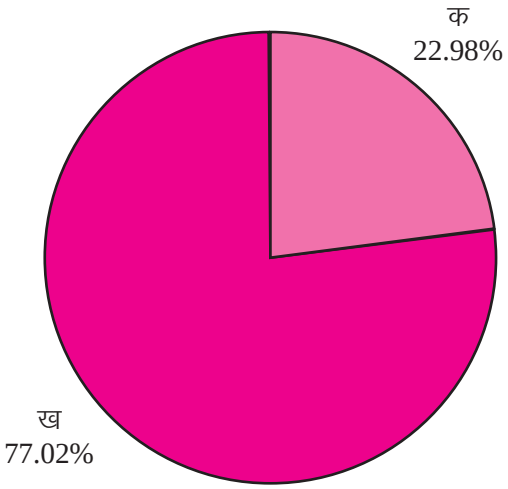

क. अंग्रेजी प्रेस

ख. भारतीय भाषाई प्रेस

प्रतिवादी प्रकाशनों का राज्यस्तरीय वितरण

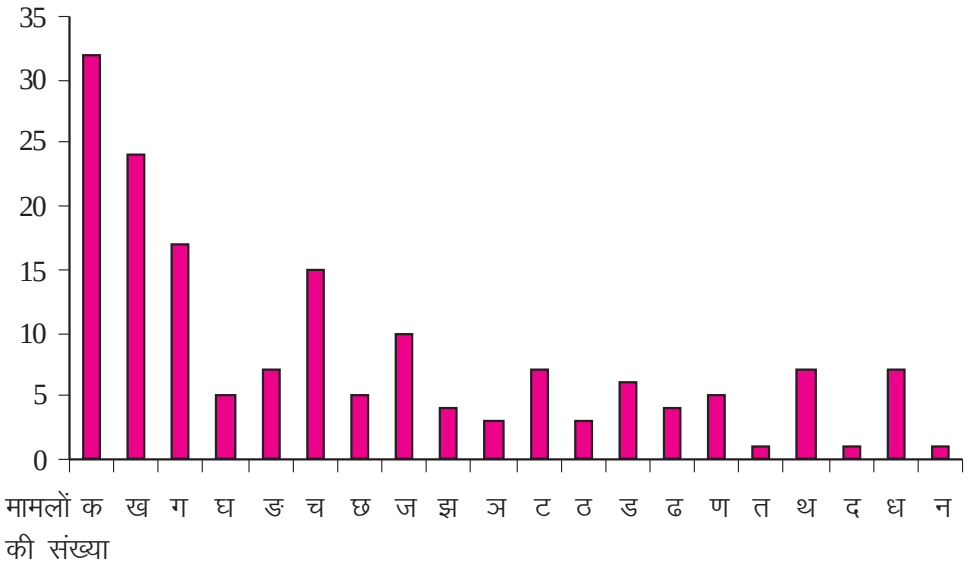

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 164

(तीन मामलों को मिलाकर जिन पर सीधे ही परिषद् ने निर्णय किया)

क.	उत्तर प्रदेश	32
ख.	दिल्ली	24
ग.	कर्नाटक	17
घ.	गुजरात	5
ङ.	पंजाब	7
च.	महाराष्ट्र	15
छ.	केरल	5
ज.	राजस्थान	10
झ.	झारखंड	4
ञ.	उड़ीसा	3
ट.	बिहार	7
ठ.	उत्तराखंड	3
ड.	आन्ध्र प्रदेश	6
ढ.	मध्य प्रदेश	4
ण.	हरियाणा	5
त.	चंडीगढ	1
थ.	तमिलनाडु	7
द.	असम	1
ध.	पश्चिम बंगाल	7
न.	हिमाचल प्रदेश	1

सिद्धांत और प्रकाशन

परिषद् ने पत्रकारिता के संबंध में स्पष्ट मानदंड तय किए हैं ताकि प्रेस अपने दायित्व का स्वस्थ तरीके से निर्वहन कर सके और पाठकों के प्रति उसका सही दृष्टिकोण हो।

जब समाचारपत्रों में यथार्थ रिपोर्ट, लेख आदि प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, तो इससे व्यक्ति या सरकारी अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है या जब गलत स्रोत के आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है या दुर्भावना से कोई लेख/समाचार प्रकाशित किया जाता है तब पीड़ित व्यक्ति अपनी बात को रिज्वाइंडर के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करता है या स्पष्ट करता है। लेकिन समाचारपत्र उसे प्रकाशित न करने पर अड़े रहते हैं क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा और छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसके परिणामतः पीड़ित पक्षकार/व्यक्ति परिषद् का दरवाजा खटखटाते हैं। अपने न्यायनिर्णय के माध्यम से प्रेस परिषद् लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद करती है।

परिषद् को इस वर्ष समाचारपत्रों के खिलाफ कई मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें शिकायतकर्ता इस बात से दुखी थे कि उनके रिज्वाइंडर/उत्तर/प्रतिवाद को प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था। इस वर्ष इस श्रेणी के 39 मामलों में न्यायनिर्णय दिया गया है। इनमें से 15 मामलों को सही ठहराया गया है और उसमें समुचित निदेश दिए गए हैं जबकि 10 मामले सारगर्भित न होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। परिषद् ने नौ शिकायतों का उस स्थिति में निपटान कर दिया है जब प्रतिवादी ने संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। शेष पाँच शिकायतें शिकायतकर्ता द्वारा आगे कार्रवाई न किए जाने के कारण और वापस लेने के कारण समाप्त कर दी गई हैं या ये मामले न्यायालय में दायर किए गए हैं। इसके नीचे दिए गए ग्राफिक चार्ट से यह स्थिति और स्पष्ट हो जाती है।

सिद्धांत और प्रकाशन

मामलों की कुल संख्या : 39

क.	अनुमोदित	15
ख.	अस्वीकृत	10
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधित	9
घ.	अनिष्पादन / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीन होने पर समाप्त	5

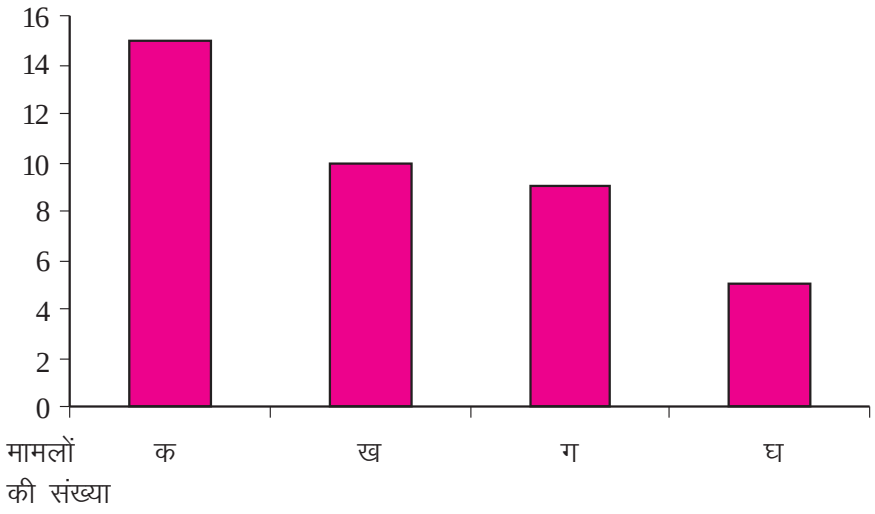

प्रेस और मानहानि

पत्रकार समाज में या लोक सेवक, प्रमुख व्यक्तियों और अन्यों में फैले भ्रष्टाचार को प्रकट करने के लिए उत्साहित रहते हैं। इसे वे अपने समाचारपत्र के माध्यम से प्रकट करते हैं लेकिन कभी–कभी मानहानि कानून के संबंध में टिप्पणी देने या उसे उचित रूप से प्रकट करने में निष्पक्ष रूप से कार्य करने की बजाय बढ़–चढ़कर कार्य करते हैं। वास्तव में, पत्रकारों/समाचारपत्रों के खिलाफ परिषद् द्वारा प्राप्त 65% से अधिक शिकायतों में यह आरोप लगाया गया है कि संबंधित प्रकाशन झूठा या मानहानिकारक है। अतः रिपोर्टरों, समाचारपत्र के रिपोर्टरों, संपादकों, मुद्रकों और प्रकाशकों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कानून के पहलुओं को कम से कम प्रारंभिक ज्ञान अवश्य हो, विशेषतः उन कानूनों का, जो मीडिया के हित में हों, जैसे मानहानिकारक कानून।

परिषद् ने पाया है कि कई बार प्रेस में समाचारपत्रों के कॉलम के माध्यम से किसी व्यक्ति/संस्था को बदनाम करने या व्यक्तिगत कारण या व्यक्तिगत लालच और लोलुपता के कारण वे ऐसा करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति छोटे या कभी–कभार छापे जाने वाले समाचारपत्रों में अपेक्षाकृत अधिक है। किसी व्यक्ति/संस्था के खिलाफ मानहानिकारक लेख व्यक्तिगत दुश्मनी, पैसे के लिए ब्लैकमेल करने या संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से अन्यथा कुछ लाभ लेने के लिए इस प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं।

परिषद् ने इस वर्ष 108 ऐसी शिकायतों में न्यायनिर्णय दिया है जो इस प्रकार के आरोपित मानहानि संबंधी प्रकाशन थे। वास्तव में, प्रेस को 14 मामलों में पत्रकारिता की नैतिकता का उल्लंघन करते हुए पाया गया है जबकि 28 मामलों में इस प्रकार के आरोप रद्द कर दिए गए हैं। इन 28 मामलों में प्रेस परिषद् पक्षकारों के बीच समाधान करने में सफल रही है जबकि 38 शिकायतें शिकायतकर्ताओं द्वारा आगे कार्रवाई न किए जाने या मामले के न्यायालय में जाने के कारण या कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण परिषद् द्वारा दोनों पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद निपटा दी गई हैं। निम्नलिखित ग्राफिक चार्ट से यह स्थिति स्पष्ट की गई है:

प्रेस और मानहानि

मामलों की कुल संख्या : 108

क.	अनुमोदित	14
ख.	अस्वीकृत	28
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधित	28
घ.	अनिष्पादन / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीन होने पर समाप्त	38

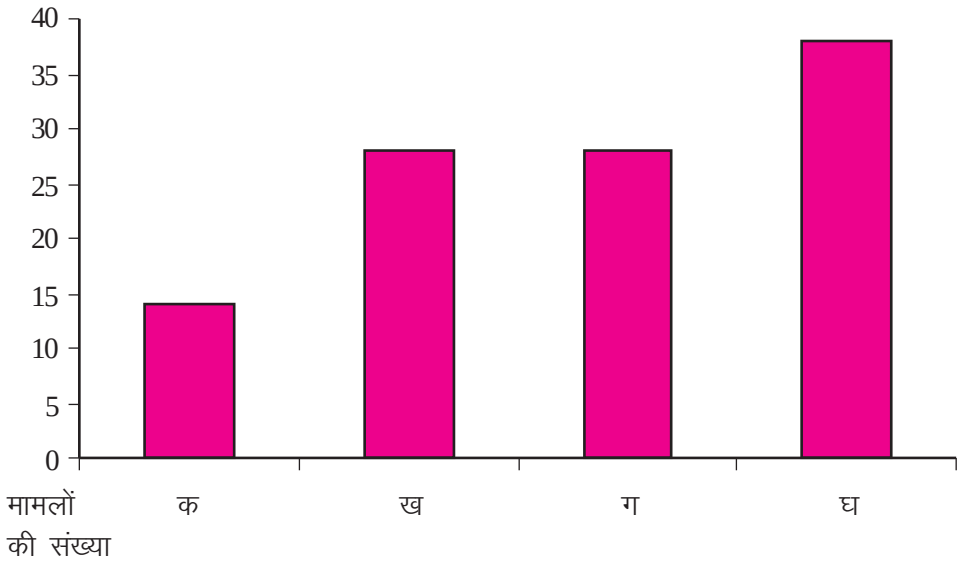

प्रेस और नैतिकता

समाचारों या लेखों में अश्लील भाषा का प्रयोग करना और किसी महिला की अपमानजनक तरीके से फोटो प्रकाशित करना सामान्य भारतीय मूल्यों के प्रतिकूल है। इसलिए संपादक से अपेक्षा की जाती है कि वह जिम्मेदारी से कार्रवाई करे और ऐसे प्रकाशनों की सावधानी से संवीक्षा सुनिश्चित करके उन्हें युक्तियुक्त तरीके से प्रकाशित करे। मीडिया का कुछ वर्ग यह दावा करता है कि वे समय के साथ चल रहे हैं। उस समय वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार की सामग्री सामान्य जनता के सांस्कृतिक लोकाचार के प्रतिकूल है। उन्हें लक्षित पाठकों और समाज के बड़े वर्ग के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सामग्री की उपयुक्तता को परखना चाहिए।

जिस सामग्री में पाठकों का जनहित पूरा न होता हो और केवल युवा लोगों के मस्तिष्क के अनुसार उनकी भावना को भड़काता हो और इस प्रकार उनको भ्रमित करता हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार की जन शिष्टता और नैतिकता से संबंधित अपराधों के संबंध में धारा 292 और 292क जोड़ी गई हैं। इस प्रकार के अन्य कई प्रावधान भी हैं जिनमें दांडिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। लेकिन स्व–विनियमन ही विवेकपूर्ण कार्रवाई है।

परिषद् ने सात मामलों में न्यायनिर्णय दिया है, जिनमें उनके प्रकाशनों में अश्लीलता का प्रश्न उठाया गया था। लोक रुचि के खिलाफ अपराधों और समाचारपत्र के खिलाफ नैतिकता के आरोप पांच मामलों में सही ठहराए गए हैं जबकि दो मामलों को टिप्पणी करने के साथ निपटा दिया गया है। निम्नलिखित ग्राफिक चार्ट से यह स्थिति और स्पष्ट होती है।

प्रेस और नैतिकता

मामलों की कुल संख्या : 7

क.	अनुमोदित	5
ख.	अस्वीकृत	–
ग.	आश्वासन / समर्थित / संशोधित	2
घ.	अनिष्पादन / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीन होने पर समाप्त	–

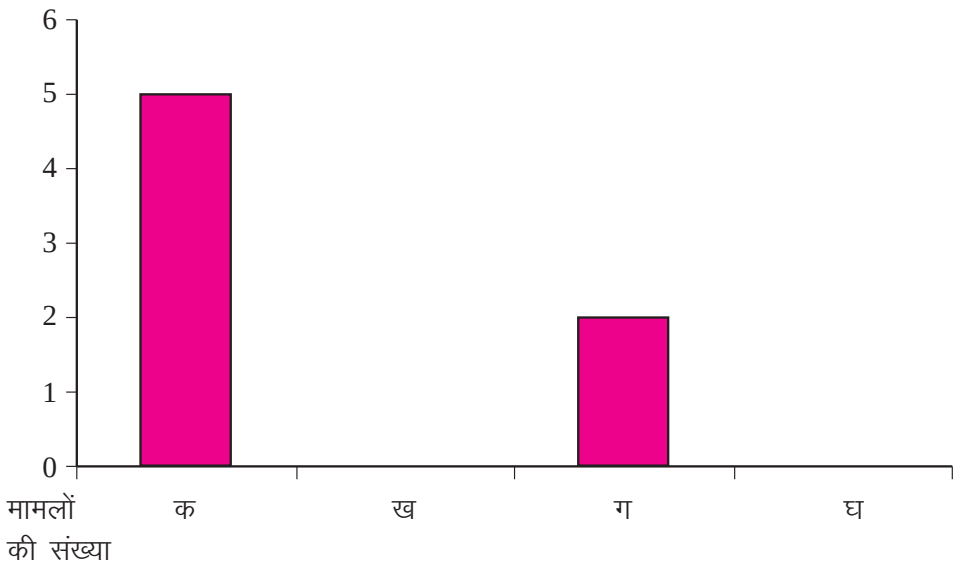

सांप्रदायिक, जातिगत, राष्ट्र-विरोधी और धर्म-विरोधी लेखन

इस बात को स्वीकार करते हुए कि प्रेस, जिसको अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, वह विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के समूह के बीच मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए सही दिशा में लोगों को शिक्षित करने तथा जनता की राय बनाने में बहुत बड़ी और प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार के समूह भारतीय राजनीतिक जीवन के ताने–बाने हैं और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए देश के सर्वोत्तम लोगों की चेतना का आइना है। भारतीय प्रेस परिषद् यह समझती है कि यदि प्रेस अपनी रिपोर्टिंग में या अपनी टिप्पणियों में या ऐसे मामलों में सांप्रदायिक संबंध संबंधी मामलों में मापदंडों और मानकों का सख्ती से पालन नहीं करती है तो इससे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द में व्यवधान पैदा होता है और राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचती है और इससे प्रेस का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने इस श्रेणी के अधीन आने वाली सात शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिया है। इनमें से दो मामले प्रेस परिषद् द्वारा सही ठहराए गए हैं जबकि दो मामलों को निपटा दिया गया है। इसके अलावा, न्यायनिर्णयाधीन होने के कारण एक शिकायत को बंद कर दिया गया है और शेष दो मामलों में एक को टिप्पणियां करके निपटा दिया गया है और दूसरे मामले को इसलिए रोक दिया गया है कि उसमें प्रतिवादी ने आश्वासन दिया है। निम्नलिखित चार्ट से यह स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती है।

सांप्रदायिक, जातिगत, राष्ट्रविरोधी और धर्म विरोधी लेखन

मामलों की कुल संख्या : 7

क. अनुमोदित	2
ख. अस्वीकृत	2
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधित	2
घ. अनिष्पादन / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीन होने पर समाप्त	1

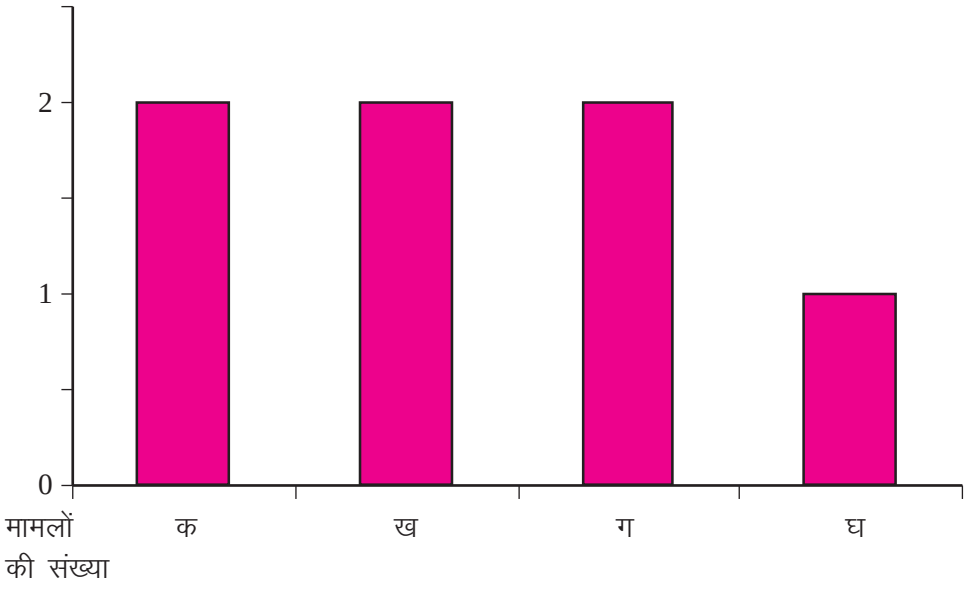

अध्याय - IV

भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा दिनांक 09.06.2009 को स्वीकार की गई बटला हाउस मुठभेड़ में मीडिया द्वारा दी गई रिपोर्ट

प्रस्तावना

भारतीय प्रेस परिषद् की दिनांक 13–14 अक्तूबर, 2009 को आयोजित बैठक में डीयूजे द्वारा तैयार की गई "दिल्ली धमाका; मीडिया द्वारा इस मुठभेड़ पर एक नजर" नामक मुठभेड़ संबंधी रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया, जिसमें 19 सितंबर, 2008 को बटला/जामिया की प्रेस रिपोर्ट पर अनैतिकता का आरोप लगाया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि इसके द्वारा समुदाय को बांटने का प्रयास किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद् से अनुरोध किया गया कि वह इस मामले पर विचार करे और प्रेस से इसकी रिपोर्ट मांगे। इसी प्रकार का अनुरोध अल्पसंख्यक आयोग से भी प्राप्त हुआ कि इस मुठभेड़ के संबंध में मीडिया की रिपोर्ट की जांच की जाए। श्री वाई.सी. हलन, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् से प्रेस परिषद् द्वारा अनुरोध किया गया कि वे स्वतंत्र रूप से इसकी जांच करें।

उनके द्वारा तैयार की गई और प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांक 09.06.2009 को परिषद् द्वारा स्वीकार की गई, जिसका पाठ नीचे दिया गया है:–

अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उस वक्तव्य का हवाला दिया है जो उसके सामने इस रूप में व्यक्त किया गया कि "मुस्लिम समुदाय का वर्षों से कानून और व्यवस्था तंत्र, न्यायिक प्रणाली, राजनैतिक दलों और मीडिया पर जो विश्वास था, वह खो गया है।" राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर स्वतंत्र रूप से कोई टिप्पणी नहीं की और न ही उसने इस वक्तव्य के खंडन में कोई साक्ष्य संलग्न किया और न ही अन्य दोषी पक्षकारों का कोई विचार रिकार्ड में है। अतः परिषद् ने निम्नलिखित कारण से इन टिप्पणियों पर जांच करना आवश्यक नहीं समझाः

1. इस रिपोर्ट में भारतीय राजनीति और सिविल सोसायटी की आलोचना अधिक की गई थी न कि मीडिया विशेष की।
2. रिपोर्ट में किसी ने भी मीडिया पर झूठी या दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप नहीं लगाया है।
3. संपूर्ण घटना का यह एकपक्षीय कथन था।

बटला हाउस मुठभेड़ से पहले डीयूजे की रिपोर्ट

बटला हाउस मुठभेड़ से पहले मीडिया द्वारा किए गए विश्लेषण की रिपोर्ट चार अंग्रेजी, छह हिंदी और एक उर्दू समाचारपत्र की रिपोर्टिंग पर आधारित थी। हालांकि इसमें कुछ अन्य पत्रिकाओं और समाचारपत्रों का भी उल्लेख किया गया है। जिस समाचार चैनल ने इसका विश्लेषण किया था, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ चैनलों को इस मुद्दे को सिद्ध करने के लिए नामजद किया गया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य "अपने सह–व्यवसायियों के व्यावसायिक आचरण" की जांच करना था।

किसी भी न्यूज रिपोर्ट की बाद में जांच करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है:

भारतीय मीडिया बहुत बड़ा है। समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की संख्या लगभग 65,000 है। समाचार चैनलों की संख्या लगभग 150 है। भारतीय मीडिया का विश्लेषण केवल 11 समाचारपत्रों की समाचार रिपोर्टों पर ही आधारित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी है कि केवल 11 समाचारपत्रों को ही मीडिया नहीं कहा जा सकता है।

19 सितंबर, 2008 को यह मुठभेड़ की घटना हुई। डीयूजे की टीम 27 सितंबर को वहां गई। इसमें आठ दिन का अंतराल था जिसके दौरान लोगों ने अपने वक्तव्य बदल दिए।

इस समाचार का उसी समय विश्लेषण नहीं किया गया जब यह प्रकाशित किया गया था। उन संवाद्दाताओं द्वारा ये तथ्य और सूचना एकत्र की गई थी जिन्होंने घटनास्थल पर और इस घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ और बातचीत की थी। इस सूचना की जांच की गई थी और यह समय–सीमा पर आधारित थी।

समाचारपत्र इस घटना की रिपोर्टिंग करते समय उचित जांच–पड़ताल और सभी संपर्कों का इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई भी समाचारपत्र किसी महत्त्वपूर्ण घटना की रिपोर्टिंग करने की बात को छोड़ नहीं सकता है और न ही उसे छोड़ना चाहिए। जिम्मेदार समाचारपत्रों ने धर्म, संप्रदाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों से संबंधित संवेदनशील रिपोर्ट विशेष पर कार्रवाई करते समय इसकी परवाह नहीं की। लेकिन हो सकता है कि कुछ तथ्य छूट गए हों, जैसाकि सामान्यतः समय की मांग के कारण जल्दबाजी में हो जाता है। जो समाचारपत्र राजनीतिक दलों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं या जो उनके भारी दबाव में काम करते हैं, उन्हें इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में समाचारपत्रों की रिपोर्टों के दो पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इनमें से एक था रिपोर्टिंग में यथार्थता, जो तथ्यों और सूचनाओं से संबंधित थी और दूसरा था भड़काने वाला और संवेदनशीलता पैदा करने वाला शीर्षक और लेख। शुरू में ही इस बात का उल्लेख

किया गया था कि यह रिपोर्टिंग "बहुत गंभीर तरीके से नहीं की गई थी जिसमें दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट के दिन से ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई थी।" यह भी बताया गया था कि "इसमें समाचार प्रकाशित करने की होड़ और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए यथार्थता को छोड़ दिया गया था।"

इस बात पर भी बल दिया गया कि यह "घटना के विपरीत था" और कई रिपोर्टें तो "बहुत ही नाटकीय" थीं। इसमें एक संपूर्ण समुदाय की राष्ट्र के प्रति वफादारी के लिए सह–व्यवसायियों द्वारा खतरा पैदा किया गया था और उनके जीवन को जोखिम में डाला गया था। इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि "तथाकथित" और "संभावित" जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। टी.वी. रिपोर्ट में उनके (निवासियों के) चेहरों को ढका नहीं गया था या उनकी पहचान को गुप्त नहीं रखा गया था।

इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारपत्र भिन्न–भिन्न थे। इसमें विशेष रूप से वीर अर्जुन का उल्लेख किया गया था, जिसमें इस कार्रवाई को "अन्य समाचारपत्रों की रिपोर्टिंग से भिन्न तरीके से प्रकाशित किया गया था।"

इस रिपोर्ट में चुने गए मीडिया की रिपोर्टों और लेखों का विश्लेषण करने के साथ–साथ पुलिस के साथ बरती गई नरमी और "मामले को रफा–दफा करने जैसे प्रश्न उठाए गए हैं और शहर में हत्या तथा अन्य अपराधों के मामले में अक्षमता का आरोप लगाया गया है।"

अंत में यह कहा गया था कि जामिया की घटना "मीडिया की विश्वसनीयता को कम करने की पुनरावृत्ति थी"। समाज का रक्षक होने की भूमिका निभाने की बजाय मीडिया ढील बरतता है और पुलिस के इशारों पर काम करता है। अंत में यह कहा गया कि "मीडिया पर पहुंच और प्रभाव से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया दोनों ही दुर्भाग्यवश अपनी जिम्मेदारी की भावना से कार्य नहीं कर रहे हैं और समाज के प्रति सतर्कता नहीं बरत रहा।"

परिषद् के विचारों का विश्लेषण

(1) डीयूजे की इस रिपोर्ट में इस बात के लिए सराहना की गई है कि उसने इस संवेदनशील मुद्दे की रिपोर्टिंग का विश्लेषण किया है। इस प्रकार का विश्लेषण होते रहना चाहिए ताकि मीडिया राजनीति और समाज के प्रति जिम्मेदार रहे और उपयोगी बना रहे।

(2) यह बात साबित नहीं हुई थी कि "देश के वफादार संपूर्ण समुदाय की वफादारी पर प्रश्न चिह्न लगाया गया है।"

(3) रिपोर्टरों ने जब रिपोर्टिंग की है और संपादकों ने जब इसका संपादन किया है तो उन्होंने "तथाकथित" और "संदिग्ध" जैसे कुछ शब्दों की परवाह नहीं की है और उन्हें संगत पाया। टी वी रिपोर्ट में भी लोगों के चेहरों को ढकने या ऐसे लोगों की पहचान को छुपाने के

संबंध में पत्रकारिता की परंपरा का पालन नहीं किया गया, जिनका जीवन उन्हें दिखाए जाने के कारण खतरे में पड़ सकता था।

(4) परिषद् इस रिपोर्ट के आधार पर अपना कोई मत तय नहीं कर सकी कि मीडिया जिम्मेदारी के साथ बटला मुठभेड़ की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा। इस मामले की अभी जांच–पड़ताल की जा रही है और वास्तविकता का भी पता लगाया जाना है। मुठभेड़ के एक सप्ताह बाद वहां के निवासियों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर कोई राय नहीं बनाई जा सकती है।

(5) रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले रिपोर्टर निष्पक्ष हों, इस बात के लिए उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए कि वे यह बताएं कि उन्होंने कैसे सूचना एकत्र की और उन्होंने ऐसा क्यों लिखा जिसे डीयूजे गैर–जिम्मेदार और संवेदनशील समझ रहा है। यह बात इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि रिपोर्टर ही रिपोर्ट लिखते समय अपने द्वारा एकत्र की गई सूचना के आधार पर रिपोर्टिंग करता है। वह वहां उपलब्ध लोगों से बात करता है और नोट तैयार करता है ताकि वह बाद में अपनी रिपोर्ट को प्रमाणित कर सके। बाद में, कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो इस संबंध में और विवरण देते हैं और इस समाचार का खंडन करते हैं। ऐसी स्थिति में किस पर विश्वास किया जाए?

(6) किस पर विश्वास किया जाए? उन पर जिन्होंने घटना के तुरंत बाद रिपोर्टर से बात की या उन पर जिन्होंने कुछ दिन बाद अपनी बात कही। गंभीर और महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जो लोग बाद में बात करते हैं, वे सिखाए हुए होते हैं।

(7) यह आरोप कि मीडिया ने पुलिस के प्रति नरमी बरती है, यह हल्की बात है और हो सकता है कि पूरी तरह सही न हो और संपूर्ण मीडिया पर लागू न हो। मीडिया के बहुत बड़े वर्ग ने ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है और वह जिम्मेदार था। वास्तव में, पुलिस ने भी मीडिया पर इसी प्रकार के आरोप लगाए हैं कि मीडिया उनके बिल्कुल खिलाफ था।

(8) यह बात कहना भी उचित नहीं था कि मीडिया की विश्वसनीयता घट रही है। कई जिम्मेदार संस्थाओं ने यह बात स्वीकार की है कि मीडिया वास्तव में समाज में सतर्कता की भूमिका अदा कर रहा है। यह बात कहना न तो वांछनीय है और न ही उचित कि पूरा भारतीय मीडिया सुस्त है और गंभीर मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह बात भी सही नहीं है कि मीडिया में समाज के प्रति जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है। भारतीय मीडिया को पूरे विश्व में समाज का बहुत ही जिम्मेदार और विश्वसनीय संस्था के रूप में समझा जाता है।

(9) अलग–अलग समाचारपत्रों में अलग–अलग समाचार छपना स्वाभाविक है और वे बिल्कुल एकसमान नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक रिपोर्टर अलग–अलग व्यक्तियों से बात करता है और

उस सूचना के आधार पर लेख लिखता है। यह सुझाव कि सभी समाचार अलग–अलग नहीं होने चाहिए, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

परिषद् ने 9 जून, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में श्री वाई.सी. हलन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार और अपनाया है।

अध्याय - V

'अमर उजाला, हिंदी दैनिक समाचारपत्र के लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) के स्टाफ रिपोर्टर/ संवाद्दाता श्री सैमुद्दीन नीलू द्वारा श्रीमती एन पद्मजा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के खिलाफ की गई शिकायत' पर तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट

भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा 22.2.2010 को स्वीकृत

प्रस्तावना

भारतीय प्रेस परिषद् ने दिनांक 08.02.2008 को आयोजित अपनी बैठक में अमर उजाला, हिंदी दैनिक समाचारपत्र लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) के स्टाफ रिपोर्टर/संवाद्दाता श्री सैमुद्दीन नीलू द्वारा श्रीमती एन. पद्मजा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर, खीरी के खिलाफ की गई शिकायत के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन करने का निर्णय लिया था। इस तथ्यान्वेषी समिति को मामले में जांच करने के लिए प्रेस परिषद् द्वारा अपने पिछले कार्यकाल की जांच समिति के माध्यम से गठित तथ्यान्वेषी समिति द्वारा रिकार्ड किए गए तथ्यों पर आगे कार्रवाई करनी थी। इस समिति ने, तदनुसार इस मामले के तथ्यों का पता लगाया और यह समिति अपने निष्कर्षों और आगे की जाने वाली कार्रवाई के प्रस्तावों सहित परिषद् को अपनी समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

मामले के तथ्य

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) के स्टाफ रिपोर्टर/संवाद्दाता श्री सैमुद्दीन नीलू द्वारा दिनांक 03.02.2005 की एक शिकायत श्रीमती एन. पद्मजा, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर, खीरी (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ दायर की गई है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उक्त अधिकारी द्वारा उसे डराने और परेशान करने की कोशिश की गई है और उसके बाद फर्जी मुठभेड़ में उसे मारने के इरादे से उसका अपहरण करवाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा यह रिपोर्ट रुचिकर न पाए जाने के कारण उसके

खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई गई है। उसने यह भी निवेदन किया है कि खाकी वर्दीधारी लोगों के गलत कार्यों और माफिया तथा समाज–विरोधी तत्त्वों के साथ उनकी मौन सहमति की उसने पोल खोली थी। उसने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधीक्षक के भ्रष्टाचार की भी पोल खोली थी। शिकायतकर्ता ने निवेदन किया है कि जब पुलिस अधीक्षक को यह समाचार अपने आदेशों के अनुकूल नहीं लगा और जब उसकी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तब एक कनिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उससे कहा कि किसी झूठे आपराधिक मामले में उसे फँसाने के लिए सक्रिय तैयारी की जा रही है। शिकायतकर्ता ने पूरी स्थिति का विवरण देते हुए एक ज्ञापन दिनांक 03 फरवरी, 2005 को डीजीपी और प्रधान गृह सचिव, लखनऊ को दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अंततः, उसे दिनांक 09.02.2005 की रात को गिरफ्तार करवाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे जिले के बाहर के सुदूर क्षेत्र में ले जाया गया, जहां पुलिस ने मुठभेड़ करने के लिए एक मोर्चा बनाया था। क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग उसके नजदीक था, इसलिए उसने स्थिति का लाभ उठाया और वह सहायता के लिए चिल्लाया। उसने वहां उपस्थित लोगों को बताया कि वह एक पत्रकार है और उसे यहां एक मुठभेड़ में मार गिराने के लिए लाया गया है। पुलिस ने तब अपनी योजना बदली और उसे वापस लाई और उसके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के अधीन मामला दर्ज किया और उसे जेल में बंद रखा। उसने कहा कि गैंडे की खाल और सींग के बारे में बताया गया कि यह उससे प्राप्त हुआ है और उसके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के अधीन मामला दर्ज कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि लखीमपुर, खीरी की पुलिस तो उसे मारने का ही प्रयास कर रही थी, क्योंकि उसने पहले ही मुख्य मंत्री, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को अपनी गिरफ्तारी के बारे में फैक्स भेज दिया था, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ यह कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि इस मुकदमे के बारे में कई समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित किया गया और जब समाचारपत्र के वरिष्ठ कार्मिक माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री मुलायम सिंह यादव से मिले और उन्हें प्रतिवादी पुलिस अधीक्षक के अत्याचारों से अवगत कराया तो इस मामले की जांच सीबी–सीआईडी को अंतरित कर दी गई। मुख्य मंत्री ने सीबी–सीआईडी को अनुदेश दिया कि उसे छोड़ दिया जाए। तदनुसार, शिकायतकर्ता के पास पुलिस अधिकारियों की आपस में हुई बातचीत का वह रिकार्ड उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने माना है कि उसके खिलाफ श्रीमती एन. पद्मजा के दबाव के कारण कार्रवाई आरंभ की गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी निवेदन किया कि निरीक्षक ने बातचीत में यह भी बताया कि मगरमच्छ की खाल, शेर का पंजा और गैंडे का सींग वास्तव में एक छापे के दौरान लगभग एक महीने पहले जब्त किए गए थे और पुलिस अधीक्षक के कहने पर ही यह बात बताई गई कि ये चीजें उसके निवास स्थान से प्राप्त हुईं। इस मामले के कारण उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के अध्यक्ष ने राज्य सरकार को निदेश दिया कि श्रीमती एन. पद्मजा, पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर जिला का तत्काल स्थानांतरण कर दिया जाए। शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया कि उसे मारने का षडयंत्र रचने अथवा पुलिस प्रमुख के गलत कार्यों

को उज़ागर करने के कारण उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के संबंध में पुलिस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वह अपने पत्रकारिता संबंधी दायित्वों को स्वतंत्रता और निर्भीकता से निभा सके।

आरोपों से इनकार करते हुए प्रतिवादी श्रीमती एन. पद्मजा, पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर, खीरी ने अपने दिनांक 13.04.2005 के उत्तर में बयान देते हुए, निवेदन किया है कि वास्तव में शिकायतकर्ता ने अपनी खाल बचाने और दबाव डालने के लिए जानबूझकर यह शिकायत दायर की है। उनके अनुसार, शिकायतकर्ता का यह आरोप कि वह पुलिस के क्रियाकलापों और आपराधिक घटनाएं बढ़ने से संबंधित आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने से रोकने के लिए उस पर दबाव डालने के निमित्त उसे फर्जी मुठभेड़ में मारने की कोशिश की थी, सरासर गलत है, क्योंकि उसने तो इस प्रकार का कोई समाचार भी नहीं पढ़ा था। प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई घटना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के व्यक्तियों से संबंधित थी, जो जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार थे। चूंकि शिकायतकर्ता के उस पार्टी से घनिष्ठ संबंध हैं, इसलिए वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में नहीं था और इस प्रकार झूठी और निराधार शिकायत दायर करके दबाव बनाना चाहता था। प्रतिवादी ने स्पष्ट किया कि उसने किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधीनस्थों को कोई निदेश नहीं दिया था और उसने शिकायतकर्ता के खिलाफ राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट भी नहीं भेजी थी। उन्होंने कहा कि वह शिकायतकर्ता से कभी नहीं मिली है क्योंकि वह राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और पुलिस का उससे कोई संबंध नहीं है। जहां तक पत्रकार को किसी मुठभेड़ में मारने और दिनांक 09.02.2005 को शिकायतकर्ता को गिरफ्तार करने का प्रश्न है, प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि एसएचओ, पुलिस स्टेशन, मिसराना, लखीमपुर जिला उस समय ड्यूटी पर था, जब गैंडे के खाल और सींग की तस्करी की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस बल ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो भागने का प्रयास कर रहा था, जिसने अपनी पहचान सैमुद्दीन, निवासी जिला पीलीभीत नामक पत्रकार के रूप में बताई थी। पुलिस ने उससे मगरमच्छ की खाल, शेर का पंजा और गैंडे का सींग जब्त किया था, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए थी। इसके अलावा, उससे चंदन की लकड़ी भी जब्त की गई थी, जिसकी कीमत 50,000 रुपए थी। वन्य जीव अधिनिमय के अधीन एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने उसकी एक प्रति भी दाखिल की है। उनके अनुसार, इस मामले की सीबी–सीआईडी द्वारा जांच की जा रही है, जो एक स्वतंत्र इकाई है। शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी के मामले में शामिल होने के आरोप को नकारते हुए प्रतिवादी ने स्पष्ट किया कि वास्तव में यह गिरफ्तारी नेमी तरीके से की गई थी। प्रतिवादी ने निवेदन किया कि दैनिक स्वतंत्र भारत और दैनिक हिंदुस्तान ने नेपाल में "माओवादी" क्रियाकलापों में शिकायतकर्ता के लिप्त होने के खिलाफ समाचार भी प्रकाशित किया था। प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वास्तव में शिकायतकर्ता आपराधिक और गैर–कानूनी क्रियाकलापों में लिप्त था और जब पुलिस को उसके क्रियाकलापों

का पता चला, तो उसने अपने क्रियाकलापों को छिपाने और दबाव बनाने के लिए यह झूठी शिकायत दायर कर दी।

जांच समिति द्वारा विचार – तथ्यान्वेषी समिति का गठन

जांच समिति द्वारा दिनांक 30.06.2005, 17.11.2005, 04.05.2006 और 13.07.2006 को दिल्ली में इस मामले की सुनवाई की गई। जब यह सुनवाई चल रही थी, तब उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया कि वह शिकायतकर्ता की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे सुरक्षा प्रदान करे। सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। अंततः, जांच समिति ने दिनांक 04.12.2006 की अपनी बैठक में यह टिप्पणी की, कि यह मामला प्रथमदृष्टया प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर खतरे का प्रकटीकरण करता है। प्रतिवादी उस रिपोर्ट पर विश्वास करने की कोशिश कर रही है, जिसे वह समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ है। इससे पहले परिषद् के दिनांक 12.10.2006 के पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया था कि वह सीबी–सीआईडी द्वारा की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट भेजे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सीबी–सीआईडी की जांच की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी और न ही उसने सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई प्रतिनिधि भेजा। जांच समिति ने पाया कि अंतिम सुनवाई के समय एसएसपी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि एनएचआरसी और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले में पूछताछ की थी और इन आरोपों को निराधार पाया था। जांच समिति ने नोट किया कि हालांकि परिषद् के दिनांक 12.10.2006 के पत्र के संबंध में स्थिति रिपोर्ट के बारे में एनएचआरसी का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सचिव, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने दिनांक 20.11.2006 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि श्री सैमुद्दीन नीलू की शिकायत पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेज दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक (मानव अधिकार), लखनऊ ने दिनांक 10.10.2005 को सूचित किया है कि सीबी–सीआईडी की जांच अभी लंबित है। शिकायतकर्ता ने एनएचआरसी की इस मामले की स्थिति की रिपोर्ट समिति के समक्ष पेश की है, जिससे यह पता चलता है कि आयोग को भी अभी सीबी–सीआईडी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः, यह निष्कर्ष निकाले जाने का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है कि ये आरोप निराधार हैं। अतः, एसएसपी, बुलंदशहर के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, जांच समिति ने ध्यान में रखा कि सीबी–सीआईडी ने श्रीमती पद्मजा को क्लीन चिट दे दी है। उसने इस बात को भी ध्यान में रखा कि एनएचआरसी और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष लंबित इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच समिति ने प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा (1) के अधीन तथ्यान्वेषी समिति का गठन करने का निर्णय लिया है, जो तत्काल जांच आयोजित करेगी और उन तथ्यों को एकत्र करेगी, जो परिषद् में और इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन इसकी समितियों में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए की जा सकती हैं। इस तथ्यान्वेषी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे, जिसे अपनी रिपोर्ट इस मामले पर आगे विचार करने के लिए जांच समिति को प्रस्तुत करनी थीः

1.	श्री उत्तम चंद्र शर्मा	संयोजक
2.	श्री के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति	सदस्य
3.	श्री केशव दत्त चंदोला	सदस्य
4.	श्री गीतर्थ पाठक	सदस्य
5.	श्री राजीव कुमार अरोड़ा	सदस्य

समिति ने संबंधित पक्षकारों से मिलने और साक्ष्य लेने के लिए लखनऊ और लखीमपुर खीरी का दौरा करने का निर्णय लिया। सूचना और जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस मामले में समन्वय करने को कहा गया।

तथ्यान्वेषी समिति के समक्ष सुनवाई

तथ्यान्वेशी समिति की बैठक दिनांक 06.01.2007 को योजना भवन, लखनऊ में हुई।

समिति के समक्ष उपस्थिति

श्री सैमुद्दीन नीलू, शिकायतकर्ता

श्री सुबोध कुमार सक्सेना, शिकायतकर्ता का एडवोकेट

रिपोर्टर/पत्रकार

1. श्री अल्लाउद्दीन शास्त्री, पीलीभीत
2. श्री विजय रॉय, जी न्यूज
3. श्री प्रद्युम्न तिवारी, मुख्य रिपोर्ट, अमर उजाला, लखनऊ
4. श्री अखिलेश बाजपेयी, वरिष्ठ रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
5. श्री सुरेश बहादुर सिंह, स्वतंत्र पत्रकार
6. श्री राज बहादुर सिंह, दि पायनियर
7. श्री अनिल यादव, दि पायनियर

प्रतिवादी प्राधिकारियों की ओर से उपस्थिति

1. श्री प्रवीण रंजन सिंह, उप–पुलिस अधीक्षक, सीओ, मोहम्मदी खीरी

2. श्री नितिन गोकरन, सचिव/निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश सरकार

3. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश (मुख्य सचिव के प्रतिनिधि), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

तथ्यान्वेषी समिति के समक्ष बयान

शुरू में शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने समिति को सूचित किया कि शिकायतकर्ता को दी गई सुरक्षा दिसंबर, 2006 में बिना सूचना दिए हटा दी गई। पुलिस अधीक्षक, खीरी ने दिसंबर, 2006 में श्री नीलू को लिखा था कि वह 100 प्रतिशत अदायगी के आधार पर 6 माह के लिए बंदूकधारी दिए जाने के लिए 1,20,090/– रुपए जमा करे।

शिकायतकर्ता के पिता श्री अल्लाउद्दीन शास्त्री ने निवेदन किया कि माले एक राजनीतिक पार्टी है और वह इस पार्टी का सक्रिय सदस्य है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होना कोई अपराध नहीं है। उसका बेटा एक पत्रकार है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके पुत्र की हत्या कर दी जाएगी। उसकी सुरक्षा अचानक हटा दी गई ताकि तथ्यान्वेषी समिति के लखनऊ पहुंचने से पहले उसकी हत्या कर दी जाए। श्रीमती पद्मजा एक आपराधिक प्रकृति की महिला है। उसका पति, जो एक जिला मैजिस्ट्रेट है, की तैनाती नोएडा में है। उसके मजबूत राजनीतिक संपर्क हैं और वह एक सशक्त महिला है।

समिति ने उसे अपना बयान शपथपत्र में प्रस्तुत करने के लिए कहा।

समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि श्रीमती पद्मजा श्री नीलू की हत्या कराने का इरादा रखती है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, तो शिकायतकर्ता ने उत्तर दिया कि वह माफिया और पुलिस के साथ इसके संबंध के बारे में नियमित रूप से समाचार प्रकाशित करता रहा है। किसी भी समाचार का कोई खंडन नहीं दिया गया है। किसी लेखराम भारती द्वारा श्रीमती पद्मजा के कहने पर एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, जो उस समय स्वतंत्र भारत का संवाद्दाता था और अब एक चीनी मिल में काम कर रहा है।

उसने यह भी कहा कि पद्मजा ने कई पत्रकारों को डराया–धमकाया है।

तथ्यान्वेशी समिति ने शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या अमर उजाला के संपादक ने पत्रकारिता संघ के पास इस मुद्दे को नहीं उठाया है, क्या अमर उजाला के प्रबंधक वर्ग ने इस मामले पर कोई कार्रवाई की है? शिकायतकर्ता ने इस संबंध में अपनी अज्ञानता प्रकट की है और उत्तर दिया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि संपादक या प्रबंधक वर्ग ने किसी पत्रकारिता संघ के पास इस मुद्दे को उठाया है या नहीं।

शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि उसे अमर उजाला द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए भेजा गया है। उसने कहा कि चूंकि भारतीय प्रेस परिषद् ने इस मामले पर कार्रवाई की है, इसलिए अमर उजाला ने किसी संघ के समक्ष अपनी आवाज नहीं उठाई है।

श्री विनय रॉय, जी न्यूज ने कहा कि केवल शिकायतकर्ता ही सही कारण बता सकता है क्योंकि जब यह घटना घटी, तब वह लखनऊ में था। श्री नीलू ने अपनी समस्या लखनऊ में उन्हें बताई थी। लेकिन उन्होंने यह कहा कि विधान सभा के अध्यक्ष ने सरकार को निदेश दिया था कि वह श्रीमती पद्मजा का तत्काल स्थानांतरण कर दे, जो नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि सरकार नीलू के मामले में ज्यादा गंभीर नहीं है।

श्री प्रवीण रंजन सिंह, सी.ओ. लखीमपुर खीरी ने इस मामले के बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है। उसने निवेदन किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सीबी–सीआईडी की रिपोर्ट पूरी हो गई है या नहीं। सीबी–सीआईडी के निष्कर्षों के बारे में उसने निवेदन किया कि संभवतः उन्हें शिकायतकर्ता या पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिला हो। उसने गृह विभाग का एक पत्र प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि वह इस पत्र में कही बात के सिवाय और कुछ नहीं कहना चाहेगा। सुरक्षा हटाए जाने के बारे में सी.ओ. ने निवेदन किया कि प्रशासन के आदेशों पर सुरक्षा हटाई गई थी।

श्री प्रद्युम्न तिवारी, मुख्य रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ ने निवेदन किया कि जब नीलू ने यह भय व्यक्त किया था कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा उसे किसी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है, तब वे 3 फरवरी, 2005 को तत्कालीन गृह सचिव से मिले थे और उन्हें तथ्यों से अवगत कराया था और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा था। 5 फरवरी को वे पुलिस महानिदेशक से मिले थे, लेकिन उन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके परिणामतः श्री सैमुद्दीन नीलू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसने यह भी कहा कि वह और श्री वीरेंद्र सक्सेना, ब्यूरो प्रमुख, अमर उजाला मुख्य मंत्री से मिले। दिनांक 19.02.2005 को मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही नीलू को जमानत पर छोड़ा गया था।

श्री अभिषेक बाजपेयी, वरिष्ठ रिपोर्ट, अमर उजाला, लखनऊ ने निवेदन किया कि जब उसे इस घटना के बारे में जानकारी हुई, तो वह श्रीमती पद्मजा से मिला, जिसने उससे कहा कि वह नीलू को सबक सिखाएगी। वे मुख्य सचिव और गृह सचिव से भी मिले और उनसे कहा कि नीलू को किसी झूठे मामले में फसाया जाने वाला है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने यह भी निवेदन किया कि उस समय वह विधानसभा में रिपोर्टिंग कर रहा था। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से कहा था कि श्रीमती पद्मजा का स्थानांतरण कर दिया जाए अन्यथा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है या नीलू की हत्या की जा सकती है। उसने यह भी कहा कि अमर उजाला का प्रबंधक वर्ग पूरी तरह नीलू का समर्थन कर रहा है।

श्री सुरेश बहादुर सिंह, स्वतंत्र पत्रकार और अध्यक्ष, प्रेस प्रत्यायन समिति, ने कहा कि जब नीलू को गिरफ्तार किया गया था, उस समय वह जनसत्ता में था। नीलू क्षेत्र में पेड़ों की गैर–कानूनी कटाई के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा था। इन लेखों से नाराज़ होकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने नीलू को गिरफ्तार करवाया था। क्योंकि नीलू जानता था कि उसे परेशान किया जाएगा, अतः वह तत्कालीन गृह सचिव श्री आलोक सिन्हा से मिले थे और उन्होंने यह डर व्यक्त किया था कि नीलू को किसी भी मामले में फसाया जाएगा और ऐसा ही हुआ। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। यह सब एक षड्यंत्र के अधीन किया गया।

श्री राज बहादुर सिंह, दि पायनियर ने बताया कि यह एक गंभीर मामला है। नीलू को गिरफ्तार किया गया था और 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। उसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया, मानो कि वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। कुछ पुलिस अधिकारियों ने नीलू के खिलाफ झूठे मामले तैयार किए हैं। उसने यह भी कहा कि नीलू को हुई परेशानी के लिए उसकी कुछ प्रतिपूर्ति की जाए।

श्री अनिल यादव, दि पायनियर ने निवेदन किया कि इस मामले में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने पहल की थी। अमर उजाला के रिपोर्टर को ही नहीं, अपितु अन्य समाचारपत्रों के पत्रकारों को भी परेशान किया जा रहा है। उसने कहा कि स्थानीय गुंडों और माफिया, पत्रकारों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करने में असफल रहने पर और जिन्होंने उनके कहे अनुसार, काम नहीं किया, ऐसे पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। फरवरी, 2005 में नीलू उसे मिला था। उसे अपनी समस्या बताने के बाद वे तत्कालीन गृह सचिव से मिले थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। समाज में नीलू की छवि खराब हुई। अब सीबी–सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में उसे निर्दोष पाया। अतः, भ्रष्ट अधिकारियों को दो–तीन दिन के लिए जेल भेजा जाना चाहिए ताकि नीलू को न्याय मिल सके।

श्री अविनाश मिश्रा, राष्ट्र बोध, लखनऊ ने समिति को बताया कि जब नीलू को डराया–धमकाया जा रहा था, तब वे मुख्य सचिव से मिले थे और उन्हें स्थिति से अवगत कराया था। लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने समिति से अधिकारी जैसे तानाशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में कोई मनमाने तरीके से कार्य करने की हिम्मत न जुटा सके।

तथ्यान्वेषी समिति ने नितिन गोकरन, सचिव/निदेशक, सूचना और जन संपर्क विभाग से पूछा कि क्या वह मुख्य सचिव का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन्होंने हां कहा। समिति ने तब उन्हें बताया कि दिनांक 01.12.2006 का एक पत्र, जो महानिदेशक, सीबी–सीआईडी को संबोधित है और जिसकी एक प्रति भारतीय प्रेस परिषद् को भी पृष्ठांकित की गई है, अन्यों के अलावा विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि सीआईडी

ने इस मामले में जांच की थी और शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप तय नहीं हो जाए। यह भी बताया गया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए। रिपोर्ट की एक प्रति दाखिल करते हुए, पत्र में यह निवेदन किया गया था कि सरकार ने विचार करने के बाद यह जांच रिपोर्ट स्वीकार की है और इस मामले में तदनुसार, आगे कार्रवाई की जाएगी।

समिति ने पाया कि भारतीय प्रेस परिषद् के निदेशों पर शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान की गई थी। विधान सभा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का निदेश दिया था। इसके बावजूद, प्रशासन ने उसकी सुरक्षा को हटा दिया और शिकायतकर्ता को 6 माह के लिए बंदूकधारी मुहैया कराए जाने की अदायगी के रूप में 1,20,090/– रुपए जमा करने को कहा गया। गृह सचिव को कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया। गृह सचिव ने निवेदन किया कि एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन के आदेश के अनुसार, बंदूकधारी और शैडोज़ मुहैया कराए जाते हैं। सुरक्षा मुहैया कराए जाने के बारे में निर्णय लेने के लिए गृह मंत्री अंतिम प्राधिकारी होते हैं। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि नीलू, शिकायतकर्ता को दो दिन के अंदर निःशुल्क सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने समिति को यह भी आश्वासन दिया कि सीबी–सीआईडी की रिपोर्ट अगले दिन, अर्थात 07.01.2007 को समिति के समक्ष रखी जाएगी।

समिति ने सी.ओ., खीरी से अनुरोध किया कि वह सर्व/श्री राजीव पाहवा, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक जागरण, लखनऊ; राजीव दीक्षित, ब्यूरो प्रमुख, जनसत्ता, लखीमपुर, लेख राम भारती, पूर्व जिला संवाद्दाता, स्वतंत्र भारत, लखनऊ; धर्मेश शुक्ला, रिपोर्टर, दैनिक हिंदुस्तान, लखनऊ; श्यामजी अग्निहोत्री, ब्यूरो प्रमुख, सहारा समय और राकेश मिश्रा, दैनिक जागरण, लखीमपुर सुनवाई का नोटिस तामील करें।

समिति ने दिनांक 07.01.2007 को लखनऊ में अपनी बैठक पुनः आयोजित की।

समिति के समक्ष उपस्थिति

1. श्री सैमुद्दीन नीलू, शिकायतकर्ता

पत्रकारों की ओर से उपस्थिति

1. श्री जावेद जैदी, पत्रकार, साफत उर्दू दैनिक, लखनऊ
2. जितेश शुक्ला, एक्सप्रेस मीडिया सर्विस
3. श्री प्रद्युम्न तिवारी, मुख्य रिपोर्टर, अमर उजाला सर्विस
4. श्री सुरेश बहादुर सिंह, स्वतंत्र पत्रकार

5. श्री संजय त्रिपाठी, क्राइम रिपोर्टर, अमर उजाला, बरेली

6. श्री आनंद सिन्हा, अमर उजाला, लखनऊ

7. सुश्री शाहिरा नईम, ट्रिब्यून, चंडीगढ़

8. श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय समाचार पत्र संघ

समिति के समक्ष बयान

श्री जावेद जैदी, पत्रकार, साफत उर्दू दैनिक, लखनऊ ने निवेदन किया कि उन्होंने नीलू को परेशान किए जाने के बारे में तत्कालीन गृह सचिव श्री आलोक सिन्हा से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिन अधिकारियों ने नीलू को परेशान किया, उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए।

श्री जितेश शुक्ला, एक्सप्रेस मीडिया सेवा ने श्री जैदी द्वारा किए गए निवेदन को दोहराया।

श्री सुरेश बहादुर सिंह ने निवेदन किया कि राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन एक आम बात है। एक पत्रकार के रूप में नीलू को ऐसे प्रदर्शनों को प्रकाशित करना होता था। दुर्भाग्यवश, नीलू के पिता माले के एक सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन वे केवल नीलू को परेशान करने से ही चिंतित हैं और इस बात से चिंतित हैं कि पुलिस द्वारा उसके द्वारा कैसे कार्रवाई की गई। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक इस समाचार से नाराज हो गई और नीलू से बदला लेने के लिए उसने उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया।

श्री संजय त्रिपाठी ने एक सी.डी. लगाकर सुनाई, जो उसके और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के संबंध में थी। इस बातचीत से यह पता चला कि नीलू से ये चीजें प्राप्त हुई, यह दिखाने के लिए ये चीजें कहां से ली गई थीं। श्री संजय ने समिति को बताया कि पद्मजा उससे और नीलू से इसलिए नाराज रहती थी कि वे पुलिस के खिलाफ अमर उजाला में आलोचनात्मक रिपोर्टें प्रकाशित करतो थे। कुछ समाचारों के संबंध में पद्मजा ने उससे कहा था कि नीलू बदमाशी कर रहा है। वह चाहती थी कि समाचार उसकी इच्छा अनुसार, प्रकाशित किए जाएं। लेकन वे ऐसा नहीं कर रहे थे। इसी कारण नीलू और उसको झूठे मामले में फसाया गया था। उसने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि पद्मजा नीलू को नहीं जानती थी। कई बार उसने नीलू द्वारा प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के बारे में उससे चर्चा की थी। उसने समिति को बताया कि हाल ही में उसके घर की नीलामी का नोटिस उसके घर के द्वार पर चिपकाया गया था।

सुश्री शाहिरा नईम, जिला संवाद्दाता, ट्रिब्यून, चंडीगढ़ ने निवेदन किया है कि उसे ऐसे पत्रकारों के नामों की सूची दी गई थी, जिन्हें पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किया गया था। नीलू का

नाम भी उस सूची में शामिल था। जब उसने श्री अशोक सिन्हा, तत्कालीन गृह सचिव से बात की थी, तब तक वह नीलू से नहीं मिली थी और उसने उनसे कहा था कि खीरी के एक पत्रकार को पुलिस द्वारा उठा लिया गया है, लेकिन श्री सिन्हा ने गिरफ्तारी के बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की थी। इस मामले में विधानसभा में चर्चा हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष के निदेशों के बावजूद, पद्मजा का स्थानांतरण नहीं किया गया था, जिससे उसके गहरे राजनीतिक संबंधों का पता चलता है। उसने यह भी कहा कि उसे खीरी में जिला स्तर के पत्रकारों की बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। वह वहां गई थी। उसे वहां बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को देखकर आश्चर्य हुआ था। पुलिस की उपस्थिति से पत्रकारों पर उनके दबाव का पता चलता है। उसने यह भी कहा कि वह पद्मजा से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई थी।

दिनांक 07.01.2007 को गृह सचिव, श्री आर.एम. श्रीवास्तव ने सीबी–सीआईडी की दिनांक 29.08.2006 की रिपोर्ट तथ्यान्वेषी समिति को भेजी थी। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष का अंश इस प्रकार थाः

"आज तक की गई अपराध शाखा की संपूर्ण जांच की कार्रवाई से सैमुद्दीन उर्फ नीलू, पुत्र श्री अलाउद्दीन शास्त्री, पत्रकार, अमर उजाला, लखीमपुर के खिलाफ कोई पुष्ट और पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हुआ है। यह पाया गया है कि श्रीमती एन. पद्मजा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, खीरी के खिलाफ लगाए गए आरोप भी साबित नहीं हो पाए हैं। संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों (जो गिरफ्तारी से संबंधित थे) के आचरण के संबंध में जांच की जा रही है।"

यह जांच अभी जारी है, हालांकि इसे शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता के पिता श्री अलाउद्दीन शास्त्री ने भी शपथपत्र पर निवेदन दाखिल किया है।

दिनांक 08.01.2007 को लखीमपुर खीरी में भी तथ्यान्वेषी समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

lfefr ds le{k mifLFkfr

श्री सैमुद्दीन नीलू, शिकायतकर्ता

पत्रकार/रिपोर्टर

1. श्री प्रशांत पांडे, ईटीवी
2. श्री एम.के. मिश्रा, राष्ट्रीय सहारा

3. मोहम्मद शकील, इंडिया टी.वी.

4. श्री अभिषेक वर्मा, आज तक

5. श्री ए.के. द्विवेदी, आज

6. श्री राजीव दीक्षित, जनसत्ता एक्सप्रेस

7. श्री कुलदीप पाहवा, यूएनआई

8. श्री सुबोध शुक्ला, राष्ट्रीय स्वरूप

9. श्री शकील अहमद, आर्युबी

10. श्री कृष्ण शर्मा, दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप

11. श्री विपिन शुक्ला, समाचार टाइम्स

12. श्री सुरिंद्र कुमार मिश्रा, दुधवा संदेश

13. श्री अशोक कुमार मिश्रा, यूएनआई

14. श्री सत्यदेव श्रीवास्तव, शांति विचार धारा

15. श्री मुन्नालाल शर्मा, एस–1 न्यूज चैनल रिपोर्टर

16. श्री राजन लाल त्रिवेदी, सहकारी संगठन, हिंदी साप्ताहिक

17. श्री शिव कुमार गौड़, दैनिक जागरण

18. श्री रमेश पांडे, जनसत्ता एक्सप्रेस

19. श्री मनमोहन, दैनिक राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ

20. श्री गणेश उपाध्याय, दैनिक हिंदुस्तान

21. श्री कमल मिश्रा, दैनिक आज

22. श्री धर्मेश शुक्ला, हिंदुस्तान

23. श्री श्यामजी अग्निहोत्री, सहारा समय

24. श्री राकेश मिश्रा, दैनिक जागरण

25. श्री संजीव पाहवा, दैनिक जागरण

26. श्री लेखराम भारती, पूर्व ब्यूरो प्रमुख, स्वतंत्र भारत

27. श्री अशोक निगम, जिला संवाद्दाता, हिंदुस्तान

28. डॉ. सुजाता अली खान, दि पायनियर

29. श्री साधुराम नाथ, संपादक, हिंदी दैनिक अपूर टाइम्स

30. श्री सुधाकर नाथ मिश्रा, संपादक, समय समाचार

31. श्री जय किशोर वर्मा, संपादक, हिंदी साप्ताहिक मेरी जुबान

32. श्री राजेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, संपादक, तराई का सूरज, हिंदी साप्ताहिक

33. श्री मनोज कुमार मिश्रा, संपादक, तराई एक्सप्रेस, हिंदी साप्ताहिक

34. श्री शरीक खान, टाइम्स ऑफ इंडिया

35. श्री ऋषभ त्यागी, स्टाफ रिपोर्टर, सहारा समय

36. श्री संजय त्रिपाठी, अमर उजाला, बरेली

37. श्री सुशील गुप्ता, अमर उजाला, बरेली

38. श्री अजय गुप्ता, अमर उजाला, पीलीभीत

39. श्री दिनेश गुप्ता, अमर उजाला, लखीमपुर

40. श्री मोहम्मद याशीन, टाइम्स नाउ चैनल

41. श्री पवन विश्वकर्मा, एस–1 टीवी चैनल, कैमरामेन

42. श्री सैय्यद सुएब मुखतार, संवाद्दाता, यूनाइटेड भारत

43. श्री संजय गुप्ता, संपादक, तराई आतंक, हिंदी साप्ताहिक

44. श्री रहीस अहमद वारसी, संपादक, चौथा विकल्प

45. श्री कृष्ण कुमार सिंह कसेरा, संकट उवाच, साप्ताहिक

46. श्री विकास शुक्ला, सजत टाइम्स साप्ताहिक

प्रतिवादी पुलिस अधिकारी

1. श्री मनोज कुमार सिंह, एसआई, वाईसीओपी मेहवागंज, पुलिस थाना, कोतवाली, लखीमपुर, जिला खीरी।

2. श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी, एसआई, आईसीओपी मेहवागंज, पुलिस थाना, राजापुर कोतवाली, लखीमपुर।

3. हैड कांस्टेबल श्री संतनाम सिंह, पुलिस लाइन, लखीमपुर।

4. सिपाही 894 श्री शकील अहमद, चौकी राजापुर, पुलिस थाना कोतवाली, लखीमपुर खीरी।

5. श्री प्रवीण रंजन सिंह, पुलिस उप–अधीक्षक, सी.ओ. मेहम्मदी, खीरी।

अन्य

1. श्री सेवक सिंह अजमानी, महासचिव, जिला सिख सभा

2. श्री कुलवंत सिंह गुटना, सदस्य, जिला सिख सभा

3. श्री सेवा सिंह गुटना, सदस्य, जिला सिख सभा

समिति के समक्ष बयान

हाल में उपस्थित पत्रकारों से समिति ने कहा कि वे नीलू की गिरफ्तारी और संपूर्ण घटना के बारे में एक–एक कर के अपने सबूत दाखिल करें। शुरू में किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। एक श्री साधु राम शुक्ला, एफ्रो एशिया ने सुझाव दिया कि सबसे पहले समिति को जिला मैजिस्ट्रेट से बात करनी चाहिए क्योंकि पत्रकारों से संबंधित मामलों के बारे में एक समिति है, जिसके अध्यक्ष जिला मैजिस्ट्रेट हैं और पुलिस अधीक्षक तथा तीन अन्य प्राधिकारी इसके सदस्य हैं। जहां तक नीलू का संबंध है, जिला मैजिस्ट्रेट ने अवश्य बैठक बुलाई होगी और उसकी कार्रवाई को अवश्य रिकार्ड किया होगा। तथान्वेषी समिति को चाहिए कि वह पहले उस कार्यवाही को देखे। समिति को इस मामले की जड़ कार्यवाही में मिल जाएगी।

श्री शर्मा ने उससे कहा कि तथान्वेषी समिति, नीलू और पुलिस द्वारा उसे परेशान किए जाने संबंधी घटना के बारे में पत्रकारों के विचार जानना चहती है। उसने कोई भी समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आया, तब समिति ने सभी उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि वे हाल से बाहर चले जाएं ताकि एक–एक कर के साक्ष्य दर्ज किया जा सके।

तब 6 पत्रकार, यथा, सर्व/श्री संजीव पाहवा, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक जागरण, लखनऊ, राजीव दीक्षित, ब्यूरो प्रमुख, जनसत्ता, लखीमपुर, लेख राम भारती, पूर्व–जिला संवाद्दाता, स्वतंत्र

भारत, लखनऊ, धर्मेश शुक्ला, रिपोर्टर, दैनिक हिंदुस्तान, लखनऊ, श्यामजी अग्निहोत्री, ब्यूरो प्रमुख, सहारा समय और राकेश मिश्रा, दैनिक जागरण, लखीमपुर को समिति द्वारा साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया। उपस्थित एक पत्रकार ने निवेदन किया कि वह उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ से जुड़ा हुआ है। कुछ सदस्यों ने घटना के बारे में नीलू से पूछा कि क्या उसे उनके समर्थन की जरूरत है, लेकिन उसने उत्तर दिया कि वह इस लड़ाई को लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है और किसी संघ की सहायता की उसे जरूरत नहीं है। वह किसी भी संस्था को अपना अभ्यावेदन दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

श्री राजीव दीक्षित, जनसत्ता ने बताया कि दिनांक 09.01.2003 को श्री सी.बी. चौरसिया, अमर उजाला के एक संवाद्दाता की जघन्य हत्या की गई थी। इस हत्या के बाद पत्रकारों की संस्था और सामाजिक संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने एक पत्रकार की हत्या करवाई थी। इस संबंध में बंद रखा गया था और तब यह निर्णय लिया गया था कि जब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, तब तक बहुजन समाज पार्टी के किसी भी प्रेस नोट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लेकिन वास्तव में, यह बड़े खेद की बात है कि नीलू पहला व्यक्ति था, जिस ने उस पार्टी के प्रेस नोट को प्रकाशित किया था, केवल एक बार ही नहीं उसने समय–समय पर ऐसा किया था। ऐसी अफवाह है कि नीलू ने इसके लिए पैसे लिए थे।

समिति ने बिना तारीख का एक पत्र दिखाया, जिसमें उपर्युक्त 6 पत्रकारों द्वारा अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् को (श्रीमती पद्मजा के समर्थन में) पत्र लिखा था और उनसे पूछा था कि क्या उस पत्र में उन्हीं के दस्तखत हैं। सभी 6 व्यक्तियों ने इस बात की पुष्टि और सत्यापन किया कि उन्होंने ही उस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

समिति ने इस स्वीकार्यता के सत्यापन के लिए दूसरे पन्ने पर उनके हस्ताक्षर लिए थे।

समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या यह पत्र तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के पक्ष में था, तो उन सभी ने उत्तर दिया कि पुलिस अधीक्षक से उनका कोई संबंध नहीं है और वे उन्हें बार–बार भी नहीं मिले थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई गलत व्यक्ति मीडिया में प्रवेश कर जाता है, तो एक कठिन परिस्थिति पैदा हो जाएगी। नीलू इतना सीधा–सादा नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि यह कारण भी स्पष्ट नहीं है कि पुलिस अधीक्षक नीलू की हत्या करवाने का प्रयास क्यों कर रही थी। पत्र देने से उनका आशय यह था कि यदि नीलू दोषी है, तो उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे सुश्री पद्मजा का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। यह पत्र केवल इस आशय से दिया गया था कि एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और यदि नीलू दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अनावश्यक रूप से पूरे मीडिया को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।

तथ्यान्वेषी समिति ने हाल में उपस्थित इन 6 पत्रकारों को बताया कि सीबी–सीआईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नीलू के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उन चीज़ों को देखा या देखने का प्रयास किया, जिनके संबंध में लिखा गया है और जिनके बारे में यह बताया गया है कि ये चीजें नीलू की गिरफ्तारी के समय उससे जब्त की गई थीं। यह बात इसलिए की जा रही है कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि ऐसे पत्रकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो तस्करी से जुड़े हुए हों। उन्होंने यह उत्तर दिया कि उन्होंने ये चीजें नहीं देखीं, लेकिन उन्होंने यह लिखा "यदि दोषी पाया जाता है तो" क्योंकि वे यह नहीं कह सकते हैं कि नीलू दोषी है या नहीं।

समिति ने श्री लेख राम से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के साथ संबंधों के बारे में पूछा।

उसने उत्तर दिया कि उसके उक्त पुलिस अधीक्षक से कोई संबंध नहीं थे। वह उसी तरह समाचार रिपोर्टों के संबंध में श्रीमती पद्मजा से मिलता था, जैसे कि अन्य पत्रकार मिलते थे। उसने समिति से कहा कि वह पत्रकार के कार्य से इतना तंग आ चुका था कि उसने वह कार्य छोड़ दिया और शूगर मिल में काम करना शुरू कर दिया। जब अमर उजाला के सी. बी. चौरसिया की हत्या की गई थी, सभी समाचारपत्रों ने इस हत्या के बारे में गंभीरता से समाचार प्रकाशित किए थे और मिलकर यह निर्णय लिया था कि संबंधित पक्षकार से प्राप्त समाचारों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उस समय श्री रामा नंद पुलिस अधीक्षक थे। स्वतंत्र भारत ने भी हत्या की यह खबर छापी थी। लेकिन जब अमर उजाला ने प्रेस नोट प्रकाशित करने शुरू कर दिए, तो उन्होंने यह मामला बंद कर दिया। एक दिन जब वह श्री रामा नंद से कुछ समाचार लेने गया था, पुलिस अधीक्षक ने अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा था कि उन्होंने नीलू को एक लाख रुपए दिए थे। संजय त्रिपाठी दोबारा पैसे लेने गया था, लेकिन उसे भगा दिया गया था। श्री लेख राम ने निवेदन किया कि उसने यह समाचार रामा नंद के नाम का उल्लेख किए बिना प्रकाशित किया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका नाम प्रकाशित किया जाए। यदि उसने समाचारपत्र का नाम या संबंधित प्राधिकारी का नाम प्रकाशित कर दिया होता, तो उसकी भी हत्या हो गई होती। उसने यह बात स्वीकार की कि नीलू ने उसके बारे में झूठी खबरें प्रकाशित की थीं क्योंकि वह दलित है और इसलिए उसने यह मामला दायर किया है।

अन्य बातचीत श्री मनोज कुमार सिंह, उप–निरीक्षक, वाईसीओपी मेहवागंज, पुलिस थाना कोतवाली, लखीमपुर, जिला खीरी, श्री हरेंद्र कुमार त्यागी, उप–निरीक्षक, आई/सीओपी पुलिस थाना, राजापुर कोतवाली, लखीमपुर, हेड कांस्टेबल श्री सतनाम सिंह, पुलिस लाइन, लखीमपुर, सिपाही 894 श्री शकील अहमद, चौकी राजापुर, पुलिस थाना कोतवाली, लखीमपुर खीरी, श्री प्रवीण रंजन सिंह, पुलिस उप–अधीक्षक, सी.ओ. मोहम्मदी, खीरी नामक पुलिस अधिकारियों से हुई।

समिति ने उन्हें सीबी–सीआईडी की रिपोर्ट के बारे में बताया, जिसमें यह घोषित किया गया कि श्रीमती नीलू और श्री पद्मजा के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और यह कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने नीलू को गिरफ्तार किया था। समिति ने इस बारे में पूछताछ की, कि क्या यह गिरफ्तारी पद्मजा के कहने पर हुई थी।

सभी पुलिस अधिकारियों ने यह बात स्वीकार की, कि यह गिरफ्तारी एक मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर की गई थी। नीलू को प्रतिबंधित वस्तुओं/सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया था, जो मालखाने में रखी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में न्यायिक कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सीबी–सीआईडी ने क्या जांच की थी। वे उनके द्वारा की गई जांच और दर्ज कार्रवाई को न्यायालय में पेश करेंगे। जो कुछ भी नीलू से प्राप्त किया गया था, वह रिकार्ड में दर्ज है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि श्रीमती पद्मजा का नीलू की गिरफ्तारी से कोई संबंध है। उन्होंने इस बात का दावा किया कि नीलू संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति है और पिछली बार बच निकला था। उन्होंने यह निवेदन किया कि उन्होंने एक आपराधी को गिरफ्तार किया था न कि एक पत्रकार को।

सभी अधिकारियों ने अपने वक्तव्य के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किए।

समिति ने तब अपनी कार्यवाही आरंभ की।

श्री रहीस अहमद वारसी, चौथा विकल्प ने समिति से कहा कि नीलू के खिलाफ मामला दर्ज करने के विरुद्ध पत्रकारों ने गोला चौक पर आंदोलन किया था और प्रेस ने भी इस संबंध में व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जिला मैजिस्ट्रेट ने उन्हें बुलाया था और आंदोलन बंद करने के लिए कहा था। जब आंदोलन बंद नहीं किया गया, तो जिला मैजिस्ट्रेट ने जबरदस्ती एक खाली कागज पर उनके दस्तखत करवाए और उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया। 6 पत्रकारों के खिलाफ आरोपत्र दाखिल किया गया। यह मामला जांच के लिए मुख्य जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष है। उसने यह कहा कि एक दिन सी.ओ. ने नीलू को बुलाया और उससे कहा कि वह पुलिस के खिलाफ आलोचनात्मक लेख लिखना बंद कर दे। उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। यह घटना चार्जशीट में दर्शाई गई है, जो सदर चौक में है, जो एक बहुत ही भीड़भाड़ वाला इलाका है, जहां पर हमेशा लोग जमा रहते हैं, लेकिन वहां एक भी ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं मिला, जिस ने आरोपपत्र में उल्लिखित घटना देखी हो। सर्व/श्री कामता सिंह, कुशवाहर, संवाद्दाता, अमर उजाला, विकास शुक्ल, संपादक, स्वजग टाइम्स, रहीस अहमद वारसी, संपादक, चौथा विकल्प, अनिवाश चंद्र वर्मा, संवाद्दाता, अमर उजाला, अनंग वर्मा, संपादक, कुमारी चेतना और अनिल वर्मा, संपादक, लोकल विकास केंद्र, रिपोर्टरों, जो सभी गोला से हैं, ने समिति को लिखित प्रत्यावेदन दिया। यह इस प्रकार था "आवेदक उप–जिला गोला के पत्रकार हैं, जिन्होंने नीलू को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के खिलाफ आंदोलन किया

था और मांग करते हैं कि भ्रष्ट पुलिस अधीक्षक एन. पद्मजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिस ने पत्रकार नीलू को झूठे मामले में फंसाया था। सीबी–सीआईडी ने भी अपनी जांच में पाया कि नीलू के खिलाफ दायर मामला मनगढंत था। मनगढंत मामला संख्या 87/2005 के परिणामतः उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन, गोला में केस दर्ज किया गया था और और बिना किसी गवाह या साक्ष्य के न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्रीमती एन. पद्मजा नीलू के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के कारण दोषी थीं। झूठा मामला संख्या 85/05 पंजीकृत कर के उसके खिलाफ षडयंत्र रचा गया था। बबलू शुक्ला, पुत्र श्री ओम प्रकाश शुक्ला ने शपथपत्र में निवेदन किया कि उसने दिनांक 14.02.2005 के अपराह्न 3.00 बजे गोला चौक में हुई किसी घटना को नहीं देखा था। कुछ अज्ञात पुलिस कर्मी उसके पास आए और उससे कहा कि वह पहले से तैयार शपथपत्र पर हस्ताक्षर कद दें। बबलू शुक्ला ने शपथपत्र में यह भी कहा कि वह किसी पत्रकार को नहीं जानता है और इसलिए किसी पत्रकार की पहचान नहीं कर सकता है। आरोपपत्र में आम जनता से कोई गवाह नहीं है। उन्होंने समिति के माध्यम से मांग की है कि सरकार उनके खिलाफ मामला सं.87/2005 के अधीन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में दायर झूठे मुकदमे को वापस ले ले।"

डॉ. सुजत अली खान, पायनियर ने कहा कि इस घटना से ऐसा पता चलता है कि यह राजनीति से प्रेरित थी क्योंकि नीलू के पिता कम्युनिस्ट लीडर हैं और नीलू समाचारपत्र में पार्टी के आंदोलनों को व्यापक रूप से प्रकाशित कर रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि उसने नीलू को इसके खिलाफ चेतावनी दी थी।

श्री रमेश पांडे, जनसत्ता ने निवेदन किया कि पुलिस अधीक्षक आपराधिक रिपोर्टिंग और कुछ पत्रकारों द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की प्रवृत्ति से खुश नहीं थीं।

ईटीवी के श्री प्रशांत पांडे ने विचार व्यक्त किया कि पत्रकारों का कम वेतन कुछ पत्रकारों द्वारा गलत क्रियाकलाप करने का मुख्य कारण है और दूसरी ओर, प्राधिकारियों ने नीलू पर प्रतिकूल रिपोर्टिंग करने के कारण दबाव भी डालना चाहा।

श्री संजय त्रिपाठी, अमर उजाला ने भी राजनीतिक दृष्टिकोण पर बल दिया और नीलू के खिलाफ कार्रवाई करने का कारण क्राइम रिपोर्टिंग को दबाने का प्रयास माना। क्योंकि नीलू उस समय राजनीतिक रिपोर्टर था जब पुलिस अधीक्षक खीरी में आई थीं। बाद में, उसे आपराधिक रिपोर्टिंग का कार्य भी सौंपा गया था। वह पहले सतर्कता और यातायात विभाग में थी। यह जिले में उसकी पहली तैनाती थी। रामा नंद उस समय पुलिस अधीक्षक था और उसके बंगले से एक चंदन का पेड़ काटा गया था। एक डकैती भी हुई थी। एक बैग मिला था, जिसमें से आधी चीजों के मिलने के बारे में बताया गया था और बाकी चीजों को हिसाब में नहीं लिया गया था। जब बाद में भी इस प्रकार के समाचार प्रकाशित होते रहे, तब एक

अधिकारी आर.पी. शुक्ला और अन्य लोगों ने पुलिस अधीक्षक को भड़काया। अन्य पत्रकारों को डराया–धमकाया गया और वे पुलिस अधीक्षक के करीब आते गए। अंततः, उसका स्थानांतरण हो गया।

तथ्यान्वेशी समिति की अगली बैठक नई दिल्ली में 13.02.2007 को हुई।

जांच समिति के समक्ष उपस्थितिः

श्री सैमुद्दीन नीलू, शिकायतकर्ता

श्री सुबोध कुमार सक्सेना, शिकायतकर्ता का वकील

श्रीमती एन. पद्मजा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर

श्री ए.के. सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर – प्रतिवादी

तथ्यान्वेषी समिति के समक्ष कार्यवाही

श्रीमती पद्मजा ने निवेदन किया कि प्रस्तुत शिकायत की कई एजेंसियों से जांच कराई गई थी। उसके विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उसने आगे यह भी कहा कि वह कभी भी रिपोर्टर से नहीं मिली और उसने यह कहा कि जो कुछ वह पहले कह चुकी है, उसमें उसने कुछ नहीं जोड़ना है।

समिति ने उससे पूछा कि क्या लखीमपुर खीरी में उसके कार्यकाल के दौरान शिकायतकर्ता जेल में था और क्या शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी की सूचना निदेशक, सूचना और जन संपर्क विभाग को दी गई थी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, वह एक पत्रकार है।

उसने उत्तर दिया कि दैनिक कि कई नेमी मामले पंजीकृत किए जाते थे। उसने कहा कि जहां तक उसे याद है, अगले दिन गिरफ्तारी रुकवा दी गई थी। उसने निदेशक, सूचना और जन संपर्क विभाग को सूचना देने की प्रक्रिया के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की। संयोजक ने इस ओर ध्यान दिलाया कि शिकायतकर्ता, जो एक पत्रकार है न की अपराधी, उसे हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए थी। उसने उत्तर दिया कि शिकायतकर्ता को हथकड़ी लगाए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। समिति ने प्रतिवादी से पूछा कि सीबी–सीआईडी की रिपोर्ट अंतरिम है या अंतिम।

उसने उत्तर दिया कि क्योंकि जहां तक उसे जानकारी है, प्रशासन ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, यह प्रशासनिक रूप से अंतिम है। यह रिपोर्ट तभी अंतिम होगी, जब इसे न्यायालय द्वारा निपटा दिया जाएगा। सीबी–सीआईडी एक स्वतंत्र निकाय है और वह इस संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ है कि सीबी–सीआईडी ने इस जांच में क्या पाया था।

उसने समिति के सामने अपनी अप्रसन्नता भी व्यक्त की कि जब कभी भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा उसे बुलाया जाता है, यह समाचार अमर उजाला द्वारा तत्काल प्रकाशित कर दिया जाता है।

श्री ए.के. सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ने निवेदन किया कि पुलिस का सीबी–सीआईडी के निष्कर्षों से कोई संबंध नहीं है। यह अपनी रिपोर्ट सीधे न्यायालय को भेजेगी। न्यायालय तब शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को यह जानने के लिए बुलाएगा कि वे सीबी–सीआईडी के निष्कर्ष से संतुष्ट हैं या नहीं। उसने यह भी कहा कि जब तक सीबी–सीआईडी इस मामले को बंद नहीं कर देती, यह अंतिम नहीं हो सकती है। यदि सीबी–सीआईडी द्वारा किसी मामले में कोई कमी पाई जाती है, तो वे पुलिस के खिलाफ अपने निष्कर्ष दे सकते हैं।

तथ्यान्वेषी समिति ने श्रीमती पद्मजा से इस आरोप के बारे में पूछा कि शिकायतकर्ता को मुठभेड़ में मारने के लिए उठाया गया था। उसने उत्तर दिया कि यह बात सही नहीं है कि शिकायतकर्ता को मुठभेड़ के लिए उठाया गया था। उसने यह भी कहा कि उसने और जिला मैजिस्ट्रेट ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इस मामले में सीबी–सीआई से जांच करवाने की सिफारिश की गई थी।

समिति ने इस आरोप के बारे में भी पूछा कि जब कभी शिकायतकर्ता को शैडो मुहैया कराया जाता था, तो उसका हस्तक्षेप क्या होता था। श्रीमती पद्मजा ने उत्तर दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि शैडो जिला प्राधिकारियों की सिफारिश पर मुहैया कराया जाता है।

उसने अपना लिखित बयान दाखिल किया, जिसका सार इस प्रकार हैः

पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के रूप में उसकी तैनाती के दौरान एक आपराधिक मामला सं.439/05, वन्य जीव अधिनियम, 1950 की धारा 51 के अधीन श्री सैमुद्दीन, स्टाफ रिपोर्टर, अमर उजाला के खिलाफ दायर किया गया था और पीजीटी अधिनियम की धारा 4/10 के अधीन मामला संख्या 440/05 दिनांक 16.02.2005 को दर्ज किया गया था, जिसके संबंध में उसने उसके खिलाफ परिषद् के समक्ष निराधार शिकायत दाखिल की थी। यह निवेदन किया गया है कि सीबी–सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि "श्रीमती एन. पद्मजा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, खीरी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए।" इसे विचार करने के बाद प्रशासन ने स्वीकार किया था। उसने कहा कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई जांच में उसके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया। उसने निवेदन किया कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह शिकायत खारिज कर दी जाए।

शिकायतकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान की गई थी लेकिन इस संबंध में उसे कोई पत्र नहीं दिया गया था कि कितनी अवधि के लिए यह सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

तथ्यान्वेषी समिति ने शिकायतकर्ता को निदेश दिया कि वह इस मामले में अपने कथन को व्यक्त करते हुए एक शपथपत्र दाखिल करे।

तदनुसार, शिकायतकर्ता ने तथ्यान्वेशी समिति से मिलने के बाद निम्नलिखित निवेदन करते हुए, शपथपत्र दाखिल कियाः

1. कि पुलिस और प्रशासन अभिसाक्षी के खिलाफ बेईमानी कर रहे हैं और उसका जीवन खतरे में है।

2. कि अभिसाक्षी की व्यक्तिगत सुरक्षा इस माननीय परिषद् के आदेशों द्वारा सुनिश्चित की गई थी। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मिलीभगत से हाथ मिलाए और यदा–कदा उसकी सुरक्षा वापस ले ली।

3. कि विरोधी पार्टी एन पद्मजा को प्रशासन की वस्तुतः गृह विभाग में प्रभावी स्थिति है। वह प्रशासन से निर्दोष होने का पत्र प्राप्त करने में सफल नहीं हुई, विशेषतः उस समय जब कि जांच चल रही थी। जब जांच की कार्रवाई चल रही हो तब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। सीबी–सीआईडी के निरीक्षक ने अभिसाक्षी के खिलाफ संपूर्ण साक्ष्य दर्ज किया और आज तक अभिसाक्षी के खिलाफ संपूर्ण साक्ष्य दर्ज किया और आज तक अभिसाक्षी के खिलाफ प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं मिल सका। एसओजी का दल सीधे एसएसपी के नियंत्रण में था। वह श्रीमती एन. पद्मजा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाली पुलिस के खिलाफ लगातार समाचार छापे जाने के कारण बदला लेना चाहती थी।

4. कि दिनांक 06.01.2007 को लखनऊ जाने के दौरान यह मामला रिकार्ड में है कि गृह सचिव ने अभिसाक्षी को दो दिन के अंदर संरक्षा/बंदूकधारी देने का आश्वासन दिया था। दिनांक 27.01.2007 को ही यह सुरक्षा दी गई थी, लेकिन इसमें परिषद् के पास का कोई हवाला नहीं दिया गया था। दिनांक 27.01.2007 को श्री अवधेश अभिसाक्षी से मिला था और उसे बताया था कि उसे आरआई, लखीमपुर के आदेशों से अभिसाक्षी की सुरक्षा में तैनात किया गया है। अभिसाक्षी आरआई, लखीमपुर से मिला था और उसने आरआई लखीमपुर से श्री अवधेश की तनाती के बारे में पूछताछ भी की थी। आरआई लखीमपुर ने मौखिक रूप से इस बात की पुष्टि की थी लेकिन कुछ भी बात लिखने से इनकार किया था। अभिसाक्षी इस बात से आश्चर्यचकित था कि उसने वही सुरक्षा एक अन्य व्यक्ति श्री जगत सिंह को बिना कोई सूचना दिए दी थी। यह सभी बातें श्रीमती पद्मजा के कहने पर की गई थीं, जो अभिसाक्षी की हत्या करवाकर इस मामले को सदा–सदा के लिए बंद करना चाहती थी।

5. कि अभिसाक्षी का मानना है कि पुलिस की वर्दी में किसी व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या करवाई जाएगी। वर्तमान परिस्थिति में प्रशासन को चाहिए कि वह बंदूकधारी की विशिष्ट पहचान सहित सुरक्षा मुहैया कराए और इस संबंध में भी किसी को पत्र दे और इसकी प्रतियां भारतीय प्रेस परिषद् और मानव अधिकार आयोग को भेजे। यह कार्य तब तक किया जाता रहे जब तक श्रीमती एन. पद्मजा सेवा में हैं। यदि किसी भी स्थिति में, सुरक्षा बदली जाती है तो भी अभिसाक्षी और संबंधित प्राधिकारियों को पूर्व सूचना दी जाए।

यह मामला महानिदेशक, सीबी–सीआईडी, महानिदेशक, पुलिस और गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को टिप्पणियां देने के निदेश देते हुए स्थगित कर दिया गया क्योंकि सीबी–सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया था कि "अपराध शाखा की संपूर्ण जांच प्रक्रिया से आज तक सैमुद्दीन उर्फ नीलू पुत्र अलाउद्दीन शास्त्री, पत्रकार, अमर उजाला, लखीमपुर के खिलाफ कोई पुष्ट और प्र्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया। यह पाया गया कि श्रीमती एन. पद्मजा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के आचरण के संबंध में पूरी जांच की जा रही है।

सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी टिप्पणियां दाखिल करने के लिए दिनांक 15.07.2007 को पत्र जारी किए गए थे।

शिकायतकर्ता का दिनांक 19.04.2007 का पत्र

शिकायतकर्ता ने दिनांक 19.04.2007 के पत्र द्वारा तथ्यान्वेषी समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और भारतीय प्रेस परिषद् के निदेशों के बाद उसकी सुरक्षा दिनांक 27.04.2007 तक बढ़ा दी गई थी। उसने तथ्यान्वेषी समिति से अनुरोध किया कि वह राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी करे कि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। शिकायतकर्ता ने यह भी सूचित किया कि सीबी–सीआईडी द्वारा अंतिम रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, लेकिन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

तथ्यान्वेषी समिति के संयोजक ने दिनांक 26.04.2007 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में जांच समिति के सदस्यों को इस मामले में हुई प्रगति से अवगत कराया। प्राधिकारियों से उत्तर प्राप्त न होने पर तथ्यान्वेषी समिति/जांच समिति ने महानिदेशक, सीबी–सीआईडी और महानिरीक्षक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को अगली बैठक में आने के लिए समन जारी करने का निर्णय लिया। जांच समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह शिकायतकर्ता को तब तक सुरक्षा मुहैया कराए जब तक परिषद् द्वारा इस मामले को अंतिम रूप से नहीं निपटा दिया जाता।

प्रतिवादी का दिनांक 21.05.2007 का उत्तर

परिषद् के दिनांक 12.04.2007 के पत्र के उत्तर में श्री आर.एम. श्रीवास्तव, सचिव गृह, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 21.05.2007 के अपने पत्र के जरिए सीबी–सीआईडी की रिपोर्ट की एक प्रति दाखिल की और निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया:

1. सीबी–सीआईडी द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।

2. श्री सैमुद्दीन नीलू के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में अंतिम रिपोर्ट मुख्य जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी को भेज दी गई है।

3. सीबी–सीआईडी ने दिनांक 17.0302007 को पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को पहले ही पत्र जारी कर दिया है। श्री सैमुद्दीन नीलू, पत्रकार की गिरफ्तारी से संबद्ध पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरंभ की जाए।

4. श्री नीलू को तीन महीने के लिए बंदूकधारी मुहैया कराया गया है और बाद में पुलिस सुरक्षा दिनांक 15.05.2007 तक बढ़ाई गई।

प्रतिवादी सीबी–सीआईडी, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त उत्तर

परिषद् के दिनांक 15.02.2007 और 12.04.2007 के पत्रों के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, सीबी–सीआईडी ने अपने पत्र दिनांक 09.06.2007 के जरिए निम्नलिखित प्रकार से सूचित किया है:

1. सीबी–सीआईडी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है।

2. मुख्य जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय, लखीमपुर खीरी में दिनांक 07.04.2007 को श्री नीलू के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पंजीकृत मामला सं. 439/2005 और पीजीटी अधिनियम की धारा 4/10 के तहत पंजीकृत मामला सं. 440/2005 दर्ज किए गए हैं, जो साक्ष्य के अभाव में न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

3. सीबी–सीआईडी के पत्र संख्या 109–110/05 दिनांक 17.03.2007 के जरिए उप–निरीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, हैड कांस्टेबल हरेंद्र कुमार त्यागी, हैड कांस्टेबल सतनाम सिंह और सिपाही भागीरथ शर्मा, आदेश शर्मा, देवेंद्र पाल सिंह, शकील अहमद, जगदीश प्रसाद तिवारी और सिपाही ड्राइवर लखन सिंह, जो श्री सैमुद्दीन की गिरफ्तारी में शामिल थे, पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के समक्ष लंबित है।

4. सीबी–सीआईडी श्री सैमुद्दीय और किसी अन्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए विभाग इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं दे सकता।

15.06.2007 को नई दिल्ली में आयोजित तथ्यान्वेषी समिति की बैठक

उपस्थिति

श्री सैमुद्दीन नीलू, स्टाफ रिपोर्टर, अमर उजाला – **शिकायतकर्ता**

प्रतिवादी प्राधिकारियों की ओर से उपस्थितिः

श्री सुरेश चंद्र मिश्रा, विशेष सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश सचिवालय

श्री प्रमोद कुमार, पुलिस अधीक्षक, सीबी–सीआईडी

श्री दीपक रतन, एसएसपी, गाजियाबाद

श्री हरपाल सिंह, इंस्पेक्टर, सीबी–सीआईडी, लखीमपुरी खीरी।

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दोहराई और सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया।

तथ्यान्वेषी समिति ने प्रतिवादी प्राधिकारियों से शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने और प्रत्येक तीन महीने के बाद इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। प्रतिवादी प्राधिकारियों ने तथ्यान्वेषी समिति को आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी मामले पर संबंधित समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा और तथ्यान्वेषी समिति को इस संबंध में 5 जुलाई, 2007 तक रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

शिकायतकर्ता का दिनांक 12.07.2007 का पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 12.07.2007 के जरिए सूचित किया कि उसे प्रदान की गई सुरक्षा पहले ही वापस ले ली गई है और दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। उसने परिषद् से निवेदन किया कि वह केंद्रीय सरकार को उसे सुरक्षा प्रदान करने का निदेश दे ताकि वह अपने पत्रकारिता संबंधी कर्त्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्रतापूर्वक और निडरतापूर्वक रूप से कर सके।

दिनांक 5 जुलाई, 2007 को दिए गए आश्वासन के बावजूद, प्राधिकारियों द्वारा किसी सूचना के अभाव में, दिनांक 06.08.2007 को डॉ. जे.एन. चैम्बर, सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री विक्रम सिंह, महानिदेशक, पुलिस, लखनऊ को 30 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में तथ्यान्वेषी समिति के समक्ष उपस्थिति होने के लिए समन जारी किए गए थे।

पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर का दिनांक 17.08.2007 का उत्तर

पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने फैक्स दिनांक 17.08.2007 के जरिए सूचित किया कि उन पथभ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है, जो सीबी–सीआईडी द्वारा दाखिल रिपोर्ट में दोषी पाए गए थे।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, खीरी की रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए, प्रतिवादी ने निवेदन किया कि पुलिस कर्मियों में से एक पथभ्रष्ट सिपाही भागीरथ शर्मा की दिनांक 14.6.2007 को मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसको कोई सकारात्मक आदेश जारी नहीं किए जा सके। अन्य पथभ्रष्ट पुलिस कर्मियों के संबंध में उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि को एक साल तक रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रतिवादी ने आगे यह भी निवेदन किया कि श्री सैमुद्दीन नीलू, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में सूचना मांगी गई है।

पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ का दिनांक 22.08.2007 का उत्तर

पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने फैक्स दिनांक 22.08.2007 के जरिए पुलिस अधीक्षक, खीरी का दिनांक 19.08.2007 का एक पत्र अग्रेषित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार के दिनांक 12.07.2007 के आदेशों के अनुसार, श्री सैमुद्दीन, शिकायतकर्ता को उसकी सुरक्षा के लिए 6 महीने के लिए 100 प्रतिशत अदायगी के आधार पर एक बंदूकधारी मुहैया कराया जा सकता है। श्री सैमुद्दीन नीलू को इन आदेशों के बारे में पहले ही दिनांक 18.07.2007 को सूचित कर दिया गया था, परंतु उसके द्वारा धनराशि जमा न कराए जाने के कारण उसे बंदूकधारी नहीं दिया जा सका।

प्रतिवादी प्राधिकारियों की ओर से दिनांक 30.08.2007 को उपस्थिति

1. उपमहानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री चंद्र प्रकाश, उप महानिरीक्षक, लखनऊ रेंज उपस्थित हुए।

2. गृह सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश की ओर से श्री सर्वेश चंद्र मिश्रा, विशेष सचिव, उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता श्री सैमुद्दीन नीलू तथ्यान्वेषी समिति के समक्ष उपस्थित हुआ था।

तथ्यान्वेषी समिति के समक्ष सुनवाई

प्रारंभ में तथ्यान्वेषी समिति ने पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को समन भेजे जाने

के बावजूद उनकी अनुपस्थिति पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने न तो अकाट्य कारण बताया और न ही समिति के स्थगन का अनुरोध किया था।

तथ्यान्वेषी समिति ने तब अधीनस्थ कर्मचारियों की सुनवाई करने पर बल नहीं दिया क्योंकि अंतिम अवसर पर सर्वेश चंद्र मिश्रा, विशेष सचिव, गृह ने समिति को आश्वासन दिया था कि सरकार का निर्णय परिषद् को दिनांक 05.07.2007 को या उससे पहले सूचित कर दिया जाएगा, जिसे वे नहीं कर पाए।

नई परिषद्

नई समिति की बैठक की कार्यवाही

भारतीय प्रेस परिषद् ने अक्तूबर 4–5, 2007 को गोवा में आयोजित अपनी बैठक में यह नोट किया कि 9वीं प्रेस परिषद् की जांच समिति–II द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति मौके पर जाकर जांच करे और लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के अमर उजाला, हिंदी दैनिक के स्थानीय रिपोर्टर/संवाद्दाता श्री सैमुद्दीन नीलू द्वारा श्रीमती एन. पद्मजा, आईपीसी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध की गई शिकायत के संगत तथ्यों को एकत्र करे। इस आरोप में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे परेशान किया जा रहा है और फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या करवाने के इरादे से फरवरी, 2005 में उसका अपहरण किया गया था। इस प्रकार की कार्रवाई बदले की भावना से इसलिए की जा रही थी कि प्रतिवादी उसकी न्यूज रिपोर्ट में प्रकाशित समाचारों को अपने अनुकूल नहीं पा रही थी। दिनांक 6 और 7 जनवरी, 2007 को लखनऊ में, 8 जनवरी, 2007 को लखीमपुर खीरी में और 13 फरवरी, 2007, 15 फरवरी, 2007 और 30.08.2007 को नई दिल्ली में तथ्यान्वेषी समिति ने सुनवाई की। इस मामले में आगे जांच भी लंबित है। अतः यह निर्णय लिया गया कि तथ्यान्वेषी समिति का कार्य अगले कार्यकाल में भी जारी रहे, लेकिन इसकी सदस्यता में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं ताकि इस मामले का तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सके।

पुनर्गठित तथ्यान्वेषी समिति ने दिनांक 08.02.2008 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी प्रथम बैठक में परिषद् के पिछले कार्यकाल में गठित समिति की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए यह तथ्यान्वेषी समिति गठित की, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. श्री यू.सी. शर्मा, संयोजक
2. श्री के. श्रीनिवास रेड्डी, सदस्य
3. श्री मिलन कुमार डेय, सदस्य
4. श्री बी.एम. सोलंकी, संसद सदस्य, सदस्य

5. श्री सुमन गुप्ता, सदस्य

6. श्री एस.एन. सिन्हा, सदस्य (सहयोजित)

7. श्री वी.के. चोपड़ा, सदस्य (सहयोजित)

दिनांक 02.05.2008 को लखनऊ में आयोजित तथ्यान्वेषी समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने समिति को आश्वासन दिया कि:

1. सभी संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सलाह देते हुए पत्र जारी किया जाएगा कि वे पत्रकारों/समाचारपत्रों को परेशान करने/गिरफ्तार करने से संबंधित मामले पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और पत्रकार को गिरफ्तार करने/उस पर हमला करने के बारे में 24 घंटे के अंदर भारतीय प्रेस परिषद् को सूचित करेंगे;

2. इस मामले में सीबी–सीआईडी ने पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया और लखीमपुर खीरी से उनके स्थानांतरण का आदेश दिया और अभी उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा;

3. गृह सचिव ने आश्वासन दिया कि श्री सैमुद्दीन नीलू, शिकायतकर्ता को सीमित संसाधनों के अंदर उस स्थिति में निःशुल्क सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी बशर्ते कि शिकायतकर्ता अपना आवेदनपत्र भेजे (समिति ने शिकायतकर्ता को निदेश दिया कि वह गृह सचिव को आवेदनपत्र भेजे कि उसे निःशुल्क सुरक्षा मुहैया कराई जाए)।

तथ्यान्वेषी समिति ने दिनांक 15.05.2008 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में टिप्पणी की, कि राज्य के प्राधिकारियों द्वारा समिति की पिछली बैठक में उसके समक्ष दिए गए आश्वासनों के बावजूद अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। समिति ने आदेश दिया कि सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक द्वारा इस मामले में दिए गए आश्वासनों के संदर्भ में उनसे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी जाए।

परिषद् के दिनांक 08.08.2008 के पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि वह इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करे ताकि समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सके।

तथ्यान्वेषी समिति ने दिनांक 21.08.2008 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में यह पाया कि उसके निदेशों के अनुसार, सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक को दिनांक 08.08.2008 को पत्र जारी कर दिया गया कि वे इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करें। समिति ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने राज्य प्राधिकारियों को उसे निःशुल्क सुरक्षा मुहैया कराए जाने के बारे में पत्र लिखा है लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई

है। समिति ने राज्य प्राधिकारियों के इस रवैये के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की और निदेश दिया कि तथ्यान्वेषी समिति के निदेशों का अनुपालन करने के लिए उन्हें अनुस्मारक जारी किया जाए।

प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिनांक 08.09.2008 के पत्र के जरिए अनुस्मारक भेजा गया। कोई उत्तर प्राप्त न होने पर दिनांक 06.10.2008 को सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अंतिम अनुस्मारक जारी किया गया कि वे दो सप्ताह के अंदर की गई कार्रवाई की वांछित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार तथ्यान्वेषी समिति के समक्ष दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के प्रति गंभीर नहीं है और समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रमशः 27 अक्तूबर, 2008 और 21 अक्तूबर, 2008 के अपने उत्तर में निवेदन किया कि सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और जिला अधिकारियों को दिनांक 07.09.2008 के पत्र के जरिए निदेश दे दिया गया है कि वे पत्रकारों के मामले में तत्काल कार्रवाई आरंभ करें। श्री सैमुद्दीन नीलू की शिकायत से संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों को खीरी जिले से स्थानांतरित कर दिया गया है। उप–निरीक्षक श्री हरेंद्र त्यागी, हैड कांस्टेबल श्री सतनाम सिंह और सिपाही शकील अहमद को भी स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर रिट याचिका संख्या 1734 (एसएस) 2005 के लंबित होने के कारण वे अभी खीरी जिले में ही तैनात हैं। न्याालय में दिनांक 26.04.2008 को रोक हटाने संबंधी आवेदनपत्र और शपथपत्र पहले ही दाखिल कर दिया गया है ताकि उस रिट याचिका को रद्द किया जा सके, जो विचाराधीन है। जहां तक श्री सैमुद्दीन नीलू को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का प्रश्न है, उन्होंने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता से एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ था और जिला समिति ने उस पर विचार किया। जिला समिति की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया और यह पाया गया कि श्री सैमुद्दीन नीलू को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार ने दिनांक 19.08.2008 को आदेश जारी कर दिया।

तथ्यान्वेषी समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें

समिति ने रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायतकर्ता तथा अन्य पत्रकारों द्वारा और प्रतिवादी पुलिस प्राधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष किए गए मौखिक अनुरोध पर विचार करने के बाद यह टिप्पणी की है कि शिकायतकर्ता नीलू को गिरफ्तार करने का मुद्दा समाचारपत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया था। यह मुद्दा विधान सभा में भी उठाया गया था और मुख्य मंत्री ने सीबी–सीआईडी को शिकायतकर्ता को छोड़े जाने के बारे में निदेश दिया था। राष्ट्रीय

मानव अधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। समिति ने सीबी–सीआईडी के बयान में यह भी पाया कि उन्होंने 10 पुलिस अधिकारियों, जिनमें एक उप–निरीक्षक स्तर का अधिकारी भी शामिल था और अन्य 9 सिपाहियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। लेकिन सीबी–सीआईडी का कथन केवल कागजों में है। सीबी–सीआईडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः शिकायतकर्ता का यह आरोप कि उसके द्वारा आलोचनात्मक रिर्पोटें प्रकाशित किए जाने के कारण पुलिस द्वारा उसे परेशान किया गया और गिरफ्तार किया गया था, निरर्थक नहीं है। समिति ने महसूस किया कि उपर्युक्त टिप्पणियों के संदर्भ में इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि श्री नीलू, शिकायतकर्ता को अकारण गिरफ्तार किया गया था और जेल में बंद किया गया था। समिति ने राय व्यक्त की, कि कनिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों और इच्छा के बिना किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार करने और उस पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन मामला दर्ज करने जैसी कठोर कार्रवाई करने का साहस नहीं कर सकते हैं। अतः, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि श्रीमती पद्मजा, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी ने आलोचनात्मक रिपोर्टों के कारण नीलू को गिरफ्तार करवाया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रतिकूल रिपोर्ट का परिणाम थी और एक प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने का अप्रत्यक्ष प्रयास था। समिति सिफारिश करती है किः

1. क्योंकि शिकायतकर्ता के जीवन को खतरा है, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह श्री नीलू के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सरकार को चाहिए कि वह अगले पांच साल तक प्रत्येक छमाही में शिकायतकर्ता को मिलने वाले धमकियों की समीक्षा करे और इसकी सूचना भारतीय प्रेस परिषद् को दी जानी चाहिए। यदि पत्रकार के साथ इस दौरान कोई अनहोनी होती है, इसके लिए सरकार उत्तरदायी होगी।

2. श्रीमती पद्मजा, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को ऐसी तैनाती नहीं दी जाने चाहिए थी, जहां पर वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सके। तथ्यान्वेषी समिति महसूस करती है कि न केवल संबंधित अधिकारियों ने बल्कि तत्कालीन राज्य सरकार ने भी पत्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए। वे प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने में भी नाकाम रहे जबकि अधिकारियों ने तानाशाहों के रूप में कार्य किया। भारतीय प्रेस परिषद् के निष्कर्ष को सभी अधिकारियों के सेवा रिकार्ड में दर्ज किया जाए।

3. जैसा कि सिद्धांत रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, यदि किसी कारण से किसी पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उसे हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए और पत्रकार

की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद् को सूचित किया जाना चाहिए।

4. आरोप, जोकि प्रेस की स्वतंत्रता के दमन के समान हैं, के स्थापित होने पर राज्य सरकार पुलिस प्राधिकारियों को आदेश देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करे ।

5. इस संबंध में लिया गया निर्णय परिषद् को सूचित किया जाए।

6. समिति सिफारिश करती है कि परिषद् का निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए। समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि केंद्र सरकार को भी इसे लोक सभा और राज्य सभा के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत करना चाहिए।

q

अध्याय - VI

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के साथ पुलिस की क्रूरता के आरोपों के बारे में रिपोर्ट - निर्धारण समिति की रिपोर्ट

भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा 31.3.2010 को स्वीकृत

तथ्य

आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलस्ट्स द्वारा प्रस्तुत 19.02.2010 के ज्ञापन के बारे में, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने 14 और 15 फरवरी, 2010 को मीडिया (इलेक्ट्रानिक और प्रिंट) के व्यक्तियों को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के परिसर में, जब वे विद्यार्थियों के आंदोलन को कवर कर रहे थे, क्रूरता के साथ मारा–पीटा था। परिषद् ने 22.02.2010 को हुई अपनी बैठक में यह नोट किया कि यह घटना प्रथम दृष्टया प्रेस की स्वतंत्रता और उसके कार्यकरण पर हमला प्रतीत होती है और उसने मीडिया तथा प्राधिकारियों के साथ मेल–मुलाकात के जरिए तथ्यों को इकट्ठा करने और उनका जायज़ा लेने के लिए एक निर्धारण समिति गठित करने का फैसला किया। उसने 24.02.2010 को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया कि पत्रकार बिना किसी डर अथवा बाधा के अपने कर्त्तव्यों को निभा सकें।

समिति ने 31.03.2010 को अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत की, जिसने समिति के निष्कर्षों को स्वीकार किया और अपनाया।

परिषद् ने नोट किया और स्वीकार किया कि समिति सभी पक्षों की बात सुन कर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 14 फरवरी और 15 फरवरी की घटनाएं उन पत्रकारों पर, जो उस्मानिया विश्वविद्यालय के परिसर में विद्यार्थियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का विवरण प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे, पुलिस द्वारा अकारण और जान–बूझ कर किए गए हमले के मामले थे। रिपोर्ट के आधार पर परिषद् की सिफारिशें ये हैं:

"राज्य सरकार जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों, नामशः पी.एस.आर. अंजनेयुलू (आईपीएस), संयुक्त आयुक्त, श्री महेश चंद्र लड्ढा (आईपीएस), उप पुलिस अधीक्षक, श्री के. रामचंद्र (आईपीएस), एसीपी, और श्री बी. अंजैया, एसएचओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करे और पत्रकारों के साथ मार–पीट करने और उनके उपस्करों और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के लिए जिम्मेदार अन्य पुलिस कार्मिकों का पता लगाए। यह सिफारिश भी की जाती है कि इन चार पुलिस पदाधिकारियों को ऐसे स्थानों पर तैनात न किया जाए, जहां वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हों। ये टिप्पणियां उनके सेवा–अभिलेखों में भी दर्ज की जाएं।

पुलिस पत्रकारों द्वारा दायर की गई शिकायतों को प्राथमिकता दे और उन पर तत्काल कार्रवाई करे।

मीडिया को ऐसे पुराने विवरणों का दूरदर्शन पर बार–बार प्रसारण करने से बचना चाहिए, जो तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। यह सलाह भी दी जाती है कि ऐसी संवेदनशील स्थितियों में, वैमनस्य को टालने के लिए, सभी संबंधित पक्षों का पर्याप्त प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को घायल पत्रकारों का सारा चिकित्सा–व्यय वहन करना चाहिए।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को शिकायतकर्ता पत्रकारों के उपस्करों और वाहनों को पहुंची क्षति का मुआवजा देना चाहिए।

सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि मीडिया किसी घटना को कवर करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध है और ऐसे कार्यों को रोकने के किसी प्रयास को उनकी स्वतंत्रता का दमन करने के कार्य के रूप में देखा जाएगा और सरकार को राज्य के अधिकारियों को तदनुसार, निदेश देना चाहिए।

इस उद्देश्य से कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, पुलिस के लिए यह उचित होगा कि वह किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करे, जो मीडिया के साथ मिलता–जुलता रहे और मीडिया को उभर रही स्थिति की जानकारी देता रहे।

14 फरवरी और 15 फरवरी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पुलिस और मीडिया को इकट्ठे मिल कर पहचान–पत्र जारी करके, 'प्रेस–चिह्न' के सुस्पष्ट प्रदर्शन, आदि के जरिए मीडिया के व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कोई कार्य–विधि तैयार करनी चाहिए।

इन मामलों के अनुसरण में की गई कार्रवाई की जानकारी भारतीय प्रेस परिषद् को दी जाए।

यह रिपोर्ट राज्य विधान सभा में रखी जाए।

केंद्रीय सरकार भी इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष सूचनार्थ रख सकती है।

प्रस्तावना

परिषद् ने 22.02.2010 को हुई अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के दिनांक 19.02.2010 के ज्ञापन को नोट किया, जो 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2010 को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में पुलिस द्वारा मीडिया व्यक्तियों पर उस समय हमला करने के बारे में था, जब वे विद्यार्थियों के आंदोलन को कवर कर रहे थे। यूनियन ने यह कहा है कि इस प्रक्रिया में 28 पत्रकार घायल हो गए थे, 13 कैमरे टूट गए थे और 19 गाड़ियां नष्ट कर दी गई थीं और दो गाड़ियां जला दी गई थीं। परिषद् ने यह भी नोट किया कि यह बताया गया है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया था कि उन्होंने दो गाड़ियों को जला दिया था।

परिषद् ने यह महसूस किया कि पुलिस द्वारा मीडिया को डराने–धमकाने के इस कथित रूप से सोचे–समझे प्रयास की पूरी तरह से जांच किए जाने की आवश्यकता है और उसने मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) और प्राधिकारियों के साथ पारस्परिक क्रिया के जरिए तथ्य एकत्र करने और उन्हें आंकने तथा मौके पर जाकर जांच करने के लिए एक तीन–सदस्यीय निर्धारण समिति गठित करने का फैसला किया, जिसमें सर्वश्री एन.एन. सिन्हा, कल्याण बरुआ, के.एस. रेड्डी और के. रामचंद्र मूर्ति, प्रधान संपादक, एच एम टी वी (सहयोजित सदस्य) शामिल थे।

समिति ने मीडिया और प्राधिकारियों के साथ पारस्परकि कार्रवाई की और उनसे लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किए। निर्धारण समिति के समक्ष हुई पेशियों और समाचारपत्रों की कतरनों का ब्योरा अनुलग्नक 'ए', 'बी' और 'सी' में दिया गया है। निर्धारण समिति की रिपोर्ट इस प्रकार हैः

समिति की बैठकें 7 मार्च से 9 मार्च, 2010 तक प्रेस अकादमी हाल, हैदराबाद में हुईं। 7 मार्च, 2010 को समिति ने पत्रकारों और प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के उनके संगठनों की बात सुनी, जिनमें वे उत्पीड़ित भी शामिल थे, जिन पर पुलिस द्वारा हमला किया गया था। समिति उसी दिन उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में घटना–स्थल पर भी गई, जहां पर 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2010 को घटनाएं हुई थीं। समिति ने घटनाओं की नब्ज़ पहचानने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और प्रोफसेरों के साथ भी बातचीत की **(अनुलग्नक–ए)**।

8 मार्च, 2010 को, समिति ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान गृह सचिव, पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विचार सुने, जिनमें वे लोग भी शामिल थे, जो उस पुलिस दल के भाग थे, जो उन दो दिनों में उस्मानिया विश्वविद्यालय में मौजूद था **(अनुलग्नक–बी)**।

बाद में, उसी दिन समिति गृह मंत्री (श्रीमती) पी. सबिता इंद्रा रेड्डी और सूचना तथा लोक संपर्क मंत्री, डॉ. (श्रीमती) जे. गीता रेड्डी से मिलने के लिए राज्य सचिवालय गई।

9 मार्च, 2010 को, समिति की बैठक हुई और उसने स्थिति को आंकने के लिए उनके सामने पत्रकारों/एसोसिएशन, विद्यार्थियों, सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए निवेदनों और समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों पर विचार–विमर्श किया।

उन रिपोर्टरों और पदाधिकारियों के बयान, जो 7 और 8 मार्च, 2010 को हैदराबाद में समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे

श्री टी. नागराजु, रिपोर्टर, जी 24 घंटालू

"14 फरवरी, 2010 की शाम को, मैं तेलंगाना के मुद्दे के बारे में छात्रों के आंदोलन को कवर करने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय गया था। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर, वहां पर तैनात पुलिस बल ने मीडिया के व्यक्तियों को अंदर घुसने से रोका और हमसे यह कहा कि हम विश्वविद्यालय के अंदर जाने के लिए दूसरे द्वार का प्रयोग करें। जब तक मीडिया व्यक्ति दूसरे द्वार पर पहुंचे, तो आंदोलन समाप्त हो चुका था और विद्यार्थी समाचारपत्रों के व्यक्तियों को सूचना दे रहे थे। इस दृश्य को कवर करने के लिए, मीडिया के व्यक्तियों ने विद्यार्थियों के निकट पहुंचने का प्रयत्न किया और अकस्मात, सुरक्षा बल के कार्मिकों ने मीडिया के लोगों पर लाठीचार्ज करना और उन्हें अंधाधुंध पीटना शुरू कर दिया। जब मीडिया के कुछ व्यक्तियों ने अपनी पहचान दी, तो उन्हें भी पीटा गया और उनके उपस्कर क्षतिग्रस्त कर दिए गए।"

"पुलिस कोई दलील सुनने को तैयार नहीं थी। समूचे दल को, जिसमें कैमरामैन श्री केशव और सहायक कैमरामैन श्री विघ्नेश शामिल थे, भारी चोटें पहुंचीं। घायल पत्रकारों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया। यदि पुलिस कर्मी चाहते, तो वे स्थिति को काबू में ला सकते थे, किंतु इसके विपरीत, उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया और मीडिया के व्यक्तियों को पीटना शुरू कर दिया।"

"बाद में, जब वे एफ आई आर दर्ज कराने गए, तो पुलिस अधिकारियों ने इस आधार पर शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया कि मामले की जांच सी आई डी द्वारा की जा रही है। यदि वे चाहें, तो दो–तीन दिन के बाद केस–डायरी एकत्र कर सकते हैं।"

"यह बिल्कुल स्पष्ट था कि पुलिस की कार्रवाई इरादतन की गई थी और मीडिया के व्यक्तियों पर लाठीचार्ज की घटना के दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त, श्री पी.एस.आर. अंजनेयुलू, उप–पुलिस अधीक्षक श्री महेश कुमार लड्ढा, एसीपी श्री रामचंद्र, श्री कमलहासन रेड्डी, उस्मानिया विश्वविद्यालय थाने के एसएचओ श्री अंजैया मौजूद थे, जो इस कार्य का निर्देशन कर रहे थे।"

सर्व श्री के. अमरनाथ, सचिव, भारतीय पत्रकार यूनियन, डी. सोमासुंदर, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स और वाई. नरेंद्र रेड्डी, महासचिव, आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स

श्री के. अमरनाथ, सचिव, भारतीय पत्रकार यूनियन – "मैं इस बात की सराहना करता हूं कि भारतीय प्रेस परिषद् ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में पत्रकारों पर हमने की घटना की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।"

समिति के समक्ष उपस्थित होते समय, भारतीय पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष, श्री के. अमरनाथ, ए.पी.यू.डब्ल्यू.जे. के अध्यक्ष, श्री सोमसुंदर, महासचिव, श्री वाई. नरेंद्र रेड्डी और प्रेस अकादमी के अध्यक्ष, श्री देवलुपल्ली अमर ने समिति को बताया कि जब विद्यार्थी पत्थर फेंक रहे थे, तो पुलिस ने एक पत्रकार, श्री नरसिंह यादव का इस्तेमाल उस समय भी एक ढाल के रूप में किया, जबकि उन्हें पुलिस द्वारा पीटा जा रहा था। उन्होंने उनकी गाड़ी पर पेट्रोल उडेल दिया और उसे जला दिया। श्री अमरनाथ ने समिति को बताया कि हैदराबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त, श्री बी. प्रसाद राव ने टी.वी. चैनलों की ओ बी वैनों के बार काटने का निदेश दिया था, ताकि वे परिसर की घटनों का सजीव प्रसारण न कर सकें।

श्री अमरनाथ ने कहा कि 15 फरवरी की सुबह को, जब मुख्य मंत्री और गृह मंत्री 14 फरवरी की शाम को पत्रकारों पर हुए हमले के लिए मीडिया से क्षमता मांग रहे थे, तो संयुक्त पुलिस आयुक्त, पी.एस.आर. अंजनेयुलू के निदेश के अंतर्गत परिसर में 15 फरवरी को पत्रकारों को फिर पीटा गया और उनकी गाड़ियों के साथ तोड़–फोड़ की गई और उनके उपस्करों को क्षतिग्रस्त किया गया।

14 फरवरी को पुलिस की क्रूरता से घायल हुए पत्रकार, जिनमें श्री नरसिंह यादव, रामकृष्ण, योगानंद, चंद्रशेखर, के. श्रीनिवास, रघुपति यादव, राम वर्मा, गणेश, किरण कुमार और अन्य शामिल थे, समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और अपने कष्ट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस लाठीचार्ज में, 28 पत्रकार घायल हो गए थे, मीडिया कर्मियों के 12 कैमरे और 19 वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे।

समिति के सामने साक्ष्य देते हुए, श्री अमरनाथ ने कहा कि पुलिस ने पत्रकारों को उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने से रोकने के लिए उन्हें अपना निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों के जानने के अधिकार पर एक सीधा प्रहार था।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने 21 मामले दायर किए थे, लेकिन पुलिस ने केवल सात एफ.आई.आर. दर्ज कीं। उनका आरोप था कि पत्रकारों के मामलों के विरोध के रूप में, पुलिस के एक सिपाही ने पत्रकारों के खिलाफ एक झूठी शिकायत दायर की।

श्री अमरनाथ ने कहा कि जब ए पी यू डब्ल्यू जे ने 20 फरवरी को बजट प्रस्तुत किए जाने वाले दिन विधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने की अपील की, तो सरकार ने पत्रकारों पर हमले के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, पत्रकारों के क्षतिग्रस्त वाहनों और उपस्करों के लिए मुआवजा अदा करने, घायल पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने, और पत्रकारों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन अब तक, सरकार अपने वायदों पर कार्रवाई करने में विफल रही है।

श्री नरसिंह राव, रिपोर्ट, एबीएन आंध्र ज्योति

जब वह उस्मानिया विश्वविद्यालय की घटनाओं को कवर करने के बाद वापस लौट रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें आर्ट्स कॉलेज के निकट रोक लिया। अपना पहचान–पत्र दिखाने पर, पुलिस कर्मियों ने उन्हें गालियां दीं, उन्हें धक्का दिया और उन पर हमला किया और पेट्रोल डाल कर उनकी मोटरसाइकिल को जला दिया। पुलिस ने अपने आपको आंदोलनकारियों द्वारा फेंके जा रहे पत्थरों से बचाने के लिए उनका इस्तेमाल एक ढाल के रूप में किया।

श्री नरसिंह राव द्वारा उस्मानिया विश्वविद्यालय आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों पर किए गए नृशंस हमले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है।

चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए समिति द्वारा इसका संज्ञान नहीं किया गया।

श्री पी.वी. श्रीनिवास राव, महासचिव, आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन

"पुलिस द्वारा पत्रकारों पर यह हमला सहज स्वाभाविक नहीं है और इसलिए पुलिस ड्यूटी का भाग नहीं है। उन्हें ऐसा करने के लिए विवश नहीं किया जाता। यह पत्रकारों पर किया गया पूर्व–निर्धारित और पहले से सोच–समझ कर किया गया हमला था और इसका आशय यह था कि लोगों का ध्यान मीडिया पर हमले की ओर दिला कर और मीडिया को उस्मानिया विश्वविद्यालय से बाहर धकेल कर उस्मानिया विश्वविद्यालय के आंदोलन पर काबू पाना था।"

"राजनीतिज्ञों का पुलिस अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। और अधिकारियों का, जो प्रभारी थे, अपने आदमियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उन्हें मीडिया पर खुले छोड़ दिया गया था। हमने देखा है कि राजनीतिज्ञ और यहां तक कि डीसीपी भी मीडिया पर हमले के लिए निरंतर क्षमता मांग रहे थे, लेकिन अधिकारी, जो विश्वविद्यालय परिसर के प्रभारी थे, अपने कार्य लगातार कर रहे थे।"

"मीडिया पर उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल होने पर पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं और उस्मानिया विश्वविद्यालय में आंदोलनों को कवर करने के लिए ओ बी वैनों के प्रवेश को अभी भी रोका जा रहा है।"

"यह राजनीतिज्ञों और अधिकारियों द्वारा दिए गए इन वचनों के बावजूद है कि वे मीडिया को उस्मानिया विश्वविद्यालय के अंदर जाने की अनुमति देंगे।"

"15 फरवरी को हम आंध्र प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और इलेक्ट्रानिक मीडिया के कुछ मेरे सहकर्मियों की उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बहस कर रहे थे, जब एक सिपाही ने हमारे एक पत्रकार के हाथ से कैमरा छीन लिया और उसे फेंकने का प्रयास किया। हमें हमारा कैमरा वापस लेने के लिए प्रभारी अधिकारी के सामने उस सिपाही के साथ लड़ना पड़ा।"

"इससे यह प्रकट होता है कि उन अधिकारियों का भी बलों पर कोई नियंत्रण नहीं था, जो कार्य–भारी थे। और मुझे पुनः यह कहना है कि ये हमले सहज स्वाभाविक नहीं थे। वे दो दिनों तक लगातार मीडिया पर हमला कर रहे थे और उन्होंने 14 फरवरी को कुछ पत्रकारों को मारा–पीटा भी था, जबकि पत्रकारों के प्रतिनिधि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, गृह मंत्री, डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य मंत्री के साथ मुलाकात कर रहे थे।"

"उन सबने यह स्वीकार किया है कि उन पुलिस कर्मियों से कुछ गलती हुई है, जो उस्मानिया विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे थे और उनमें से कुछ ने क्षमा मांगी है। कुछ मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। इन सब आश्वासनों और क्षमा–याचनाओं के बावजूद, 15 फरवरी को, उन्होंने मीडिया पर पुनः हमला किया और आपने अभी सुना है कि उन्होंने यह कार्य कैसे किया। उन्होंने पहले मीडिया को उनके सामान और पहचान–पत्रों के जरिए पहचाना, और तब उन्होंने चुन–चुन कर उन पत्रकारों को अपना निशाना बनाया, जो अपने–अपने चेनलों को सक्रिय रूप से सूचना भेज रहे थे।"

"कृपया नोट करें कि यह केवल मीडिया पर हमला ही नहीं है और पुलिस द्वारा अपनी ड्यूटियां निभाने की नेमी प्रक्रिया नहीं है। यह एक विशेष प्रयोजन से मीडिया पर एक हमले से तय किया गया हमला है। गृह मंत्री ने ए पी ई एम जे ए की मांग को स्वीकार किया और क्षतिग्रस्त वाहनों, उपस्करों और सैल पफोनों के लिए मुआवजा देना मान लिया। राज्य सरकार ने पत्रकारों द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का भी वचन दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।"

श्री ए. रामकृष्ण, रिपोर्ट, महा टीवी

"14 फरवरी को, मुझे अपने कार्यालय से यह सूचना प्राप्त हुई कि मेरे एक सहकर्मी को विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा पीटा गया है और मैं जल्दी से विश्वविद्यालय पहुंचा।"

उन्होंने बताया कि मीडिया के वाहनों को विश्वविद्यालय के बाहर रोक दिया गया और वह पैदल चलते हुए विश्वविद्यालय परिसर के अंदर गया। जब वह उस्मानिया विश्वविद्यालय के अंदर जा रहा था, तो उसने देखा कि कुछ पत्रकारों को, जिन्हें पीटा गया था, परिसर से बाहर ले जाया जा रहा था। घायल पत्रकारों को अस्पताल ले जाया गया।

उन्होंने कहा कि जब वह मीडिया पाइंट पर पहुंचा, तो परिसर के अंदर स्थित है, तो उसने कुछ लाठीचार्ज होते देखा। तब अंधेरा हो चुका था और बिजली बुझा दी गई थी, तब अचानक पुलिसकर्मियों का एक दल उन पर टूट पड़ा और उन्होंने उसे निर्दयतापूर्वक पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उससे उसके चेनल का लोगो छीन लिया। पुलिस के लाठीचार्ज से उसकी टांग से खून बहने लगा, वह वहां लेटा पड़ा था, और तब उसने देखा कि पुलिस 108 एम्बुलेंसों को विश्वविद्यालय के अंदर आने से रोक रही है। लगभग दो घंटे बाद, उसे गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया और कुछ प्रथम उपचार के बाद, वह अपने मूल स्थल चला गया और वहां उसका इलाज हुआ।

कोई मामला दायर नहीं किया गया। कोई एफआईआर दायर नहीं की गई, क्योंकि वह हैदराबाद में नहीं था और अपने मूल स्थान पर चला गया था।

श्री के. श्रीनिवास, रिपोर्टर, महा टी.वी.

14 फरवरी को विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की एक रैली थी। विद्यार्थी तेलंगाना आंदोलन के समर्थन में आर्ट्स कॉलेज की ओर बढ़ रहे थे, तब विद्यार्थियों और पुलिस के बीच बड़े जोश से बहस हुई (6.50 अथवा 7.00 बजे अपराह्न)। विद्यार्थियों ने धरना देने का फैसला किया था और वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। यह रिपोर्टर ए सी पी के साथ–साथ चल रहा था, जो वहां पर प्रभारी था, और अचानक ए सी पी ने अपने सी आई को विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देने की हिदायत दी।

अचानक, कुछ पुलिसकर्मियों ने इस रिपोर्टर को गालियां देनी शुरू कर दी। यह पत्रकार पिछले तीन महीनों से अपने चेनल के लिए आंदोलन को कवर करता आ रहा था और एक जाना–पहचाना व्यक्ति था। पुलिस के लगभग 20 से 30 सिपाहियों ने उसे घेर लिया और उसे बेदर्दी से पीटा गया। वह उनसे चिरौरी करता देखा गया। उसने उनके पैरों को भी हाथ लगाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना पहचान–पत्र और अपने चेनल का लोगो दिखाया और बताया कि वह एक पत्रकार है, लेकिन पीटना जारी रहा। पुलिस के सिपाही उसे यह गालियां दे रहे थे कि वह उस्मानिया विश्वविद्यालय में इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। पुलिस ने कथित रूप से यह गाली दी कि "पहले तुम्हें मार डाला जाना चाहिए। कम से कम एक पत्रकार की हत्या कर दी जानी चाहिए, ताकि यह आंदोलन ठंडा पड़ जाए।"

उसके चारों ओर ऐसे अधिकारी थे, जिन्हें वह जानता था, लेकिन उन्होंने लाठीचार्ज रोकने और उसके बचाव के लिए आने की कोई परवाह नहीं की। बाद में, कुछ अधिकारी उसके पास आए और उससे अनुरोध किया कि इस घटना को मुद्दा न बनाया जाए।

उन अन्य लोगों को भी पुलिस द्वारा पीटा गया, जो इस घटना की फोटो ले रहे थे।

उसने आरोप लगाया कि उस समय कोई भी व्यक्ति उसके बचाव के लिए नहीं आया। इसलिए उसने अपना फोन उठाया और 108 को सहायता के लिए फोन किया। लेकिन, पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंसों को भी उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया।

अंत में, जी टी वी का एक व्यक्ति, श्री नागराज उसके बचाव के लिए आया, और वह भी उसके बाद, जब उसने पुलिस वालों से यह कहने का साहस किया कि वह उसे मार डालें। जब पुलिस के सिपाही तितर–बितर हो गए, तो उसे अस्पताल ले जाया गया।

श्री ए. हरीश, रिपोर्टर, एचएमटीवी

जब प्रभारी अधिकारी ए सी पी श्री रामचंद्रन ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, तो उस समय वह भी उसी घटना को कवर कर रहा था। सबसे पहला व्यक्ति, जो इस हमले का शिकार हुआ, एक 'साक्षी' पत्रकार था। जब वे हमले को कवर कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस द्वारा मारा–पीटा गया।

तब तक सभी पत्रकार मीडिया प्वाइंट चले गए थे और एक पत्रकार पर, जो अपने चेनल को इस घटना की सूचना दे रहा था, एक पुलिसकर्मी द्वारा हमला किया गया, जिसने उसे अपने चेनल को सूचना देते हुए सुन लिया था। उसने अपने आपको एक पत्रकार बताते हुए, अपना पहचान–पत्र और अपना कैमरा भी दिखाया, किंतु पुलिस पर उसका असर नहीं हुआ। पहले उन्होंने उसके कैमरे को नष्ट कर दिया तब उसे पीटना शुरू कर दिया; यहां तक कि उसने पुलिस के सिपाहियों के चंगुल से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन उसका पीछा किया गया। वे अपने प्रतीक्षारत वाहनों तक भागे, जो बीच के स्थल पर रखे गए थे, लेकिन तब तक पुलिस वहां पहुंच गई थी और उसने दोपहिया वाहनों सहित सभी वाहनों को तोड़ दिया, जो वहां पार्क किए गए थे।

लगभग एक घंटे के बाद, एंबुलेंस गाड़ियां उस्मानिया विश्वविद्यालय में आ गईं और तीन घायल पत्रकारों को अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस की शिकायत यह थी कि मीडिया केवल पुलिस का लाठीचार्ज दिखा रहा था, लेकिन विद्यार्थियों द्वारा की जा रही पत्थरबाजी को नहीं दिखा रहा था।

श्री रघुपति, रिपोर्टर, ईटीवी

14 फरवरी को वह शुरू से वहां पर था, जब रैली आर्ट्स कॉलेज से एन सी सी गेट की ओर चली थी। एन सी सी गेट पर पुलिस और विद्यार्थियों के बीच बहन–मुबहिसा शुरू हो गया। आर्ट्स कॉलेज के सामने, विद्यार्थियों और सी आर पी एफ के सिपाहियों के बीच बहस के बाद, पत्थर फेंके जाने की एक घटना हुई। पूरी तरह से लाठीचार्ज शुरू हो गया। ए सी पी और सी आई ए भी घटना–स्थल पर मौजूद थे।

श्री गौतम कुमार, आईपीएस, प्रमुख गृह सचिव, हैदराबाद

आंध्र प्रदेश में, जी ए डी कानून और व्यवस्था के मुद्दों को देखता है। जी ए डी सामान्य प्रशासन विभाग है। "हमारे विभाग में, आधिकारिक रूप से हमने इन घटनाओं से निपटा न होता। यह केवल बाद की बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इन निदेशों पर कि प्रमुख गृह सचिव बलों की तैनाती को मानीटर करेंगे, मुझे शामिल किया गया है।"

जहां तक 14 और 15 फरवरी की घटनाओं का संबंध है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दो लेख्य याचिकाएं हैं, जिनमें से एक याचिका किसी पत्रकार द्वारा दायर की गई है, जो मेरे विचार से आंध्र ज्योति (जयचन्द्र) के हैं और दूसरी भी बुनियादी रूप से विद्यार्थियों के साथ हुई घटनाओं के बारे में है और स्वप्ना द्वारा दायर की गई है। हमें प्रेस परिषद् का पत्र प्राप्त होने के बाद, हमने सोचा कि हम प्रेस परिषद् अधिनियम के बारे में बिल्कुल सही रूप से नहीं जानते कि वह क्या है, और इसलिए हमने सोचा कि हमें इस बारे में कुछ राय लेनी चाहिए। हमारे अधिकारी ने यह बताया था कि धारा 14(3) के अनुसार, जो कुछ भी पहले से ही किसी न्यायिक फोरम के विचाराधीन हो, उस समय उस मामले के बारे में प्रेस परिषद् को कोई जांच नहीं करनी चाहिए।

"इसलिए हमने पुलिस आयुक्त से अनुरोध किया था कि बुनियादी रूप से निर्धारण समिति प्रेस परिषद् द्वारा गठित की गई एक समिति है, इसलिए, प्राविधिकताओं का ध्यान रखे बिना, हमारा कार्य, हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटी यह है कि हमारे पास इस संबंध में जो भी सूचना हो, वह हम समिति को मुहैया करें, ताकि समिति सही निष्कर्षों पर पहुंच सके।"

"इसलिए हमने, विधि अधिकारी की इस सलाह का ध्यान रखे बिना, पुलिस आयुक्त से यह अनुरोध किया था कि हम जाएंगे और इन दोनों दिनों (14 और 15 फरवरी) की घटनाओं के संबंध में हमने रिकार्ड में जो सूचना पहले से रखी हुई है, वह प्रस्तुत करेंगे। यह सूचना उच्च न्यायालय में पहले से दायर की जा चुकी है और राज्य के मानव अधिकार आयोग ने इस बारे में पहले से ही एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की हुई है। इसके अलावा, इन घटनाओं के बाद, डीजीपी ने अपर डीजीपी, सीआईडी, श्री शिव नारायण से इन सारी घटनाओं की जांच करने

और इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि वास्तव में क्या हुआ और कैसे हुआ है। निस्संदेह, हमें अभी तक वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। मेरा विचार है कि इसमें अभी 15–20 दिन और लगेंगे। यह मेरा वैयक्तिक विचार है, क्योंकि मैंने डीजीपीसी आई डी से बात नहीं की है।"

"श्री खान घटनाओं के बारे में दायर की गई शिकायतों के संबंध में आपको सूचना देने में समर्थ होंगे। लेकिन मैं भी यह नहीं जानता कि क्या वह यह जानते हैं अथवा नहीं कि वे 21 शिकायतें क्या हैं, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि सात शिकायतें पंजीयित हैं। मैं पता लगा सकता हूं कि अन्य 14 शिकायतें दर्ज क्यों नहीं की गईं। मैं निश्चित नहीं हूं कि उन्हें इसके बारे में जानकारी है अथवा नहीं, लेकिन बहरहाल वह इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे।

यदि श्री खान को उन 21 मामलों की जानकारी होगी, तो फिर तो कोई समस्या नहीं है; वह सीधे स्पष्टीकरण देने में समर्थ होंगे। यदि उनके पास यह सूचना नहीं होगी, तो आप उन 21 घटनाओं की जानकारी दे सकते हैं, जिनकी रिपोर्ट आपको दी गई है। यह सूचना कि वे दर्ज क्यों नहीं किए गए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

"जहां तक एक विभाग के रूप में पुलिस का संबंध है, न केवल आंध्र प्रदेश में, बल्कि किसी भी स्थान पर पुलिस लोगों के समर्थन के बिना प्रभावकारी रूप से कार्य नहीं कर सकती। पुलिस के बारे में लोगो की सकारात्मक छवि के रूप में लोगों का समर्थन हमारे लिए आक्सीजन की तरह है। यदि हमारे बारे में उनके मन में ऐसी छवि नहीं है, तो हमारा कार्यचालन बहुत सीमित हो जाता है और उस हद तक, हम एक प्रभावकारी संगठन नहीं हो सके और आज इसे मूर्त रूप देने में प्रेस और मीडिया की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है।"

इसलिए सरकार अथवा विभाग ऐसी किसी स्थिति से घृणा करेंगे, जिसमें प्रेस यह महसूस करे कि विभाग प्रेस को सताना चाहते हैं अथवा परेशान करना चाहते हैं। हम ऐसा कोई विचार बिल्कुल नहीं चाहते। दुर्भाग्यवश, ऐसी घटनाएं घटित होंगी। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए, विभिन्न स्तरों पर ये समितियां गठित की गई हैं। माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति एक उच्च स्तरीय समिति है। समिति को ऐसी घटनाओं को पुलिस और मीडिया घटना अथवा पुलिस बनाम मीडिया घटना के रूप में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सरकार पहले से ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि यदि किसी के द्वारा कोई गलती हुई है, तो उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

"इसलिए प्रेस परिषद् से और निर्धारण समिति के आप सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध यह है कि यदि कोई ऐसी विशेष घटना हुई है, जहां किसी पुलिस अधिकारी ने अथवा कुछ अन्य अधिकारियों ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, तो उसे इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मेरा आशय यह है कि हमें इन चीज़ों का अलग–अलग करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करें और हमें इसे प्रेस बनाम पुलिस किस्म

की चीज़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का इरादा यह नहीं है। यदि पुलिस का इरादा यह है, तो यह हमारे लिए आत्मघातक कदम है, क्योंकि प्रेस के समर्थन के बिना और जनता के समर्थन के बिना पुलिस कुछ भी नहीं है।

श्री ए.के. खान, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, हैदराबाद ने अपने दिनांक 08.03.2010 के पत्र के जरिए यह कहा है कि **"29.11.2009 को करीमनगर जिले में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष, श्री के. चंद्रशेखर राव के गिरतार होने के बाद, उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के संगठनों ने, जिन्होंने अपने आपको तेलंगाना विद्यार्थी संयुक्त कार्रवाई समिति के रूप में गठित किया था, तेलंगाना के अलग राज्य के लिए अपने आंदोलन को तीव्र बना दिया। तब से, हजारों विद्यार्थी विभिन्न अवसरों पर हिंसक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जैसे पत्थर फेंकना, सरकारी और गैर–सरकारी सम्पत्तियों को, जिनमें पुलिस और प्रेस के वाहन शामिल हैं, नष्ट करना और इसके अलावा, वे उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर के बाहर और अंदर दोनों स्थानों पर दर्जनों पुलिसकर्मियों को घायल कर रहे हैं। विद्यार्थियों के उत्तेजक कार्यों के बावजूद, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए पुलिस बल ने अनेक पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें पहुंचने पर भी असाधारण संयम प्रदर्शित किया है।**

"इस स्थिति में, अलग तेलंगाना की मांग करने और भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करने के अपने आंदोलन के भाग के रूप में, 14.02.2010 को लगभग 5.00 बजे अपराह्न, विद्यार्थियों के एक समूह (400) ने केंद्रीय सरकार का पुतला जलाने के लिए आर्ट्स कॉलेज से आंध्र महिला सभा तक एक जलूस निकाला। पुलिस ने उन्हें मनाने का प्रयत्न किया कि वे परिसर से बाहर न जाएं, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश लागू हैं। बहुत अधिक समझाने–मनाने के बाद, उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए पुतला जलाया और उस स्थान से चले गए।

"परिसर से महिला होस्टल से बाहर जाने का निष्फल प्रयत्न करने के बाद, वे आर्ट्स कॉलेज के पास एक बार फिर बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। पुलिस को देखने पर, विद्यार्थी समूहों में बंट गए और मानिकेश्वरनगर और तारनका की ओर बढ़ने लगे। पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने उन्हें एकत्र न होने और तारनका की ओर न बढ़ने की सलाह दी। वे आक्रोश में आ गए और अंधेरे और वृक्षों की ओट से पुलिस पर बहुत अधिक जोरदार ढंग से बड़ी मात्रा में पत्थर फेंकने लगे। कोई और विकल्प न होने पर, पुलिस ने पर्याप्त रूप से चेतावनी देकर, आंसू गैस के गोले फेंके, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी कुछ समय के लिए तितर–बितर हो गए, लेकिन फिर से समूहबद्ध हो गए और वे जोर से पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने, कोई और विकल्प

न होने के कारण अपनी रक्षा करने और भीड़ को तितर–बितर करने के लिए मामूली से बल का प्रयोग किया। विद्यार्थियों ने पीछे हटते समय पुलिस के चार टेंटों को आग लगा दी और कुछ वाहनों और अन्य उपस्करों को तोड़–फोड़ दिया। इस संकुल युद्ध में कुछ पुलिसकर्मियों, विद्यार्थियों और पत्रकारों को मामूली सी चोटें आईं, जिन्हें उपलब्ध वाहनों/एंबुलेंसों में तत्काल अस्पताल ले जाया गया।

"इस सूचना के प्राप्त होने पर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति को मानीटर करने के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इस बीच, आंदोलनकारी फिर से समूहबद्ध हो गए और उन्हें छात्राओं की ओट लेकर पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। चूंकि आक्रमक छात्रों को रोकने के लिए बल का प्रयोग इतना प्रभावकारी नहीं था, इसलिए पुलिस ने स्थिति को काबू में लाने के लिए रबड़ की गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले दागे। इसके कारण, आंदोलनकारी आर्ट्स कॉलेज की ओर भागे और कुछ विद्यार्थी बी–होस्टल की तरफ भागे। इस भगदड़ में, कुछ छात्राएं जिन्होंने मानव–ढाल के रूप में कार्य किया था, जमीन पर गिर गईं और उन्हें चोटें आईं। इस समूची स्थिति को अंततः 9 और 11 बजे अपराह्न के बीच नियंत्रण में लाया गया।

"पुनः 15.02.2010 को, विद्यार्थियों ने बी–होस्टल और आर्ट्स कॉलेज के निकट पुलिस पर पत्थर फेंके और अवरोध के लिए लगाई गई कांटेदार तारों की बाड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया और भारी मात्रा में पत्थर फेंकने की कार्रवाई करने लगे। इस अवसर पर, पुलिस ने बैल–हेलर के जरिए घोषणाएं करके आंदोलनकारियों से दूर चले जाने के लिए कहा, किंतु विद्यार्थियों द्वारा पत्थर फेंका जाना अक्षुण्ण रूप से जारी रहा। पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए अश्रु गैस के गोले फेंके। बी–होस्टल की छत पर प्रथम तल की खिड़कियों पर जो लड़के खड़े थे, वे ऊंचे स्थान पर थे और उसके बाद जो पत्थरबाजी हुई, उसमें कुछ पुलिस कार्मिक घायल हो गए। आंदोलनकारियों द्वारा पत्थर फेंके जाने के अलावा, मीडिया कार्मिकों ने अंकमा राव, पी सह 8134 पर हमला किया, जो बी–होस्टल की घटनाओं को कवर कर रहा था।

"लगभग 12.30 बजे अपराह्न के समय, लगभग 70 मीडिया कार्मिकों का एक समूह पुलिस कार्मिकों द्वारा मीडिया के लोगों को कथित रूप से मारे–पीटने और उन पर हमला करने का विरोध करने के लिए परिसर में दाखिल हुआ। उसी समय, वकीलों का भी एक समूह आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए आया। इस बीच राज्य मानव अधिकार आयोग अपने सदस्यों के साथ एक बार फिर विश्वविद्यालय परिसर आया और वे लोग आंदोलनकारियों को यह मनाने का प्रयात्न कर रहे थे कि हिंसा का मार्ग न अपनाएं। लगभग 3.00 बजे अपराह्न, मीडिया कार्मिक और वकील उस्मानिया विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में ठहरे पुलिस अधिकारियों के पास ऐसी शिकायतें प्रस्तुत करने के

लिए आए कि जब मीडिया कार्मिक घटनाओं को कवर रहे हैं तो वे घायल हो रहे हैं।

"29.11.2009 से आज तक, आंदोलनकारियों के इस प्रकार इकट्ठा होने की अनेक घटनाएं हुई हैं, जिनमें पुलिस, निकट से गुजरते हुए नागरिकों, प्रेस फोटोग्राफरों और वाहनों पर हमले किए गए, और मुख्य सड़क में घुस कर, तारनाका, हब्सीगुडा और मानिकेश्वर नगर की ओर जा कर सरकारी और प्राइवेट सम्पत्ति को तोड़ा गया और निकट से गुजरते हुए लोगों को चोटें पहुंचाई गईं।

"इसके बाद डीजीपी, आंध्र प्रदेश ने उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में 14.02.2010 और 15.02.2010 को हुई घटनाओं की जांच करने का आदेश दिया, जो श्री शिव नारायण, अपर डीजीपी, सीआईडी द्वारा की जानी थी। अभी उसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। साक्षियों के बयान अभिलेखबद्ध किए जा रहे हैं और कार्रवाई चल रही है। राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त समिति भी इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए जाने जरूरी हैं, वे सब कदम उठाए जाएंगे और आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग किए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है और इस संबंध में जिन रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किंतु, यह निवेदन करना आवश्यक है कि 29.11.2009 से विरोधों और प्रदर्शनों के शुरू होने के समय से पुलिस तंत्र संयमित रहा है और स्थिति के बहुत अधिक अस्थिर होने के कारण पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए थोड़े–बहुत बल का प्रयाग करना पड़ा था कि कोई हिंसक गतिविधि उछल कर स्थिति को बिगाड़ न दे, जिसका प्रभाव शहर में सामान्य शांति और कानून तथा व्यवस्था पर पड़े। हिंसा और उसके बाद के बल प्रयोग के परिणामस्वरूप आंदोलनकारियों, पत्रकारों और स्वयं पुलिस कार्मिकों को चोटें पहुंची और घटनाओं के क्रम की, जिनके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, ऊपर बताए गए तरीके से जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

"जहां तक एबीएन आंध्र ज्योति चेनल के पत्रकार, श्री नरसिंह राव से संबंधित घटना का संबंध है, उस्मानिया विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी, आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 324 और 435 के अंतर्गत क्रि. संख्या 67/2010 के जरिए एफआईआर जारी की गई थी। इसको तफतीश के लिए सीसीएस के पास भेज दिया गया था, और पुलिस आयुक्त के आदेश के अनुसार हैदराबाद सिटी पुलिस के सीसीएस विभाग के पास क्रि. संख्या 33/2010 के रूप में पुनः पंजीयित किया गया था। कुछ गवाहों के बयान लिए गए हैं और तफतीश का काम जारी है।"

"उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, भारतीय प्रेस परिषद् से एक बार फिर यह अनुरोध किया जाता है कि वह तत्काल इस मामले में जांच करना शुरू न करे और डब्ल्यू पी संख्या

3444 / 2010 और डब्ल्यू पी संख्या 3669 / 2010 में न्यायाधीन इन्हीं मुद्दों के बारे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही सुनवाई के निष्कर्ष की प्रतीक्षा करे।"

भारतीय प्रेस परिषद् के माननीय अध्यक्ष के अ.शा. पत्र के प्रत्युत्तर में, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने लिखा है कि "वह मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं और मीडिया के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं।"

"मैंने पुलिस से हमेशा यह कहा है कि वे अधिकतम संयम से काम लें, विशेष रूप से विद्यार्थियों और मीडिया के साथ। पुलिस केवल हिंसा को रोकने और कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल हुई थी। लेकिन जब मीडिया द्वारा मुझे यह बताया गया कि पुलिस ने 14 और 15 फरवरी, 2010 को उनके खिलाफ भी बल–प्रयोग किया था, तो मैंने तत्काल डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र घटना–स्थल पर जाने के लिए कहा। मैंने गृह मंत्री, श्रीमती सबिता इंद्रा रेड्डी से भी इस घटना की जांच का आदेश देने के लिए कहा। अपर डीजीपी, श्री शिवनारायण, आईपीएस ने तत्काल इस घटना की जांच शुरू कर दी। सरकार दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कृत–संकल्प है।"

"मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आंध्र प्रदेश में मीडिया व्यक्तियों (प्रिंट और इलेक्ट्रानिक दोनों) को अपनी ड्यूटियों को बिना किसी डर के निभाने में पूर्ण स्वतंत्रता होगी और राज्य सरकार उनकी संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।"

निष्कर्ष

समिति सभी पक्षों की बात सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि फरवरी 14 और फरवरी 15 की घटनाएं पुलिस द्वारा उन पत्रकारों पर अकारण और जान–बूझकर किए गए हमले के मामले हैं, जो उस्मानिया विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को कवर करने के लिए एकत्र हुए थे। पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो फुटेज सहित इस बात के बहुत से प्रमाण हैं, जिनसे यह पता चलता है कि पुलिस कार्मिकों ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर विश्वविद्यालय परिसर में विद्यमान उत्तेजनापूर्ण वातावरण का लाभ उठाते हुए, मीडिया कार्मिकों की पहचान की और उन्हें अपना निशाना बनाया।

बहुत से पत्रकारों ने, जो 14 फरवरी और 15 फरवरी की घटनाओं के दौरान घायल हो गए थे, समिति के समक्ष साक्ष्य दिया और यह कहा कि उनके द्वारा पहचान–पत्र, माइक गन और लोगो दिखाए जाने के जरिए मीडिया कार्मिकों के रूप में अपनी पहचान किए जाने के बावजूद, पुलिस द्वारा उन पर हमला किया गया। समिति को इसके अलावा यह भी बताया गया कि कुछ मामलों में, पत्रकारों द्वारा पुलिस कर्मियों को अपनी पहचान दिए जाने के बाद हमला और तेज कर दिया गया।

कुछ पत्रकारों ने समिति के सामने अपने टूटे हुए और क्षतिग्रस्त उपकरण प्रस्तुत किए और उन्हें पुलिस के हाथों जो चोटें पहुंची थीं, उनकी मेडिकल रिपोर्टें भी प्रस्तुत कीं। समिति ने बहुत से पत्रकारों द्वारा लगाए गए इन आरोपों को भी बहुत चिंता से नोट किया कि सुरक्षा बल के कार्मिकों ने घायल व्यक्तियों को बाहर ले जाने के लिए एंबुलेंसों को परिसर के अंदर नहीं आने दिया और घायलों को अपना प्रबंध स्वयं करने के लिए छोड़ दिया।

समिति के ध्यान में यह बात भी लाई गई कि यद्यपि पुलिस का बंदोबस्त आंदोलनकारियों को नियंत्रण में लाने के लिए किया गया था, लेकिन लाठीचार्ज से कम विद्यार्थी घायल हुए, जबकि 28 पत्रकारों को चोटें पहुंचीं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हुए – जिससे समिति के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि मीडिया के व्यक्तियों पर जान–बूझ कर हमला किया गया था।

समिति ने घायल पत्रकारों और विद्यार्थियों से, जो उस विशेष दिन वहां मौजूद थे, यह पता लगाने की कोशिश की, कि क्या पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू करने से पहले उन्हें पर्याप्त चेतावनी दी थी अथवा नहीं। समिति को बताया गया कि ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली और यह हमला पूर्णतः अकारण था और वे बिल्कुल बेखर उसके शिकार हुए।

इस समिति के ध्यान में यह बात भी लाई गई कि घायल पत्रकारों द्वारा उस्मानिया विश्वविद्यालय के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के जो प्रयास किए गए थे, उनका तत्काल अनुपालन नहीं किया गया। 15 फरवरी को पुलिस द्वारा केवल दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। बाद में, पांच एफआईआर दर्ज की गई थीं, जबकि पुलिस के पास 27 शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

समिति ने नोट किया है कि विश्वविद्यालय परिसर में, जो कि आंदोलन का मुख्य केंद्र था, जैसाकि पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वयं बताया गया है, आंदोलन को कवर करने वाले मीडिया पर पाबंदियां उस अवधि में सुनियोजित रूप से लागू की गई थीं। आंध्र प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा आर. गिरीश कुमार, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक, हैदराबाद को दिए गए 05.01.2010 के ज्ञापन में कहा गया था "पुलिस द्वारा आज उस्मानिया विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रानिक मीडिया के वाहनों को प्रवेश करने से रोका गया था; हम उसका जोरदार विरोध करते हैं। पुलिस ने आज बड़े मनमाने तरीके से इलेक्ट्रानिक मीडिया के वाहनों को, जिनमें ओपन ब्राडकास्टिंग वैन भी शामिल थे, रोक दिया। उन्होंने कई समाचार चेनलों की ओबी वैनों की तारों को काट दिया। इस समय उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर शांतिपूर्ण है और कोई आंदोलन नहीं हो रहा है।

"पुलिस की यह कार्रवाई समाचारों को पूर्व–सेंसर किए जाने के समान है, जो गैर–संवैधानिक और लोकतंत्र–विरोधी है। जब पुलिस के उप–महानिरीक्षक, श्री प्रवीण कुमार से

संपर्क किया गया, तो उन्होंने इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों से कहा कि उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर से समाचारों के सीधे प्रसारण को रोकने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। उनका यह बयान और कार्रवाईयों यह प्रमाणित करती हैं कि पुलिस ने मीडिया पर पूर्व–सेंशरशिप लागू करने का फैसला किया है।"

"हम उत्तेजना वाली स्थितियों में कानून लागू करने वाले तंत्र की चिंताओं को समझते हैं। लेकिन हम किसी ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते, जहां पुलिस कानून और व्यवस्था के सरोकारों की आड़ में मीडिया की आवाज का गला घोंट दे। किसी भी प्रकार की प्री–सेंशरशिप गैर–कानूनी और असंवैधानिक है। डीआईजी ने, जिसने इलेक्ट्रानिक मीडिया के वाहनों को उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल होने से रोक दिया था, अपनी कार्रवाईयों से स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन किया है।"

"हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपया हस्तक्षेप करें और इलेक्ट्रानिक मीडिया के वाहनों को किसी पाबंदी के बिना मुक्त रूप से आने–जाने की अनुमति दें। हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि आप पुलिस अधिकारियों को यह हिदायत दें कि वे मीडिया पर ऐसी कोई पाबंदी लागू न करें, जिससे समाचारों को पहले से सेंसर करने की गंध आती हो।"

पहला कार्य यह था कि इलेक्ट्रानिक चेनलों की ओ.बी. वैनों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोका गया। बाद में, पुलिस द्वारा केबल कनेक्शनों को तोड़ दिया गया।

जब पुलिस और आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित हुए, और उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने यह कहा कि ऐसे कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किए गए थे। उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया कि पुलिस ने जान–बूझ कर पत्रकारों के खिलाफ कार्य किया था। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने एंबुलेंसों को घायल व्यक्तियों को बाहर ले जाने से नहीं रोका था।

किंतु समिति उनके दावों को स्वीकार नहीं कर सकी है , क्योंकि पुलिस पत्रकारों के खिलाफ इतनी क्रूरता के साथ कार्रवाई नहीं कर सकती थी, जिनमें से पत्रकारों को वे जानते थे, ऐसा उन्होंने माना है। जब पुलिस अधिकारियों के ध्यान में यह बात लाई गई कि एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही थीं, तो उन्होंने पत्रकारों द्वारा दायर की गई 27 शिकायतों की समीक्षा करना और एफआईआर में उनके नामों का शामिल करना तत्काल स्वीकार कर लिया।

पुलिस के एक सिपाही द्वारा 17 फरवरी, 2010 को दायर की गई एक जवाबी शिकायत की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उस पर मीडिया के व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था, उन्होंने समिति को सूचित किया कि इस मामले में आगे और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि संबंधित सिपाही ने अपने आरोपों पर दबाव न डालने की इच्छा प्रकट की है।

पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि उनके 19 कार्मिक, जिनमें एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है, जख्मी हो गए थे और उन्होंने यह बहस करने की कोशिश की, कि मीडिया ने ऐसी घटनाओं की उपेक्षा कर दी। किंतु समिति ने नोट किया कि ऐसी घटनाओं को भी मीडिया द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किया गया था।

माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.02.2010 के निर्णय में कहाः

> "याचिकादाता एक पत्रकार है। उसने अपने शपथपत्र में जो कुछ कहा है, यदि उसका थोड़ा सा भी भाग सच है, तो राज्य सरकार, और विशेष रूप से पुलिस विभाग पर एक दुखद टिप्पणी है। याचिकादाता कहता है कि विश्वविद्यालय परिसर में हुई घटना को कवर करने के बाद, वह सीडी अपने चेनल को सौंपना चाहता था, और जब वह अपनी मोटरसाइकिल की ओर जा रहा था, तो उसे टेलीफोन कॉल आई और वह उसका उत्तर दे रहा था। यह कहा गया कि पुलिस के लगभग 20 सिपाहियों ने उसे घेर लिया, और उसके तुरंत बाद, उसे न केवल पीटा गया, बल्कि उसकी मोटरसाइकिल भी जला दी गई। याचिकादाता वैयक्तिक रूप से उपस्थित हुआ, उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, और उसकी पीठ पर मार–पीट के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसके अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में सारी घटनाएं श्री पी. सीताराम अंजनेयुलू, संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा निर्देशित की जा रही थीं।"

सभी पक्षों की बात सुनने के बाद, समिति ने यह महसूस किया कि पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बहुत ज्यादती से काम किया, कदाचित इस पूर्व–धारणा के आधार पर कि उस समय उत्तेजना का जो वातावरण बना हुआ था, उसमें आंदोलन के समाचारों पर परदा डालने से आंदोलन को और जोरदार होने से रोका जा सकेगा।

स्थानीय समाचार चेनल ने यह समाचार दिया कि श्री पी. सीताराम अंजनेयुलू, आईपीएस और संयुक्त पुलिस आयुक्त (समन्वय और सुरक्षा), हैदराबाद ने 14 फरवरी, 2010 को उस्मानिया परिसर में यह कहा कि "मौजूदा स्थिति में मीडिया को (उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में) आने की अनुमति देने की कोई संभावना नहीं है। मैं आऊंगा और आपको अंदर ले जाऊंगा, जब मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं आऊंगा और आपको खुले रूप से कहूंगा। मैं एक बार फिर क्षमा माँगता हूं। मैं हर बीस मिनट में एक बार बाहर आऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्थिति क्या है। कोई भी मर नहीं रहा है। किसी को कुछ नहीं हो रहा है।"

समिति की राय भी उन बातों पर आधारित है, जो क्षेत्र के संबंधित डीपीसी, श्री महेश चंद्र लड्ढा, आईपीएस और श्री एं. अंजैया, स्थानीय पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस आफिसर द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। श्री लड्ढा ने घटनास्थल पर मौजूद होने के बावजूद 14 और 15 फरवरी को मीडिया पर हुए लाठीचार्ज के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया।

उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके अपने अधिकार–क्षेत्र के अंदर इतने अधिक मीडिया व्यक्तियों को घायल किया जा रहा है, हालांकि इस समाचार को काफी व्यापक कवरेज दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया कि उस महत्त्वपूर्ण संध्या को क्या हुआ था; यह एक अविश्वसनीय बात है। उन्होंने यह दलील दी कि हो सकता है कि इस भगदड़ में कुछ मीडिया व्यक्ति घायल हो गए हों। इसके अलावा उन्हें कोई सूचना नहीं थी। मीडिया पर 15 फरवरी की सुबह को फिर हमला किया गया था, पत्रकार पिछली शाम के हमले के बारे में विरोध करने के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे थे।

यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि समिति श्री सीताराम अंजनेयुलू, आईपीएस और संयुक्त आयुक्त (समन्वय और सुरक्षा), हैदराबाद पुलिस के विचार नहीं सुन सकी, जिनके बारे में शिकायतकर्ता पत्रकारों द्वारा यह कहा गया था कि फरवरी 14 और फरवरी 15, 2010 को हुए हमले के लिए वह जिम्मेदार हैं। समिति को यह सूचित किया गया था कि उन्हें 24 फरवरी, 2010 को नोटिए दिए जाने के बावजूद वह लम्बी छुट्टी पर चले गए हैं। तीन अन्य अधिकारी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

सिफारिशें

समिति सिफारिश करती है कि राज्य सरकार जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों, नामशः पी.एस.आर. अंजनेयुलू (आईपीएस), संयुक्त आयुक्त, श्री महेश चंद्र लड्ढा (आईपीएस) डीपीएस, श्री के रामचंद्र (आईपीएस) एसीपी और श्री बी. अंजैया एसएचओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करे और पत्रकारों को मारने–पीटने और उनके उपस्करों और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के लिए जिम्मेदार अन्य पुलिस कार्मिकों का भी पता लगाए। इसके अलावा, यह भी सिफारिश की जाती है कि इन चार अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर तैनात न किया जाए, जहां वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हों। निर्धारण समिति की टिप्पणियां उनके सेवा–रिकार्डों में भी अभिलेखबद्ध की जाएं।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पुलिस को चाहिए कि वह पत्रकारों द्वारा दायर शिकायत पर कार्रवाई करे।

यह भी सिफारिश की गई है कि मीडिया को चाहिए कि वह ऐसी पुरानी फुटेज को बार–बार न दोहराए, जिससे तनाव पैदा हो सकता है। मीडिया को सलाह दी जाती है कि वह ऐसी स्थिति में सभी संबंधित पक्षों का समाचार समुचित रूप से दे ताकि टकराव न हो।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को चाहिए कि वह शिकायतकर्ता पत्रकारों के उपस्करों और वाहनों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करे।

यह भी सिफारिश की गई है कि सरकार को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए कि मीडिया की ड्यूटी है कि वह किसी भी घटना की जानकारी एकत्र करे और उन्हें ऐसा कार्य करने से रोकने का कोई भी प्रयास करना उसकी स्वतंत्रता को कम करना है।

समिति का विचार है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुलिस को यह सलाह दी जाएगी कि वह मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करे। यह अधिकारी इस प्रकार की स्थिति पैदा होने पर मीडिया से लगातार संपर्क बनाए रखेगा।

यह भी सिफारिश की गई है कि 14 और 15 फरवरी, 2010 की तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और मीडिया को मिल–बैठकर ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए जिससे आंदोलन को कवर करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सके, ऐसा पहचान–पत्र जारी करके, "प्रेस का सूचना पट्ट" आदि लगाकर किया जा सकता है।

समिति ने सिफारिश की है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से भारतीय प्रेस परिषद् को सूचित किया जाए। समिति ने सिफारिश की है कि यह रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में रखी जाए और केंद्र सरकार इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष सूचनार्थ रखे।

अनुबंध 'क'

हैदराबाद में 7 फरवरी, 2010 को मूल्यांकन समिति के समक्ष उपस्थित लोगों की सूची

1. श्री नागराजू
   पत्रकार
   जी 24, गंतालु
   हैदराबाद

2. एपीयूडब्ल्यूजे के प्रतिनिधिः–
   श्री डी. सोमा सुंदर, अध्यक्ष
   श्री के अमरनाथ, सचिव
   श्री वाई. नरेंद्र रेड्डी, महासचिव

3. श्री नरसिंह राव, पत्रकार
   एबीएन आंध्रा ज्योति **(आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमा)**
   हैदराबाद

4. श्री पी.वी. श्रीनिवास राव, महासचिव
   ए.पी. इलेक्ट्रोनिक मीडिया पत्रकार संघ
   हैदराबाद

5. श्री ए. रामकृष्ण, पत्रकार
   महा टीवी
   हैदराबाद

6. श्री के. श्रीनिवास, रिपोर्टर
   महा टीवी
   हैदराबाद

7. श्री ए. हरीश, रिपोर्टर
   एचएमटीवी
   हैदराबाद

8. श्री रघुपति, रिपोर्टर
   ईटीवी
   हैदराबाद

9. श्री पी. योगानंद, रिपोर्टर
एबीएन आंध्रा ज्योति
हैदराबाद

10. श्री चंद्र शेखर, रिपोर्टर
एबीएन आंध्रा ज्योति
हैदराबाद

11. श्री वी. रामू, फोटोग्राफर
ईटीवी
हैदराबाद

12. श्री पी.वी. रमनकुमार
ब्यूरो प्रमुख
महा टीवी
हैदराबाद

13. श्री डी. गणेश, पत्रकार
साक्षी
हैदराबाद

14. श्री बी. किरणकुमार, पत्रकार
विश्वलांधरा
हैदराबाद

15. श्री केशव, कैमरामैन
जी 24 गंतालु
हैदराबाद

16. श्री रामकृष्ण, फोटोग्राफर
साक्षी
हैदराबाद

अनुबंध 'ख'

हैदराबाद में 8 फरवरी, 2010 को मूल्यांकन समिति के समक्ष उपस्थित लोगों की सूची

1. श्री गौतम कुमार, भा.पु.से.
   प्रधान सचिव (गृह)
   हैदराबाद

2. श्री ए.के. खान, भा.पु.से.
   पुलिस आयुक्त
   हैदराबाद

3. श्री आर.एस. प्रवीण कुमार
   उप महानिरीक्षक
   विशेष शाखा
   हैदराबाद

4. श्री महेश चंद्र लाढा
   भा.पु.से.
   पुलिस उपायुक्त
   हैदराबाद

5. श्री बी. अनैह
   पुलिस निरीक्षक एवं एस एच ओ
   ओस्मानिया कैंपस पुलिस थाना
   हैदराबाद

1. 8 मार्च, 2010 को ईनाडु तेलुगु दैनिक में प्रकाशित रिपोर्ट अंग्रेजी सारांश का हिंदी अनुवाद

तेलंगाना डेटलाइन, हैदराबाद (न्यूजटुडे) के नाम में पुलिस की क्रूरता

पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने 14 और 15 फरवरी को उस्मानिया विश्वविद्यालय कैंपस में मीडिया के लोगों को लक्ष्य बनाया और उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। प्रेस अकादमी समाचार में रविवार को प्रेस समिति के समक्ष उपस्थित श्री एस.एन. सिन्हा, श्री कल्याण बरुआ, श्री के. श्रीनिवास रेड्डी और श्री के. रामचंद्रन मूर्ति ने कहा कि पुलिस के हमले में 12 कैमरे और 16 वाहनों को नुकसान पहुंचाया है और 22 पत्रकारों को चोट पहुंची है।

बाद में समिति के सदस्यों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के कैंपस का दौरा किया, जहां पुलिस ने पत्रकारों की पिटाई की थी।

समिति के समक्ष साक्ष्य पेश करते हुए आंध्र प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ (एपीयूडब्ल्यूजे) ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कैंपस में छात्रों के आंदोलन की रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए मीडिया कर्मियों को बेरहमी से पीटा है। संघ ने कहा कि पुलिस का विचार था कि यदि मीडिया द्वारा इस आंदोलन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई तो यह बाहर पहुंच जाएगी। राज्य प्रेस अकादमी के अध्यक्ष, डी. अमर, आईजेयू के सचिव, के. अमरनार्थ, एपीयूडब्ल्यूजे के अध्यक्ष, डी. सोमासुंदर, महासचिव, वाई नरेंद्र रेड्डी समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

जी 24 घंटे चैनल रिपोर्टर और कैमरामैन, नागार्जून गुप्ता और केशव, ईटीवी रिपोर्ट, रघुपति, महा टीवी रिपोर्ट रामकृष्ण, एबीएन आंध्र ज्योति चैनल के योगानंद, चंद्रशेखर और नरसिंह राव, इनाडु दैनिक के राम वर्मा, टीवी के क्रांतिकिरण समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने पत्रकारों पर पुलिस के लाठीचार्ज से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए।

2. दिनांक 8 मार्च, 2010 के आंध्र भूमि तेलुगू में प्रकाशित रिपोर्ट के अंग्रेजी सारांश का हिंदी अनुवाद

एक बेलगांम हमला

पत्रकारों ने प्रेस परिषद् की टीम से कहा –
डेटलाइन हैदराबाद (आंध्र भूमि ब्यूरो)

समिति ने पुलिस द्वारा 14 और 15 फरवरी को उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में पत्रकारों की पिटाई किए जाने की रविवार को सुनवाई की। सर्वश्री के. श्रीनिवास रेड्डी, एस.एन. सिन्हा, कल्याण बरुआ और के. रामचंद्र मूर्ति वाली समिति ने ऐसे पत्रकारों द्वारा दिए गए साक्ष्यों पर सुनवाई की, जो इस घटना में घायल हो गए थे और जो भारतीय पत्रकार संघ तथा

आंध्र प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधि थे। संघ के प्रतिनिधियों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में उन दो दिनों में घटित घटनाओं का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने पत्रकारों की पहचान की और उनकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस वालों ने पत्रकारों को गाली दी और उनके घायल साथियों को अस्पताल भी नहीं ले जाने दिया। उन्होंने 108 की एम्बुलेंस को भी परिसर में नहीं आने दिया। संघ के प्रतिनिधियों ने समाचारपत्रों की रिपोर्टिंग की क्लिपिंग भी समिति के समक्ष पेश की।

समिति के समक्ष बयान देते हुए भारतीय पत्रकार संघ के सचिव के. अमरनाथ ने कहा कि पिछले पचास वर्षों में ऐसा क्रूर हमला देश के किसी भी भाग में पत्रकारों पर कभी भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हालांकि पत्रकारों ने 21 घटनाओं की शिकायतें कीं, लेकिन पुलिस ने अभी तक सात घटनाओं की ही एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने विभिन्न समाचार चैनलों के 8 अज्ञात प्रतिनिधियों के खिलाफ एक सिपाही की शिकायत पर पत्रकारों के खिलाफ प्रति मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रेस के लेबल वाले वाहनों को नुकसान पहुंचाया। आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिक मीडिया पत्रकार संघ के प्रतिनिधि भी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने पुलिस की बर्बरता और क्रूरता के बारे में बताया। घायल पत्रकार नरसिंह राव और अन्य वीडियो पत्रकारों ने भी समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए।

समिति सोमवार को इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की परीक्षा करेगी। समिति गृह मंत्री और सूचना तथा जन संपर्क मंत्री से मिल सकती है।

3. 8 मार्च, 2010 के आंध्र ज्योति तेलुगू में प्रकाशित रिपोर्ट के अंग्रेजी सारांश का हिंदी अनुवाद

उस्मानिया विश्वविद्यालय में पुलिस की क्रूरता के संबंध में प्रेस परिषद् ने जांच की

डेटलाइन हैदराबाद (ऑन लाइन–सिटी ब्यूरो)

उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस लाठी चार्ज में घायल कई पत्रकारों ने प्रेस परिषद् समिति से शिकायत की, कि उन्हें उस समय पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटा गया जब वे 14 और 15 फरवरी को छात्रों द्वारा तेलँगाना आंदोलन को लेकर चल रहे आंदोलन को कवर करने के लिए वहां गये थे। उन्होंने साक्ष्य के रूप में घटना की फोटो और विडियो कतरनें भी प्रस्तुत की। प्रेस परिषद् समिति में एस.एन. सिन्हा, कल्याण बरुआ, के. श्रीनिवास रेड्डी और के. रामचन्द्र मूर्ति है।

q

अध्याय - VII
परिषद् का वित्त 2009-2010

परिषद् की निधि के मुख्य स्त्रोत हैं : (i) भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं पर तथा समाचार एजेंसियों पर परिषद् द्वारा लगाया गया शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियाँ यथा बैंक खाते पर ब्याज आदि और (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा 2008-09 में स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए परिषद् का बजट अनुमान 350.00 लाख रूपये था । जनवरी 2010 में 2009-10 के लिए अनुमानों का पुनरीक्षण करके केन्द्रीय सरकार ने 500.58 लाख रूपये का बजट स्वीकार कर लिया जिसमें राजस्व प्राप्ति का अनुमान 44.58 लाख रूपये है और सहायता अनुदान 456.00 लाख रूपये है । परिषद् की पुनरीक्षित अनुमान की माँग 566.24 लाख रूपये थी ।

परिषद् ने अंतिम प्राप्ति 46.78 लाख रूपये करके अपने राजस्व में वृद्धि की । तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान परिषद् को जहाँ केन्द्रीय सरकार से 456.00 लाख रूपये का सहायता अनुदान मिला (4,55,60,707.00 लाख रूपये सहायता अनुदान + गत वर्ष हेतु अव्ययित शेष 39,293.00 रूपये) और 34.29 लाख रूपये इसने समाचार पत्रों/पत्रिकाओं और समाचार एजेंसियों से शुल्क के रूप में प्राप्त किए । इसके अतिरिक्त विचाराधीन वर्ष के दौरान 12.49 लाख रूपये विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हुए यथा बैंक खातों पर ब्याज, बैंक में सावधि निक्षेपों पर ब्याज आदि ।

अधिनियम के अधिदेश के अंतर्गत उनपर लगाए गए शुल्क के भुगतान में चूक करने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं से यथासंभव राजस्व की वसूली के लिए प्रयास के फलस्वरूप वर्ष के दौरान परिषद् ने बाकीदारों से 10.07 लाख रूपये की बकाया राशि वसूल की । यह राशि उपर्युक्त 34.29 लाख रूपये की कुल राशि में शामिल है । इसके अतिरिक्त संबंधित प्रकाशनों के बंद हो जाने की पुष्टि के बाद 0.63 लाख रूपये बट्टे खाते में डाल दिए गए ।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि भारतीय प्रेस परिषद् के लेखे उस विधि से रखे और लेखा परीक्षित किए जाएँगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए । वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के वार्षिक लेखे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गए थे । लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व के लेखा परिक्षा दल ने उनकी लेखा परीक्षा करके प्रमाणित कर दिया है कि वे उनसे संतुष्ट हैं । परिषद् के वार्षिक लेखे इसके साथ संलग्न हैं ।

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रेस परिषद् के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 22 के साथ पठनीय नियंत्रक और महा- लेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत 31 मार्च 2010 तक भारतीय प्रेस परिषद् के संलग्न तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखे/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखों की 31-3-2010 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा कर ली है । ये वित्तीय विवरण परिषद् प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरुप, लेखा स्तरों और मानकों का प्रकटीकरण आदि के संबंध में लेखा विवेचन पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ हैं । विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन के पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी, यदि कोई हो, की निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है ।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरुप की है । इन मानको में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त है अथवा नहीं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें । लेखा परीक्षा में परीक्षा जाँच आधार पर वित्तीय विवरणों के प्रकटन और राशि के समर्थन में साक्ष्य का परीक्षण सम्मिलित है । लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करती है ।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा प्रतिवेदन है कि :

i. हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जोकि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं ।

ii. तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे/प्राप्तियाँ और भुगतान लेखे जिनका इस रिपोर्ट से संबंध है, को प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 22 के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा विहित फॉमेट में तैयार किया गया है ।

iii. हमारी राय में, जहाँ तक इन बहियों के हमारे परीक्षण से दृष्टिगोचर होता है, प्रेस परिषद् अधिनियम,1978 की धारा 22 के अन्तर्गत भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा समुचित खाता बहियाँ और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गये हैं ।

iv. हमारा प्रतिवेदन है कि :

क. तुलन पत्र

क.1 देयता

क.1.1 प्रावधान

उपदान, छुट्टी भुनाने और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जोकि वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लेखों के फार्मेट के अनुरूप नहीं है ।

क.2 परिसंपत्ति

क.2.1 नियत परिसंपत्ति

क.2.1.1 मूल्यह्रास के संबंध में लेखा नीति, जिसे परिषद् द्वारा अपनाया गया था, के अनुसार, नियत परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास आयकर नियमों के अनुसार, फर्नीचर एवं जुड़नार हेतु 10% और अन्य परिसंपत्ति हेतु @ 15% की दर से चार्ज किया गया । लेखा नीति तथ्यात्मक सही नहीं है क्योंकि मूल्यह्रास की दर, जिसका परिषद् द्वारा पालन किया जा रहा था, आयकर नियम में विहित नहीं थी ।

क.2.2. निवेश

परिषद् द्वारा किया गया सी पी एफ शेष का निवेश भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं0 एफ-5 (53)/2002-ईसीबी एवं पी बी दिनांक 14.8.2008 द्वारा विहित निवेश के पैटर्न के अनुसार नहीं था ।

ख. सहायता अनुदान

परिषद् को 455.61 लाख रुपये (योजनेत्तर) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और वर्ष 2009-2010 हेतु इसकी अपनी प्राप्ति 114.24 लाख रुपये (लेवी शुल्क 62,02लाख रुपये और अर्जित ब्याज 52.22 लाख रुपये) थी । इसके अलावा, परिषद् ने गत वर्ष से 0.39 लाख रुपये का अनुदान इस्तेमाल नहीं किया । 570.24 लाख रुपये की कुल राशि में से, परिषद् ने 513.72 लाख रुपये का इस्तेमाल किया जिसके कारण 31मार्च 2010 को 56.52 लाख रुपये का शेष रह गया ।

ग. *प्रबंधन पत्रः-

उन कमियों को जिन्हें लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारी/सुधारक कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र के जरिए अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् के नोटिस में लाया गया है ।

v. पूर्व अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हमारा प्रतिवेदन है कि तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा, जिसका संबंध इस रिपोर्ट से है, खाता बहियों के अनुरुप है ।

vi. हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरण जोकि लेखों पर टिप्पणियों और लेखों नीतियों के साथ पठनीय है और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के संलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप सही और उचित रुप देते हैं ।

क. जहाँ तक इसका संबंध 31 मार्च, 2010 को भारतीय प्रेस परिषद् के कार्य के तुलन पत्र से है और

ख. जहाँ तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखे से है ।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हेतु और उनकी ओर से

ह०/-
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(केन्द्रीय राजस्व)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : **11/10/2010**

संलग्नक 1

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आतंरिक लेखा परीक्षा चार्टरित लेखाकार द्वारा की गयी है जिन्होंने 2009-2010 तक लेखा परीक्षा की है । 31 मार्च,2009 को कोई आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा लम्बित नहीं था ।

2. नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

नियत परिसंपत्तियों का वर्ष 2009-2010 हेतु प्रत्यक्ष सत्यापन चल रहा था ।

3. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

पुस्तकों और प्रकाशनों का वर्ष 2009-2010 हेतु प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया ।

4. सांविधिक देयता के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देयता के संबंध में, छह महीनों से अधिक का कोई भुगतान 31-3-2010 को बकाया नहीं है ।

तुलन पत्र

31 मार्च 2010 तक

भारतीय प्रेस परिषद्
31-3-2010 तक का तुलन पत्र

राशि रूपये

देयता	तालिका	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
पूँजीगत कोष	1	56,085,357	50,322,940
अंशदायी भविष्य निधि	2	63,509,463	57,813,649
वर्तमान दायित्व और प्रावधान	3	3,076,836	2,407,268
कुल		**122,671,656**	**110,543,857**
परिसम्पत्ति			
नियत परिसम्पत्ति	4	4,445,234	5,085,728
निवेश-(विशेष प्रयोजन) के लिए उद्दिष्ट निधि से	5	60,202,575	54,380,617
वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	6	58,023,847	51,077,512
कुल		**122,671,656**	**110,543,857**

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 13

आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणी 14

ह0/-
(जी.एन. रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
31-3-2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रूपये

आय	तालिका	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	7	6,201,618	6,372,611
सरकार से अनुदान	8	40,850,484	27,568,756
अर्जित ब्याज	9	5,222,413	4,922,025
कुल (क)		**52,274,515**	**28,867,385**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	38,578,420	30,814,859
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	7,603,385	8,228,262
वित्त खर्च	12	661	7,479
मूल्यह्रास(तालिका 5 के अनुरूप)		661,412	759,647
कुल (ख)		**46,843,878**	**39,810,247**
आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क-ख)		5,430,637	(946,855)
- पूर्व अवधि समंजन जमा (नामे)		310,862	186,724
-सामान्य रिज़र्व से/में अंतरण			-
अधिशेष/(घाटा) आय व्यय खाते में ले जाया गया		**5,741,499**	**(760,131)**

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 13

आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणी 14

ह0/-
(जी.एन. रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
अनुसूचियाँ जो 31.3.2010 की बैलेन्स शीट का अंग हैं

अनुसूची 1-पूँजी निधि राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क. पूँजी निधि :				
वर्ष के शुरू में शेष	7,785,611		7,618,384	
जोड़ें : वर्ष के दौरान पूंजीकृत निधियाँ	20,918	173,585		
जोड़ें : पिछले वर्षों में बट्टे खाते डाली गई अतिरिक्त राशि जो वापस ले ली गई है	–	–		
	7,806,529		7,791,969	
घटाएँ : पिछले वर्ष में अतिरंजित स्थिर परिसम्पत्तियों की राशि	–		–	
घटाएँ : अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों पर बट्टे खाते डाली गई राशि	–	7,806,529	6,358	7,785,611
ख. आय और व्यय लेखा :				
वर्ष के शुरू में शेष	42,537,329		43,297,460	
जोड़ें/(घटाएँ) आय और व्यय से	5,741,499		(760,131)	
अंतरित निवल आय (व्यय) का शेष				
जोड़ें/(घटाएँ) अन्य समायोजन (स्पष्ट करें)	–	48,278,828	–	42,537,329
योग		**5,085,357**		**50,322,940**

अनुसूची 2 - सी. पी. एफ़. निधियाँ राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क) निधियों का अथ शेष		57,813,649		46,414,706
ख) निधियों में वृद्धि :				
i. सी.पी.एफ़ में परिषद् का योगदान	1,641,728		2,842,003	
ii सी.पी.एफ. अग्रिम की वसूली	811,600			
iii. पूर्वावधि समायोजन	25,923			
iv. सी.पी.एफ़ में कर्मचारियों का योगदान	6,944,845		5,851,245	
v. सी.पी.एफ़ निधियों पर सरकार से ब्याज	4,507,202	13,931,298	3,818,357	12,511,605
योग (क + ख)		71,744,947		58,926,311
ग) निधियों के उद्देयों पर उपयोग/खर्चा				
सी.पी.एफ़. आहरण	3,422,895		1,929,348	
जा रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	4,434,911		–	
पिछले वर्ष सीपीएफ़ में अतिरिक्त क्रेडिट की वापसी	–		–	
पीएफ़ अग्रिम	351,000		(816,686)	
सामान्यनिधि खाते से प्राप्ति योग	26,678	8,235,484	-	1,112,662
वर्ष के अंत में निधि का निवल शेष (क+ख-ग)		**63,509,463**		**57,813,649**

अनुसूची 3 - चालू देयताएँ और प्रावधान राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क) चालू देयताएँ:				
1. प्राप्त अग्रिम				
- शुल्क की अग्रिम उगाही	239,051		84,338	
- उगाही शुल्क उचंत	85,151	324,202	57,351	141,689
2. ज़मानत जमा		31,000		31,000
3. अव्ययित अनुदान		221,396		39,293
4. अन्य चालू देयताएँ		1,223,976		1,333,064
5. पूर्व कर्मचारयों के वारिसों को देय		1,276,262		862,222
योग (क)		**3,076,836**		**2,407,268**
ख. प्रावधान		–		–
योग (क+ख)		**3,076,836**		**2,407,268**

अनुसूची - 4

अनुसूचियाँ जो 31.3.2010 की

विवरण	सकल ब्लॉक			
	01.04.09 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री अंतरण	31.03.10 को लागत
वातानुकूलक और कूलर	911,209.00	–	–	911,209.00
उपस्थिति रिकार्डिंग तंत्र	82,000.00	–	–	82,000.00
कार और बाइसिकल	745,737.00	–	–	745,737.00
कंप्यूटर / पेरिफ़रल	3,549,145.00	–	–	3,549,145.00
कान्फ़्रेंस तंत्र	27,820.00	–	–	27,820.00
ईपीएबी एक्स तंत्र	258,800.00	–	–	258,800.00
फ़र्नीचर और फ़िक्सचर	4,171,889.00	–	–	4,171,889.00
हीट कन्वर्टर और हीटर	35,764.00	–	–	35,764.00
पुस्तकालय की किताबें	697,374.00	20,918.00	–	718,292.00
मोबाइल फ़ोन	11,300.00	–	–	11,300.00
रेफ़्रिजरेटर	52,535.00	–	–	52,535.00
सौर वाटर हीटिंग तंत्र	110,227.00	–	–	110,227.00
स्टेबिलाइज़र	71,434.00	–	–	71,434.00
टेप रिकार्डर	6,618.00	–	–	6,618.00
टेलीविज़न	78,190.00	–	–	78,190.00
टाइपराइटर और डुप्लीकेटर	133,029.00	–	–	133,029.00
जल वितरक	28,800.00	–	–	28,800.00
योग	**10,971,871.00**	**20,918.00**	**–**	**10,992,789.00**

अनुसूची - 4

बैलेन्स शीट का अंग हैं

मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक		
31.03.09 तक	वर्ष हेतु	बट्टे खाते	कुल	31.03.10 को डब्ल्यू डी वी	31.03.09 को डब्ल्यू डी वी
524,853.00	57,953.00	–	582,806.00	328,403.00	386,356.00
27,198.00	8,220.00	–	35,418.00	46,582.00	54,802.00
488,416.00	38,598.00	–	527,014.00	218,723.00	257,321.00
2,056,561.00	223,888.00	–	2,280,449.00	1,268,696.00	1,492,584.00
26,328.00	224.00	–	26,552.00	1,268.00	1,492.00
139,184.00	17,942.00	–	157,126.00	101,674.00	119,616.00
2,080,178.00	209,171.00	–	2,289,349.00	1,882,540.00	2,091,711.00
15,926.00	2,976.00	–	18,902.00	16,862.00	19,838.00
251,020.00	70,090.70	–	321,110.70	397,181.30	446,354.00
3,136.00	1,225.00	–	4,361.00	6,939.00	8,164.00
22,822.00	4,457.00	–	27,279.00	25,256.00	29,713.00
36,561.00	11,050.00	–	47,611.00	62,616.00	73,666.00
36,448.00	5,248.00	–	41,696.00	29,738.00	34,986.00
3,290.00	499.00	–	3,789.00	2,829.00	3,328.00
45,819.00	4,856.00	-	50,675.00	27,515.00	32,371.00
118,850.00	2,127.00	-	120,977.00	12,052.00	14,179.00
9,553.00	2,887.00	-	12,440.00	16,360.00	19,247.00
5,886,143.00	**661,411.70**	**-**	**6,547,554.70**	**4,445,234.30**	**5,085,728.00**

अनुसूची 5 - उद्दिष्ट निधियों के लिए निवेश राशि रूपये

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. अनुसूचित बैंकों के पास सावधि निक्षेप				
- सी.पी.एफ़. निधि के प्रति	54,642,325		52,251,522	
- उन पर प्रोद्भूत एफ़डीआर ब्याज	5,560,250	60,202,575	2,129,095	54,380,617
योग		**60,202,575**		**54,380,617**

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि राशि रूपये

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियाँ				
1. विविध देनदार :				
- उगाही शुल्क के कारण छह माह से अधिक अवधि तक बकाया ऋण	37,557,311		35,166,176	
अन्य	3,793,625	41,350,936	3,393,125	38,559,301
2. रोकड़ शेष (डाक टिकटों और अग्रदाय सहित)				
अग्रदेय लेखा शेष	5,932		6,958	
डाक टिकटें	4,441	10,373	16	6,974
3. बैंक शेष :				
- अनुसूचित बैंकों के पास :				
बचत खाते			–	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - सामान्य खाता	190,309		1,253	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - उगाही शुल्क खाता	479,634		31,066	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - परिक्रामी खाता	20,714		291,087	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - सी.पी.एफ़. खाता	8,917,565	9,608,222	5,744,425	6,067,831
निक्षेप खाते				
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - परिक्रामी खाता	2,347,331	–	2,187,479	–
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - खाता गोपा मित्रा	643,899		*643,899*	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - राजेश कौर	160,408			
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - खाता सुशीला देवी	165,881	3,317,519	165,881	2,997,259
योग (क)		**54,287,050**		**47,631,365**

अनुसूची 6 - (जारी) राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ				
1. स्टाफ़ को ऋण :				
- पंखा अग्रिम	–		300	
- कार अग्रिम	184,282		320,418	
- उत्सव अग्रिम	51,000		47,400	
- आवास निर्माण अग्रिम	54,039		69,685	
- स्कूटर अग्रिम	33,400	322,721	40,400	478,203
2. प्राप्य मूल्य के लिए रोकड़ या जिन्स में वसूल की जाने वाली अन्य राशियाँ और अग्रिम				
- पूँजीगत लेखे पर	–		–	
- पूर्व भुगतान				
- पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए अग्रिम	10,917		8,737	
- पार्टियों को अग्रिम	2,043,518		2,215,859	
- यात्रा भत्ता अग्रिम	245,925		15,710	
- स्रोत पर काटा गया कर	675,208		293,614	
- अन्य				
- टीए/डीए वसूलियाँ	–		2,333	
- सी.पी.एफ़. उचंत	–	2,975,568	6,673	2,542,926
3. प्रोद्भूत आय				
क) परिक्रामी खाते के निक्षेपों पर (प्राप्य अप्राप्त आय रु..... शामिल है)		419,034		405,544
4. विभिन्न विभागों के पास निक्षेप		19,474		19,474
योग (ख)		**3,736,797**		**3,446,147**
योग (क+ख)		**58,023,847**		**51,077,512**

अनुसूची 7 - उगाही शुल्क से तथा अन्य आय राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
1. समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/समाचार एजेंसियों से प्राप्त उगाही शुल्क	3,427,128		4,217,532	
जोड़ें : पिछले वर्ष के लिए उठाई गई माँग	–		153,150	
जोड़ें : पिछले वर्षों का अग्रिम समायोजित	–		26,130	
जोड़ें : चालू वर्ष का बकाया शुल्क	3,793,625		3,393,125	
घटाएँ : पिछले वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	1,005,900		1,475,752	
घटाएँ : अग्रिम/उचंत प्राप्त शुल्क	115,753	6,099,100	120,260	6,193,925
2. अन्य (स्पष्ट करें)				
- रद्दी कागज़ की बिक्री	8,412		3,857	
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए शुल्क	774		430	
- अन्य	93,332	102,518	174,399	178,686
योग		**6,201,618**		**6,372,611**

अनुसूची 8 - अनुदान राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
(प्राप्त अप्रतिसंहार्य अनुदान और इमदाद)				
- केंद्रीय सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	45,560,707		31,573,371	
- जोड़ें : पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान	39,293		30,629	
	45,600,000		31,604,000	
- घटाएँ : सी. पी. एफ़. निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान	4,507,202		3,822,366	
- घटाएँ : स्थिर परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	20,918		173,585	
- घटाएँ : चालू वर्ष का अव्ययित अनुदान	221,396	40,850,484	39,293	27,568,756
योग		**40,850,484**		**27,568,756**

अनुसूची 9 - अर्जित ब्याज राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
1. सावधि निक्षेपों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
-सीपीएफ़ (खाता सामान्य निधि में अंतरित)				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	1,018,420		5,151,207	
जोड़ें : स्रोत पर काटा गया कर	371,334		–	
घटाएँ : पिछले वर्षों से संबंधित	764,981		2,207,820	
घटाएँ : गत वर्ष में बुक किया गया अति ब्याज प्रत्यावर्तित	–		–	
जोड़ें : इस वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	4,226,494	4,851,267	1,591,269	4,534,656
- परिक्रामी निधि खाता				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	159,852		30,965	
जोड़ें : स्रोत पर काटा गया कर	10,260		–	
जोड़ें : इस वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	192,325		251,564	
घटाएँ : पिछले वर्षों से संबंधित	144,275	218,162	19,182	263,347
- सामान्य निधि खाता				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	17,106		47,014	
जोड़ें : स्रोत पर कर कटौती				
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज				
कम : पिछले वर्षों से संबद्ध		17,106		47,014
2. बचत खातों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सामान्य निधि खाता	11,449		29,002	
- सीपीएफ़ खाता (सामान्य निधि को अंतरित)	72,846		31,322	
- उगाही शुल्क खाता	17,240		5,242	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	12,141	113,676	5,536	71,102
3. ऋणों पर :				
क) कर्मचारी / स्टाफ़				
- स्कूटर अग्रिम			5,868	
- साइकिल अग्रिम			38	
- आवास निर्माण अग्रिम	482		–	
- पंखा अग्रिम	25		–	
- मोटर कार अग्रिम	21,695	22,202	–	5,906
योग		**5,222,413**		**4,922,025**

अनुसूची 10 - स्थापना व्यय

राशि रूपये

	चालू वर्ष	*पिछला वर्ष*
क) वेतन और मज़दूरी	27,106,720	21,822,582
ख) वेतन की बकाया राशि	448,795	4,329,310
ग) वेतन की बकाया राशि (छठें वेतन आयोग के अनुसार 60%)	5,080,120	–
घ) समयोपरि भत्ता	19,741	20,064
ङ) ट्यूशन फ़ीस प्रतिपूर्ति	262,194	178,182
च) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	513,553	377,174
छ) बोनस	209,858	275,094
ज) एल. टी. सी.	501,980	584,093
झ) अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	1,043,898	92,973
ञ) भविष्य निधि में अंशदान	1,641,728	2,842,003
ट) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभों पर व्यय	1,741,433	293,384
ठ) स्टाफ को प्रशिक्षण	8,400	–
योग	**38,578,420**	**30,814,859**

अनुसूची 11 - अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि रूपये

		चालू वर्ष	*पिछला वर्ष*
1.	बिजली और पानी	1,609,286	407,247
2.	कार्यालय व्यय	232,213	172,811
3.	बीमा	11,305	9,401
4.	मरम्मत और रखरखाव	1,180,108	699,202
5.	वाहनों की मरम्मत और रखरखाव	258,883	248,479
6.	यात्रा और परिवहन व्यय	1,797,591	2,480,430
7.	किराया, पौर कर और कर	242,508	348,397
8.	डाक टिकट, टेलीफोन और संचार प्रभार	802,509	811,923
9.	मुद्रण और स्टेशनरी	1,024,799	850,899
10.	समाचारपत्र और पत्रिकाएँ	96,221	86,786
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी	21,200	27,002
12.	हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कार	9,710	7,820
13.	सबस्क्रिप्शन व्यय	5,677	19,489
14.	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	194,456	178,585
15.	मनोरंजन	49,619	62,405
16.	प्रदर्शनी और संगोष्ठी	–	319,636
17.	भाड़ा और ढुलाई	–	300
18.	कार्यशाला व्यय	–	33,632
19.	अन्य देय प्रशासनिक व्यय	–	1,125,161
20.	विज्ञापन और प्रचार	–	18,962
21.	अन्य (स्पष्ट करें) - विविध	4,450	620
22.	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	62,850	319,075
23.	कर कटौती	–	–
	योग	**7,603,385**	**8,228,262**

टिप्पणी -

1. बिजली और पानी का खर्चा अध्यक्ष के निवास पर किया गया है।

अनुसूची 12 - वित्त प्रभार

राशि रूपये

	चालू वर्ष	*पिछला वर्ष*
क) नियत ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	661	7,479
ग) अन्य (स्पष्ट करें)		
योग	**661**	**7,479**

भारतीय प्रेस परिषद्
31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 13 - महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाये, के आधार पर तैयार किये गये हैं ।

2. लेखा प्रणाली

परिषद् लेखा उपार्जित प्रणाली का पालन कर रही है- जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाये ।

3. निवेश

क. अंशदायी भविष्य निधि के विरूद्ध निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ख. परिक्रामी (कर्ज़ एवं अग्रिम) लेखे के विरूद्ध निवेश को वर्तमान परिसम्पत्तियाँ माना गया है ।

ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्ाया गया है क्योंकि उसपर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई ।

4. नियत परिसम्पत्तियाँ

क. नियत परिसम्पत्तियों को, उनपर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है । अर्जन से सम्बद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूँजी में परिणित नहीं किया गया है ।

ख. नियत परिसम्पत्तियों की मूल्य लागत को चिन्हित करने के लिए पूँजीगत कोष का संधारण किया गया है ।

5. मूल्यह्रास

परिषद् ने अपने प्रारंभ से लेकर 31.3.2006 तक अपनी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास नहीं दिया था । आयकर नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित दर उदाहरणार्थ फर्नीचर और स्थिर वस्तुएँ 10% की दर पर और अन्य परिसम्पत्तियाँ 15% की सामान्य दर पर मूल्यह्रास

चार्ज करने के लिए 31.3.2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इस संबंध में नीति में परिवर्तन के अनुसार किया जा रहा है ।

6. <u>सरकारी अनुदान</u>

(क) सरकारी अनुदान का लेखा नकद आधार पर रखा जाता है ।

(ख) नियत परिसम्पत्तियों में जोड़ के लिए प्रयुक्त अनुदान को पूँजीगत निधि में अंतरित किया गया है ।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है ।

(घ) वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान को अगले वर्ष उपयोग करने के लिए आरक्षित और अतिरिक्त राशि में अंतरित किया गया है ।

7. <u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>

(क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा नकद आधार पर रखा गया है । उपदान देय, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) परिषद् अपनी अंशदायी भविष्य निधि का रख-रखाव कर रही है ।

ह0/-
(जी.एन. रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
31.3.2010 को वर्ष की समाप्ति पर लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 14 - आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियाँ

क. आकस्मिक देयता

परिषद् के विरूद्ध दावों की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है रूपये शून्य (गत वर्ष शून्य)

ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, कर्ज एवं अग्रिम

   क. विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों में शेष और पक्षों को अग्रिम की सम्बद्ध पक्षों/विभागों से पुष्टि नहीं की गई है ।

   ख. परिषद्-प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों, कर्ज़ और अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य होता है जोकि कम से कम, साधारण व्यवसाय में तुलनपत्र में दर्शायी गयी राशि के समान है ।

2. कराधान हेतु प्रावधान

यह देखते हुए कि परिषद् की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

3. गत वर्ष के तदनुरूप आँकड़ों का, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनःसमूहीकरण/पुनःव्यवस्थित किया गया है ।

ह0/-
(जी.एन. रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस
31.3.2010 को समाप्त वर्ष

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. अथ शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय लेखा)		6,958		10,000
ख) बैंक शेष				
- सामान्य निधि	1,253		2,708	
- शुल्क उगाही खाता	31,066		6,683	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	291,087		125,426	
- सी.पी.एफ़. खाता	5,744,528	6,067,934	2,994,551	3,129,368
ग) डाक टिकटें		16		11,238
II. प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से		45,560,707		31,573,371
III. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक निक्षेपों पर				
- सावधि निक्षेप	1,195,378		5,229,186	
- बचत खाते	113,676	1,309,054	71,102	5,300,288
ख) ऋण, अग्रिम आदि		22,202		5,906
IV. अन्य आय (स्पष्ट करें)				
समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/समाचार एजेंसियों से प्राप्त उगाही शुल्क		3,427,128		4,217,532
अन्य		102,518		178,686
छठे वेतन आयोग की बकाया राशि की वसूली		475,260		
V. परिपक्व निवेशों से प्राप्तियाँ				
एफ़डीआर को भुनाना				
- परिक्रामी निधि लेखा	842,482		267,040	
- सी. पी. एफ. लेखा	10,430,352		15,991,612	
अन्य	4,000,000		4,000,000	20,258,652
कर्मचारी हेतु	649,313	15,922,147	–	
VI. कोई अन्य प्राप्तियाँ				
क) ज़मानतों की वापसी				
- विभागों के पास निक्षेप	–		11,034	11,034
- कम्प्यूटर रखरखाव	–	–	–	

परिषद्
के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)		38,073,772		30,740,916
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)		7,523,196		6,268,863
II. निधियों के प्रति किए गए भुगतान				
परिक्रामी निधि के प्रति किए गए भुगतान (ऋण और अग्रिम)				
- ऋणों का संवितरण				
- उत्सव अग्रिम	93,300		81,000	
- स्कूटर अग्रिम	24,000		48,000	
- मोटर कार अग्रिम	–		155,000	
- पंखा अग्रिम	–	117,300	1,000	285,000
सी.पी.एफ़. निधि के प्रति				
- स्टाफ़ को अग्रिम/आहरण	3,773,895		1,763,055	
- जाने वाले कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	4,434,911	8,208,806	–	1,763,055
III. किए गए निवेश और निक्षेप				
क) निर्दिष्ट/एन्डाउमेंट निधियों से				
- परिक्रामी निधि के प्रति (ऋण और अग्रिम)	1,002,334		–	
- सी.पी.एफ़. निधि के प्रति	12,966,775	13,969,109	25,013,135	25,013,135
ख) अपनी निधियों से (निवेश-अन्य)	4,000,000		4,000,000	
कर्मचारी के लिए	809,721	4,809,721	521,930	4,521,930
IV. स्थिर परिसंपत्तियों और चल रहे पूँजीगत काम पर व्यय				
क) स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें	20,918		21,186	
- फ़र्निचर तथा अन्य	–		152,299	
- टेलीफोन उपकरण	–	20,918	–	173,485

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ख) अग्रिमों की वसूली				
- आवास निर्माण अग्रिम	15,646		16,128	
- उत्सव अग्रिम	89,700		58,500	
- स्कूटर अग्रिम	31,000		8,000	
- मोटर कार अग्रिम	136,136		56,836	
- साइकिल अग्रिम	-		1,050	141,214
- पंखा अग्रिम	300	272,782		
- पक्षों से		22,229	700	
ग) कर्मचारियों से वसूली	–			
टी डी एस देय	–	–	–	
सी.पी.एफ़. अंशदान और ऋण की वापसी	7,756,445	7,756,445	7,168,931	7,168,931
घ) सामान्य निधि से सी.पी.एफ़. निधि को अंतरित राशिः				
- पीएफ़ में परिषद् के अंशदान के लिए	1,641,728		2,842,003	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	3,074,614		2,628,606	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज के लिए	1,432,588		1,189,751	6,660,360
- अन्य	–	6,148,930	–	
ड.) सी पी एफ निधि से सामान्य निधि में अधिक राशि अंतरित				
- पी सी आई योगदान की के कारण	–			–
- अन्य	–	–	–	
योग		**87,094,310**		**78,666,580**

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ख) पूँजीगत काम पर व्यय				
V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी				
क) भारत सरकार को (टीडीएस)	–		–	
ख) अतिरिक्त उगाही शुल्क लौटाया	–		–	
ग) अतिरिक्त वसूला गया ऋण लौटाया गया	–	–	–	–
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		661		7,479
VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)				
क) सामान्य निधि से सी.पी.एफ़. निधि को अंतरित राशिः				
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	3,074,614		2,628,606	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज के लिए	1,432,588		1,189,751	
- अन्य	–	4,507,202	–	3,818,357
ख) अग्रिम				
- पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए	10,815		7,355	
- पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए	–		–	
- अन्य के लिए	234,215	245,030	(7,800)	(445)
घ) स्टाफ़ को किया गया वेतन का अधिक भुगतान		–		
ङ) अतिरिक्त राशि सी पी एफ निधि से सामन्य निधि में अंतरित		–	–	
VIII. इति शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय खाता)		5,932		6,958
ख) बैंक शेष				
- सामान्य निधि	190,309		1,253	
- शुल्क उगाही खाता	479,634		31,066	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	20,714		291,087	
- सी.पी.एफ़. खाता	8,917,565	9,608,222	5,744,425	6,067,831
ग) डाक टिकटें		4,441		16
योग		**87,094,310**		**78,666,580**

ह0/-
(जी.एन. रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

❐

मामलों का विवरण

1 अप्रैल, 2009 - 31 मार्च, 2010

क्रम सं0	विवरण	धारा-13	धारा-14	कुल
1.	31.3.2009 को लंबित मामले	210	694	904
2.	1.4.2009 से 31.3.2010 के बीच दाखिल मामले	180	770	950
3.	1.4.2009 से 31.3.2010 के बीच निर्णीत मामले	35	161	196
4.	परिषद् के सम्मुख सीधे प्रस्तुत मामले	1	3	4
5.	1.4.2009 से 31.3.2010 के बीच जाँच विनियम 1979 के विनियम 5 (1) के प्रावधान के अन्तर्गत निर्णीत मामले	107	374	481
6.	31.3.2010 को विचाराधीन मामले	247	926	1173*

*पाद टिप्पणः 27 मामलों में सुनवाई हो चुकी है और निर्णय अभी विचाराधीन है और 46 मामले सुनवाई के लिए अग्रवर्ती हैं ।

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II –खण्ड 3–उप–खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 1645 नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2009/आश्विन 17, 1931

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2584(अ)–केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उप–धारा (6) के साथ पठित धारा 5 की उप–धारा (5) के अनुसरण में, भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट श्री अनंत कुमार, श्री विलास मुत्तेमवर और संजय दीना पाटिल के नाम अधिसूचित करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 39(अ), तारीख 7 जनवरी, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "संसद सदस्य [धारा 5 की उप–धारा (3) के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 24 से क्रम संख्यांक 26 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"24.	श्री अनंत कुमार, वर्तमान पता : 26, तुगल क्रिसेंट, नई दिल्ली स्थायी पता : 84, 'शास्वती', रानोजीराव रोड, बसावंगुडी बेंगलोर–560004	लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट।
25.	श्री विलास मुत्तेमवर, वर्तमान पता : 1, पं. मोती लाल नेहरु मार्ग, नई दिल्ली	

	स्थायी पता : अशोक रेजीडेंसी, (दास ज्वेलर्स के पास) प्लॉट सं. 18, शिवाजी नगर, नागपुर-440010 (महाराष्ट्र)	
26.	श्री संजय दीना पाटिल, वर्तमान पता : महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली स्थायी पता : संजय अपार्टमेंट्स, दीना पाटिल एस्टेट्स, स्टेशन रोड, भमांडुप (पश्चिम) मुंबई-400078	लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट।"

[फा. सं. 4/8/2007-प्रेस]
स्तुति कक्कड, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 39(अ), तारीख 7 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2242(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2008 द्वारा उसमें अंतिम संशोधन किया गया।

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II -खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 1838 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2009/कार्तिक 14, 1931

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2009

का.आ. 2849(अ)—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट श्री प्रकाश जावडेकर, संसद सदस्य, राज्य सभा का नाम अधिसूचित करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 39(अ), तारीख 7 जनवरी, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "संसद सदस्य [धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 27 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"27.	श्री प्रकाश जावडेकर, वर्तमान पता : 24, महादेव रोड, नई दिल्ली-110001 स्थायी पता : 11, सुवन अपार्टमेंट, मयूर कालोनी, कोत्थूड, पुणे-411038	राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट।"

[फा. सं. 4/8/2007-प्रेस]

वी. बी. प्यारेलाल, संयुक्त सचिव

निर्णयों के आलेख 2009-2010

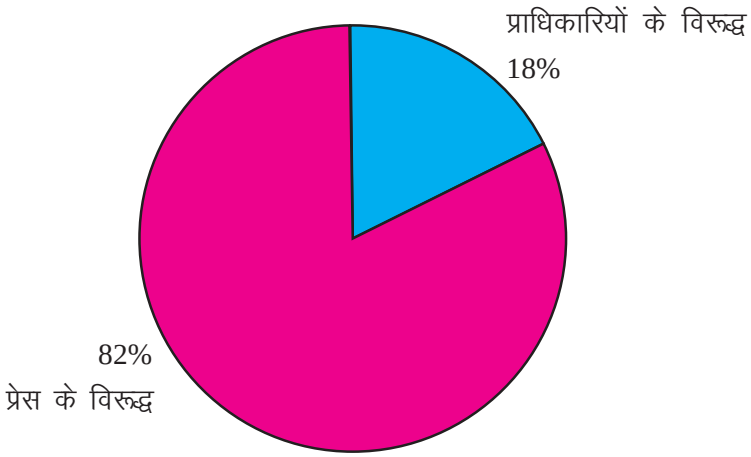

***प्राधिकारियों के विरूद्ध**

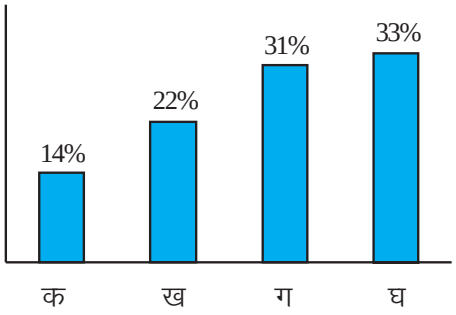

****प्रेस के विरूद्ध**

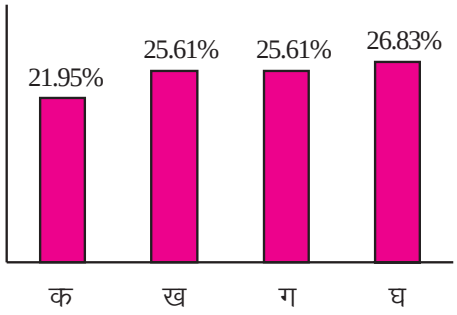

पाद टिप्पणः

क. अनुमोदित

ख. अस्वीकृत

ग. आश्वासन/निपटान/संशोधित

घ. अनिष्पादन/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/सारहीनता के कारण कार्रवाई समाप्त

* एक मामला, जिसे सीधे ही परिषद् के सम्मुख रखा गया, सहित

** तीन मामलें, जिन्हें सीधे ही परिषद् के सम्मुख रखा गया, सहित

प्रेस की स्वतंत्रता पर धमकी संबंधी शिकायतों में निर्णयों की विषयगत सारिणी (2009-2010)

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
	समाचारकर्मियों का उत्पीड़न		
1.	असम पुलिस द्वारा 'असमिया प्रतिदिन' के काकोपथर आधारित संवाद्दाता श्री रबीन ढेकिया फुकन की गिरफ्तारी तथा यंत्रणा के बारे में डॉ0 अरूण कुमार शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा) और श्री सर्वनंद सोनोवाल, संसद सदस्य (लोक सभा) से संदर्भ ।	9 जून, 2009	समाप्त
2.	श्री के.एल. विश्वकर्मा, मुख्य संपादक, बुंदेलखंड चेतना, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	7 सितम्बर, 2009	अस्वीकृत
3.	श्री विरेश कुमार शुक्ल, संवाद्दाता, हिन्दुस्तान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	समर्थित
4.	श्री रमेश तिवारी, विशेष संवाद्दाता, समाज की भूमिका, लखनऊ की पुलिस प्राधिकारियों, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	समर्थित
5.	श्री गोपाल उपाघ्याय, संवाद्दाता, दैनिक जागरण, बिहार की पुलिस प्राधिकारियों, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन
6.	श्री नवल किशोर शर्मा, संपादक, जनता की किरण, बिहार की प्रखंड विकास अधिकारी-सह कार्यपाल अधिकारी और पुलिस प्राधिकारियों, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अस्वीकृत

विः निर्णयों का विलय

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
7.	मौ. अतीक वारसी, संवाद्दाता, सूरज केसरी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों बाराबंकी, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	22 फरवरी, 2010	निदेशों पर समाप्त
8.	श्री रईस अली सिद्दीकी, संपादक, भारत नेपाल टाइम्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की थानाध्यक्ष, थाना, बक्शी का तलाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन
9.	श्रीमती उषा द्विवेदी, श्री राजेन्द्र द्विवेदी की पत्नी संवाद्दाता, एआईआर और यूएनआई, सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों सोनभद्रा, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन
10.	श्री ठाकुर तब्बू, संपादक, इंसाफ की बातें, बहराइच, उत्तर प्रदेश की महाप्रबंधक, श्रवस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड और पुलिस प्राधिकारियों, बहराइच, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	समाप्त
11.	श्री रियाजुद्दीन, संवाद्दाता, दैनिक हिन्दुस्तान, बांदा, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों, बांदा उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन
12.	श्री जगजीत सिंह दार्दी, प्रमुख संपादक, चढ़दी कला, पटियाला, पंजाब की असामजिक तत्वों के विरूद्ध शिकायत ।	,,	प्रत्याह्रत
13.	श्री गुरमेल सिंह कम्बोज़, मुख्य संपादक, इंसानियत, पंजाबी साप्ताहिक, लुधियाना, पंजाब की श्री नवदीप सिंह सिद्धू नायब तहसीलदार जगराओ और श्री बलबीर सिंह, लिपिक, पश्चिम लुधियाना तहसील, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।	31 मार्च, 2010	आश्वासन

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
14.	श्री हरजीत दुआ, मान्यता प्राप्त/स्वच्छंद पत्रकार, दिल्ली की पुलिस प्राधिकारियों दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	31 मार्च, 2010	समर्थित
15.	श्री हरप्रीत सिंह प्रीत, पत्रकार, विश्व वार्ता, कोटकपुरा, पंजाब की श्री हरजिन्द्र सिंह पेंटर और पुलिस प्राधिकारियों, कोटकपुरा, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।	,,	प्रत्याहृत
16.	श्री वैश्य रामकुमार गुप्ता, प्रधान संपादक, वैश्य लहर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अधिकरण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	जारी नहीं रखे जाने पर खारिज
17.	श्री सुल्तान शहरयार खां, जिला संवाद्दाता, दि पायनियर, सोनभ्रद, उत्तर प्रदेश की श्री नृपेन्द्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, सिद्धी, म.प्र. के विरूद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन
18.	श्री महावीर यादव, संवाद्दाता, अमर उजाला, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत ।	,,	निदेश
19.	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, संपादक, धर्मयुद्ध और सनसनी, इंदौर, मध्य प्रदेश की असामाजिक तत्वों और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	खारिज
20.	श्री राम खेलावन भारतीय, मुख्य संपादक, चतुरानन, सीतापुर, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
21.	श्री खुर्शीद आलम, संवाद्दाता, भास्कर दर्शन तथा उत्तम हिन्दू और श्री सलेक चंद वर्मा, संवाद्दाता, राष्ट्रीय सहारा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की असामाजिक तत्वों और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत ।	31 मार्च, 2010	आवासन
22.	चौ0 वेद प्रकाश सिंह चाहर, वरिष्ठ उप संपादक, आज, आगरा, उत्तर प्रदेश की असामाजिक तत्वों और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत ।	,,	निबटान किया गया
	प्रेस को सुविधायें		
23.	श्री उपेन्द्र पाल सिंह 'पवन' सम्पादक, सूर्य का उजाला, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की जिला सूचना कार्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत।	9 जून, 2009	प्रेक्षणों सहित समाप्त
24.	प्रो0 मुंगाराम त्रिपाठी, मुख्य संपादक, भ्रष्टाचार नियंत्रण, भोपाल (मध्य प्रदेश) की डी.ए.वी.पी., नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	,,	समाप्त-शिकायत निवारण
25.	श्री एस.के. नवरत्न, प्रकाशक, दैनिक राजपथ, उत्तर प्रदेश की महानिदेशक, डी.ए.वी.पी., नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	7 सितम्बर, 2009	समाप्त-शिकायत निवारण
26.	श्री एस.एस. मेहता, महासचिव, बिहार गैर-दैनिक समाचारपत्र संघ, बिहार की प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद्, पटना के विरूद्ध शिकायत ।	,,	प्रेक्षणों सहित निबटान
27.	श्री अरविन्द शुक्ला, संवाददाता, स्पूतनिक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	22 फरवरी, 2010	समर्थित

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
28.	श्री संजीव कुमार सक्सेना, संपादक, धरती धुँआ, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ , उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		22 फरवरी, 2010	निदेश
29.	ठाकुर मनोज कुमार, 'मनोजानन्द', स्वदेश सुखद संदेश हरिद्वार, उत्तराखंड, की सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून के विरूद्ध शिकायत ।		,,	खारिज
30.	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, मुख्य संपादक, सूर्य जागरण और ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, देहरादून, उत्तराखंड की श्री रमेश पोखरियाल निशंक, तत्कालीन केबिनेट मंत्री, देहरादून के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	प्रत्याहृत
31.	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, मुख्य संपादक, सूर्य जागरण और ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, देहरादून, उत्तराखंड की सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून, के विरूद्ध शिकायत ।		,,	प्रत्याहृत
32.	श्री अशोक कुमार 'नवरत्न' संवाद्दाता, दैनिक राजपथ, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के विरूद्ध शिकायत ।		,,	समाप्त-शिकायत निवारण
33.	श्री चन्द्रमणि रघुवंशी, प्रकाशक/मुद्रक, बिजनौर टाइम्स, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की डी.ए.वी.पी., नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		,,	समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
34.	श्री एस.एन. लाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नॉर्थ इंडिया जर्नलिस्ट वेल्फेयर एसोसिएशन, लखनऊ, की डी.ए.वी.पी., नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	31 मार्च, 2010	खारिज
35.	श्री अमरनाथ सेठ, जिला संवाद्दाता, पंजाब केसरी और अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन, मिर्जापुर की सूचना एवं जन संपर्क विभाग, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	प्रत्याहृत

प्रेस के विरूद्ध शिकायतों में निर्णयों की विषयगत सारिणी (2009-2010)

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
	सिद्धांत और प्रकाशन			
1.	श्री बीजू @ गण पुजारी, कोल्लम, केरल की संपादक, मातृभूमि, कोज़ीकोडे, केरल के विरूद्ध शिकायत ।		9 जून, 2009	समाप्त
2.	श्री मनोज के. कामरा, बीकानेर, राजस्थान की संपादक, दैनिक भास्कर, बीकानेर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।		”	खारिज
3.	स्वामी अरूप ब्रह्माचारी, संरक्षक, युवा मंच, बोध गया, बिहार की संपादक, हिन्दुस्तान, पटना, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।		”	खारिज
4.	सैयद नफीसुल हसन, बहराइच, उत्तर प्रदेश की संपादक, हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	खारिज
5.	डॉ. डी.के. भंडारी, भंडारी अस्पताल, देहरादून, उत्तराखंड की संपादक राणा एक्सप्रेस, लुधियाना, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।		”	परिनिंदित
6.	डॉ. डी.के. भंडारी, भंडारी अस्पताल, देहरादून, उत्तराखंड की संपादक लोक सेवा, लुधियाना, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	परिनिंदित
7.	श्री सुधाकर शमराव शंभाग, सचिव, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, पुणे की संपादक, लोकसत्ता, पुणे, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत ।		7 सितम्बर, 2009	खारिज

विः निर्णयों का विलय

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
8.	प्रो. अशर्फी लाल शर्मा, पूर्व कुलपति, स्कूल ऑफ इंस्ट्रूमैन्टेशन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक भास्कर, इंदौर, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		7 सितम्बर, 2009	जारी न रख जाने पर समाप्त
9.	श्री शिशिर झा, आयकर आयुक्त, एवं सरकारी प्रवक्ता, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली की संपादक, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई के विरूद्ध शिकायत		,,	मामला समाप्त
10.	सुश्री शोभा अग्रवाल, नई दिल्ली की संपादक, दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत ।		,,	निदेशों सहित समाप्त
11.	श्री अशोक के. तेजुजा, मुम्बई की संपादक, दी इंडियन एक्सप्रेस, मुम्बई डॉ. अतुल कुमार, नई दिल्ली की संपादक, दैनिक जागरण, नोएडा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		,,	निदेश
12.	डॉ. अतुल कुमार, नई दिल्ली की संपादक, दैनिक जागरण, नोएडा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		,,	समर्थित
13.	श्री आर. एम. पासी, वरिष्ठ प्रभागीय यांत्रिक अभियन्ता, बरेली, उत्तर प्रदेश की संपादक दैनिक जागरण, बरेली, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		22 फरवरी, 2010	निदेश
14.	श्री वी. नागी रेड्डी, आई.ए.एस. सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, सामाजिक कल्याण विभाग, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की संपादक आंध्रा भूमि, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	चेतावनी

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
15.	श्री वी. नागी रेड्डी, आई.ए.एस. सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, सामाजिक कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश की संपादक वार्ता, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		22 फरवरी, 2010	चेतावनी
16.	महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु की संपादक, धिनाधनधी, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत ।		”	खारिज
17.	डॉ. विनोद कुमार पाल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, बाल चिकित्या विभाग, ए.आई.आई.एम.एस, नई दिल्ली की संपादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		’’	प्रेक्षणों और निदेशों सहित निबटान
18.	डॉ. रजनी वर्मा, रीडर, विधि विभाग, गुरू नानक देव विश्वाविद्यालय, रीजनल कैम्पस, जालंधर की संपादक अमर उजाला, जालंधर, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।		’’	भर्त्सना/ चेतावनी
19.	श्री चन्द्र प्रकाश आर्य, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैक ऑफ इंडिया, पाली, राजस्थान की संपादक राजस्थान पत्रिका, जयपुर के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	’’	खारिज
20.	श्री चन्द्र प्रकाश आर्य, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैक ऑफ इंडिया, पाली, राजस्थान की संपादक दैनिक नवज्योति, अजमेर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।		’’	खारिज
21.	श्री लियाकत अली, दिल्ली की संपादक, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, नोएडा, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।		’’	चेतावनी

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
22.	श्री ओम प्रकाश खरकिया, अध्यक्ष, श्री अग्रसेन को-ऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली की संपादक, मेरी दिल्ली, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		22 फरवरी, 2010	खेद व्यक्त-आगे कार्रवाई अपेक्षित नहीं
23.	श्री सुरेन्द्रपाल, और अन्य अधिवक्ता, लुधियाना पंजाब की संपादक, राणा प्रताप, लुधियाना, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	परिनिंदित
24.	श्री सुरेन्द्रपाल, और अन्य अधिवक्ता, लुधियाना पंजाब की संपादक लोक सेवा, लुधियाना, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
25.	हिज़्ब-उत-तहरीर, अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक संगठन (अधिवक्ता के माध्यम से) दिल्ली की संपादक, जूनियर विकातन, चेन्नई, तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत ।		31 मार्च, 2010	प्रेक्षणों सहित निबटान
26.	श्री विनोद कुमार सिन्हा, धनबाद, झारखंड की संपादक, सरस सलिल, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
27.	डॉ. सी. वैंकटाकृष्णन, सलेम, तमिलनाडु, चेन्नई की संपादक, कुमुदम, चेन्नई, तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	भर्त्सना
28.	डॉ. सी. वैंकटाकृष्णन, सलेम, चेन्नई, तमिलनाडु की संपादक धिना थनथी, सलेम, तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत ।		,,	कोई कार्रवाई नहीं
29.	डॉ. सी. वैंकटाकृष्णन, सलेम, चेन्नई की संपादक, मलाय मलार, चेन्नई के विरूद्ध शिकायत ।		,,	कोई कार्रवाई नहीं

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
30.	डॉ. सी. वैंकटाकृष्णन, सलेम, चेन्नई, तमिलनाडु की संपादक दिनाकरन, चेन्नई, तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत ।		31 मार्च, 2010	कोई कार्रवाई नहीं
31.	श्री सी.आर. अश्वथानारायण, मैसूर, कर्नाटक की संपादक, स्टार ऑफ मैसूर, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।		,,	जारी नहीं रखे जाने पर खारिज
32.	संपादक, हमारा काम, कोलकाता के विरूद्ध मूल कार्रवाई ।		,,	परिनिंदित
33.	श्री राकेश कुमार अग्निहोत्री, झांसी, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, झांसी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		,,	समर्थित
34.	श्री योगेन्द्र कुमार, पूर्व-विधायक, और विधानसभा निर्वाचन उम्मीदवार बिसोली, बदायूं, उत्तर प्रदेश उम्मीदवार की संपादक, अमर उजाला, बरेली, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	सावधान
35.	श्री योगेन्द्र कुमार, पूर्व-विधायक, और विधानसभा निर्वाचन बिसोली, बदायूं, उत्तर प्रदेश उम्मीदवार की संपादक, दैनिक जागरण, बरेली, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		,,	सावधान
36.	श्री राकेश कुमार विश्वकर्मा, दिल्ली की संपादक, फ्रंटलाइन, अन्ना सलाई, चेन्नई के विरूद्ध शिकायत ।		,,	शिकायत अप्रर्याप्त
37.	श्री आर. भारद्वाज, मुख्य आयुक्त, आय कर, नई दिल्ली की संपादक, (1) दि टेलीग्राफ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	निदेशों सहित निबटान
38.	श्री आर.भारद्वाज, मुख्य आयुक्त, आय कर, नई दिल्ली की संपादक, दि इंडियन एक्सप्रेस, मुंबई, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत ।		,,	निदेशों सहित निबटान

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
39.	श्री आर. भारद्वाज, मुख्य आयुक्त, आय कर, नई दिल्ली की संपादक, याहू इंडिया न्यूज़ बेटा, मुंबई, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत ।		31 मार्च, 2010	निदेशों सहित निबटान
	प्रेस और मानहानि			
40.	श्री अभिनव गुरू सिद्दा स्वामिंगलू, बेलरी, कर्नाटक की संपादक, पुलिस न्यूज़, कन्नड़ साप्ताहिक, बंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	9 जून, 2009	निपटारा
41.	श्री अभिनव गुरू सिद्दा स्वामिंगलू, बेलरी, कर्नाटक की संपादक, नेरलू, बेलरी, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।		”	समाप्त
42.	संयुक्त निदेशक, सूचना, सूचना कमिश्नरेट, गुजरात सरकार, गांधीनगर, गुजरात की संपादक, गुजरात समाचार, अहमदाबाद, गुजरात के विरूद्ध शिकायत ।		”	प्रत्याहृत
43.	संयुक्त निदेशक, सूचना, सूचना कमिश्नरेट, गुजरात सरकार, गांधीनगर, गुजरात की संपादक, गुजरात समाचार, अहमदाबाद, गुजरात के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	प्रत्याहृत
44.	संयुक्त निदेशक, सूचना, सूचना कमिश्नरेट, गुजरात सरकार, गांधीनगर, गुजरात की संपादक, गुजरात समाचार, अहमदाबाद, गुजरात के विरूद्ध शिकायत ।		”	प्रत्याहृत

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
45.	डॉ. अजय भगोलीवाल, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	9 जून, 2009	पर्याप्त दस्तावेज़ न होने के कारण मामला समाप्त
46.	श्री हरजीत इन्द्र सिंह ग्रेवाल, आई.ए.एस., उपायुक्त, पंजाब की संपादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, चण्डीगढ़ के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
47.	डॉ. पी.बी. अमोलिक, मानद सचिव, दी बम्बई डायोसीज़न ट्रस्ट एसोसिएशन (प्रा0) लिमिटेड मुंबई की संपादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	”	समर्थित
48.	श्री वी.बी. किट्टाली, अपर पुलिस अधीक्षक, रायचूर, कर्नाटक की संपादक, लंकेश पत्रिके, बंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी नहीं रखे जाने पर खारिज
49.	सुश्री भारती, मेयर, मैसूर सिटी, मैसूर, कर्नाटक की संपादक, लंकेश पत्रिके, बंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	भर्त्सना
50.	श्रीमती जी. भागीरथी नायक तथा अन्य हिरियूर ज़िला, चित्रदुर्ग, कर्नाटक की संपादक, हाय बेंगलौर, बैंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
51.	श्री एम.वी. सूर्यवंशी, हलका निरीक्षक, पुलिस, रायचूर, कर्नाटक की संपादक, हाय बंगलौर, बैंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी नहीं रखे जाने पर समाप्त
52.	डॉ. रिचर्ड एस. गनानकान, कार्यकारी निदेशक, एसीटीएस मंत्रालय, बैंगलूरू, कर्नाटक की संपादक, हाय बंगलौर, बैंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।		जारी न रखे जाने पर समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
53.	श्री वी.एस. अचुतनंदन, माननीय मुख्य मंत्री, केरल, तिरूवनंतपुरम, की संपादक, दीपिका दैनिक, कोटयम, केरल के विरूद्ध शिकायत ।	9 जून, 2009	प्रत्याहृत
54.	डॉ. गुरू लिंगू, मैसूर, कर्नाटक की संपादक, रैड ऐरो, बंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर समाप्त
55.	श्री जगद्गुरू रूद्रमुनि देवारू, कर्नाटक की संपादक, संयुक्त कर्नाटक, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	समाप्त - संशोधन किया गया
56.	श्री शेख शफी अहमद, गुलबर्गा, कर्नाटक की संपादक, इंकलाब-ए-डेक्कन, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
57.	श्री एम. सुब्रमण्य वैद्य, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (सेवानिवृत), कर्नाटक की संपादक, हाय मारूत, उडुपी, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
58.	श्री एच.एस. शिवशंकर, सदस्य, कर्नाटक विधान परिषद्, बंगलूरू की संपादक, हाय बंगलौर, बंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	चेतावनी
59.	श्री संजीव नयन, ब्यूरो चीफ, राजधानी खबर, झारखंड की संपादक, आज, राँची के विरूद्ध शिकायत ।	”	अस्वीकृत
60.	श्री अशोक कुमार रथ और जयंत कुमार दास, प्रबंधन भागीदार, एकेजेके एंटरप्राइज़, पुरी, उड़ीसा की संपादक, धारित्री, भुवनेश्वर के विरूद्ध शिकायत ।	”	अस्वीकृत

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
61.	डॉ. के.के. शर्मा, प्राचार्य, महाराज सिंह कॉलेज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	9 जून, 2009	निपटारा
62.	श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डेय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, राष्ट्रीय सहारा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	निदेश
63.	डॉ. यदुवीर सिंह, असोसिएट प्रोफेसर, थापर विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब की संपादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	भर्त्सना
64.	श्री ज़लील खान, प्रकाशक/संपादक, वॉयस ऑफ माइनॉरिटीज़, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश की संपादक, ईनाडु, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
65.	श्री गौतम बुद्ध दास, सब-एडीटर-कम-स्टाफ रिपोर्टर, दी समाज, राउरकेला की संपादक, उत्कल मेल, भुवनेवर के विरूद्ध शिकायत ।	7 सितम्बर, 2009	निपटारा
66.	श्री अरविंद मिश्रा, वरिष्ठ महाप्रबंधक (सी/ए), इंडियन मैटल्स एंड फैरो अलॉएज लिमिटेड, भुवनेश्वर की संपादक, संवाद, भुवनेश्वर के विरूद्ध शिकायत ।	”	आगे कार्रवाई अपेक्षित नहीं
67.	डॉ. योगेश कुमार पांडे, प्राध्यापक, गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड की संपादक, दी हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	”	निदेशों सहित निबटान

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
68.	श्री संदीप सोबती, प्रबंधन निदेशक, मैसर्स लग्गर इन्डस्ट्रीज लि0, जालन्धर, पंजाब की संपादक, आउटलुक, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		7 सितम्बर, 2009	न्यायाधीन
69.	श्री ए.के. प्रसाद, संयुक्त महाप्रबंधक/प्रशा0 आयुध निर्माणी, रक्षा मंत्रालय, भंडारा, महाराष्ट्र की संपादक, नगर की समस्या, नागपुर, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत ।		”	भर्त्सना
70.	श्री सैयद वसीम रिज्वी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संपादक, सहाफत, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	समाप्त
71.	सैयद मौहम्मद अली साबिर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संपादक, राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	प्रेक्षणों सहित निबटान
72.	श्री कमल प्रकाश, मंडल अभियन्ता (बी.एस.एन.एल.) जोधपुर, राजस्थान की संपादक दैनिक भास्कर, जोधपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।		”	समाप्त
73.	श्री कमल प्रकाश, मंडल अभियन्ता (बी.एस.एन.एल.) जोधपुर, राजस्थान की संपादक राजस्थान पत्रिका, जोधपुर राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	समाप्त
74.	श्री कमल प्रकाश, मंडल अभियन्ता (बी.एस.एन.एल.) जोधपुर, राजस्थान की संपादक दैनिक नवज्योति, जोधपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।		”	समाप्त
75.	सुश्री अनु गुप्ता, मैसर्स कम्प्यूटर जॉब वर्क, राजस्थान की संपादक, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	‘	समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
76.	सुश्री अनु गुप्ता, मैसर्स कम्प्यूटर जॉब वर्क राजस्थान की संपादक, दैनिक भास्कर, जयपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	7 सितम्बर, 2009	समाप्त
77.	श्री रमेश हनुमंत शिंदे, महाराष्ट्र राज्य प्रवक्ता, हिन्दू जनजागृति समिति, थाणे, मुंबई की संपादक, इंडियन एक्सप्रेस, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	”	कार्यवाही बंद कर दी गई
78.	मैसर्स रूबी मिल्स लिमिटेड, मुंबई की संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर समाप्त
79.	श्री नित्यानंद एस.पांडे, मुंबई की संपादक, दैनिक एवरीवेयर, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
80.	श्रीमती मीनाक्षी शंकर देशमुख, मुंबई की संपादक, खबरें आज तक, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
81.	श्री बाबू राव एस. देशमुख, नांदेड, महाराष्ट्र की संपादक, प्रवक्ता, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत ।	”	मामला समाप्त
82.	संयुक्त निदेशक और अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक भास्कर, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	कार्यवाही बंद कर दी गई
83.	डॉ. मुफीज़ रहमान, रहमान क्लिनिक, मंदसौर, मध्य प्रदेश की संपादक, मल्हार मार्तण्ड साप्ताहिक, मंदसौर, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर समाप्त

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
84.	श्री जगदीश चन्द्र, वन मंडलाधिकारी, झाबूआ, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक चंबल वाणी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		7 सितम्बर, 2009	निदेश
85.	श्री सत्यनारायण दुदानी, पूर्व राज्य मंत्री, बिहार सरकार की संपादक, माईन्ड, झारखंड के विरूद्ध शिकायत ।		”	जारी न रखे जाने पर समाप्त
86.	श्री एल. गोपाकुमारन नायर, अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की संपादक, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		”	समर्थित
87.	डॉ. अश्विनी डालमिया, मानद सचिव, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली की संपादक, दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		”	अस्वीकृत
88.	श्री पी.सी. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की दी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		”	अस्वीकृत
89.	श्री पी.सी. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की दी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		”	अस्वीकृत
90.	श्री पी.सी. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की संपादक, दी टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	अस्वीकृत
91.	श्री पी.सी. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की संपादक, दी हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		”	अस्वीकृत

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
92.	श्री पी.सी. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की संपादक, दी इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	7 सितम्बर, 2009	अस्वीकृत
93.	श्री आर.पी.एस. लोछब, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र, हरियाणा की संपादक, बहुजन एक्सप्रेस, कुरूक्षेत्र, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत ।	”	मामला समाप्त
94.	श्री गुरूमुख सिंह सिधु, जालंधर, पंजाब की संपादक, दैनिक जागरण, जलांधर, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।	”	निदेश
95.	सुश्री मंजु वाडवलकर, जन संपर्क अधिकारी, पीजीआईएमईआर, चण्डीगढ़ की संपादक, दैनिक भास्कर, चण्डीगढ़ के विरूद्ध शिकायत ।	”	समर्थित
96.	श्री गोदाराम, सरपंच, राऊता, राजस्थान की संपादक, राजस्थान पत्रिका, पाली, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
97.	श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरी, कार्यकारी अधिकारी, श्री साँईबाबा संस्थान और अन्य, शिरडी, महाराष्ट्र की संपादक, ओम साँईनाथ टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर खारिज
98.	श्री नवदीप सिंह विर्क, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, सोनीपत, हरियाणा की संपादक, दैनिक पंजाब केसरी, पानीपत, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत ।	”	निदेश
99.	श्री सुरेन्द्र पुरी, अध्यक्ष, लोक शिकायत एवं कल्याण सोसाइटी, दिल्ली की संपादक, राष्ट्र हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	”	समाचार के अस्तित्व में न होने के कारण समाप्त

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
100.	श्री प्रेम बहादुर सक्सेना, दिल्ली की संपादक, दैनिक जागरण, आगरा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		7 सितम्बर, 2009	निदेश
101.	श्री ठाकुर चन्द्र भूषण सिंह, टाटा नगर, झारखंड की संपादक, दैनिक जागरण, जमशेदपुर, झारखंड के विरूद्ध शिकायत ।		”	समाप्त
102.	श्री हाज़ी तसलीम अहमद, विधायक, लालधांग रीजन (हरिद्वार) उत्तराखंड की संपादक, दैनिक जागरण, देहरादून, उत्तरांखड के विरूद्ध शिकायत ।		22 फरवरी, 2010	निपटारा
103.	श्री सुलतान अहमद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, जागरूक्ता के प्रतीक, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	न्यायाधीन
104.	श्रीमती रूपन देवी, स्वामी/प्रोपराइटर, फेयर प्राइज शॉप, बिजनौंर, उत्तर प्रदेश की संपादक, विधान केसरी, बिजनौंर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	भर्त्सना
105.	श्री समीर अहमद @ मिन्टू, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, और संवाद्दाता अमर उजाला, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	खारिज
106.	श्री मोहियुद्दीन अली खान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की संपादक, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	निपटारा
107.	श्री मोहियुद्दीन अली खान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की संपादक, साक्षी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	निपटारा

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
108.	सुश्री एन. गायत्री देवी एन., उप-पंजीयक, पेरीयत्ना मैसूर, कर्नाटक की संपादक, दारी दीप, मैसूर, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।		22 फरवरी, 2010	सावधान
109.	श्री एस. भाले राव, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, पब्लिक एंटरप्राइसेस विभाग, हैदराबाद की संपादक डेक्कन क्रॉनिकल, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	निदेशों सहित निबटान
110.	श्री राजीव अग्रवाल, फरीदाबाद, हरियाणा की संपादक, विजय न्यूज, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		”	समर्थित
111.	श्री सुनील कुमार द्विवेदी, भूतपूर्व अध्यक्ष, चौधरी महादेव प्रसाद कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	न्यायाधीन
112.	क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की संपादक, न्यूज चैनल नं.1 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	जारी न रखे जाने पर समाप्त
113.	डॉ. आर.पी. शर्मा, प्रधानाचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरसा, हरियाणा की संपादक, पंजाब केसरी, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	प्रेक्षणों सहित निबटान
114.	डॉ. आर.पी. शर्मा, प्रधानाचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरसा, हरियाणा की संपादक, दैनिक सच कहूँ, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत ।		”	मामला सिद्ध नहीं हुआ

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
115.	श्री हर्ष बहल, अपर महानिदेशक (एम.एण्ड.सी), प्रवक्ता, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली की संपादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	31 मार्च, 2010	न्यायाधीन
116.	श्री मुकेश भगत, झारखण्ड की संपादक, लहर चक्र, जमशेदपुर, झारखंड के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
117.	डॉ. (श्रीमती) रानी कंधास्वामी और उनकी बेटी, सुश्री वाणी कंधास्वामी, चेन्नई की संपादक तामीज़ मुरासु, चेन्नई तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत ।	”	भर्त्सना
118.	श्री देवप्पा कामादोद्दी, जिला कोप्पा, कर्नाटक की संपादक, हाय बंगलौर, बंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी नहीं रखे जाने पर खारिज
119.	श्री जी.बी. उमेश, पुलिस उप-निरीक्षक, दवनगिरि, कर्नाटक की संपादक हाय बंगलौर, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर खारिज
120.	श्री पी.एच. अब्दुल गफार मौलवी, पूर्व अध्यक्ष, केरल राज्य वक्फ़ बोर्ड, तिरूवनंतपुरम की संपादक, थेक्कन वार्ता दैनिक, केरल के विरूद्ध शिकायत ।	”	चेतावनी
121.	श्री पी. गोपीनाथ पनीकर, प्रबंधकीय भागीदार पी.एन.एम. अस्पताल, तिरूवनंतपुरम की संपादक, मंगलम दैनिक, केरल के विरूद्ध शिकायत ।	”	न्यायाधीन

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
122.	डॉ. द्रोपती जटारिया, मुख्य चिकित्सीय अधीक्षिका, जी.एस.वी.एम.एम.सी. जच्चा बच्चा अस्पताल, कानपुर की संपादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, कानपुर, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।		31 मार्च, 2010	जारी न रखे जाने पर समाप्त
123.	श्री आनंद कुमार टिबरवाल, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश की संपादक, जनसत्ता एक्सप्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	गुणहीन होने के कारण खारिज
124.	श्री आनंद कुमार टिबरवाल, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश की संपादक, जनसत्ता एक्सप्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	गुणहीन होने के कारण खारिज
125.	श्री एस.आर. शर्मा, महाप्रबंधक, बीएसएनएल, हज़ारीबाग की संवाद्दाताओं,दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक आज और राँची एक्सप्रेस राँची, झारखंड के विरूद्ध शिकायत ।		”	प्रेक्षणों सहित निबटान
126.	डॉ. योगेन्द्र कुमार सिंह, (अधिवक्ता के माध्यम से) वाराणसी, उत्तर प्रदेश की संपादक, आज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	खारिज
127.	श्री विजय लधानिया, कोलकाता की संपादक आंध्र ज्योति, विशाखापट्टनम, आंध प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	निदेशों सहित निबटान
128.	श्री विजय लधानिया, कोलकाता की संपादक इनाडु, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	निदेशों सहित निबटान
129.	श्री विजय लधानिया, कोलकाता की संपादक, स्वतंत्र वार्ता, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		”	निदेशों सहित निबटान

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
130.	श्री विजय लधानिया, कोलकाता की संपादक, डेकन क्रॉनिकल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		31 मार्च, 2010	निदेशों सहित निबटान
131.	श्री विजय लधानिया, कोलकाता की संपादक, राष्ट्रीय महानगर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	निदेशों सहित निबटान
132.	श्री विजय लधानिया, कोलकाता की संपादक, राजस्थान पत्रिका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के विरूद्ध शिकायत ।		”	निदेशों सहित निबटान
133.	श्री के0 प्रेम कुमार, पुलिस अधीक्षक (यू/एस) मोगापरि (पूर्व) चेन्नई, तमिलनाडु की संपादक, दिनामलार, चेन्नई, तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत ।		”	समाप्त
134.	डॉ. विकास छाबड़ा, सचिव, सूरतगढ़ गुरूकुल संस्थान, सूरतगढ़, राजस्थान की संपादक, हाई लाईन, सूरतगढ़, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।		”	अस्वीकृत
135.	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, जमुई, बिहार की सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान, भागलपुर, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।		”	आश्वासन
136.	श्री सुधीर कुमार, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीतामडी, बिहार की सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	प्रेक्षणों सहित समाप्त
137.	श्री सुधीर कुमार, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीतामडी, बिहार की सम्पादक, दैनिक जागरण, मुजफ्फरपुर, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।		”	प्रेक्षणों सहित समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
138.	श्री राम औतार चौधरी, औरंगाबाद, बिहार की संपादक, हिन्दुस्तान, पटना, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।	31 मार्च, 2010	निदेशों सहित निबटान
139.	श्री सत्यबीर सिंह, हैंड कांस्टेबल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की संपादक, थानवी मुजफ्फरनगर टाइम्स, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	प्रत्याहृत
140.	श्री प्रशांत कुमार गौतम, प्रभागीय अधिकारी, बहुजन समाज पार्टी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
141.	श्रीमती मैना रानी, प्रधानाचार्या, न्यू मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की संपादक, नया क्या है, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
142.	श्री अनिल कुमार, विधायक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की संपादक, परकाजी बुलेटिन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी नहीं रखे जाने पर खारिज
143.	सुश्री किरण, पंचायत सचिव, प्रधान ग्राम पंचायत वारीं, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की संपादक, पंजाब केसरी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	प्रत्याहृत
144.	श्री के.एन. गुप्ता, परियोजना समन्वयक, सामुदायिक विकास परियोजना इकाई, (जी ओ आई), शासकीय महिला पॉलिटेकनिक, झांसी, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक भास्कर, झांसी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	निदेश

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
145.	श्री श्रीकांत प्रसाद, मुख्य अभियंता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ क्षेत्र, मेरठ, उत्तर प्रदेश की संपादक, क्लिट्ज़ साप्ताहिक, मेरठ छावनी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		31 मार्च, 2010	न्यायाधीन
146.	डॉ0 आर.एन. चौहान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, हरना एक्सप्रेस साप्ताहिक, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		”	खारिज
147.	श्री अमिताभ ढिल्लों, आईपीएस, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पंचकुला, हरियाणा की संपादक, दैनिक जागरण, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत ।		”	समर्थित
	प्रेस और नैतिकता			
148.	सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई की संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।		7 सितम्बर, 2009	भर्त्सना
149.	श्री सितेन्द्र कादियान एवं श्री संदीप कादियान, अधिवक्ता, पानीपत, हरियाणा की संपादक, पंजाब केसरी के विरूद्ध शिकायत ।		”	निबटान किया गया
150.	सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई एण्ड सुश्री अन्ना दानी, प्रधान सचिव (ए एण्ड एस), महाराष्ट्र सरकार, गृह विभाग, मुंबई की संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	”	परिनिंदित
151.	सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई एण्ड सुश्री अन्ना दानी, प्रधान सचिव (ए एण्ड एस), महाराष्ट्र सरकार, गृह विभाग, मुंबई की संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।		”	परिनिंदित
152.	श्री धीरज जिंदल, नई दिल्ली की संपादक मैट्रो नाऊ, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		”	समाप्त - क्षमायाचना प्रकाशित

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
153.	श्री राजेश कुमार शर्मा, नई दिल्ली की संपादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	22 फरवरी, 2010	समर्थित
154.	श्री संजीव गुप्ता, दिल्ली की संपादक, मैट्रो नाओ, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	”	प्रेक्षणों सहित निबटान
	साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र विरोधी और धर्मविरोधी लेखन		
155.	श्री के.वी. हरिदास, राज्य अध्यक्ष, मन्नम युवाजनवेदी, कोटयम, केरल की संपादक, वनिता, कोटयम, केरल के विरूद्ध शिकायत ।	9 जून, 2009	आश्वासन
156.	श्री बी.वी. कट्टी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय वीराशैव महासभा, बेलगाँव, कर्नाटक की संपादक, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, बेलगाँव, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	”	चेतावनी
157.	प्रो0 पुरूषोत्तम सिंह वर्मा, नई दिल्ली की संपादक, दी हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	7 सितम्बर, 2009	प्रेक्षणों सहित निबटान
158.	सैन्य ईकाईयों में अवांछनीय साहित्य का परिचालन गृह मंत्रालय की संपादक, अभय भारत, नई दिल्ली के विरूद्ध संदर्भ।	”	मामला समाप्त
159.	श्री अब्दुल राब अब्दुल रौफ, अध्यक्ष, मिल्ली सोशल मल्टीपरपज़ सोसायटी, (फोरम), यवतमाल, महाराष्ट्र की संपादक, लोकमत, नागपुर, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत ।	”	न्यायाधीन

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
160.	श्री बिश्ववेश्वर हज़ारिका, गुवाहाटी, असम की संपादक, असमिया प्रतिदिन, गुवाहाटी, असम के विरूद्ध शिकायत ।	31 मार्च, 2010	गुणहीन होने के कारण खारिज
161.	श्री ए.वी. काले, नागपुर, महाराष्ट्र की संपादक, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत ।	”	समर्थित

प्रेस के खिलाफ की गई शिकायतों के संबंध में न्यायनिर्णयों में दर्ज़ किए गये सिद्धांतों की सारिणी

सिद्धांत और प्रकाशन

संपादक समाचार–पत्र में प्रकाशन के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सामग्री के चयन में काफी हद तक अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और जिस व्यक्ति का कोई मामले से सीधा संबंध न हो, वह अपने दृष्टिकोण के प्रकाशन के लिए जोर नहीं दे सकता है। **(श्री सईद नफीसुल हसन, बेहराइच, उत्तर प्रदेश बनाम संपादक, हिंदुस्तान, हिंदी दैनिक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश : शिकायत संख्या 7, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, जुलाई 2009)**

प्रेस को यह स्पष्ट अधिकार है कि वह जनहित के महत्त्वपूर्ण मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त कर सकता है। एक राय होने के कारण प्रेस को यह छूट है कि वह तथ्यों को बिगाड़े बिना टिप्पणी भी कर सकता है। इसके साथ ही कोई भी सरकार या लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि के कार्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः मीडिया का कर्त्तव्य है कि वह जनहित के संरक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करे। **(श्री शिशिर झा, आयकर आयुक्त तथा सरकारी प्रवक्ता, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली बनाम संपादक, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नै, तमिलनाडु; शिकायत संख्या 10, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर, 2009)**

समाचार–पत्र को अकारण किसी लेख को प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। लेकिन सलाह दी जाती है कि यदि टिकट लगा लिफाफा साथ में भेजा गया हो तो वह उस लेख को वापस कर दे **(सुश्री शोभा अग्रवाल, नई दिल्ली बनाम संपादक, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ : शिकायत संख्या 11, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर, 2009)**

यदि किसी लेख को प्रकाशित करने के बाद कोई सूचना आवश्यक हो तो समाचार–पत्र के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस संस्था से और स्पष्टीकरण प्राप्त करे ताकि प्रभावित पक्षकार को यह उपलब्ध कराया जा सके, विशेषतः उस स्थिति में जब उस प्रमुख संस्था की छवि पाठकों की नजर में धूमिल होती हो। **(प्रो. वी.के. पॉल, प्रधान प्रोफेसर, शिशु विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली बनाम संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, शिकायत संख्या–28, भारतीय प्रेस परिषद्, अप्रैल 2010)**

किसी भी विज्ञापन को स्वीकार करने का मामला समाचार–पत्र के विवेक पर निर्भर करता है और अपने विवेक का प्रयोग करते समय समाचार–पत्र को विज्ञापन आदि के रूप में प्रकाशन के लिए दी गई सामग्री की वैद्यता या प्रमाणिकता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता

है। लेकिन अदायगी के साथ विज्ञापनों को स्वीकार करने पर या तो उन्हें प्रकाशित करना चाहिए या तत्काल पैसा वापस कर देना चाहिए। **(श्री लियाकत अली, बारा हिंदू राव, दिल्ली बनाम संपादक, रोजनामचा राष्ट्रीय सहारा, नौएडा, शिकायत संख्या – 31, भारतीय प्रेस परिषद्, अप्रैल 2010)**

किसी पत्रिका के मुख–पृष्ठ पर किसी पीड़ित लड़की की नंगी तस्वीर पूरे आकार में प्रकाशित करना सनसनी पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार के प्रकाशनों को अनुच्छेद 19(1) के अधीन सांविधिक गारंटी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। इससे संबंधित महिला की प्रतिष्ठा को ही आघात नहीं पहुंचा है अपितु पूरी नारी–जाति को आघात पहुंचा है। इस मामले में संपादक ने कोई सावधानी नहीं बरती है और मुख–पृष्ठ पर इस प्रकार के प्रकाशन के लिए ऐसी तस्वीर को चुनने में अपने पद के लिए अपेक्षित विवेक का प्रयोग नहीं किया है। **(श्री बिनोद कुमार सिन्हा, धनबाद, झारखंड बनाम संपादक सरस सलिल, नई दिल्ली शिकायत संख्या–35, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2010)**

लेख की भाषा बदलना और लेखक के कार्य को स्वीकार न करना अनैतिकता है ऐसी अपेक्षा की जाती है कि प्रेस को चाहिए कि वह लेखक के अधिकारों का सम्मान करे। **(श्री राकेश कुमार अग्निहोत्री, झांसी, उत्तर प्रदेश बनाम संपादक, दैनिक जागरण, झांसी, उत्तर प्रदेश, शिकायत संख्या–39, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2010)**

संबंधित सामग्री को प्रकाशित करते समय किसी उम्मीदवार विशेष को बढ़ावा देने के लिए उस सामग्री को इस तरीके से प्रकाशित किया जाए कि वह आम आदमी को समाचार लगे और उसके अंत में विज्ञापन छापना और उसमें उस उम्मीदवार की अपील को छोटे बॉक्स के साथ प्रकाशित करना उस समय चुनाव के दौरान उस समय मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है जब सभी चुनाव अभियान बंद हो गए हों। इस प्रकार का कार्य पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार, अनैतिक ही नहीं है अपितु चुनाव संबंधी कानूनों का उल्लंघन भी है । **(श्री योगेंद्र कुमार, पूर्व–एमएलए, विधान–सभा के उम्मीदवार, बदायूं, उत्तर प्रदेश बनाम संपादक, अमर उजाजा, संपादक, दैनिक जागरण, शिकायत संख्या 40, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2010)**

फोटो पत्रकारिता किसी घटना को पूरी यथार्थता के साथ प्रकाशित करने और क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशित करने का आज एक सशक्त माध्यम है और प्रेस को किसी घटना के क्रम की जानकारी न देना आज और कल सच्चाई को समाने लाने की पत्रकारों की प्रतिबद्धता को कम करना है । **(श्री राकेश कुमार विश्वकर्मा, दिल्ली बनाम संपादक, "फ्रंटलाइन" चेन्नै, शिकायत संख्या 41, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2010)**

प्रेस और मानहानि

समाचार–पत्र चौथे स्तम्भ का नेता होने का दावा करते हैं और उनके द्वारा अपनाए जाने

वाले अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैश्विक रूप से स्वीकृत और अपनाए जाने वाली पत्रकारिता संबंधी परिपाटियों को अपनाए। **(डॉ0 पी.बी. अमोलिक, मानद सचिव, द बंबई डिओसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन (पी) लिमिटेड, मुंबई बनाम संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई, शिकायत संख्या 13, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, जुलाई 2009)**

एक ऐसे सरकारी व्यक्ति के कार्य और आचरण का प्रेस द्वारा आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है, जो सरकारी पद पर हो। लेकिन इसके साथ ही प्रेस की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने समाचारों तथा अपनी टिप्पणियों को सत्यापित सूचना के आधार पर प्रकाशित करे और वह अनुचित आरोप लगा कर या व्यंगात्मक टिप्पणी का प्रयोग न करे। **(सुश्री भारती, महापौर, मैसूर सिटी, कर्नाटक बनाम संपादक, लंकेश, पत्रिका, बेंगलुरु, कर्नाटक, शिकायत संख्या 15, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, जुलाई 2009)**

समाचारपत्रों को चाहिए कि वे व्यक्तिगत दुख और परिवाद के सदस्यों की मृत्यु पर अधिक संवेदनशील हों और संबंधित लोगों से पुलिस के कथन की पुष्टि करें। **(श्री सैयद मोहम्मद, अली सबिर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश बनाम संपादक, राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, शिकायत संख्या 20, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2009)**

समाचार–पत्र का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रभवित पत्रकारों के कथन को प्रकाशित करे, क्योंकि वह रिपोर्ट का अभिन्न अंग होता है। समाचार–पत्र के लिए यह उचित नहीं है कि वह प्रभावित पक्षकार के कथन की परवाह किए बिना एकतरफा अभियान चलाए। **(सुश्री मंजू वाडवालकर, जन संपर्क अधिकारी, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ बनाम संपादक, दैनिक भास्कर, चंडीगढ़, शिकायत संख्या 37, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2009)**

मीडिया–कर्मी होने के कारण पत्रकार को यह विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह देश के कानून से ऊपर हो जाए, क्योंकि दूर–संचार पत्रकारिता संबंधी दायित्वों का अभिन्न अंग है और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों । **(श्री एस.आर. शर्मा, महाप्रबंधक, बीएसएनएल, हजारीबाग, झारखंड बनाम संवाद्दाता, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक आज और रांची एक्सप्रेस, शिकायत संख्या 63, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2010)**

दहेज के लिए परेशान करने का आरोप न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का दुरुपयोग या अन्यथा के संबंध में पत्रिकाओं का अधिक संवेदना के साथ प्रकाशन किया जाना चाहिए और दोषी के फोटोग्राफ प्रकाशित नहीं किए जाने चाहिए। ऐसे मामलों में संपादक को चाहिए कि वह संबंधित परिवार के निर्णय का भी पता लगाए। **(श्री विजय लधानिया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल बनाम संपादक, आंध्र ज्योति, विशाखापटनम, ईनाडु, विशाखापटनम, स्वतंत्र वार्ता, विशाखापटनम, ढेकन क्रानिकल,**

विशाखापटनम, राष्ट्रीय महानगर, कोलकाता, राजस्थान पत्रिका, कोलकाता, शिकायत संख्या 65, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2010)

किसी व्यक्ति द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में उसके आपत्तिजनक व्यवहार पर व्यक्तिगत आरोप लगाते समय संपादक को चाहिए कि वह मिली–जुली टिप्पणियों और बातों को मिलाकर प्रस्तुत न करे या अफवाहों को बढ़ावा न दे और कठोर आरोप अपने पास दस्तावेजी साक्ष्य न होने पर न लगाए। **(उप–रजिस्ट्रार पेरियापाट्टन, जिला मैसूर, कर्नाटक बनाम संपादक, दरी दीपा, जिला मैसूर, कर्नाटक, शिकायत संख्या 48, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2010)**

प्रेस और नैतिकता

महिलाओं के चित्र अशोभनीय तरीके से प्रकाशित करना भारतीय मूल्यों के विपरीत है और यदि किसी विदेशी न्यूज एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित समाचार–पत्र का संपादक उनकी उपयुक्तता, संबंधित पाठकों और संबंधित देश के समाज के मूल्यों को ध्यान में न रखे। समाचार–पत्र को ऐसे प्रकाशनों की सावधानी से संवीक्षा करनी चाहिए। **(सर्व श्री सत्येंद्र कादियान और संदीप कादियान एडवोकेट, पानीपत (हरियाणा) बनाम संपादक, पंजाब केसरी, हिंदी दैनिक, जालंधर, पंजाब, शिकायत संख्या 45, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2009)**

एफआइआर में दर्ज पीड़िता के साथ यौन दुर्व्यवहार की सजीव और स्पष्ट विवरण देने से पीड़िता के सम्मान और पाठकों की संवेदनशीलता को बहुत नुकसान पहुंचता है। एफआईआर एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें लंबित आपराधिक प्रक्रिया का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होता है। लेकिन समाचार–पत्र में इसका विवरण बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और जिस समाचार–पत्र का स्तर राष्ट्रीय है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात को ध्यान में रखे। **(सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई बनाम संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई, शिकायत संख्या 46, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर, 2009)**

जिस प्रकाशन को इसके समाचार मूल्य के लिए कोई पाठक इसे पढ़ना पसंद करता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उनके प्रति अधिक सावधान और संवेदनशील रहे, क्योंकि प्रत्येक देश की आम जनता समाज के मूलभूत मूल्यों का पालन करती है। **(श्री राजेश कुमार शर्मा, दिल्ली बनाम संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, शिकायत संख्या 80, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2010)**

साम्प्रदायिक, जातिवादी, राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी लेख

इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए कार्टून, कैरिकैचर और कामिक में विवरण देने में छूट बरती

जाती है अर्थात केवल मनोविनोद के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन यह बात भी पूर्णतः सही है कि कार्टून बनाने वाला समाज के तरीकों और लोकाचार को ध्यान में रखते हुए इसमें उचित सावधानी बरते। **(श्री के.वी. हरिदास, राज्य अध्यक्ष, मन्नम युवजनवेदी, कोट्टायम, केरल बनाम संपादक, वनिता, पाक्षिक, कोट्टायम, केरल, शिकायत संख्या 31, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, जुलाई 2009)**

लेखक द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करते समय पत्रकार के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसकी टिप्पणी से सामाजिक या धार्मिक विश्वास को ठेस न पहुंचे। **(श्री पुरुषोत्तम सिंह वर्मा, सेवा–निवृत्त प्रोफेसर, शिक्षा, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली बनाम संपादक, द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, शिकायत संख्या 48, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2009)**

नैतिकता का क्षेत्र कानून के क्षेत्र से बड़ा है और नैतिकता संबंधी कार्यों को सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से मापना होता है। अतः समाचार–पत्र ऐसी सामग्री प्रकाशित न करें जो धर्म को प्रतिकूल परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करे या जो समाज के ऐसे बड़े वर्ग की धार्मिक भावना को भड़काए, जिनकी उसके प्रति असीम आस्था हो और जो उसका पूरी निष्ठा से पालन और अनुसरण करते हों। यदि ऐसा कोई उच्च प्राधिकारी न हो जो संपादक की टिप्पणियों की समीक्षा करे तो समाचार–पत्र के संपादक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लेखन कार्य में और सावधानी बरते। **(श्री ए.वी. काले, नागपुर, महाराष्ट्र बनाम संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर, महाराष्ट्र, शिकायत संख्या 85, भारतीय प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2010)**

प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषय सूची (2009-2010)

क्र. सं.	पक्षों के नाम	आदेशों की तिथि	पारित आदेश
1.	मुद्रक, प्रकाशक और प्रबंध संपादक, हिन्दी डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट, लखनऊ की सिटी मजिस्ट्रेट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा समाचारपत्र का घोषणापत्र अधि-प्रमाणित न करने के संबंध में दिनांक 29.8.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील ।	7.8.2009	आक्षेपित आदेश अपास्त
2.	स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक, 'पीपल्स मार्च' अंग्रेजी मासिक, इरनाकुलम, केरल की जिला कलक्टर, इरनाकुलम, केरल के दिनांक 15.1.2009 के आदेश के विरूद्ध अपील ।	7.8.2009	आक्षेपित आदेश अपास्त
3.	श्री नरेन्द्र जैन, संपादक, समयगति, हिन्दी दैनिक, इंदौर, मध्यप्रदेश की कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर, मध्य प्रदेश के दिनांक 31.8.2007 के आदेश के विरूद्ध अपील ।	7.8.2009	निपटारा निदेश जारी
4.	प्रो0 स्वतंत्र कुमार, सचिव, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (रजिस्टर्ड) और श्री विमल वाधवन आर्य, मुद्रक और प्रकाशक, सर्वदेशिक वीकली, नई दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (लाइसैंसिग), नई दिल्ली के दिनांक 15.1.2008 के आदेश के विरूद्ध अपील ।	7.8.2009	यथापूर्व स्थिति बनाए रखें निदेश जारी

क्र. सं.	पक्षों के नाम	आदेशों की तिथि	पारित आदेश
5.	श्री प्रकाश आर्य, सचिव, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (रजिस्टर्ड) नई दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (लाइसैंसिग) नई दिल्ली के दिनांक 15.1.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील ।	7.8.2009	यथापूर्व स्थिति बनाये रखें
6.	श्री विपिनगिरि के. गोस्वामी, संपादक, गोस्वामी प्रकाश और श्री बलदेवगिरि एम. गोस्वामी सचिव, श्री महागुजरात दशनम गोस्वामी महामंडल, गांधीनगर, गुजरात की उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गांधीनगर, गुजरात द्वारा पारित दिनांक 17.7.2008 के आदेश के विरूद्ध अपील ।	7.8.2009	बोर्ड ने प्रतिवादी को नया घोषणापत्र स्वीकार करने का निदेश दिया ।
7.	श्री साहेबराव बुद्धा बगुल (बाबर), संपादक, क्राइम वार्ता, धूले, महाराष्ट्र की अपर जिला मजिस्ट्रेट, धूले, महाराष्ट्र द्वारा पारित दिनांक 22.5.2008 के आदेश के विरूद्ध अपील ।	18.1.2010	बोर्ड ने प्रतिवादी को घोषणापत्र अधिप्रमाणित करने का निदेश दिया ।
8.	स्वामी, प्रकाशक और संपादक, काशी किरण, हिन्दी दैनिक और काशी किरण, हिन्दी साप्ताहिक, वाराणसी की अपर जिला मजिस्ट्रेट, (प्रोटोकॉल), वाराणसी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध अपील ।	18.1.2010	बोर्ड ने आर एन आई को आवश्यक घोषणापत्र, जिसकी अपीलकर्ता द्वारा माँग की गयी थी, जारी करने की कार्यवाही हेतु निदेश दिया ।
9.	श्री प्रकाश पी. कुकरेजा, उल्हासनगर, महाराष्ट्र की उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, उल्हासनगर के विरूद्ध महरान, साप्ताहिक समाचारपत्र, उल्हासनगर, महाराष्ट्र का घोषणापत्र रद्द न करने पर अपील ।	18.1.2010	खारिज-प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की धारा 8 ख के उपबंधों की पहुँच से बाहर स्वीकार्य नहीं ।

क्र. सं.	पक्षों के नाम	आदेशों की तिथि	पारित आदेश
10.	श्री विकाश स्वेन, स्वामी/प्रकाशक, सूर्यप्रभा, उडिया दैनिक, भुवनेश्वर, उड़ीसा की समाचारपत्र का घोषणापत्र रद्द करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, खुरदा, उड़ीसा द्वारा दिनांक 8.9.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील ।	18.1.2010	अपील का संज्ञान न लेने पर